IUC ACADEMY
INCLUSIVE UNIVERSAL CAREERS ACADEMY
Learn. Prepare. Progress. • www.iucacademy.com

IUC अकादमी नोट्स

संपूर्ण
पाठ्यक्रम • विस्तृत व्याख्या • तुलनात्मक सारणियाँ • अभ्यास प्रश्न

नीतिशास्त्र (GS-IV), आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध

ETHICS (GS-IV), INTERNAL SECURITY, DISASTER MANAGEMENT & INTERNATIONAL RELATIONS

UPSC CSE Mains (GS-II, GS-III, GS-IV), UPPSC/BPSC/State PCS Mains एवं CAPF AC के लिए नीतिशास्त्र, अभिवृत्ति, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, दार्शनिक चिंतक, केस स्टडी विधि, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन (NDMA/सेंदाई) एवं भारत की विदेश नीति

विषयवार परीक्षा प्रश्न भार विभाजन (%)



विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का रुझान

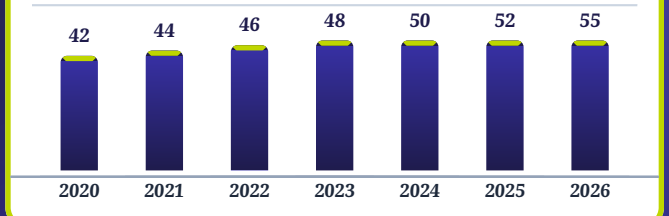

लक्षित प्रतियोगी, प्रवेश एवं विभागीय परीक्षाएँ (Target Exams Coverage)

UPSC CSE Mains (GS-II, GS-III, GS-IV) • UPPSC/BPSC/MPPSC/RAS Mains • CAPF AC • State Civil Services

इस पुस्तक के प्रमुख खंड एवं परीक्षा प्रश्न भार (%)

- नीतिशास्त्र (GS-IV): मानवीय मूल्य, अभिवृत्ति, EI, नैतिक दार्शनिक एवं केस स्टडी (34%)
- आंतरिक सुरक्षा: आतंकवाद, नक्सलवाद (SAMADHAN), सीमा प्रबंधन, PMLA व साइबर सुरक्षा (24%)
- आपदा प्रबंधन: NDMA/NDRF (Act 2005), सेंदाई फ्रेमवर्क, CDRI एवं आपदा न्यूनीकरण (18%)
- अंतरराष्ट्रीय संबंध (IR): भारत की विदेश नीति, पड़ोसी संबंध, QUAD, BRICS, G20, UN (24%)

संपूर्ण पाठ्यक्रम
NCERT एवं मानक स्रोत

तुलनात्मक सारणियाँ
प्रवाह आरेख व चार्ट

स्मृति सूत्र
त्वरित रिवीजन बिंदु

अभ्यास प्रश्न
व्याख्या सहित हल

आमुख, परीक्षा भार विश्लेषण एवं अध्ययन रणनीति — नीतिशास्त्र (GS-IV), आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध

IUC Academy (Inclusive Universal Careers Academy | www.iucacademy.com) • आधिकारिक अध्ययन नोट्स

प्रिय अभ्यर्थियों,

अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं एवं विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं के नवीनतम पैटर्न में अवधारणात्मक स्पष्टता और सटीक तथ्यों का समन्वय अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से **IUC Academy (www.iucacademy.com)** द्वारा इन विस्तृत अध्ययन नोट्स का संकलन किया गया है। इसमें प्रत्येक अध्याय के साथ **तुलनात्मक सारणियाँ, प्रवाह आरेख, महत्वपूर्ण सूत्र, 'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स, 'परीक्षा सतर्कता (सामान्य गलतियाँ)', स्मृति सूत्र (Memory Tricks)** और **व्याख्या सहित हल प्रश्न** दिए गए हैं ताकि आपको पढ़ने और याद रखने में पूर्ण सुगमता रहे।

कठिनाई स्तर के अनुसार लक्ष्य सटीकता एवं कट-ऑफ (%)



नियमित रिवीजन (1-3-7-21 दिन नियम) एवं स्मृति धारण ग्राफ

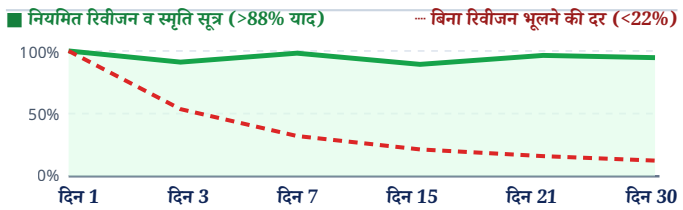

अध्यायवार एवं खंडवार प्रश्न भार सूचकांक (Topic-wise Weightage %)

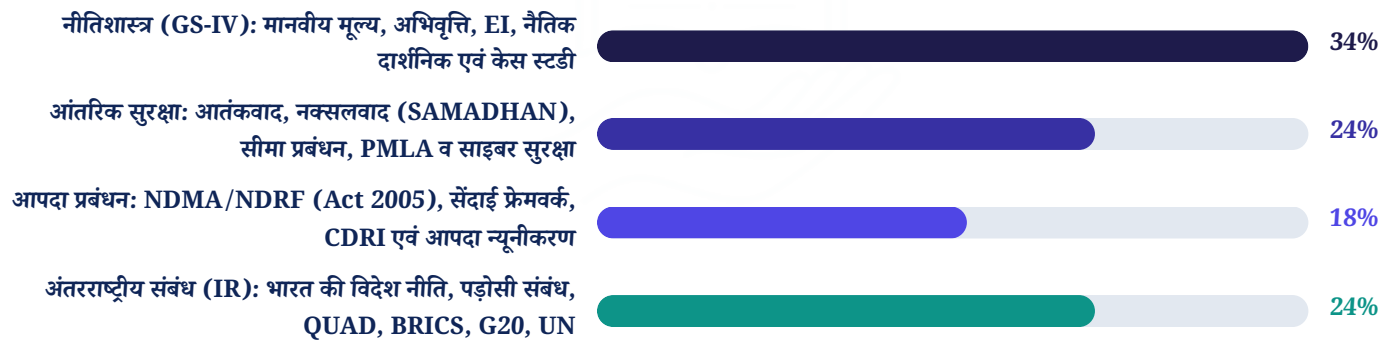

प्रामाणिक पाठ्यक्रम एवं आधिकारिक संदर्भ स्रोत (Verified Official Sources)

- UPSC Mains Official Syllabus (https://upsc.gov.in/)
- IUC Academy Mains GS 1–4 Syllabus (https://upsc.gov.in/)
- IUC Academy UPSC Mains (https://upsc.gov.in/)

विस्तृत विषय-सूची एवं अध्याय संरचना (Table of Contents)

नीतिशास्त्र (GS-IV), आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध • संपूर्ण अध्याय, तुलनात्मक सारणियाँ, अभ्यास प्रश्न एवं त्वरित रिवीजन

1. मॉड्यूल 1: नीतिशास्त्र एवं मानवीय सह-संबंध (Ethics and Human Interface)

- 1.1 नीतिशास्त्र का सार, निर्धारक और परिणाम
- 1.2 नैतिकता के आयाम (Dimensions of Ethics)
- 1.3 निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र
- 1.4 मूल्य विकास में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका

2. मॉड्यूल 2: अभिवृत्ति (Attitude) एवं सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य

- 2.1 अभिवृत्ति की संरचना एवं CAB मॉडल
- 2.2 नैतिक एवं राजनीतिक अभिवृत्ति तथा अभिरुचि (Aptitude)
- 2.3 सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य (Foundational Values for Civil Services)
- 2.4 नोलन समिति के सार्वजनिक जीवन के 7 सिद्धांत (Nolan Committee Principles, 1995)

3. मॉड्यूल 3: भावनात्मक समझ (Emotional Intelligence) एवं नैतिक विचारक

- 3.1 भावनात्मक समझ (Emotional Intelligence - EI) एवं डेनियल गोलमैन के 5 घटक
- 3.2 भारतीय नैतिक विचारक एवं समाज सुधारक
- 3.3 पाश्चात्य नैतिक विचारक (Western Moral Thinkers)

4. मॉड्यूल 4: लोक प्रशासन में नैतिकता, शासन व्यवस्था एवं केस स्टडी समाधान विधि

- 4.1 नैतिक दुविधा (Ethical Dilemma), हितों का टकराव और अंतरात्मा की आवाज
- 4.2 आचार संहिता: नीति संहिता (Code of Ethics) बनाम आचरण संहिता (Code of Conduct)
- 4.3 नागरिक चार्टर (Citizen's Charter), कार्य संस्कृति, लोक निधि का उपयोग एवं भ्रष्टाचार
- 4.4 केस स्टडी (Case Study) हल करने का 5-चरणीय मास्टर ढाँचा

5. मॉड्यूल 5: भारत की आंतरिक सुरक्षा भाग-1 (वामपंथी उग्रवाद, पूर्वोत्तर एवं जम्मू-कश्मीर)

- 5.1 भारत की आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ
- 5.2 वामपंथी उग्रवाद / नक्सलवाद (Left Wing Extremism - LWE)
- 5.3 पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद एवं ऐतिहासिक शांति समझौते
- 5.4 जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद तथा बाह्य राज्य एवं गैर-राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका

6. मॉड्यूल 6: भारत की आंतरिक सुरक्षा भाग-2 (सीमा प्रबंधन, तटीय सुरक्षा, PMLA, साइबर सुरक्षा एवं एजेंसियाँ)

- 6.1 भारत का सीमा प्रबंधन एवं CIBMS
- 6.2 तटीय एवं समुद्री सुरक्षा (Coastal & Maritime Security)
- 6.3 संगठित अपराध-आतंकवाद गठजोड़ एवं धन शोधन (Money Laundering — PMLA 2002)
- 6.4 साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना एवं सोशल मीडिया विनियमन
- 6.5 भारत की प्रमुख सुरक्षा एवं आसूचना एजेंसियाँ तथा उनका अधिदेश

7. मॉड्यूल 7: आपदा प्रबंधन (Disaster Management)

- 7.1 भारत की आपदा सुभेद्यता प्रोफाइल: प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाएँ
- 7.2 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं त्रि-स्तरीय संस्थागत ढाँचा

• 7.3 आपदा प्रबंधन चक्र (Disaster Management Cycle)
• 7.4 सेंडाई फ्रेमवर्क (2015–2030) एवं प्रधानमंत्री का 10-सूत्रीय एजेंडा

8. मॉड्यूल 8: अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं भारत की विदेश नीति (International Relations & Foreign Policy)

• 8.1 भारतीय विदेश नीति का विकास: पंचशील से गुजराल सिद्धांत और 'विश्वबंधु' तक
• 8.2 पड़ोसी प्रथम नीति, एक्ट ईस्ट नीति एवं लिंक वेस्ट नीति
• 8.3 भारत और वैश्विक महाशक्तियाँ (USA, रूस एवं चीन)
• 8.4 हिंद-प्रशांत क्षेत्र (QUAD एवं I2U2), प्रवासी भारतीय तथा UNSC सुधार

9. त्वरित पुनरीक्षण: संपूर्ण 15 स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks) की समेकित सारणी

10. मॉड्यूल 1: नीतिशास्त्र एवं मानवीय सह-संबंध — सार, निर्धारक, आयाम एवं नैतिक सिद्धांत

• 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स
• 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

11. मॉड्यूल 2: अभिवृत्ति (Attitude), भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence) एवं लोक सेवा मूल्य (नोलन समिति)

• 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स
• 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

12. मॉड्यूल 3: लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा, शासन में ईमानदारी, सूचना का अधिकार (RTI) एवं नागरिक चार्टर

• 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स
• 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

13. मॉड्यूल 4: नैतिक दुविधाएं (Ethical Dilemmas), कॉर्पोरेट शासन, CSR एवं केस स्टडी समाधान कार्यप्रणाली

• 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स
• 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

14. मॉड्यूल 5: आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य — वामपंथी उग्रवाद (LWE/नक्सलवाद), पूर्वोत्तर उग्रवाद एवं समाधान रणनीति (SAMADHAN)

• 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स
• 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

15. मॉड्यूल 6: सीमा प्रबंधन (Border Management), तटीय सुरक्षा, संगठित अपराध एवं आतंकवाद का वित्तपोषण (PMLA/FATF)

• 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स
• 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

16. मॉड्यूल 7: साइबर सुरक्षा (Cyber Security), महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (NCIIPC/CERT-In) एवं सोशल मीडिया सुरक्षा चुनौतियाँ

• 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स
• 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

17. मॉड्यूल 8: आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 — संस्थागत ढांचा (NDMA, SDMA, DDMA, NDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP)

• 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स
• 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

लक्षित परीक्षाएँ: सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (UPSC CSE GS-II, GS-III एवं GS-IV), राज्य सिविल सेवा (UPPSC, BPSC, MPPSC, RAS), सहायक कमांडेंट (CAPF AC) एवं इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB ACIO)

संस्करण: 100% शुद्ध देवनागरी हिंदी (मौलिक, कॉपीराइट-मुक्त एवं परीक्षा-उन्मुख अध्ययन सामग्री)

मॉड्यूल 1: नीतिशास्त्र एवं मानवीय सह-संबंध (Ethics and Human Interface)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 1: नीतिशास्त्र एवं मानवीय सह-संबंध (Ethics and Human Interface)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
नीतिशास्त्र का सार, निर्धारक और परिणाम	नैतिकता के आयाम (Dimensions of Ethics)	निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र	मूल्य विकास में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका

1.1 नीतिशास्त्र का सार, निर्धारक और परिणाम

नीतिशास्त्र (Ethics) ग्रीक शब्द '*Ethos*' (रीति-रिवाज या चरित्र) से व्युत्पन्न एक मानकीय विज्ञान है, जो मानवीय आचरण के 'उचित' या 'अनुचित', 'शुभ' या 'अशुभ' होने का व्यवस्थित मूल्यांकन करता है। भारतीय दर्शन में इसे 'धर्म' और 'सदाचार' के रूप में देखा गया है, जो व्यक्ति को स्वार्थ से ऊपर उठाकर 'लोकसंग्रह' (लोक कल्याण) की ओर प्रेरित करता है। **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट** के अनुसार, नीतिशास्त्र समाज में विश्वास, सहयोग और न्यायपूर्ण व्यवस्था की आधारशिला है।

- **नीतिशास्त्र का सार (Essence of Ethics):**
- **स्वतंत्र इच्छाशक्ति (Free Will):** केवल वही मानवीय कृत्य नैतिक मूल्यांकन के दायरे में आते हैं जो व्यक्ति द्वारा सचेत अवस्था में, बिना किसी बाह्य दबाव के स्वतंत्र इच्छा से किए जाते हैं।
- **सार्वभौमिकता बनाम सापेक्षता:** अहिंसा, सत्य और न्याय जैसे मूल्य सार्वभौमिक हैं, जबकि खान-पान या शिष्टाचार के नियम देश-काल और संस्कृति के सापेक्ष बदलते रहते हैं।
- **मानव गरिमा की रक्षा:** नीतिशास्त्र प्रत्येक मनुष्य को साधन के बजाय 'साध्य' मानता है और मानवाधिकारों व सामाजिक न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।
- **नैतिकता के प्रमुख निर्धारक (Determinants of Ethics):**
- **कर्ता (Actor/Agent):** व्यक्ति की अंतरात्मा, मानसिक परिपक्वता, शिक्षा और भावनात्मक समझ।
- **कृत्य की प्रकृति (Nature of Action):** क्या कार्य स्वयं में वैध और नैतिक है (जैसे—सत्य बोलना बनाम रिश्वत देना)।
- **उद्देश्य एवं अभिप्राय (Intention/Motive):** कार्य के पीछे निहित मंशा (जैसे—चिकित्सक द्वारा रोगी की जान बचाने हेतु शल्य-चिकित्सा करना बनाम अपराधी द्वारा चोट पहुँचाना)।
- **परिस्थितियाँ (Circumstances):** आपातकालीन या बाध्यकारी स्थिति (जैसे—आत्मरक्षा में बल प्रयोग)।
- **परिणाम (Consequences):** कृत्य से प्रभावित होने वाले लोगों के कल्याण या हानि की मात्रा।
- **मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र के परिणाम (Consequences of Ethics):**
- **व्यक्तिगत स्तर पर:** आत्म-संतोष, अपराध-बोध से मुक्ति, मानसिक शांति और नैतिक साहस का विकास।
- **सामाजिक स्तर पर:** सामाजिक पूँजी (Social Capital) का निर्माण, आपसी विश्वास में वृद्धि, अपराध व भेदभाव में कमी तथा कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण।
- **प्रशासनिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर:** भ्रष्टाचार-मुक्त शासन, लोक निधि का इष्टतम उपयोग, **मिशन कर्मयोगी** के अनुरूप नागरिक-केंद्रित प्रशासन और राष्ट्र की संवैधानिक वैधता में मजबूती।

1.2 नैतिकता के आयाम (Dimensions of Ethics)

1. **मानकीय नीतिशास्त्र (Normative Ethics):** यह निर्धारित करता है कि मनुष्य को 'क्या करना चाहिए'। इसके तीन मुख्य सिद्धांत हैं:

• **सद्गुण नीतिशास्त्र (Virtue Ethics):** सुकरात, प्लेटो और अरस्तू द्वारा प्रतिपादित; यह कार्य के बजाय कर्ता के 'चरित्र' (साहस, संयम, न्याय, विवेक) पर बल देता है।

• **कर्तव्यवादी नीतिशास्त्र (Deontology):** इमैनुअल कांट और भगवद्गीता के 'निष्काम कर्म' पर आधारित; इसके अनुसार परिणाम की चिंता किए बिना अपना नैतिक कर्तव्य निभाना ही सर्वोच्च धर्म है।

• **परिणामवादी नीतिशास्त्र (Teleology/Consequentialism):** बेंथम और मिल के उपयोगितावाद पर आधारित; यह मानता है कि जिस कार्य से 'अधिकतम लोगों का अधिकतम हित' हो, वही कार्य नैतिक है।

2. **अधि-नीतिशास्त्र (Meta-Ethics):** यह नैतिक शब्दों और अवधारणाओं के अर्थ व उत्पत्ति की जाँच करता है (जैसे—'अच्छा' या 'बुरा' शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या नैतिक मूल्य वस्तुनिष्ठ हैं या व्यक्तिपरक?)।

3. **अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र (Applied Ethics):** नैतिक सिद्धांतों का व्यावहारिक जीवन की जटिल समस्याओं में प्रयोग:

• **जैव-चिकित्सा नीतिशास्त्र (Bio-ethics):** इच्छामृत्यु (Euthanasia), सरोगेसी, जीन एडिटिंग, अंगदान और गर्भपात से जुड़े नैतिक प्रश्न।

• **पर्यावरणीय नीतिशास्त्र (Environmental Ethics):** मानव-केंद्रित विकास बनाम पारिस्थितिकी-केंद्रित संरक्षण, जलवायु न्याय और अंतर-पीढ़ीगत समता।

• **साइबर एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीतिशास्त्र (Cyber & AI Ethics):** डेटा गोपनीयता, एल्गोरिद्मिक पूर्वाग्रह (Algorithmic Bias), डीपफेक और डिजिटल डिवाइड।

• **मीडिया एवं कॉर्पोरेट नीतिशास्त्र:** पेड न्यूज़, सनसनीखेज पत्रकारिता से बचाव और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)।

1.3 निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र

लोक सेवक के जीवन में व्यक्तिगत संबंधों (परिवार, मित्र, जीवनसाथी) और सार्वजनिक संबंधों (नागरिक, सहकर्मी, वरिष्ठ अधिकारी) के बीच स्पष्ट संतुलन होना आवश्यक है। नोलन समिति के मानकों के अनुसार, निजी संबंधों का प्रभाव कभी भी सार्वजनिक निर्णयों पर नहीं पड़ना चाहिए।

तुलनात्मक सारणी: निजी संबंध बनाम सार्वजनिक संबंध में नीतिशास्त्र

तुलना का आधार	निजी संबंधों में नीतिशास्त्र (Private Relationships)	सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र (Public Relationships)
प्रकृति एवं आधार	अनौपचारिक, अंतरंग और भावनाओं व स्नेह पर आधारित	औपचारिक, संवैधानिक नियमों, विधि और पदानुक्रम पर आधारित
प्रमुख मूल्य	प्रेम, विश्वास, निष्ठा, गोपनीयता, दया और त्याग	सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, पारदर्शिता और जवाबदेही
चयन की स्वतंत्रता	मित्र और जीवनसाथी चुनने की पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता	लोक सेवक अपने नागरिकों, सहकर्मियों या लाभार्थियों का चयन नहीं कर सकता
उल्लंघन का परिणाम	संबंधों में खटास, भावनात्मक ठेस या सामाजिक अलगाव	अनुशासनात्मक कार्रवाई, दंड, पदच्युति और न्यायिक समीक्षा
व्यवहार का मानदंड	विशेष लगाव एवं पक्षपात स्वाभाविक (परिवार को प्राथमिकता)	शून्य पक्षपात; सभी नागरिकों के साथ समान एवं विधिसम्मत व्यवहार

1.4 मूल्य विकास में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका

• **परिवार (प्रथम पाठशाला):**

• **प्रारंभिक समाजीकरण (0–6 वर्ष):** बालक में सहानुभूति, बड़ों का आदर, सत्यवादिता और साझा करने की प्रवृत्ति (Sharing) का बीजारोपण परिवार में ही होता है।

• **प्रेक्षणात्मक अधिगम (Observational Learning):** बच्चे उपदेशों से अधिक माता-पिता के आचरण को देखकर सीखते हैं। संयुक्त परिवार सहिष्णुता और सामूहिकता सिखाते हैं, जबकि लोकतांत्रिक परवरिश लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है।

• **नकारात्मक पक्ष:** यदि परिवार में जातिवाद, दहेज या लैंगिक भेदभाव को सामान्य माना जाए, तो बच्चे में भी वही रूढ़ियाँ विकसित हो जाती हैं।

• **शैक्षणिक संस्थाएँ (द्वितीयक समाजीकरण):**

• **संवैधानिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण:** विद्यालय बालक को संकीर्ण पारिवारिक/जातीय पहचान से बाहर निकालकर धर्मनिरपेक्षता, समानता, अनुशासन और वैज्ञानिक तर्कशीलता सिखाते हैं।

• **शिक्षक की भूमिका:** एक आदर्श शिक्षक (आचार्य चाणक्य से डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन तक) चरित्र निर्माण, समय की पाबंदी और बौद्धिक ईमानदारी का विकास करता है।

• **समाज एवं समकक्ष समूह (Society & Peer Group):**

• **सामाजिक नियंत्रण एवं सह-अस्तित्व:** विविधतापूर्ण समाज विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता व भाईचारा विकसित करता है।

• **चुनौतियाँ:** उपभोक्तावाद, भौतिकतावाद और सोशल मीडिया का अवांछित दबाव युवाओं में त्वरित सफलता के लिए अनैतिक शॉर्टकट अपनाने की प्रवृत्ति पैदा कर सकता है।

चार्ट डेटा (%): मुख्य परीक्षा (GS-IV) एवं व्यक्तित्व निर्माण में नैतिक निर्धारकों का सापेक्षिक योगदान

मूल्य निर्माण एवं परीक्षा भारांक घटक	अनुमानित योगदान / भारांक (%)	प्रशासनिक एवं व्यावहारिक प्रभाव
परिवार एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था संस्कार	35%	आधारभूत सहानुभूति, ईमानदारी और भावनात्मक स्थिरता का निर्माण
शैक्षणिक संस्थान एवं मूल्य-आधारित शिक्षा	25%	तार्किक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनुशासन और संवैधानिक मूल्य
सामाजिक परिवेश, संस्कृति एवं मीडिया	20%	सामाजिक सहिष्णुता, लोकतांत्रिक चेतना और सामूहिक उत्तरदायित्व
व्यक्तिगत अंतरात्मा एवं आत्म-चिंतन	20%	कठिन नैतिक दुविधाओं में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय लेने की क्षमता

★ स्मृति ट्रिक #1 (नैतिकता के 5 निर्धारक — 'का-कृ-उ-प-प'):
"कर्ता कृत्य का उद्देश्य समझे, परिस्थिति देख परिणाम परखे।"
(1. कर्ता/*Agent*, 2. कृत्य/*Action*, 3. उद्देश्य/*Intention*, 4. परिस्थिति/*Circumstance*, 5. परिणाम/*Consequence*)

★ स्मृति ट्रिक #2 (अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र के 4 स्तंभ — 'जै-प-सा-मी'):
"जैव और पर्यावरण बचाओ, साइबर व मीडिया में नैतिकता लाओ।"
(1. जैव-चिकित्सा नीतिशास्त्र, 2. पर्यावरणीय नीतिशास्त्र, 3. साइबर/*AI* नीतिशास्त्र, 4. मीडिया व कॉर्पोरेट नीतिशास्त्र)

मॉड्यूल 2: अभिवृत्ति (Attitude) एवं सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 2: अभिवृत्ति (Attitude) एवं सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
अभिवृत्ति की संरचना एवं CAB मॉडल	**नैतिक एवं राजनीतिक अभिवृत्ति तथा अभिरुचि (Aptitude)**	**सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य (Foundational Values for Civil Services)**	**नोलन समिति के सार्वजनिक जीवन के 7 सिद्धांत (Nolan Committee Principles, 1995)**

2.1 अभिवृत्ति की संरचना एवं CAB मॉडल

अभिवृत्ति (Attitude) किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, समूह या परिस्थिति के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक मूल्यांकन करने की एक स्थायी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। मनोवैज्ञानिक रोज़ेनबर्ग और होवलैंड के अनुसार, अभिवृत्ति तीन घटकों से मिलकर बनती है, जिसे **CAB मॉडल** कहा जाता है:

1. **संज्ञानात्मक घटक (Cognitive Component - C):** किसी विषय के प्रति व्यक्ति का ज्ञान, सूचना, विश्वास या धारणा। (उदाहरण: "स्वच्छता से संक्रामक बीमारियाँ रुकती हैं।")

2. **भावात्मक घटक (Affective Component - A):** उस विषय के प्रति व्यक्ति की भावना, पसंद या नापसंद। (उदाहरण: "मुझे गंदगी से घृणा है और स्वच्छ वातावरण पसंद है।")

3. **व्यवहारात्मक घटक (Behavioral Component - B):** ज्ञान और भावना के आधार पर किया जाने वाला वास्तविक आचरण या क्रिया की तत्परता। (उदाहरण: "मैं कचरा हमेशा कूड़ेदान में डालता हूँ और स्वच्छता अभियान में भाग लेता हूँ।")

• **अभिवृत्ति के कार्य (कैट्ज़ का कार्यात्मक सिद्धांत):**

• **ज्ञान कार्य (Knowledge Function):** जटिल दुनिया को समझने और त्वरित निर्णय लेने में सहायता करना।

• **उपयोगितावादी/समायोजन कार्य (Utilitarian Function):** पुरस्कार प्राप्त करने और दंड से बचने हेतु अनुकूल अभिवृत्ति अपनाना।

• **अहं-रक्षात्मक कार्य (Ego-Defensive Function):** अपनी कमजोरियों या असफलताओं से आत्म-सम्मान की रक्षा करना।

• **मूल्य-अभिव्यक्ति कार्य (Value-Expressive Function):** अपनी केंद्रीय पहचान और आदर्शों को समाज के सामने व्यक्त करना (जैसे—गांधीवादी अहिंसा का प्रदर्शन)।

• **अनुनयन एवं अभिवृत्ति परिवर्तन (Persuasion & Attitude Change):**

• सरकारी योजनाओं (जैसे—बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, टीकाकरण, खुले में शौच से मुक्ति) की सफलता केवल कानून के डर से नहीं, बल्कि नागरिकों की अभिवृत्ति में परिवर्तन से ही संभव है।

• **अनुनयन के तत्व:** विश्वसनीय स्रोत (विशेषज्ञ या लोकप्रिय रोल मॉडल), भावनात्मक और तार्किक संदेश, तथा लक्षित श्रोता समूह की सांस्कृतिक संवेदनशीलता।

2.2 नैतिक एवं राजनीतिक अभिवृत्ति तथा अभिरुचि (Aptitude)

• **नैतिक अभिवृत्ति (Moral Attitude):** यह केवल नफा-नुकसान देखने के बजाय 'उचित और न्यायपूर्ण' के पक्ष में खड़े होने की मानसिकता है (जैसे—श्रमिकों के शोषण या बाल श्रम के विरुद्ध कठोर रुख)।

• **राजनीतिक अभिवृत्ति (Political Attitude):** राज्य, संविधान, सत्ता और सामाजिक परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण:

• **कट्टरपंथी (Radical):** वर्तमान व्यवस्था में आमूल-चूल और त्वरित बदलाव के समर्थक।

• **उदारवादी (Liberal):** लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से क्रमिक सुधार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर।

• **रूढ़िवादी (Conservative):** परंपरागत मूल्यों और यथास्थिति (Status Quo) को बनाए रखने के समर्थक।

• **प्रतिक्रियावादी (Reactionary):** वर्तमान व्यवस्था को पलटकर पुरानी व्यवस्था में लौटने के इच्छुक।

• **अभिरुचि (Aptitude) बनाम अभिवृत्ति (Attitude):** अभिरुचि किसी विशेष क्षेत्र में भविष्य में कौशल सीखने की जन्मजात या अर्जित 'क्षमता' (Competence/Talent) है, जबकि अभिवृत्ति उस कार्य को करने की 'मानसिक तत्परता और दृष्टिकोण' (Willingness) है। एक सफल प्रशासक में दोनों का समन्वय आवश्यक है।

2.3 सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य (Foundational Values for Civil Services)

भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार एक सिविल सेवक में निम्नलिखित मूल मूल्य अनिवार्य हैं:

1. **सत्यनिष्ठा (Integrity):** यह केवल वित्तीय ईमानदारी नहीं है, बल्कि विचार, वाणी और कर्म की पूर्ण एकरूपता है। जब कोई आपको न देख रहा हो, तब भी सही कार्य करना ही सत्यनिष्ठा है। इसमें बौद्धिक, व्यावसायिक और नैतिक सत्यनिष्ठा शामिल है।

2. **निष्पक्षता (Impartiality):** जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र या अमीरी-गरीबी के आधार पर बिना किसी पूर्वाग्रह के केवल योग्यता (Merit) के आधार पर निर्णय लेना।

3. **गैर-तरफदारी (Non-Partisanship):** राजनीतिक तटस्थता; सत्ता में चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, लोक सेवक को संविधान और कानून के प्रति निष्ठावान रहते हुए सरकार को निर्भीक व निष्पक्ष सलाह देनी चाहिए।

4. **वस्तुनिष्ठता (Objectivity):** व्यक्तिगत भावनाओं या मान्यताओं के बजाय प्रमाण, तथ्यों, आँकड़ों और तार्किक विश्लेषण के आधार पर निर्णय लेना।

5. **सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण (Dedication to Public Service):** बाह्य पुरस्कार या दबाव के बिना आंतरिक प्रेरणा से जनकल्याण के लिए कार्य करने की प्रतिबद्धता (जैसे—ई. श्रीधरन या आर्मस्ट्रॉन्ग पामे का योगदान)।

6. **सहानुभूति, सहिष्णुता एवं करुणा (Empathy, Tolerance & Compassion):**

- **सहानुभूति (Sympathy):** दूसरे के दुःख को देखकर दया या खेद प्रकट करना।
- **समानुभूति (Empathy):** स्वयं को दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति में रखकर उसके दर्द को ठीक वैसे ही महसूस करना।
- **करुणा (Compassion):** समानुभूति + पीड़ित के दुःख को दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठाना (Action-oriented Empathy)।
- **सहिष्णुता (Tolerance):** अपने से भिन्न विचारों, आस्थाओं और जीवन-शैलियों के प्रति सम्मान और स्वीकार्यता का भाव रखना।

2.4 नोलन समिति के सार्वजनिक जीवन के 7 सिद्धांत (Nolan Committee Principles, 1995)

ब्रिटेन में लॉर्ड नोलन की अध्यक्षता में गठित **सार्वजनिक जीवन में मानक समिति (Committee on Standards in Public Life)** ने वर्ष 1995 में लोक पदधारकों के लिए 7 ऐतिहासिक सिद्धांत निर्धारित किए:

1. **निःस्वार्थता (Selflessness):** लोक पदधारकों को केवल जनहित में निर्णय लेने चाहिए, न कि स्वयं, अपने परिवार या मित्रों के वित्तीय या भौतिक लाभ के लिए।

2. **सत्यनिष्ठा (Integrity):** उन्हें किसी भी बाहरी व्यक्ति या संगठन के ऐसे वित्तीय या अन्य दायित्वों के अधीन नहीं होना चाहिए जो उनके आधिकारिक कर्तव्य को प्रभावित कर सकें।

3. **वस्तुनिष्ठता (Objectivity):** सार्वजनिक नियुक्तियों, अनुबंधों या पुरस्कारों की सिफारिश करते समय केवल योग्यता और तथ्यों को आधार बनाना चाहिए।

4. **जवाबदेही (Accountability):** लोक सेवक अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी हैं और उन्हें आवश्यक जांच का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

5. **खुलापन/पारदर्शिता (Openness):** सभी निर्णयों और कार्यों में अधिकतम पारदर्शिता होनी चाहिए; सूचना को केवल तभी रोका जाना चाहिए जब व्यापक जनहित में ऐसा करना अनिवार्य हो।

6. **ईमानदारी (Honesty):** अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से संबंधित किसी भी निजी हित की स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए और हितों के टकराव (Conflict of Interest) को तुरंत सुलझाना चाहिए।

7. **नेतृत्व (Leadership):** लोक सेवकों को अपने व्यक्तिगत आचरण से इन सिद्धांतों को बढ़ावा देना चाहिए और उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

तुलनात्मक सारणी: अभिवृत्ति (Attitude) बनाम अभिरुचि (Aptitude) बनाम मूल्य (Values)

तुलना का आयाम	अभिवृत्ति (Attitude)	अभिरुचि (Aptitude)	मूल्य (Values)
मूल परिभाषा	किसी विषय के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक मनोवैज्ञानिक झुकाव	किसी विशेष क्षेत्र में कौशल सीखने और प्रदर्शन करने की क्षमता	जीवन के वे स्थायी आदर्श जो उचित-अनुचित का मार्गदर्शन करते हैं
प्रकृति एवं संबंध	'मानसिकता एवं दृष्टिकोण' से संबंधित	'दक्षता एवं सामर्थ्य' (Talent) से संबंधित	'चरित्र एवं नैतिक मानदंड' से संबंधित
परिवर्तनशीलता	अनुभव, शिक्षा व अनुनयन से अपेक्षाकृत परिवर्तनीय	प्रशिक्षण से निखारी जा सकती है, पर मूल आधार जन्मजात/अर्जित	अत्यंत स्थायी; आसानी से परिवर्तित नहीं होते
प्रशासनिक भूमिका	तय करती है कि अधिकारी नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करेगा	तय करती है कि अधिकारी जटिल फाइलों/तकनीक को कितनी दक्षता से संभालेगा	तय करते हैं कि अधिकारी भ्रष्ट प्रलोभनों के सामने टिकेगा या नहीं

चार्ट डेटा (%): एक आदर्श लोक सेवक की दक्षता में बुनियादी मूल्यों का भारांक

सिविल सेवा मूल्य घटक	दक्षता एवं जन-विश्वास में अंशदान (%)	प्रमुख प्रशासनिक संकेतक
सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी (Integrity & Honesty)	30%	भ्रष्टाचार-मुक्त आचरण एवं हितों के टकराव से पूर्ण बचाव
वस्तुनिष्ठता एवं निष्पक्षता (Objectivity & Impartiality)	25%	तथ्य-आधारित निर्णय एवं राजनीतिक/जातीय तटस्थता
करुणा एवं समानुभूति (Compassion & Empathy)	25%	वंचितों, दिव्यांगों व गरीबों के प्रति संवेदनशील प्रशासन
जवाबदेही एवं पारदर्शिता (Accountability & Openness)	20%	सूचना का अधिकार (RTI), सोशल ऑडिट एवं समयबद्ध सेवा वितरण

★ स्मृति ट्रिक #3 (नोलन समिति के 7 सिद्धांत — 'SHIV-AOL'):
"नोलन के सात रत्न: SHIV ने AOL चलाया।"
(***S**elflessness*/निःस्वार्थता, ***H**onesty*/ईमानदारी, ***I**ntegrity*/सत्यनिष्ठा, ***V**alue-based **O**bjectivity*/वस्तुनिष्ठता, ***A**ccountability*/जवाबदेही, ***O**penness*/खुलापन, ***L**eadership*/नेतृत्व)

★ स्मृति ट्रिक #4 (सहानुभूति से करुणा का विकास क्रम — 'द-अ-क'):
"देखकर दुःख होना दया (Sympathy) है, महसूस करना समानुभूति (Empathy) है, और मिटा देना करुणा (Compassion) है।"

मॉड्यूल 3: भावनात्मक समझ (Emotional Intelligence) एवं नैतिक विचारक

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 3: भावनात्मक समझ (Emotional Intelligence) एवं नैतिक विचारक

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
भावनात्मक समझ (Emotional Intelligence - EI) एवं डेनियल गोलमैन के 5 घटक	**भारतीय नैतिक विचारक एवं समाज सुधारक**	**पाश्चात्य नैतिक विचारक (Western Moral Thinkers)**

3.1 भावनात्मक समझ (Emotional Intelligence - EI) एवं डेनियल गोलमैन के 5 घटक

भावनात्मक समझ (EI) का अर्थ है—अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने, प्रबंधित करने और उनका उपयोग सकारात्मक सोच व मानवीय संबंधों के संचालन में करने की क्षमता। वर्ष 1990 में पीटर सलोवे और जॉन मेयर ने इस शब्द को गढ़ा, किंतु इसे वैश्विक लोकप्रियता **डेनियल गोलमैन (Daniel Goleman)** की प्रसिद्ध पुस्तक '*Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*' (1995) से मिली।

• डेनियल गोलमैन के EI के 5 प्रमुख घटक:

1. **स्व-जागरूकता (Self-Awareness):** अपनी भावनाओं, मनोदशाओं, शक्तियों, कमजोरियों और वे दूसरों को कैसे प्रभावित करती हैं, इसकी सटीक समझ रखना।

2. **स्व-नियमन (Self-Regulation):** अपनी विनाशकारी भावनाओं (क्रोध, आवेग, घबराहट) को नियंत्रित करना, कार्य करने से पहले सोचना और अनिश्चितता के माहौल में शांत रहना।

3. **आंतरिक अभिप्रेरणा (Internal Motivation):** धन या पद के लालच के बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का जुनून, आशावाद और विफलताओं के बावजूद हार न मानने की प्रवृत्ति।

4. **समानुभूति (Empathy):** दूसरों की भावनात्मक संरचना को समझना और लोगों के साथ उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के अनुसार संवेदनशील व्यवहार करना।

5. **सामाजिक कौशल (Social Skills):** मधुर संबंध बनाना, संघर्ष प्रबंधन (Conflict Management), प्रभावी संवाद और टीम का सफल नेतृत्व करना।

• **प्रशासन एवं शासन में EI की उपयोगिता:**

• **तनाव एवं संकट प्रबंधन:** दंगा, बाढ़ या कानून-व्यवस्था की आपात स्थिति में बिना घबराए त्वरित और तार्किक निर्णय लेना।

• **राजनीतिक दबाव का प्रबंधन:** जनप्रतिनिधियों के अनुचित दबाव को टकराव के बिना कूटनीतिक एवं विधिसम्मत तरीके से अस्वीकार करना।

• **जन-शिकायत निवारण:** आक्रोशित भीड़ या पीड़ित ग्रामीणों की बात धैर्यपूर्वक सुनकर प्रशासन के प्रति विश्वास जगाना।

3.2 भारतीय नैतिक विचारक एवं समाज सुधारक

1. **आचार्य कौटिल्य (चाणक्य):**

• **योगक्षेम का सिद्धांत:** 'अर्थशास्त्र' में कौटिल्य ने स्पष्ट किया—"प्रजासुखे सुखं राज्ञः, प्रजानां च हिते हितम्" (प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही उसका हित है)।

• **भ्रष्टाचार पर विचार:** जिस प्रकार जीभ पर रखे शहद का स्वाद न चखना असंभव है और पानी में तैरती मछली कब पानी पी लेती है यह जानना कठिन है, उसी प्रकार राजकोष से जुड़े अधिकारियों के भ्रष्टाचार को पकड़ना कठिन है; अतः कठोर लेखा-परीक्षा (Audit) और गुप्तचर निगरानी आवश्यक है।

2. **गौतम बुद्ध:**

• **मध्यम मार्ग (Middle Path):** अत्यधिक भोग-विलास और कठोर काया-क्लेश के बीच संतुलन।

• **अष्टांगिक मार्ग एवं चार आर्य सत्य:** सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि—जो प्रशासनिक सदाचार का आधार हैं।

3. **भगवान महावीर:**

• **पंच महाव्रत:** अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), अपरिग्रह (आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना—सतत विकास का मूल) और ब्रह्मचर्य।

• **अनेकांतवाद एवं स्याद्वाद:** सत्य के अनेक पहलू हो सकते हैं; यह विचार बौद्धिक सहिष्णुता और लोकतांत्रिक संवाद की जननी है।

4. **संत कबीर:**

• **धार्मिक पाखंड और जातिवाद पर प्रहार:** सामाजिक समता, आडंबरहीन भक्ति, सांप्रदायिक सौहार्द और संतोष ("साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाय") का दर्शन।

5. **महात्मा गांधी:**

• **साधन और साध्य की पवित्रता:** गांधीजी के अनुसार यदि साधन (Means) अपवित्र या हिंसक हैं, तो साध्य (End) कभी पवित्र नहीं हो सकता।

• **ट्रस्टीशिप (Trusteeship/न्यासधारिता) का सिद्धांत:** पूँजीपति अपनी अतिरिक्त संपत्ति के स्वामी नहीं, बल्कि समाज के 'ट्रस्टी' (संरक्षक) हैं और उन्हें उसका उपयोग जनकल्याण में करना चाहिए।

• **सर्वोदय एवं अंत्योदय (गांधीजी का जंतर/Talisman):** जब भी संदेह हो, तो उस सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति का चेहरा याद करो जिसे तुमने देखा हो, और पूछो कि तुम्हारा कदम उसके किस काम आएगा।

• **गांधीजी के सात सामाजिक पाप (Seven Social Sins):** (1) सिद्धांतों के बिना राजनीति, (2) परिश्रम के बिना धन, (3) विवेक के बिना सुख, (4) चरित्र के बिना ज्ञान, (5) नैतिकता के बिना व्यापार, (6) मानवता के बिना विज्ञान, (7) त्याग के बिना पूजा।

6. **स्वामी विवेकानंद:**

• **व्यावहारिक वेदांत एवं दरिद्रनारायण की सेवा:** "जीवेर सेवा ही शिवेर सेवा" (जीव की सेवा ही शिव की पूजा है)। युवाओं में आत्मविश्वास, चरित्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति का संचार।

7. **रवींद्रनाथ टैगोर:**

• **सार्वभौमिक मानवतावाद (Universal Humanism):** संकीर्ण राष्ट्रवाद के स्थान पर विश्व-बंधुत्व, प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण शिक्षा और वैचारिक स्वतंत्रता ("जहाँ मन भय से मुक्त हो और मस्तक सम्मान से उठा हो")।

8. **डॉ. भीमराव आम्बेडकर:**

• **संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality):** केवल संविधान का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि नागरिकों और शासकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की त्रयी तथा सामाजिक लोकतंत्र पर बल।

9. **डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम:**

• **प्रबुद्ध नागरिकता एवं वैज्ञानिक मानवतावाद:** माता-पिता और प्राथमिक शिक्षकों द्वारा नैतिक मूल्यों का रोपण, ईमानदारी और 'PURA' (ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता) के माध्यम से समावेशी विकास।

3.3 पाश्चात्य नैतिक विचारक (Western Moral Thinkers)

1. **सुकरात (Socrates):**

• **ज्ञान ही सद्गुण है (Knowledge is Virtue):** कोई भी व्यक्ति जानबूझकर बुराई नहीं करता; अज्ञानता ही अधर्म का कारण है।

• **अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है (An unexamined life is not worth living):** प्रश्न पूछने की द्वंद्वात्मक पद्धति और कानून के प्रति सर्वोच्च सम्मान।

2. **प्लेटो (Plato):**

• **चार मुख्य सद्गुण (Four Cardinal Virtues):** विवेक (Wisdom), साहस (Courage), संयम (Temperance) और न्याय (Justice)। जब समाज के सभी वर्ग बिना हस्तक्षेप के अपना कर्तव्य निभाते हैं, तभी न्याय स्थापित होता है।

3. **अरस्तू (Aristotle):**

• **स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत (Doctrine of Golden Mean):** सद्गुण दो अतियों (अभाव और अतिरेक) के बीच का संतुलन है। उदाहरण के लिए —'कायरता' (कमी) और 'दुस्साहस' (अधिकता) के बीच का संतुलन **'साहस'** है।

4. **इमैनुअल कांट (Immanuel Kant):**

• **निरपेक्ष आदेश (Categorical Imperative):** नैतिक कर्तव्य बिना किसी शर्त के पूर्णतः अनिवार्य हैं।

• **सार्वभौमिकता का नियम:** केवल उसी सिद्धांत के अनुसार कार्य करो जिसे तुम एक सार्वभौमिक नियम बनाना चाहते हो।

• **मनुष्य साध्य है, साधन नहीं:** किसी भी इंसान का उपयोग केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक उपकरण (Tool) की तरह नहीं किया जाना चाहिए।

5. **जेरेमी बेंथम एवं जॉन स्टुअर्ट मिल (उपयोगितावाद / Utilitarianism):**

• **बेंथम (मात्रात्मक उपयोगितावाद):** "अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख" (Greatest happiness of the greatest number)। बेंथम ने सुख मापने के लिए 'हेडोनिक कैलकुलस' दिया और कहा कि सभी सुख समान हैं।

• **जे.एस. मिल (गुणात्मक उपयोगितावाद):** मिल ने सुधार करते हुए कहा कि बौद्धिक और नैतिक सुख शारीरिक सुख से श्रेष्ठ हैं—"एक संतुष्ट सूअर होने से बेहतर एक असंतुष्ट सुकरात होना है।"

6. **जॉन रॉल्स (John Rawls):**

• **न्याय का सिद्धांत (A Theory of Justice - 1971):** रॉल्स ने **'अज्ञानता के पर्दे' (Veil of Ignorance)** की कल्पना की—यदि नीति-निर्माताओं को यह पता न हो कि समाज में उनकी अपनी स्थिति (अमीर/गरीब, उच्च/निम्न) क्या होगी, तो वे सबसे न्यायपूर्ण नियम बनाएंगे।

• **भेद मूलक सिद्धांत (Difference Principle):** सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ केवल तभी न्यायसंगत हैं जब उनसे समाज के सबसे वंचित व्यक्ति (Least Advantaged) को अधिकतम लाभ मिले।

तुलनात्मक सारणी: प्रमुख नैतिक विचारकों के मूल सिद्धांत एवं प्रशासनिक अनुप्रयोग

विचारक	प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत	सिविल सेवा / प्रशासन में व्यावहारिक अनुप्रयोग
आचार्य कौटिल्य	योगक्षेम एवं कठोर वित्तीय निगरानी	कल्याणकारी राज्य की योजनाएँ एवं सीएजी (CAG)/सतर्कता तंत्र
महात्मा गांधी	सर्वोदय, अंत्योदय एवं ट्रस्टीशिप	मनरेगा, अंत्योदय अन्न योजना एवं कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)
अरस्तू	स्वर्णिम मध्यमान (Golden Mean)	पुलिस बल प्रयोग में अति-कठोरता और निष्क्रियता के बीच संतुलित कार्रवाई

विचारक	प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत	सिविल सेवा / प्रशासन में व्यावहारिक अनुप्रयोग
इमैनुअल कांट	निरपेक्ष आदेश एवं मानव गरिमा	मानवाधिकार संरक्षण, बंधुआ मजदूरी व मानव तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध
जॉन रॉल्स	अज्ञानता का पर्दा एवं भेद मूलक सिद्धांत	आरक्षण नीति, प्रगतिशील कराधान एवं लक्षित सब्सिडी (DBT)

चार्ट डेटा (%): मुख्य परीक्षा (GS-IV) में विचारकों एवं भावनात्मक समझ के प्रश्नों का वितरण

उप-विषय / खंड	परीक्षा में औसत भारांक (%)	प्रश्न पूछे जाने की प्रकृति
भारतीय नैतिक विचारक एवं सुधारक (गांधी, बुद्ध, कौटिल्य, कलाम)	35%	उद्धरण-आधारित प्रश्न (Quotation questions) एवं वर्तमान प्रासंगिकता
पाश्चात्य दार्शनिक (सुकरात, कांट, अरस्तू, रॉल्स, मिल)	30%	सैद्धांतिक तुलना एवं केस स्टडी में नैतिक तर्क (Ethical Reasoning)
भावनात्मक समझ (EI के घटक एवं प्रशासनिक उपयोग)	35%	संकट प्रबंधन, तनाव नियंत्रण एवं नेतृत्व आधारित केस स्टडी

★ **स्मृति ट्रिक #5 (गोलमैन के EI के 5 घटक — 'स्व-स्व-आ-स-सा'):**
"स्वयं को जानो, स्वयं को साधो, अंदर से जागो, समानुभूति रखो, समाज को जोड़ो।"
(1. स्व-जागरूकता, 2. स्व-नियमन, 3. आंतरिक अभिप्रेरणा, 4. समानुभूति, 5. सामाजिक कौशल)

★ **स्मृति ट्रिक #6 (गांधीजी के 7 सामाजिक पाप — 'रा-ध-सु-ज्ञा-व्या-वि-पू'):**
"राजनीति, धन, सुख, ज्ञान, व्यापार, विज्ञान और पूजा—सात पाप बन जाते हैं जब इनमें नैतिकता न हो दूजा।"
(सिद्धांतहीन राजनीति, श्रमहीन धन, विवेकहीन सुख, चरित्रहीन ज्ञान, नैतिकताहीन व्यापार, मानवताहीन विज्ञान, त्यागहीन पूजा)

मॉड्यूल 4: लोक प्रशासन में नैतिकता, शासन व्यवस्था एवं केस स्टडी समाधान विधि

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 4: लोक प्रशासन में नैतिकता, शासन व्यवस्था एवं केस स्टडी समाधान विधि

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
नैतिक दुविधा (Ethical Dilemma), हितों का टकराव और अंतरात्मा की आवाज	**आचार संहिता: नीति संहिता (Code of Ethics) बनाम आचरण संहिता (Code of Conduct)**	**नागरिक चार्टर (Citizen's Charter), कार्य संस्कृति, लोक निधि का उपयोग एवं भ्रष्टाचार**	**केस स्टडी (Case Study) हल करने का 5-चरणीय मास्टर ढाँचा**

4.1 नैतिक दुविधा (Ethical Dilemma), हितों का टकराव और अंतरात्मा की आवाज

• **नैतिक दुविधा (Ethical Dilemma):** ऐसी जटिल परिस्थिति जहाँ दो या दो से अधिक नैतिक मूल्यों के बीच सीधा टकराव होता है और किसी एक को चुनने पर दूसरे मूल्य का बलिदान करना पड़ता है।

• प्रमुख उदाहरण: (1) कानून का सख्त पालन बनाम मानवीय करुणा (जैसे—बिना राशन कार्ड वाले भूखे वृद्ध को अनाज देना), (2) वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन बनाम सत्यनिष्ठा, (3) विकास परियोजनाएँ बनाम जनजातीय विस्थापन व पर्यावरण संरक्षण, (4) गोपनीयता की शपथ बनाम जनहित में सूचना उजागर करना (Whistleblowing)।

• **हितों का टकराव (Conflict of Interest):** जब किसी लोक सेवक के व्यक्तिगत हित (परिवार, रिश्तेदार, निजी निवेश) उसके आधिकारिक कर्तव्य के निष्पक्ष निर्वहन में बाधा डालते हैं या डालते हुए प्रतीत होते हैं। समाधान—स्व-घोषणा (Recusal) और पारदर्शिता।

• **अंतरात्मा की आवाज (Voice of Conscience):** यह मनुष्य का आंतरिक नैतिक न्यायालय है जो उचित-अनुचित का बोध कराता है। जब कानून या नियम अस्पष्ट हों (Grey Areas), तब एक संवेदनशील प्रशासक की अंतरात्मा ही उसे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप निर्णय लेने का साहस देती है।

4.2 आचार संहिता: नीति संहिता (Code of Ethics) बनाम आचरण संहिता (Code of Conduct)

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट (शासन में नैतिकता) ने भारत में सिविल सेवकों के लिए आचरण नियमों के साथ-साथ एक व्यापक 'नीति संहिता' लागू करने की सिफारिश की है।

तुलनात्मक सारणी: नीति संहिता (Code of Ethics) बनाम आचरण संहिता (Code of Conduct)

तुलना का आधार	नीति संहिता (Code of Ethics)	आचरण संहिता (Code of Conduct)
स्वरूप एवं प्रकृति	व्यापक, अमूर्त और आदर्शवादी मार्गदर्शक मूल्य	विशिष्ट, मूर्त और नियम-आधारित व्यवहार सूची
मुख्य फोकस	'क्या करना चाहिए' (मूल्यों और सकारात्मक प्रेरणा पर बल)	'क्या करना मना है' (Do's and Don'ts पर बल)
विस्तार	यह लोक सेवक की अंतरात्मा और विवेक को जागृत करती है	यह बाह्य आचरण (जैसे—उपहार लेना, राजनीतिक दल से जुड़ना) को नियंत्रित करती है
प्रवर्तनीयता	नैतिक रूप से बाध्यकारी; प्रत्यक्ष कानूनी दंड नहीं	विधिक रूप से बाध्यकारी; उल्लंघन पर विभागीय/अनुशासनात्मक दंड
भारतीय संदर्भ	अभी तक अलग से वैधानिक संहिता नहीं (2nd ARC द्वारा प्रस्तावित)	केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 एवं अखिल भारतीय सेवा नियम, 1968

4.3 नागरिक चार्टर (Citizen's Charter), कार्य संस्कृति, लोक निधि का उपयोग एवं भ्रष्टाचार

• **नागरिक चार्टर (Citizen's Charter):** यह किसी सरकारी संगठन द्वारा नागरिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का एक लिखित घोषणापत्र है, जिसमें सेवा की गुणवत्ता, समय-सीमा, शिकायत निवारण तंत्र और जवाबदेही का स्पष्ट उल्लेख होता है।

• **सर्वोत्तम मॉडल — 'सेवोत्तम' (Sevottam Model):** द्वितीय ARC द्वारा समर्थित यह मॉडल 3 स्तंभों पर आधारित है: (1) प्रभावी नागरिक चार्टर, (2) लोक शिकायत निवारण प्रणाली, और (3) सेवा वितरण क्षमता।

• **कार्य संस्कृति (Work Culture):** एक स्वस्थ प्रशासनिक कार्य संस्कृति की विशेषताएँ हैं—समय की पाबंदी, लालफीताशाही (Red-tapism) का अंत, टीम वर्क, नवाचार को प्रोत्साहन, लैंगिक संवेदनशीलता (विशाखा दिशानिर्देश/POSH अधिनियम) और परिणाम-उन्मुखता।

• **लोक निधि का उपयोग (Utilization of Public Funds):** करदाताओं के धन की एक-एक पाई जनता की अमानत है। इसके उपयोग में **वित्तीय औचित्य के सिद्धांत (Canons of Financial Propriety)** और **3E सिद्धांत** का पालन अनिवार्य है:

1. **मितव्ययिता (Economy):** न्यूनतम लागत पर संसाधन जुटाना।
2. **दक्षता (Efficiency):** संसाधनों की बर्बादी किए बिना अधिकतम आउटपुट प्राप्त करना।
3. **प्रभावशीलता (Effectiveness):** जिस सामाजिक लक्ष्य के लिए धन आवंटित हुआ था, वह धरातल पर वास्तव में पूरा होना (जैसे—केवल विद्यालय भवन बनना ही नहीं, बल्कि बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार होना)।

• **भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ एवं समाधान:**

• **प्रॉबर्ट क्लिटगार्ड का भ्रष्टाचार सूत्र:** $$Corruption (भ्रष्टाचार) = Monopoly (एकाधिकार) + Discretion (विवेकाधिकार) - Accountability (जवाबदेही)$$

• **types:** प्रलोभनकारी भ्रष्टाचार (Collusive — जहाँ देने और लेने वाले दोनों लाभ कमाते हैं, जैसे टैक्स चोरी) और उत्पीड़नकारी भ्रष्टाचार (Coercive — जहाँ नागरिक को अपने वैध हक के लिए मजबूरन रिश्वत देनी पड़ती है)।

• **समाधान:** भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018, लोकपाल एवं लोकायुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC), डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT), ई-गवर्नेंस (GeM पोर्टल, फेसलेस असेसमेंट) और सोशल ऑडिट।

4.4 केस स्टडी (Case Study) हल करने का 5-चरणीय मास्टर ढाँचा

मुख्य परीक्षा (GS-IV) में 120–125 अंकों की केस स्टडी पूछी जाती है। किसी भी केस स्टडी को हल करने के लिए निम्नलिखित **5-चरणीय वैज्ञानिक संरचना** अपनाएँ:

1. **चरण 1 — मुख्य विषय एवं तथ्य (Core Issue & Facts):** 3–4 पंक्तियों में केस स्टडी के केंद्रीय संकट और प्रशासनिक भूमिका को स्पष्ट करें।

2. **चरण 2 — प्रमुख हितधारक (Stakeholders):** प्रकरण से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सभी पक्षों (जैसे—पीड़ित नागरिक, प्रशासन, अधीनस्थ कर्मचारी, समाज, पर्यावरण, सरकार) की सूची बनाएँ।

3. **चरण 3 — निहित नैतिक दुविधाएँ एवं मूल्य (Ethical Dilemmas & Values Involved):** 'ए बनाम बी' के रूप में कम से कम 3 नैतिक द्वंद्व लिखें (जैसे—पेशेवर सत्यनिष्ठा बनाम पारिवारिक सुरक्षा; कानूनी प्रक्रिया बनाम तात्कालिक मानवीय सहायता)।

4. **चरण 4 — उपलब्ध विकल्पों का गुण-दोष मूल्यांकन (Evaluation of Options):** कम से कम 3 विकल्प (चरम नकारात्मक विकल्प, मध्यम/पलायनवादी विकल्प, और संतुलित संवैधानिक विकल्प) लिखकर उनके गुण (Merits) और दोष (Demerits) स्पष्ट करें।

5. **चरण 5 — व्यावहारिक कार्ययोजना एवं दीर्घकालिक समाधान (Course of Action):**

• **तात्कालिक कदम (Immediate Action):** जीवन रक्षा, प्राथमिक जांच, कानून-व्यवस्था नियंत्रण।

• **मध्यमकालिक कदम (Medium-term Action):** विभागीय जांच, पारदर्शी सुनवाई, पीड़ित को मुआवजा/सहायता।

• **दीर्घकालिक कदम (Long-term Reform):** ई-गवर्नेंस, प्रशिक्षण, संस्थागत सुधार और जागरूकता (गांधीजी के जंतर, कांट या नोलन सिद्धांतों के उद्धरण के साथ निष्कर्ष)।

चार्ट डेटा (%): एक उच्च-अंकदायी केस स्टडी उत्तर का आदर्श संरचनात्मक भारांक

केस स्टडी उत्तर के चरण	उत्तर में आदर्श भारांक (%)	परीक्षक द्वारा देखे जाने वाले मुख्य बिंदु
हितधारक एवं नैतिक दुविधाओं की पहचान (चरण 1–3)	25%	संवैधानिक मूल्यों एवं अंतर्निहित नैतिक संघर्षों की सटीक पकड़
विकल्पों का वस्तुनिष्ठ गुण-दोष विश्लेषण (चरण 4)	25%	चरमपंथ से बचते हुए तार्किक एवं विधिसम्मत मूल्यांकन
चरणबद्ध व्यावहारिक कार्ययोजना (चरण 5 — तात्कालिक/दीर्घकालिक)	35%	कानून के दायरे में रहकर मानवीय एवं नवाचारी प्रशासनिक समाधान
नैतिक दार्शनिकों/समितियों के संदर्भ एवं निष्कर्ष	15%	2nd ARC, नोलन सिद्धांत, गांधी या रॉल्स के सिद्धांतों का सटीक प्रयोग

★ स्मृति ट्रिक #7 (लोक निधि उपयोग के 3E + क्लिटगार्ड का भ्रष्टाचार सूत्र):
"3E (मितव्ययिता, दक्षता, प्रभावशीलता) से लोक-धन बचाओ; एकाधिकार + विवेकाधिकार में जवाबदेही घटाकर भ्रष्टाचार मिटाओ (C = M + D - A)!"

★ स्मृति ट्रिक #8 (केस स्टडी हल करने के 5 चरण — 'त-हि-दु-वि-का'):
"तथ्य देखो, हितधारक पहचानो, दुविधा समझो, विकल्प तौलो, कार्ययोजना बनाओ!"
(1. तथ्य, 2. हितधारक, 3. दुविधा, 4. विकल्प मूल्यांकन, 5. कार्ययोजना)

मॉड्यूल 5: भारत की आंतरिक सुरक्षा भाग-1 (वामपंथी उग्रवाद, पूर्वोत्तर एवं जम्मू-कश्मीर)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 5: भारत की आंतरिक सुरक्षा भाग-1 (वामपंथी उग्रवाद, पूर्वोत्तर एवं जम्मू-कश्मीर)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
भारत की आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ	**वामपंथी उग्रवाद / नक्सलवाद (Left Wing Extremism - LWE)**	**पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद एवं ऐतिहासिक शांति समझौते**	**जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद तथा बाह्य राज्य एवं गैर-राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका**

5.1 भारत की आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ

चाणक्य के अनुसार कोई भी राज्य चार प्रकार के खतरों का सामना करता है—(1) विशुद्ध बाह्य खतरा, (2) विशुद्ध आंतरिक खतरा, (3) बाह्य रूप से समर्थित आंतरिक खतरा, और (4) आंतरिक रूप से समर्थित बाह्य खतरा। समकालीन भारत के लिए **तीसरी श्रेणी (बाह्य शक्तियों द्वारा समर्थित आंतरिक उपद्रव)** सबसे

गंभीर चुनौती है। इसके मुख्य कारक हैं—प्रतिकूल पड़ोसी, दुर्गम भौगोलिक सीमाएँ, सामाजिक-आर्थिक विषमता, जातीय-सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, अवैध हथियार-मादक पदार्थ तस्करी और साइबर युद्ध।

5.2 वामपंथी उग्रवाद / नक्सलवाद (Left Wing Extremism - LWE)

वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के **नक्सलबाड़ी** गाँव से चारु मजूमदार और कानू सान्याल के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन माओत्से तुंग के सिद्धांत ("सत्ता बंदूक की नली से निकलती है") से प्रेरित होकर भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशस्त्र हिंसा से उखाड़ फेंकने का प्रयास करता रहा है। वर्ष 2004 में पीपुल्स वार ग्रुप (PWG) और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (MCC) के विलय से **भाकपा (माओवादी) [CPI (Maoist)]** का गठन हुआ।

- **नक्सलवाद के उभार एवं प्रसार के मुख्य कारण:**
- **जल, जंगल और जमीन से अलगाव:** जनजातीय समुदायों का वन अधिकारों से वंचित होना और खनन/औद्योगिक परियोजनाओं के कारण बिना समुचित पुनर्वास के विस्थापन।
- **प्रशासनिक एवं विकास शून्यता (Governance Deficit):** दुर्गम वनांचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और न्याय व्यवस्था का अभाव।
- **सामाजिक-आर्थिक शोषण:** सामंती व्यवस्था, महाजनी शोषण और स्थानीय प्रशासन में भ्रष्टाचार।
- **सरकार की बहुआयामी नीति एवं 'समाधान' (SAMADHAN) डॉक्ट्रिन:**

गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा मई 2017 में प्रतिपादित 'समाधान' रणनीति और राष्ट्रीय नीति एवं कार्ययोजना (2015) के परिणामस्वरूप नक्सली हिंसा में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है:

- **S — Smart Leadership:** कुशल एवं रणनीतिक नेतृत्व।
- **A — Aggressive Strategy:** सुरक्षा बलों द्वारा आक्रामक एवं सक्रिय अभियान।
- **M — Motivation and Training:** पुलिस और अर्धसैनिक बलों का उच्च मनोबल एवं विशेष प्रशिक्षण (जैसे—कोबरा बटालियन और ग्रेहाउंड्स)।
- **A — Actionable Intelligence:** मानवीय एवं तकनीकी खुफिया तंत्र का सटीक समन्वय।
- **D — Dashboard Based KPIs and KPAs:** विकास और सुरक्षा मानकों की डैशबोर्ड आधारित निगरानी।
- **H — Harnessing Technology:** यूएवी (ड्रोन), उपग्रह चित्रण, जीपीएस ट्रैकिंग और बायोमेट्रिक्स का उपयोग।
- **A — Action Plan for Each Theatre:** प्रत्येक प्रभावित क्षेत्र/जिले के लिए विशिष्ट कार्ययोजना।
- **N — No Access to Financing:** नक्सलियों के वित्तीय स्रोतों (तेंदू पत्ता उगाही, अवैध खनन लेवी) पर पूर्ण प्रहार (NIA और ED द्वारा कार्रवाई)।
- **विकासपरक पहल:** आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme), वन अधिकार अधिनियम 2006 का प्रभावी क्रियान्वयन, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सड़क संपर्क (RCPLWEA) और मोबाइल टावरों की स्थापना। रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (MP-IDSA) के अनुसार, वर्ष 2010 की तुलना में वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं और प्रभावित जिलों की संख्या में 70% से अधिक की कमी आई है।

5.3 पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद एवं ऐतिहासिक शांति समझौते

पूर्वोत्तर भारत अपनी 'चिकन नेक' (सिलीगुड़ी कॉरिडोर) की संवेदनशीलता, 99% अंतरराष्ट्रीय सीमा (चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान), दुर्गम पहाड़ी भूगोल और विविध जनजातीय पहचान के कारण दशकों तक अलगाववाद व जातीय संघर्ष से प्रभावित रहा।

- **राज्यवार प्रमुख मुद्दे एवं शांति समझौते:**
- **नागालैंड:** सबसे पुराना उग्रवाद (फिजो के नेतृत्व में NNC, बाद में NSCN-IM और NSCN-K); ग्रेटर नागालिम की मांग। वर्ष 2015 में भारत सरकार और NSCN-IM के बीच ऐतिहासिक 'फ्रेमवर्क समझौता' (Framework Agreement) हस्ताक्षरित हुआ।
- **असम:** अवैध प्रवासन और स्वायत्तता के मुद्दे पर ULFA और बोडो आंदोलन। **बोडो शांति समझौता (2020)**, **कार्बी आंगलोंग समझौता (2021)**, **आदिवासी शांति समझौता (2022)** और **उल्फा (ULFA) त्रिपक्षीय शांति समझौता (दिसंबर 2023)** से असम में स्थायी शांति स्थापित हुई है।
- **मिजोरम एवं त्रिपुरा:** 1986 के मिजो शांति समझौते से मिजोरम शांत राज्य बना; **ब्रू-रियांग शरणार्थी पुनर्वास समझौता (2020)** और **NLFT/ATTF त्रिपुरा शांति समझौता (2024)** से त्रिपुरा में उग्रवाद का अंत हुआ।

• **मणिपुर:** मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच भूमि, आरक्षण एवं म्यांमार सीमा से अवैध घुसपैठ/मादक पदार्थ तस्करी को लेकर जातीय तनाव।

• **AFSPA (सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम, 1958):** सुरक्षा की स्थिति में सुधार के कारण असम, नागालैंड और मणिपुर के अधिकांश पुलिस थाना क्षेत्रों से 'अशांत क्षेत्र' (Disturbed Area) की अधिसूचना हटा ली गई है।

5.4 जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद तथा बाह्य राज्य एवं गैर-राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका

• **जम्मू-कश्मीर में बदलता सुरक्षा परिदृश्य:** अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के पश्चात पत्थरबाजी और संगठित अलगाववादी हड़तालों का लगभग पूर्ण अंत हो गया है। वर्तमान चुनौतियों में **'हाइब्रिड आतंकवाद'** (अंशकालिक आतंकी जो सामान्य नागरिक की तरह रहते हैं), सीमा पार से **ड्रोन द्वारा हथियार व नार्को-तस्करी**, और सोशल मीडिया के माध्यम से **आभासी कट्टरपंथ (Virtual Radicalization)** शामिल हैं।

• **बाह्य राज्य अभिकर्ता (External State Actors):** पड़ोसी शत्रु राष्ट्र की खुफिया एजेंसियाँ (जैसे—पाकिस्तान की ISI) जो छद्म युद्ध (Proxy War / 'Bleed India with a Thousand Cuts'), आतंकियों को प्रशिक्षण, सुरक्षित पनाहगाह और जाली भारतीय मुद्रा (FICN) उपलब्ध कराती हैं।

• **गैर-राज्य अभिकर्ता (Non-State Actors):** लश्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM), द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF), अंतरराष्ट्रीय आतंकी सिंडिकेट, हवाला ऑपरेटर और डार्क वेब नेटवर्क जो संप्रभु राज्य की सीमाओं से परे काम करते हैं।

तुलनात्मक सारणी: भारत के तीन प्रमुख आंतरिक सुरक्षा मोर्चों का विश्लेषण

तुलना का आधार	वामपंथी उग्रवाद (LWE / नक्सलवाद)	पूर्वोत्तर भारत का उग्रवाद	जम्मू-कश्मीर का आतंकवाद
मूल विचारधारा / कारण	माओवादी विचारधारा एवं सामाजिक-आर्थिक/जनजातीय शोषण	जातीय पहचान, स्वायत्तता एवं अवैध प्रवासन का विरोध	सीमा पार से प्रायोजित धार्मिक कट्टरपंथ एवं छद्म युद्ध
प्रमुख प्रभावित क्षेत्र	बस्तर (छत्तीसगढ़), झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र सीमा	मणिपुर एवं नागालैंड-म्यांमार सीमावर्ती कुछ पॉकेट्स	पीर पंजाल (राजौरी-पुंछ) एवं कश्मीर घाटी के कुछ क्षेत्र
वित्तीय स्रोत	खनन/तेंदू पत्ता ठेकेदारों से जबरन वसूली (लेवी)	स्थानीय उगाही एवं स्वर्णिम त्रिभुज (Golden Triangle) तस्करी	सीमा पार नार्को-टेररिज्म, हवाला एवं क्राउडफंडिंग
सरकारी समाधान मॉडल	'समाधान' डॉक्ट्रिन एवं आकांक्षी जिला विकास	शांति समझौते, सांस्कृतिक स्वायत्तता एवं एक्ट ईस्ट कनेक्टिविटी	आतंक के प्रति शून्य सहिष्णुता, आतंकी इकोसिस्टम ध्वस्त करना व लोकतांत्रिक भागीदारी

चार्ट डेटा (%): आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के समाधान में बहुआयामी नीति का सापेक्षिक योगदान

सुरक्षा एवं विकास घटक	स्थायी शांति में अनुमानित योगदान (%)	प्रमुख सरकारी पहल एवं तंत्र
आसूचना-आधारित सटीक सुरक्षा अभियान	30%	कोबरा, ग्रेहाउंड्स, CAPFs, NIA एवं संयुक्त कमान
बुनियादी ढाँचा एवं सामाजिक-आर्थिक विकास	30%	सड़क, 4G मोबाइल नेटवर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार
आतंकी/उग्रवादी वित्तपोषण पर प्रहार (Choking Funds)	20%	PMLA 2002, UAPA, NIA एवं नार्को-टेरर नेटवर्क का ध्वस्तीकरण
शांति वार्ता, आत्मसमर्पण एवं मुख्यधारा में पुनर्वास	20%	पूर्वोत्तर शांति समझौते एवं आकर्षक आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीति

★ स्मृति ट्रिक #9 (नक्सलवाद के विरुद्ध 'SAMADHAN' के 8 स्तंभ):
"Smart नेतृत्व, Aggressive नीति, Motivation-प्रशिक्षण, Actionable खुफिया, Dashboard निगरानी, Harness तकनीक, Action प्लान हर क्षेत्र का, और No फंडिंग!"

मॉड्यूल 6: भारत की आंतरिक सुरक्षा भाग-2 (सीमा प्रबंधन, तटीय सुरक्षा, PMLA, साइबर सुरक्षा एवं एजेंसियाँ)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 6: भारत की आंतरिक सुरक्षा भाग-2 (सीमा प्रबंधन, तटीय सुरक्षा, PMLA, साइबर सुरक्षा एवं एजेंसियाँ)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
भारत का सीमा प्रबंधन एवं CIBMS	तटीय एवं समुद्री सुरक्षा (Coastal & Maritime Security)	संगठित अपराध-आतंकवाद गठजोड़ एवं धन शोधन (Money Laundering — PMLA 2002)	साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना एवं सोशल मीडिया विनियमन

6.1 भारत का सीमा प्रबंधन एवं CIBMS

भारत की स्थलीय सीमा लगभग **15,106.7 किमी** और द्वीपों सहित तटीय रेखा **7,516.6 किमी** लंबी है। भारत 7 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है।

तुलनात्मक सारणी: भारत की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ, चुनौतियाँ एवं तैनात सुरक्षा बल

पड़ोसी देश एवं सीमा लंबाई	तैनात सीमा रक्षक बल	प्रमुख सुरक्षा चुनौतियाँ
बांग्लादेश (4,096.7 किमी)	सीमा सुरक्षा बल (BSF)	अवैध प्रवासन, मवेशी/फेंसेडिल तस्करी, नदीय (Riverine) एवं छिद्रिल सीमा
चीन (3,488 किमी — LAC)	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)	अनिर्धारित एलएसी (LAC), गलवान/तवांग जैसी झड़पें, चीन के 'श्याओकांग' सीमावर्ती गाँव
पाकिस्तान (3,323 किमी)	सीमा सुरक्षा बल (BSF) एवं सेना	सीमा पार आतंकवाद, सुरंगों व ड्रोन से हथियार/हेरोइन तस्करी (Golden Crescent)
नेपाल (1,751 किमी)	सशस्त्र सीमा बल (SSB)	खुली सीमा का जाली मुद्रा (FICN), मानव तस्करी व अपराधियों द्वारा दुरुपयोग
म्यांमार (1,643 किमी)	असम राइफल्स (Assam Rifles)	मुक्त आवागमन व्यवस्था (FMR) का दुरुपयोग, उग्रवादी शिविर व गोल्डन ट्रायंगल ड्रग्स
भूटान (699 किमी)	सशस्त्र सीमा बल (SSB)	घने जंगल, तस्करी एवं पूर्वोत्तर उग्रवादियों द्वारा शरण लेने के पुराने प्रयास

- **व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS):** जहाँ भौगोलिक कारणों (नदी, दलदल, बर्फ) से भौतिक कँटीली बाड़ लगाना संभव नहीं है, वहाँ गृह मंत्रालय ने **स्मार्ट फेंसिंग (CIBMS)** लागू की है। इसमें थर्मल इमेजर, इन्फ्रारेड व लेजर सेंसर, भूमिगत सिस्मिक सेंसर (सुरंग का पता लगाने हेतु), रडार और कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर शामिल हैं।
- **वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (Vibrant Villages Programme):** उत्तरी सीमा (चीन सीमा) से सटे गाँवों से पलायन रोकने और उन्हें 'देश के प्रथम गाँव' के रूप में विकसित करने की सामरिक योजना।

6.2 तटीय एवं समुद्री सुरक्षा (Coastal & Maritime Security)

26/11 के मुंबई आतंकी हमले (2008) ने भारत की समुद्री सुरक्षा की खामियों को उजागर किया था, जिसके बाद **त्रि-स्तरीय तटीय सुरक्षा ढाँचा** तैयार किया गया:

1. **प्रथम स्तर (0 से 12 समुद्री मील — प्रादेशिक जल):** राज्य तटीय पुलिस (Coastal Police)।
2. **द्वितीय स्तर (12 से 200 समुद्री मील — अनन्य आर्थिक क्षेत्र / EEZ):** भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard)।
3. **तृतीय स्तर (200 समुद्री मील से आगे — गहरा समुद्र):** भारतीय नौसेना (Indian Navy)।

- **प्रमुख तकनीकी सुधार:** तटीय रडार श्रृंखला (Coastal Surveillance Network), 20 मीटर से छोटी मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर ट्रांसपोंडर, मछुआरों के लिए बायोमेट्रिक पहचान पत्र, **सागर प्रहरी बल** और गुरुग्राम स्थित **सूचना संलयन केंद्र – हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR)**।

6.3 संगठित अपराध-आतंकवाद गठजोड़ एवं धन शोधन (Money Laundering — PMLA 2002)

• **संगठित अपराध एवं आतंकवाद का गठजोड़ (Narco-Terrorism):** भारत पश्चिम में **'स्वर्ण अर्धचंद्र' (Golden Crescent — पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान)** और पूर्व में **'स्वर्ण त्रिभुज' (Golden Triangle — म्यांमार, लाओस, थाईलैंड)** के बीच स्थित है। मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी और फिरौती का पैसा सीधे आतंकवादी संगठनों के वित्तपोषण में प्रयुक्त होता है।

• **धन शोधन (Money Laundering) के 3 चरण:**

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के अनुसार अवैध स्रोतों से अर्जित काले धन (Proceeds of Crime) को वैध संपत्ति के रूप में दिखाने की प्रक्रिया में तीन चरण होते हैं:

1. **नियोजन (Placement):** अवैध नकदी को छोटी-छोटी राशियों में बाँटकर बैंकिंग या वित्तीय प्रणाली में डालना (Smurfing)।
2. **स्तरीकरण (Layering):** धन के मूल स्रोत को छुपाने के लिए फर्जी कंपनियों (Shell Companies), विदेशी टैक्स हेवन और जटिल लेन-देन के जाल से घुमाना।
3. **एकीकरण (Integration):** अंततः उस धन को वैध व्यापार, रियल एस्टेट या लग्जरी संपत्ति में निवेश कर सफेद धन के रूप में वापस अर्थव्यवस्था में लाना।

• **कानूनी एवं संस्थागत तंत्र:** प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate - ED) को PMLA, 2002 के तहत अपराध की आय से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने, जब्त करने और गिरफ्तारी करने का अधिकार है। वित्तीय आसूचना इकाई (FIU-IND) संदिग्ध लेनदेन की निगरानी करती है और वैश्विक स्तर पर **FATF (Financial Action Task Force)** आतंकी फंडिंग करने वाले देशों को ग्रे/ब्लैक लिस्ट में डालता है।

6.4 साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना एवं सोशल मीडिया विनियमन

• **प्रमुख साइबर खतरे:** रैनसमवेयर (Ransomware), फिशिंग, मैलवेयर, जीरो-डे अटैक, डीपफेक, क्रिप्टो-जैकिंग और राज्य-प्रायोजित साइबर जासूसी।

• **भारत का साइबर सुरक्षा ढाँचा:**

• **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (संशोधित 2008):** साइबर अपराधों और साइबर आतंकवाद (धारा 66F) के विरुद्ध कानूनी आधार।

• **CERT-In (भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल):** साइबर हमलों पर त्वरित अलर्ट और प्रतिक्रिया देने वाली राष्ट्रीय नोडल एजेंसी।

• **NCIIPC (राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र):** बिजली ग्रिड, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, रक्षा और दूरसंचार जैसे अति-संवेदनशील डिजिटल नेटवर्कों की सुरक्षा।

• **I4C (भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र):** गृह मंत्रालय के अधीन साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी (हेल्पलाइन 1930) से निपटने का एकीकृत मंच।

• **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP Act) एवं आईटी नियम 2021:** नागरिकों की डेटा गोपनीयता की रक्षा और सोशल मीडिया मध्यस्थों (Intermediaries) के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त करना व प्रथम उद्भवकर्ता (First Originator) की पहचान बताना अनिवार्य।

6.5 भारत की प्रमुख सुरक्षा एवं आसूचना एजेंसियाँ तथा उनका अधिदेश

एजेंसी / बल का नाम	स्थापना एवं मंत्रालय	मुख्य अधिदेश एवं कार्यक्षेत्र (Mandate)
इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB)	1887 (गृह मंत्रालय)	आंतरिक सुरक्षा, प्रति-जासूसी (Counter-Intelligence) एवं घरेलू खुफिया संकलन
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW)	1968 (मंत्रिमंडल सचिवालय)	बाह्य खुफिया जानकारी जुटाना एवं विदेशी सामरिक हितों की रक्षा
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)	2008 (गृह मंत्रालय)	आतंकवाद, नार्को-टेरर, FICN व मानव तस्करी की अखिल भारतीय जांच (बिना राज्य अनुमति)
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)	1984 (गृह मंत्रालय)	बंधक संकट, विमान अपहरण एवं आतंकी हमलों के विरुद्ध शून्य-त्रुटि कमांडो बल ('ब्लैक कैट्स')
नैटग्रिड (NATGRID)	2009 (गृह मंत्रालय)	बैंकिंग, रेल, विमानन, कर व आव्रजन के 21 डेटाबेसों को जोड़ने वाला एकीकृत खुफिया ग्रिड

एजेंसी / बल का नाम	स्थापना एवं मंत्रालय	मुख्य अधिदेश एवं कार्यक्षेत्र (Mandate)
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs)	गृह मंत्रालय	**CRPF** (आंतरिक सुरक्षा/LWE), **BSF** (पाक-बांग्ला सीमा), **ITBP** (चीन सीमा), **SSB** (नेपाल-भूटान), **CISF** (हवाई अड्डे/औद्योगिक सुरक्षा), **असम राइफल्स** (म्यांमार सीमा)

चार्ट डेटा (%): आधुनिक आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में उभरते खतरों का जोखिम वितरण

उभरता सुरक्षा क्षेत्र	राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम भारांक (%)	प्राथमिक रक्षा कवच
साइबर युद्ध एवं महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना पर हमले	30%	CERT-In, NCIIPC, साइबर डिफेंस एजेंसी एवं I4C
सीमा पार नार्को-टेरर, ड्रोन घुसपैठ एवं तस्करी	25%	CIBMS, एंटी-ड्रोन सिस्टम, BSF एवं NCB-NIA समन्वय
धन शोधन (Money Laundering) एवं आतंकी वित्तपोषण	25%	PMLA 2002, प्रवर्तन निदेशालय (ED), FIU-IND एवं FATF
सोशल मीडिया दुष्प्रचार, डीपफेक एवं आभासी कट्टरपंथ	20%	आईटी नियम 2021, फैक्ट-चेक यूनिट एवं साइबर पेट्रोलिंग

★ स्मृति ट्रिक #10 (मनी लॉन्ड्रिंग के 3 चरण — 'नि-स्त-ए' / PLI):
"काले धन की धुलाई में PLI लगाई: पहले Placement (नियोजन), फिर Layering (स्तरीकरण), अंत में Integration (एकीकरण)!"

★ स्मृति ट्रिक #11 (भारत की सीमाओं का घटता क्रम एवं रक्षक बल):
"बचपन में एमबीए (बांग्लादेश-BSF, चीन-ITBP, पाकिस्तान-BSF, नेपाल-SSB, म्यांमार-AR, भूटान-SSB, अफगानिस्तान)!"

मॉड्यूल 7: आपदा प्रबंधन (Disaster Management)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 7: आपदा प्रबंधन (Disaster Management)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
भारत की आपदा सुभेद्यता प्रोफाइल: प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाएँ	**आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं त्रि-स्तरीय संस्थागत ढाँचा**	**आपदा प्रबंधन चक्र (Disaster Management Cycle)**	**सेंडाई फ्रेमवर्क (2015–2030) एवं प्रधानमंत्री का 10-सूत्रीय एजेंडा**

7.1 भारत की आपदा सुभेद्यता प्रोफाइल: प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाएँ

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) के अनुसार, भारत अपनी विशिष्ट भू-जलवायु परिस्थितियों के कारण विश्व के सर्वाधिक आपदा-प्रवण देशों में से एक है:

- **भूकंप (Earthquakes):** भारत का लगभग **58.6% भू-भाग** मध्यम से अत्यधिक तीव्रता वाले भूकंप (ज़ोन III, IV और V) के प्रति संवेदनशील है। हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत और कच्छ का रण 'ज़ोन V' (सर्वाधिक जोखिम) में आते हैं।
- **बाढ़ एवं शहरी बाढ़ (Floods & Urban Flooding):** देश की लगभग **12% भूमि (4 करोड़ हेक्टेयर से अधिक)** बाढ़ और नदी कटाव के प्रति संवेदनशील है। अनियोजित शहरीकरण, आर्द्रभूमियों पर अतिक्रमण और अवरुद्ध जल-निकासी के कारण चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली में 'शहरी बाढ़' एक गंभीर आपदा बन चुकी है।
- **चक्रवात एवं सुनामी (Cyclones & Tsunami):** 7,516 किमी लंबी तटीय रेखा में से लगभग **5,700 किमी तटरेखा** उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और सुनामी के प्रति संवेदनशील है। अंडमान-निकोबार और पूर्वी तट (ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु) सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, जबकि जलवायु परिवर्तन के कारण अरब सागर में भी चक्रवातों (जैसे—बिपरजॉय, तौकते) की आवृत्ति बढ़ी है।
- **सूखा एवं ग्रीष्म लहर (Drought & Heatwaves):** भारत के कुल खेती योग्य क्षेत्र का लगभग **68% भाग** विभिन्न स्तरों के सूखे के प्रति संवेदनशील है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हीटवेव (लू) के प्रबंधन हेतु राज्यों में 'हीट एक्शन प्लान' (Heat Action Plans - HAPs) लागू किए जा रहे हैं।

• **भूस्खलन एवं हिमस्खलन (Landslides & Avalanches):** हिमालय और पश्चिमी घाट (जैसे—वायनाड और जोशीमठ) वनों की कटाई, अनियंत्रित निर्माण और बादल फटने की घटनाओं के कारण अत्यंत संवेदनशील हैं।

• **मानवजनित एवं CBRN आपदाएँ:** रासायनिक (जैसे—1984 की भोपाल गैस त्रासदी, विशाखापत्तनम स्टाइरीन गैस रिसाव), जैविक (कोविड-19 जैसी महामारियाँ), रेडियोलॉजिकल एवं नाभिकीय आपदाएँ, तथा वनाग्नि और रेल/औद्योगिक दुर्घटनाएँ।

7.2 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं त्रि-स्तरीय संस्थागत ढाँचा

2004 की हिंद महासागर सुनामी के पश्चात भारत सरकार ने **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005)** पारित किया। इस अधिनियम ने आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण को **'राहत-केंद्रित' (Relief-centric) से बदलकर 'रोकथाम, शमन और तैयारी-केंद्रित' (Prevention, Mitigation and Preparedness-driven)** बना दिया।

तुलनात्मक सारणी: आपदा प्रबंधन का त्रि-स्तरीय संस्थागत ढाँचा (DM Act, 2005)

प्राधिकरण / संस्था का नाम	पदेन अध्यक्ष (Chairperson)	प्रमुख कार्य एवं उत्तरदायित्व
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) *[धारा 3]*	भारत के प्रधानमंत्री	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, योजना एवं दिशानिर्देश तैयार करना (अधिकतम 9 सदस्य)
राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) *[धारा 8]*	केंद्रीय गृह सचिव	NDMA की नीतियों का अंतर-मंत्रालयी समन्वय एवं राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) *[धारा 14]*	राज्य के मुख्यमंत्री	राज्य आपदा प्रबंधन नीति बनाना एवं विभागीय विकास योजनाओं में जोखिम शमन जोड़ना
राज्य कार्यकारी समिति (SEC) *[धारा 20]*	राज्य के मुख्य सचिव	राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं का निष्पादन एवं समन्वय
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) *[धारा 25]*	जिलाधिकारी (DM / Collector) एवं सह-अध्यक्ष: जिला पंचायत अध्यक्ष	धरातल पर राहत, बचाव, निकासी, मॉक ड्रिल और स्थानीय विभागों का कमान नियंत्रण
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) *[धारा 44]*	महानिदेशक (DG, NDRF)	प्राकृतिक और CBRN आपदाओं में त्वरित विशेषज्ञ खोज एवं बचाव (Search & Rescue)
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) *[धारा 42]*	केंद्रीय गृह मंत्री	**प्रशिक्षण, अनुसंधान, क्षमता निर्माण एवं नीतिगत प्रलेखन**

• **वित्तीय व्यवस्था:** अधिनियम के तहत तत्काल राहत के लिए **राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा मोचन कोष (NDRF/SDRF)** तथा दीर्घकालिक जोखिम न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए **राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा शमन कोष (NDMF/SDMF)** का प्रावधान किया गया है।

7.3 आपदा प्रबंधन चक्र (Disaster Management Cycle)

1. **आपदा-पूर्व चरण (Pre-Disaster Phase):**

• **रोकथाम एवं शमन (Prevention & Mitigation):** भूकंप-रोधी भवन निर्माण संहिता (Building Codes), तटीय मैंग्रोव वनीकरण, नदी तटबंध और लैंड-यूज़ ज़ोनिंग।

• **तैयारी (Preparedness):** प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning Systems — डॉप्लर रडार, सचेत ऐप), आश्रय स्थलों का निर्माण और सामुदायिक प्रशिक्षण ('आपदा मित्र' योजना)।

2. **आपदा के दौरान चरण (During Disaster Phase):**

• **त्वरित प्रतिक्रिया (Response):** गोल्डन ऑवर (Golden Hour) में NDRF/SDRF और स्थानीय समुदाय द्वारा खोज, बचाव, प्राथमिक उपचार और सुरक्षित निकासी (जैसे—चक्रवात के समय 'जीरो कैजुअल्टी' नीति)।

3. **आपदा-पश्चात चरण (Post-Disaster Phase):**

• **पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण (Rehabilitation & Reconstruction):** आजीविका की बहाली, मनोवैज्ञानिक परामर्श और **'बिल्ड बैक बेटर' (Build Back Better)** के सिद्धांत पर आपदा-रोधी बुनियादी ढाँचे का पुनः निर्माण।

7.4 सेंडाई फ्रेमवर्क (2015–2030) एवं प्रधानमंत्री का 10-सूत्रीय एजेंडा

• **सेंडाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030):**

संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) के तत्वावधान में मार्च 2015 में जापान के सेंडाई में अपनाया गया यह समझौता ह्योगो फ्रेमवर्क (2005–2015) का उत्तराधिकारी है।

• **4 प्राथमिकता वाले कार्यक्षेत्र (4 Priorities for Action):**

1. आपदा जोखिम को समझना (Understanding disaster risk)।
2. आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए आपदा जोखिम शासन (Governance) को मजबूत करना।
3. लचीलेपन (Resilience) के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश करना।
4. प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा की तैयारी बढ़ाना और पुनर्निर्माण में **'बिल्ड बैक बेटर' (Build Back Better)** अपनाना।

• **7 वैश्विक लक्ष्य (4 में कमी + 3 में वृद्धि):** (A) वैश्विक आपदा मृत्यु दर में कमी, (B) प्रभावित लोगों की संख्या में कमी, (C) प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान में कमी, (D) महत्वपूर्ण अवसंरचना (स्वास्थ्य/शिक्षा) की क्षति में कमी; तथा (E) राष्ट्रीय/स्थानीय DRR रणनीतियों वाले देशों की संख्या में वृद्धि, (F) विकासशील देशों को अंतरराष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि, (G) बहु-संकट प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों (Multi-hazard Early Warning Systems) तक पहुँच में वृद्धि।

• **आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रधानमंत्री का 10-सूत्रीय एजेंडा (PM's 10-Point Agenda on DRR):**

वर्ष 2016 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत और NIDM के प्रशिक्षण मॉड्यूल में शामिल 10 सूत्र:

1. विकास के सभी क्षेत्रों (सड़क, आवास, ऊर्जा) में आपदा जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों को समाहित करना।
2. गरीब परिवारों से लेकर छोटे उद्यमों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक **सभी के लिए जोखिम बीमा कवरेज (Risk Coverage for All)** सुनिश्चित करना।
3. आपदा जोखिम प्रबंधन में **महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व** को बढ़ावा देना।
4. वैश्विक स्तर पर **जोखिम मानचित्रण (Risk Mapping)** में निवेश करना।
5. आपदा जोखिम प्रबंधन की दक्षता बढ़ाने के लिए **आधुनिक प्रौद्योगिकी (GIS, अंतरिक्ष तकनीक)** का उपयोग करना।
6. आपदा संबंधी चुनौतियों पर काम करने के लिए **विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क** विकसित करना।
7. प्रारंभिक चेतावनी और राहत समन्वय के लिए **सोशल मीडिया और मोबाइल तकनीक** के अवसरों का लाभ उठाना।
8. **स्थानीय क्षमता और सामुदायिक पहल** पर निर्माण करना।
9. हर आपदा से सबक सीखना और उसका दस्तावेजीकरण करना ताकि एक ही गलती दोहराई न जाए।
10. आपदाओं के प्रति अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया में अधिक सामंजस्य लाना (जैसे—भारत की पहल पर गठित **CDRI — Coalition for Disaster Resilient Infrastructure** और **'ऑपरेशन दोस्त'** जैसी मानवीय सहायता)।

चार्ट डेटा (%): भारत के भौगोलिक क्षेत्र की प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सुभेद्यता

प्राकृतिक आपदा श्रेणी	संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र / तटरेखा (%)	प्रमुख वैज्ञानिक एवं संस्थागत निगरानी एजेंसी
सूखा-प्रवण कृषि क्षेत्र (Drought-prone Area)	68.0%	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) एवं कृषि मंत्रालय
भूकंप संवेदनशील भू-भाग (Seismic Zones III–V)	58.6%	राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS)
चक्रवात एवं सुनामी संवेदनशील तटरेखा (5,700 / 7,516 किमी)	75.8% (तटरेखा का)	IMD एवं भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS)
बाढ़ एवं नदी कटाव संवेदनशील भूमि (4 करोड़ हेक्टेयर)	12.0%	केंद्रीय जल आयोग (CWC) एवं राष्ट्रीय बाढ़ आयोग

★ स्मृति ट्रिक #12 (सेंडाई फ्रेमवर्क की 4 प्राथमिकताएँ — 'स-शा-नि-ब'):
"जोखिम को समझो, शासन सुधारो, निवेश बढ़ाओ, और Build Back Better बनाओ!"
(1. समझना/*Understanding*, 2. शासन/*Governance*, 3. निवेश/*Investing*, 4. तैयारी व *Build Back Better*)

★ स्मृति ट्रिक #13 (सेंडाई के 7 लक्ष्य — '4 घटाओ, 3 बढ़ाओ'):
"मृत्यु, प्रभावित लोग, आर्थिक हानि और ढाँचागत क्षति—ये 4 घटाओ; राष्ट्रीय रणनीति, वैश्विक सहयोग और अर्ली वार्निंग—ये 3 बढ़ाओ!"

मॉड्यूल 8: अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं भारत की विदेश नीति (International Relations & Foreign Policy)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 8: अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं भारत की विदेश नीति (International Relations & Foreign Policy)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
भारतीय विदेश नीति का विकास: पंचशील से गुजराल सिद्धांत और 'विश्वबंधु' तक	पड़ोसी प्रथम नीति, एक्ट ईस्ट नीति एवं लिंक वेस्ट नीति	भारत और वैश्विक महाशक्तियाँ (USA, रूस एवं चीन)	हिंद-प्रशांत क्षेत्र (QUAD एवं I2U2), प्रवासी भारतीय तथा UNSC सुधार

8.1 भारतीय विदेश नीति का विकास: पंचशील से गुजराल सिद्धांत और 'विश्वबंधु' तक

• **पंचशील सिद्धांत (29 अप्रैल 1954):** विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, भारत और चीन के बीच तिब्बत व्यापार समझौते की प्रस्तावना में प्रतिपादित शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के 5 सिद्धांत:

1. एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान।
2. पारस्परिक अनाक्रमण (Mutual Non-Aggression)।
3. एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप (Non-Interference)।
4. समानता और पारस्परिक लाभ।
5. शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व (Peaceful Co-existence)।

• **गुटनिरपेक्षता से रणनीतिक स्वायत्तता (Non-Alignment to Strategic Autonomy / Multi-Alignment):** शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) का नेतृत्व करने के बाद, आज का भारत **'रणनीतिक स्वायत्तता'** और **'बहु-संरेखण' (Multi-alignment)** की नीति पर चलता है—अर्थात किसी सैन्य गठबंधन (Alliance) का पिछलग्गू बने बिना राष्ट्रहित के मुद्दों पर अमेरिका, रूस, यूरोप और ग्लोबल साउथ सभी के साथ साझेदारी करना।

• **गुजराल सिद्धांत (Gujral Doctrine - 1996):** पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल द्वारा प्रतिपादित 5 सिद्धांत, जिसके अनुसार दक्षिण एशिया के सबसे बड़े देश के रूप में भारत को अपने छोटे पड़ोसियों (बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका) को **'गैर-पारस्परिक रियायतें' (Non-reciprocal concessions)** देनी चाहिए और किसी भी देश की भूमि का उपयोग दूसरे के हितों के विरुद्ध नहीं होने देना चाहिए।

8.2 पड़ोसी प्रथम नीति, एक्ट ईस्ट नीति एवं लिंक वेस्ट नीति

• **पड़ोसी प्रथम नीति (Neighbourhood First Policy - 2014):** भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यह **4C (परामर्श/Consultation, सहयोग/Cooperation, संपर्क/Connectivity, क्षमता निर्माण/Capacity Building)** पर आधारित है।

• प्रमुख पहल: दक्षिण एशिया उपग्रह, सीमा-पार ऊर्जा ग्रिड (नेपाल-भूटान-बांग्लादेश जलविद्युत व्यापार), श्रीलंका को आर्थिक संकट के समय 4 अरब डॉलर की सहायता, और **SAGAR (Security and Growth for All in the Region)** से आगे बढ़कर महासागरीय क्षेत्र के लिए **MAHASAGAR** विज़न।

• **'लुक ईस्ट' से 'एक्ट ईस्ट' नीति (Act East Policy - 2014):** 1991 में पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा शुरू की गई आर्थिक 'लुक ईस्ट नीति' को वर्ष 2014 में सक्रिय **'एक्ट ईस्ट नीति'** में बदला गया।

• मुख्य अंतर: 'लुक ईस्ट' केवल आसियान (ASEAN) देशों के साथ आर्थिक जुड़ाव तक सीमित थी, जबकि 'एक्ट ईस्ट' में आसियान के साथ-साथ पूर्वी एशिया (जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया) और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में **आर्थिक + सामरिक + रक्षा एवं कनेक्टिविटी सहयोग** (जैसे—कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग) शामिल है।

• **'लुक वेस्ट' से 'लिंक वेस्ट / थिंक वेस्ट' नीति (Link West Policy):** पश्चिम एशिया (खाड़ी देशों, इज़राइल, ईरान, सऊदी अरब, यूएई) के साथ केवल कच्चे तेल के आयात और प्रवासी कामगारों तक सीमित संबंधों को **व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CEPA), रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष तकनीक और IMEC (भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा)** में परिवर्तित किया गया है।

8.3 भारत और वैश्विक महाशक्तियाँ (USA, रूस एवं चीन)

तुलनात्मक सारणी: भारत के तीन प्रमुख महाशक्तियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों का विश्लेषण

आयाम	भारत – संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)	भारत – रूस (Russia)	भारत – चीन (China)
संबंधों की प्रकृति	व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी	विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी	प्रतिस्पर्धा, सीमा विवाद एवं आर्थिक व्यापार का जटिल मिश्रण
रक्षा एवं सामरिक सहयोग	4 बुनियादी समझौते (GSOMIA, LEMOA, COMCASA, BECA), GE जेट इंजन व ड्रोन	S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली, ब्रह्मोस, AK-203 राइफल एवं परमाणु पनडुब्बी	एलएसी (LAC) पर सैन्य गतिरोध एवं हिंद महासागर में 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' की चुनौती
प्रमुख आर्थिक/तकनीकी स्तंभ	सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, iCET (महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी पहल), सेमीकंडक्टर	रियायती कच्चा तेल, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, INSTC एवं चेन्नई-व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर	भारी व्यापार घाटा (100+ अरब डॉलर का व्यापार, भारत का आयात अधिक)
प्रमुख कूटनीतिक मंच	QUAD, I2U2 एवं इंडो-पैसिफिक फ्रेमवर्क	BRICS, SCO एवं G20	BRICS, SCO एवं सीमा वार्ता (WMCC)

8.4 हिंद-प्रशांत क्षेत्र (QUAD एवं I2U2), प्रवासी भारतीय तथा UNSC सुधार

• **क्वाड (QUAD — Quadrilateral Security Dialogue):** भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का चतुष्पक्षीय मंच। इसका उद्देश्य एक **'मुक्त, खुला, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र' (Free and Open Indo-Pacific)** सुनिश्चित करना, समुद्री जागरूकता (IPMDA), आपदा राहत, स्वच्छ ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाना है।

• **I2U2 (पश्चिम एशियाई क्वाड):** **I**ndia (भारत), **I**srael (इज़राइल), **U**AE (संयुक्त अरब अमीरात) और **U**SA (अमेरिका) का आर्थिक व तकनीकी मंच। यह **6 प्रमुख क्षेत्रों** पर केंद्रित है—जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा (Food Parks)।

• **प्रवासी भारतीय (Indian Diaspora — 3.5 करोड़+):** विश्व भर में फैले अनिवासी भारतीय (NRIs) और भारतीय मूल के व्यक्ति (PIOs/OCIs) भारत की **'सॉफ्ट पावर' (Soft Power)** के सबसे बड़े ब्रांड एंबेसडर हैं। विश्व बैंक के अनुसार, भारत विश्व में सर्वाधिक **विप्रेषण (Remittances — 120 अरब डॉलर से अधिक वार्षिक)** प्राप्त करने वाला देश है। सरकार ने प्रवासी भारतीय दिवस, ई-माइग्रेट पोर्टल, प्रवासी भारतीय बीमा योजना और संकट के समय निकासी अभियानों (ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन अजय) से प्रवासियों के हितों की रक्षा की है।

• **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार एवं भारत की स्थायी सदस्यता का दावा:**

1945 की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं पर आधारित 5 स्थायी सदस्यों (P-5: अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस) वाली सुरक्षा परिषद आज समकालीन विश्व का प्रतिनिधित्व नहीं करती। भारत **G-4 समूह (भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील)** के साथ मिलकर स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है, जिसके प्रबल आधार हैं:

1. **जनसांख्यिकीय प्रतिनिधित्व:** विश्व की सबसे बड़ी आबादी (140+ करोड़ — मानवता का छठा हिस्सा) और सबसे बड़ा लोकतंत्र।
2. **आर्थिक महाशक्ति:** क्रय शक्ति समता (PPP) में तीसरी और नाममात्र जीडीपी में शीर्ष पाँच में शामिल सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था।
3. **शांतिरक्षा में ऐतिहासिक योगदान:** संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों (UN Peacekeeping Missions) में सर्वाधिक सैनिक भेजने वाले अग्रणी देशों में शामिल।

4. **ग्लोबल साउथ की आवाज:** विकासशील देशों (अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया) का मुखर नेतृत्व (जैसे—भारत की अध्यक्षता में G20 में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाना और 'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ' शिखर सम्मेलन)।

चार्ट डेटा (%): भारत की समकालीन विदेश नीति एवं कूटनीतिक प्राथमिकताओं का रणनीतिक संतुलन

विदेश नीति का रणनीतिक स्तंभ	कूटनीतिक एवं आर्थिक भारांक (%)	प्रमुख पहल एवं संस्थागत मंच
महाशक्ति संतुलन एवं हिंद-प्रशांत सुरक्षा	30%	रणनीतिक स्वायत्तता, QUAD, iCET, भारत-रूस-अमेरिका संतुलन
पड़ोसी प्रथम एवं एक्ट ईस्ट कनेक्टिविटी	25%	BIMSTEC, BBIN, कलादान प्रोजेक्ट, MAHASAGAR विज़न
लिंक वेस्ट एवं ऊर्जा-आर्थिक गलियारे	25%	I2U2, IMEC कॉरिडोर, खाड़ी देशों के साथ CEPA एवं ऊर्जा सुरक्षा
बहुपक्षीय सुधार, ग्लोबल साउथ एवं प्रवासी कूटनीति	20%	G-4 (UNSC सुधार), G20 नेतृत्व, BRICS एवं 120+ अरब डॉलर विप्रेषण

★ स्मृति ट्रिक #14 (I2U2 के 6 सहयोग क्षेत्र — 'ज-ऊ-प-अं-स्वा-खा'):
"I2U2 के 6 स्तंभ: जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा!"
(Water, Energy, Transportation, Space, Health, Food Security)

★ स्मृति ट्रिक #15 (UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता के 5 आधार — 'ज-लो-अ-शां-ग्लो'):
"जनसंख्या सबसे बड़ी, लोकतंत्र सबसे बड़ा, अर्थव्यवस्था तेज, शांतिरक्षा में अग्रणी और ग्लोबल साउथ की आवाज!"

त्वरित पुनरीक्षण: संपूर्ण 15 स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks) की समेकित सारणी

ट्रिक क्र.	संबंधित मॉड्यूल एवं विषय	स्मृति सूत्र (Mnemonic Code)	मुख्य बिंदु
#1	मॉड्यूल 1: नैतिकता के 5 निर्धारक	**का-कृ-उ-प-प**	कर्ता, कृत्य, उद्देश्य, परिस्थिति, परिणाम
#2	मॉड्यूल 1: अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र	**जै-प-सा-मी**	जैव-चिकित्सा, पर्यावरण, साइबर/AI, मीडिया व कॉर्पोरेट
#3	मॉड्यूल 2: नोलन के 7 सिद्धांत	**SHIV-AOL**	Selflessness, Honesty, Integrity, Objectivity, Accountability, Openness, Leadership
#4	मॉड्यूल 2: दया से करुणा का क्रम	**द-अ-क (SEC)**	Sympathy (दया) → Empathy (समानुभूति) → Compassion (करुणा = समानुभूति + कर्म)
#5	मॉड्यूल 3: गोलमैन के EI के 5 घटक	**स्व-स्व-आ-स-सा**	स्व-जागरूकता, स्व-नियमन, आंतरिक अभिप्रेरणा, समानुभूति, सामाजिक कौशल
#6	मॉड्यूल 3: गांधीजी के 7 सामाजिक पाप	**रा-ध-सु-ज्ञा-व्या-वि-पू**	राजनीति, धन, सुख, ज्ञान, व्यापार, विज्ञान, पूजा (नैतिकता/त्याग के बिना)
#7	मॉड्यूल 4: लोक निधि व भ्रष्टाचार सूत्र	**3E एवं C = M + D - A**	Economy, Efficiency, Effectiveness; Corruption = Monopoly + Discretion - Accountability
#8	मॉड्यूल 4: केस स्टडी के 5 चरण	**त-हि-दु-वि-का**	तथ्य, हितधारक, नैतिक दुविधा, विकल्प मूल्यांकन, कार्ययोजना
#9	मॉड्यूल 5: नक्सलवाद 'समाधान' नीति	**SAMADHAN (8 स्तंभ)**	Smart Leadership, Aggressive Strategy, Motivation, Actionable Intel, Dashboard, Harness Tech, Action Plan, No Financing

ट्रिक क्र.	संबंधित मॉड्यूल एवं विषय	स्मृति सूत्र (Mnemonic Code)	मुख्य बिंदु
#10	मॉड्यूल 6: धन शोधन (PMLA) चरण	**नि-स्त-ए (PLI)**	Placement (नियोजन) → Layering (स्तरीकरण) → Integration (एकीकरण)
#11	मॉड्यूल 6: भारत की स्थलीय सीमाएँ	**बचपन में एमबीए**	बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान
#12	मॉड्यूल 7: सेंडाई की 4 प्राथमिकताएँ	**स-शा-नि-ब**	जोखिम समझना, शासन मजबूत करना, निवेश बढ़ाना, Build Back Better
#13	मॉड्यूल 7: सेंडाई के 7 वैश्विक लक्ष्य	**4 घटाओ, 3 बढ़ाओ**	मृत्यु, प्रभावित लोग, आर्थिक हानि, ढाँचा क्षति घटाओ; रणनीति, सहयोग, चेतावनी बढ़ाओ
#14	मॉड्यूल 8: I2U2 के 6 फोकस क्षेत्र	**ज-ऊ-प-अं-स्वा-खा**	जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा
#15	मॉड्यूल 8: UNSC स्थायी सदस्यता दावे	**ज-लो-अ-शां-ग्लो**	जनसंख्या, लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था, शांतिरक्षा योगदान, ग्लोबल साउथ नेतृत्व

मॉड्यूल 1: नीतिशास्त्र एवं मानवीय सह-संबंध — सार, निर्धारक, आयाम एवं नैतिक सिद्धांत

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 1: नीतिशास्त्र एवं मानवीय सह-संबंध — सार, निर्धारक, आयाम एवं नैतिक सिद्धांत

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
क्या आप जानते हैं? बॉक्स	परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

नोड 1: मूल्य समाजीकरण के स्रोत (परिवार, विद्यालय, समाज, संस्कृति एवं संविधान)

↓↓ (अंतरात्मा की आवाज, विवेक एवं नैतिक मानदंडों का आंतरिककरण)

नोड 2: मानवीय कर्म की तीन शर्तें — ज्ञान (Knowledge), स्वतंत्र इच्छा (Free Will) एवं स्वैच्छिक संकल्प (Voluntariness)

↓↓ (नैतिक निर्धारक: कर्ता का उद्देश्य, परिस्थितियां एवं कर्म का परिणाम)

नोड 3: नैतिक सिद्धांतों की कसौटी — कर्तव्यशास्त्र (कांट), उपयोगितावाद (बेंथम/मिल), सद्गुण (अरस्तू) एवं निष्काम कर्म (गीता)

↓↓ (व्यक्तिगत नैतिकता बनाम सार्वजनिक/प्रशासनिक नैतिकता में संतुलन)

नोड 4: नैतिक आचरण का प्रकटीकरण — लोक कल्याण, संवैधानिक नैतिकता एवं सर्वोदय की सिद्धि

- **नोड 1 का विश्लेषण:** नीतिशास्त्र (Ethics) की उत्पत्ति ग्रीक शब्द '*Ethos*' (रीति-रिवाज या चरित्र) से हुई है। यह समाज में मानवीय आचरण के 'उचित' या 'अनुचित' होने के मानकों का व्यवस्थित अध्ययन है (IUC अकादमी)।
- **नोड 2 का विश्लेषण:** नीतिशास्त्र में केवल **'मानवीय कर्मों' (Human Actions)** का मूल्यांकन किया जाता है जो सचेत ज्ञान और स्वतंत्र इच्छा से किए जाते हैं; अनैच्छिक या अचेतन क्रियाएं (Acts of Man — जैसे पलक झपकना) नैतिक निर्णय के दायरे से बाहर हैं।
- **नोड 3 का विश्लेषण:** पाश्चात्य और भारतीय दर्शन में नैतिकता के चार प्रमुख स्तंभ हैं: (1) परिणामवादी या प्रयोजनवादी (Teleological), (2) कर्तव्यवादी (Deontological), (3) सद्गुण नीतिशास्त्र (Virtue Ethics), और (4) न्याय एवं संवैधानिक नैतिकता (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)।
- **नोड 4 का विश्लेषण:** एक लोक सेवक के लिए सर्वोच्च नैतिक मार्गदर्शक डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा प्रतिपादित **'संवैधानिक नैतिकता' (Constitutional Morality)** और महात्मा गांधी का **'अंत्योदय/ताबीज सिद्धांत' (Gandhian Talisman)** है।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: नीतिशास्त्र के प्रमुख आयाम एवं दार्शनिक संप्रदाय

नैतिक आयाम / संप्रदाय	प्रमुख प्रतिपादक / दार्शनिक	केंद्रीय सिद्धांत एवं मुख्य कसौटी	प्रशासनिक एवं व्यावहारिक अनुप्रयोग	आधिकारिक संदर्भ
1. कर्तव्यवादी नीतिशास्त्र (Deontology)	इमैनुअल कांट (Immanuel Kant) एवं श्रीमद्भगवद्गीता	कर्म का नैतिक मूल्य उसके परिणाम में नहीं, बल्कि **'कर्तव्य के लिए कर्तव्य' (Categorical Imperative)** और **'निष्काम कर्म'** में है	लोक सेवक द्वारा बिना किसी भय या पक्षपात के विधि के शासन (Rule of Law) का पालन करना	IUC अकादमी
2. उपयोगितावाद (Utilitarianism)	जेरेमी बेंथम (मात्रात्मक) एवं जॉन स्टुअर्ट मिल (गुणात्मक)	**"अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख" (Greatest Happiness of the Greatest Number)**	सीमित बजट और संसाधनों से सर्वाधिक नागरिकों को लाभ पहुंचाने वाली कल्याणकारी योजनाएं बनाना	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
3. सद्गुण नीतिशास्त्र (Virtue Ethics)	सुकरात, प्लेटो एवं अरस्तू (Aristotle)	चरित्र निर्माण एवं **चार कार्डिनल सद्गुण:** विवेक (Prudence), साहस (Courage), संयम (Temperance) और न्याय (Justice) तथा **'स्वर्णिम मध्यमान' (Golden Mean)**	सिविल सेवकों में चरित्र, संवेदनशीलता और अतिवाद से बचते हुए संतुलित निर्णय क्षमता विकसित करना	IUC अकादमी

नैतिक आयाम / संप्रदाय	प्रमुख प्रतिपादक / दार्शनिक	केंद्रीय सिद्धांत एवं मुख्य कसौटी	प्रशासनिक एवं व्यावहारिक अनुप्रयोग	आधिकारिक संदर्भ
4. न्याय का सिद्धांत (Theory of Justice)	जॉन रॉल्स (John Rawls)	**'अज्ञानता का आवरण' (Veil of Ignorance)** एवं **अंतर सिद्धांत (Difference Principle)** — सबसे वंचित व्यक्ति का अधिकतम हित	समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति हेतु सकारात्मक विभेद (आरक्षण एवं सब्सिडी) का नैतिक आधार	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
5. गांधीवादी नीतिशास्त्र (Gandhian Ethics)	महात्मा गांधी	**सत्य, अहिंसा, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप (न्यासिता)**, साध्य और साधन दोनों की पवित्रता तथा **'सात सामाजिक पाप'**	भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन, पंचायती राज सशक्तीकरण और कमजोर वर्गों के प्रति करुणा	IUC अकादमी
6. अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र (Applied Ethics)	पीटर सिंगर एवं आधुनिक नीतिशास्त्री	जैव-नीतिशास्त्र (Bio-ethics), पर्यावरणीय नीतिशास्त्र, मीडिया नीतिशास्त्र, साइबर एवं AI नीतिशास्त्र	इच्छामृत्यु (Euthanasia), सरोगेसी, जलवायु न्याय और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक विनियमन में उपयोग	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)

• **नीतिशास्त्र (Ethics) बनाम नैतिकता (Morality):** नीतिशास्त्र बाहरी सामाजिक, व्यावसायिक या संवैधानिक प्रणालियों द्वारा प्रदत्त वस्तुनिष्ठ नियम हैं (जैसे सिविल सेवा आचरण संहिता, चिकित्सा नीतिशास्त्र), जबकि नैतिकता व्यक्ति के स्वयं के आंतरिक विश्वास और मूल्य हैं (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)।

• **महात्मा गांधी के सात सामाजिक पाप (Seven Social Sins):** (1) सिद्धांतों के बिना राजनीति, (2) परिश्रम के बिना धन, (3) विवेक के बिना सुख, (4) चरित्र के बिना ज्ञान, (5) नैतिकता के बिना व्यापार, (6) मानवता के बिना विज्ञान, और (7) त्याग के बिना पूजा — ये सातों बिंदु GS पेपर-4 के निबंध और केस स्टडी के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्धरण हैं (IUC अकादमी)।

• **अधि-नीतिशास्त्र (Meta-ethics), मानकीय नीतिशास्त्र (Normative Ethics) और वर्णनात्मक नीतिशास्त्र (Descriptive Ethics):** अधि-नीतिशास्त्र पूछता है "अच्छा या सही का अर्थ क्या है?", मानकीय नीतिशास्त्र पूछता है "मनुष्य को क्या करना चाहिए?", और वर्णनात्मक नीतिशास्त्र अध्ययन करता है "लोग वास्तव में कैसा आचरण करते हैं?"।

4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)

• **जाल 1:** 'कानून' (Law) और 'नीतिशास्त्र' (Ethics) को पूर्णतः पर्यायवाची मान लेना। **सत्य:** जो कानूनी है वह आवश्यक नहीं कि नैतिक भी हो (जैसे रंगभेद कानून या औपनिवेशिक कानून वैध होते हुए भी अनैतिक थे), और हर अनैतिक कार्य (जैसे किसी की सहायता न करना या मित्र से झूठ बोलना) कानूनन दंडनीय अपराध नहीं होता।

• **जाल 2:** जेरेमी बेंथम और जे.एस. मिल के उपयोगितावाद को एक समान लिखना। **सत्य:** बेंथम का उपयोगितावाद **मात्रात्मक (Quantitative)** है ("पुशपिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कविता पढ़ना, यदि सुख समान हो"), जबकि जे.एस. मिल का उपयोगितावाद **गुणात्मक और नैतिक (Qualitative)** है ("एक संतुष्ट सूअर होने से एक असंतुष्ट मानव होना और एक संतुष्ट मूर्ख होने से एक असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है")।

• **जाल 3:** मैकियावेली और कांट के साध्य-साधन विचार में भ्रम। **सत्य:** कांट और महात्मा गांधी दोनों मानते हैं कि **साधन (Means) पवित्र होने चाहिए** और किसी भी मनुष्य को केवल साधन की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए; जबकि मैकियावेली परिणाम/साध्य को प्राथमिकता देते हैं।

5. IUC स्मृति ट्रिक

• **सूत्र: "अरस्तू का सद्गुण (PV-CJ), कांट-गीता का निष्काम कर्म; बेंथम-मिल का अधिकतम सुख, रॉल्स-गांधी का अंत्योदय धर्म!"**

• **व्याख्या:**

• **प्लेटो/अरस्तू के 4 कार्डिनल सद्गुण: P**rudence (विवेक), **J**ustice (न्याय), **T**emperance (संयम), **C**ourage (साहस)।

• **मानवीय कर्म की 3 शर्तें: K-F-V** = **K**nowledge (ज्ञान) + **F**ree Will (स्वतंत्र इच्छा) + **V**oluntariness (स्वैच्छिकता)।

• **नीतिशास्त्र की 4 शाखाएं: M-N-D-A** = **M**eta-ethics (अधि), **N**ormative (मानकीय), **D**escriptive (वर्णनात्मक), **A**pplied (अनुप्रयुक्त)।

मॉड्यूल 2: अभिवृत्ति (Attitude), भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence) एवं लोक सेवा मूल्य (नोलन समिति)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 2: अभिवृत्ति (Attitude), भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence) एवं लोक सेवा मूल्य (नोलन समिति)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
क्या आप जानते हैं? बॉक्स

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

नोड 1: अभिवृत्ति का CAB मॉडल — संज्ञानात्मक (Cognitive), भावात्मक (Affective) एवं व्यवहारात्मक (Behavioral)

↓↓ (अनुनय *Persuasion*, सामाजिक प्रभाव एवं संज्ञानात्मक असंगति *Cognitive Dissonance* का समाधान)

नोड 2: भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) के 5 स्तंभ — डेनियल गोलमैन मॉडल (स्व-जागरूकता से सामाजिक कौशल तक)

↓↓ (प्रशासनिक तनाव प्रबंधन, सहानुभूति एवं भीड़/संकट नियंत्रण में *EI* का प्रयोग)

नोड 3: सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य — सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर-तरफदारी, वस्तुनिष्ठता एवं करुणा

↓↓ (लॉर्ड नोलन समिति 1995 के सार्वजनिक जीवन के 7 सिद्धांत)

नोड 4: कर्मयोगी लोक सेवक का रूपांतरण — नियम-आधारित से भूमिका-आधारित (मिशन कर्मयोगी) प्रशासन

- **नोड 1 का विश्लेषण:** अभिवृत्ति (Attitude) किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार या परिस्थिति के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक मूल्यांकन करने की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। इसके तीन घटक **CAB (Cognitive — विश्वास/जानकारी, Affective — भावना, Behavioral — क्रिया की प्रवृत्ति)** हैं (IUC अकादमी)।
- **नोड 2 का विश्लेषण:** भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence) शब्द का प्रतिपादन पीटर सलोवे और जॉन मेयर (1990) ने किया तथा **डेनियल गोलमैन (1995)** ने इसे लोकप्रिय बनाया। यह अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और सकारात्मक दिशा में लगाने की क्षमता है।
- **नोड 3 का विश्लेषण:** कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के **'मिशन कर्मयोगी' (i-GOT Karmayogi)** कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय सिविल सेवकों में सही अभिवृत्ति (Right Attitude), डोमेन ज्ञान और कार्यात्मक दक्षता का विकास किया जा रहा है।
- **नोड 4 का विश्लेषण:** यूके की **लॉर्ड नोलन समिति (1995)** द्वारा दिए गए सार्वजनिक जीवन के 7 सिद्धांत (निःस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही, खुलापन, ईमानदारी और नेतृत्व) वैश्विक स्तर पर लोक सेवकों के नैतिक मानदंड माने जाते हैं।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: अभिवृत्ति, अभिक्षमता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता एवं लोक सेवा के मुख्य मूल्य

अवधारणा / मूल्य	मुख्य परिभाषा एवं संरचना	प्रशासन में महत्व एवं व्यावहारिक उदाहरण	संबंधित सिद्धांत / प्रतिपादक	आधिकारिक संदर्भ
1. अभिवृत्ति (Attitude) बनाम अभिक्षमता (Aptitude)	**अभिवृत्ति:** मानसिक दृष्टिकोण (चरित्र से जुड़ी); **अभिक्षमता:** किसी कार्य को सीखने व करने की जन्मजात/अर्जित दक्षता (कौशल से जुड़ी)	बिना सकारात्मक अभिवृत्ति के उच्च अभिक्षमता वाला अधिकारी भ्रष्ट या असंवेदनशील हो सकता है; सफल प्रशासक हेतु दोनों अनिवार्य हैं	CAB मॉडल एवं लियोन फेस्टिंगर (संज्ञानात्मक असंगति सिद्धांत)	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
2. सहानुभूति (Sympathy), समानुभूति (Empathy) एवं करुणा (Compassion)	**सहानुभूति:** दूसरे के दुख पर दया; **समानुभूति:** स्वयं को दूसरे की स्थिति में रखकर महसूस करना; **करुणा:** समानुभूति + दुख दूर करने की सक्रिय क्रिया	वृद्ध या दिव्यांग नागरिक की पीड़ा समझकर (Empathy) तुरंत उसके लिए घर पर पेंशन/राशन की व्यवस्था करना **करुणा (Compassion)** है	बौद्ध दर्शन एवं प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC)	IUC अकादमी

अवधारणा / मूल्य	मुख्य परिभाषा एवं संरचना	प्रशासन में महत्व एवं व्यावहारिक उदाहरण	संबंधित सिद्धांत / प्रतिपादक	आधिकारिक संदर्भ
3. निष्पक्षता (Impartiality) बनाम गैर-तरफदारी (Non-Partisanship)	**निष्पक्षता:** जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव बिना निर्णय; **गैर-तरफदारी:** किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा के प्रति झुकाव न रखना (राजनीतिक तटस्थता)	सत्ता परिवर्तन होने पर भी संविधान और कानून के अनुसार समान निष्ठा से नीतियों का क्रियान्वयन करना	मैक्स वेबर का नौकरशाही मॉडल एवं आचरण नियम 3	DoPT आचरण नियम
4. भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) के 5 घटक	(1) स्व-जागरूकता, (2) स्व-नियमन, (3) आंतरिक अभिप्रेरणा, (4) समानुभूति, (5) सामाजिक कौशल	दंगा नियंत्रण, आपदा राहत या जन-सुनवाई में क्रोधित भीड़ को शांत कर समाधान निकालना	डेनियल गोलमैन (Daniel Goleman, 1995)	IUC अकादमी
5. नोलन समिति के 7 सिद्धांत (Nolan Principles)	(1) निःस्वार्थता, (2) सत्यनिष्ठा, (3) वस्तुनिष्ठता, (4) जवाबदेही, (5) खुलापन, (6) ईमानदारी, (7) नेतृत्व	द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की चौथी रिपोर्ट ('शासन में नैतिकता') में सिविल सेवा मूल्य संहिता हेतु अनुशंसित	लॉर्ड नोलन समिति (UK, 1995) एवं 2nd ARC (वीरप्पा मोइली)	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
6. वस्तुनिष्ठता (Objectivity) एवं अनामिका (Anonymity)	**वस्तुनिष्ठता:** तथ्यों, आंकड़ों और साक्ष्यों पर आधारित निर्णय; **अनामिका:** पर्दे के पीछे रहकर कार्य करना (प्रशंसा या निंदा मंत्री की जिम्मेदारी)	मीडिया में प्रचार की लालसा से दूर रहकर फाइलों पर तथ्यपरक और निष्पक्ष राय दर्ज करना	संसदीय लोकतंत्र की मंत्रिस्तरीय उत्तरदायित्व परंपरा	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)

• **डेनियल गोलमैन का 80:20 नियम:** गोलमैन के शोध के अनुसार किसी व्यक्ति के कार्यस्थल और जीवन में सफलता में **बुद्धिलब्धि (IQ) का योगदान मात्र 20%** होता है, जबकि **भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EQ/EI) का योगदान 80% तक** होता है (IUC अकादमी)।

• **डेनियल काट्ज़ (Daniel Katz) के अनुसार अभिवृत्ति के 4 कार्य:** (1) उपयोगितावादी/समायोजन कार्य (Utilitarian Function), (2) अहं-रक्षात्मक कार्य (Ego-Defensive Function), (3) मूल्य-अभिव्यंजक कार्य (Value-Expressive Function), और (4) ज्ञान कार्य (Knowledge Function)।

• **अनुनय (Persuasion) के तत्व — कार्ल होवलैंड मॉडल:** किसी जन-अभियान (जैसे स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या नशा मुक्ति) में जनता की अभिवृत्ति बदलने के लिए 4 कारक निर्णायक होते हैं: **(1) स्रोत (Source Credibility — विश्वसनीयता व आकर्षण), (2) संदेश (Message — भय या तर्क की अपील), (3) माध्यम (Channel), और (4) श्रोता (Audience)** (IUC अकादमी)।

4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)

• **जाल 1:** 'तटस्थता' (Neutrality) को हर स्थिति में 'सक्रिय संवैधानिक मूल्य' मान लेना। **सत्य:** आधुनिक लोक प्रशासन में 'निष्क्रिय तटस्थता' (Passive Neutrality — जहां अधिकारी मूकदर्शक बना रहे) की आलोचना की जाती है; लोक सेवक से **'राजनीतिक तटस्थता' (Political Non-Partisanship)** के साथ-साथ कमजोर वर्गों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति **'सक्रिय प्रतिबद्धता' (Committed Bureaucracy to the Constitution)** अपेक्षित है।

• **जाल 2:** समानुभूति (Empathy) और करुणा (Compassion) में अंतर स्पष्ट न करना। **सत्य:** परीक्षा में सूत्र लिखें — **Empathy + Action to relieve suffering = Compassion** (अर्थात् जब समानुभूति में पीड़ित की सहायता का सक्रिय प्रयास जुड़ जाता है, तभी वह करुणा बनती है)।

• **जाल 3:** भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) का अर्थ भावनाओं को दबाना (Suppression of Emotions) समझ लेना। **सत्य:** EI भावनाओं का दमन नहीं, बल्कि भावनाओं की सही पहचान, संतुलित अभिव्यक्ति और तर्क व भावना के बीच सामंजस्य है।

5. IUC स्मृति ट्रिक

• सूत्र: "नोलन के सात सितारे — S-I-O-A-O-H-L (Selflessness, Integrity, Objectivity, Accountability, Openness, Honesty, Leadership); गोलमैन के पांच स्तंभ से सधे प्रशासन का हर पल!"

• व्याख्या:

• नोलन के 7 सिद्धांत (SIO-AOHL): **S**elflessness (निःस्वार्थता), **I**ntegrity (सत्यनिष्ठा), **O**bjectivity (वस्तुनिष्ठता), **A**ccountability (जवाबदेही), **O**penness (खुलापन), **H**onesty (ईमानदारी), **L**eadership (नेतृत्व)।

• **करुणा सीढ़ी: Apathy** (उदासीनता) **Sympathy** (सहानुभूति/दया) **Empathy** (समानुभूति/अनुभूति) **Compassion** (करुणा = समानुभूति + सेवा कर्म)।

मॉड्यूल 3: लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा, शासन में ईमानदारी, सूचना का अधिकार (RTI) एवं नागरिक चार्टर

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 3: लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा, शासन में ईमानदारी, सूचना का अधिकार (RTI) एवं नागरिक चार्टर

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
क्या आप जानते हैं? बॉक्स

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

नोड 1: शासन में ईमानदारी (Probity in Governance) — नैतिक मानदंडों का संस्थागतकरण

↓↓ (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 — गोपनीयता से पारदर्शिता की ओर बदलाव)

नोड 2: नागरिक चार्टर (Citizen's Charter) एवं सेवोत्तम मॉडल (SEVOTTAM — सेवा गुणवत्ता व शिकायत निवारण)

↓↓ (ई-गवर्नेंस, *DBT*, *GeM* एवं *PFMS* द्वारा बिचौलियों और भ्रष्टाचार का उन्मूलन)

नोड 3: सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) एवं व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014

↓↓ (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 [संशोधित 2018], *CVC*, *CBI* एवं लोकपाल/लोकायुक्त)

नोड 4: सुशासन (Good Governance) की प्राप्ति — उत्तरदायी, पारदर्शी, सहभागी एवं भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन

• **नोड 1 का विश्लेषण: 'शासन में ईमानदारी' (Probity in Governance)** व्यक्तिगत ईमानदारी (Honesty) से व्यापक अवधारणा है; इसका अर्थ है सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार का पूर्ण अभाव तथा सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों का संस्थागत पालन (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)।

• **नोड 2 का विश्लेषण: सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005** (12 अक्टूबर 2005 से लागू) ने औपनिवेशिक शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 की संस्कृति को बदलकर नागरिकों को शासन की फाइलों के निरीक्षण का अधिकार दिया (**DoPT RTI पोर्टल**)।

• **नोड 3 का विश्लेषण: सेवोत्तम (SEVOTTAM = 'सेवा' + 'उत्तम')** मॉडल प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा विकसित तीन-स्तरीय गुणवत्ता ढांचा है: (1) नागरिक चार्टर, (2) लोक शिकायत निवारण प्रणाली (CPGRAMS), और (3) सेवा वितरण क्षमता।

• **नोड 4 का विश्लेषण: भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018** में रिश्वत लेने के साथ-साथ रिश्वत देने को भी प्रत्यक्ष अपराध बनाया गया है तथा ईमानदार अधिकारियों को नीतिगत निर्णयों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए **धारा 17A** जोड़ी गई है।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: पारदर्शिता एवं जवाबदेही के प्रमुख वैधानिक व संस्थागत उपकरण

उपकरण / संस्था	स्थापना / अधिनियम वर्ष	मुख्य प्रावधान एवं समय-सीमा	अपवाद / सीमाएं एवं सुधार सुझाव	आधिकारिक स्रोत
1. सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act)	**2005** (12 अक्टूबर 2005 से लागू)	सामान्य मामले में **30 दिन** तथा जीवन व स्वतंत्रता से जुड़े मामले में **48 घंटे** में सूचना देना अनिवार्य; **धारा 4** में स्वतः प्रकटीकरण (Suo-motu Disclosure)	**धारा 8(1)** में राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा, कैबिनेट दस्तावेज व निजता से संबंधित 10 छूटें; **धारा 24** में खुफिया व सुरक्षा एजेंसियां बाहर	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
2. नागरिक चार्टर (Citizen's Charter)	1991 (यूके में जॉन मेजर द्वारा); भारत में **मई 1997** से प्रारंभ	संगठन का विजन, मिशन, प्रदत्त सेवाओं के मानक, समय-सीमा और शिकायत निवारण अधिकारी का स्पष्ट उल्लेख	स्वतः कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं; राज्यों के **लोक सेवा गारंटी अधिनियमों** द्वारा इसे दंडनीय समय-सीमा से जोड़ा गया है	व्यय विभाग नागरिक चार्टर

उपकरण / संस्था	स्थापना / अधिनियम वर्ष	मुख्य प्रावधान एवं समय-सीमा	अपवाद / सीमाएं एवं सुधार सुझाव	आधिकारिक स्रोत
3. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)	**1964** (संथानम समिति की सिफारिश पर); **2003** में वैधानिक दर्जा	केंद्रीय सतर्कता आयुक्त + अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त (कार्यकाल: **4 वर्ष या 65 वर्ष** की आयु); सतर्कता प्रशासन का पर्यवेक्षण	प्रकृति से परामर्शदात्री निकाय; अपनी स्वयं की अन्वेषण शाखा नहीं (CBI और मुख्य सतर्कता अधिकारियों CVO पर निर्भर)	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
4. लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम	**2013** (16 जनवरी 2014 से लागू)	अध्यक्ष + अधिकतम **8 सदस्य** (50% न्यायिक सदस्य तथा 50% SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक/महिला); कार्यकाल: **5 वर्ष या 70 वर्ष** की आयु	प्रधानमंत्री (अंतरराष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा व लोक व्यवस्था को छोड़कर), केंद्रीय मंत्री, सांसद एवं ग्रुप A, B, C, D कर्मचारी दायरे में	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
5. आचार संहिता (Code of Ethics) बनाम आचरण संहिता (Code of Conduct)	आचरण नियम 1964/1966; 2nd ARC सिफारिश	**आचार संहिता:** व्यापक आदर्श मूल्य (क्या करना चाहिए); **आचरण संहिता:** विशिष्ट नियम व निषेध (क्या नहीं करना चाहिए, उल्लंघन पर दंड)	भारत में विस्तृत 'आचरण संहिता' तो है, किंतु 2nd ARC ने 'सिविल सेवा विधेयक' के तहत वैधानिक 'आचार संहिता' लागू करने की सिफारिश की है	DoPT आचरण नियम
6. लोक निधि का उपयोग एवं CAG अंकेक्षण	संविधान के **अनुच्छेद 148-151** एवं GFR 2017/2024	संसद की पूर्व स्वीकृति (अनुच्छेद 266 संचित निधि), GFR नियम 21 का पालन, परिणाम बजट (Outcome Budget) एवं CAG द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा	निधि का कम उपयोग, मार्च रश (March Rush), भ्रष्टाचार और लीकेज को रोकने के लिए PFMS व DBT का एकीकरण	व्यय विभाग GFR 2024

3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)

• **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC — अध्यक्ष: श्री वीरप्पा मोइली)** की **प्रथम रिपोर्ट** का शीर्षक **"सूचना का अधिकार: सुशासन की मास्टर कुंजी" (Right to Information: Master Key to Good Governance)** है और **चौथी रिपोर्ट** का शीर्षक **"शासन में नैतिकता" (Ethics in Governance)** है (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)।

• **रॉबर्ट क्लिटगार्ड (Robert Klitgaard) का प्रसिद्ध भ्रष्टाचार समीकरण:**
$$भ्रष्टाचार (Corruption) = एकाधिकार (Monopoly) + विवेकाधिकार (Discretion) - जवाबदेही (Accountability)$$
अर्थात् जब किसी अधिकारी के पास सेवा देने का एकाधिकार हो, नियमों में अत्यधिक विवेकाधिकार हो और जवाबदेही शून्य हो, तो वहां भ्रष्टाचार पनपता है; ई-गवर्नेंस और RTI इसी समीकरण को तोड़ते हैं (IUC अकादमी)।

• **सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit):** मनरेगा (MGNREGA Act 2005 की धारा 17) के तहत ग्राम सभा द्वारा सरकारी योजनाओं के भौतिक और वित्तीय रिकॉर्ड का जमीनी सत्यापन सामाजिक अंकेक्षण कहलाता है; **मेघालय** भारत का पहला राज्य है जिसने सामाजिक अंकेक्षण कानून पारित किया।

4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)

• **जाल 1:** 'ईमानदारी' (Honesty), 'सत्यनिष्ठा' (Integrity) और 'प्रोबिटी' (Probity) को एक ही अर्थ में लिख देना। **सत्य: ईमानदारी (Honesty)** का अर्थ है सत्य बोलना और धोखा न देना; **सत्यनिष्ठा (Integrity)** का अर्थ है जब कोई न देख रहा हो तब भी अपने नैतिक सिद्धांतों पर अडिग रहना (मन, वचन और कर्म की एकता); और **प्रोबिटी (Probity)** का अर्थ है सार्वजनिक संस्थाओं और शासन प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा और भ्रष्टाचार-मुक्त कार्यप्रणाली का सक्रिय व दृश्यमान पालन।

• **जाल 2:** RTI अधिनियम की धारा 8(2) के प्रावधान को भूल जाना। **सत्य:** धारा 8(1) में छूट प्राप्त सूचनाएं भी **धारा 8(2)** के तहत प्रकट की जा सकती हैं यदि **'लोकहित' (Public Interest)** संरक्षित हितों को होने वाले नुकसान से अधिक भारी हो, और जो सूचना संसद या विधानमंडल को देने से मना नहीं की जा सकती, वह किसी नागरिक को देने से भी मना नहीं की जा सकती।

• **जाल 3:** नागरिक चार्टर को केवल समय-सीमा की सूची समझना। **सत्य:** नागरिक चार्टर के 6 मूल सिद्धांत हैं — (1) गुणवत्ता, (2) विकल्प, (3) मानक, (4) मूल्य (करदाता के धन का मूल्य), (5) जवाबदेही, और (6) पारदर्शिता।

5. IUC स्मृति ट्रिक

• **सूत्र: "क्लिटगार्ड का सूत्र C = M + D - A याद रखो भाई; सेवोत्तम के तीन स्तंभों (चार्टर, शिकायत, क्षमता) से सुशासन की रोशनी छाई!"**

• **व्याख्या:**

• **C = M + D - A:** Corruption = Monopoly + Discretion - Accountability।

• **RTI समय-सीमा:** सामान्य = **30 दिन** | सहायक लोक सूचना अधिकारी (APIO) के माध्यम से = **35 दिन** | तृतीय पक्ष (Third Party) शामिल होने पर = **40 दिन** | जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता = **48 घंटे** | प्रथम अपील = **30 दिन** | द्वितीय अपील (CIC/SIC) = **90 दिन**।

मॉड्यूल 4: नैतिक दुविधाएं (Ethical Dilemmas), कॉर्पोरेट शासन, CSR एवं केस स्टडी समाधान कार्यप्रणाली

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 4: नैतिक दुविधाएं (Ethical Dilemmas), कॉर्पोरेट शासन, CSR एवं केस स्टडी समाधान कार्यप्रणाली

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
क्या आप जानते हैं? बॉक्स	**परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स**

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

नोड 1: हितधारक (Stakeholders) एवं नैतिक दुविधा (Ethical Dilemma) की सटीक पहचान

↓↓ (कानून बनाम करुणा, व्यक्तिगत हित बनाम लोकहित, गोपनीयता बनाम पारदर्शिता)

नोड 2: उपलब्ध विकल्पों का विश्लेषण (गुण-दोष एवं तात्कालिक बनाम दीर्घकालिक प्रभाव)

↓↓ (अतिवादी, पलायनवादी या गैर-कानूनी विकल्पों का तार्किक अस्वीकरण)

नोड 3: नैतिक एवं संवैधानिक कसौटियों का अनुप्रयोग (संवैधानिक नैतिकता, गांधी का ताबीज, नोलन सिद्धांत)

↓↓ (प्रशासनिक व्यावहारिकता, सेवोत्तम एवं तकनीकी नवाचार का समावेश)

नोड 4: अल्पकालिक राहत + दीर्घकालिक संस्थागत समाधान (सतत एवं न्यायसंगत निष्कर्ष)

• **नोड 1 का विश्लेषण: नैतिक दुविधा (Ethical Dilemma)** वह जटिल स्थिति है जहां व्यक्ति को दो या अधिक नैतिक मूल्यों या कर्तव्यों में से किसी एक को चुनना पड़ता है, और एक का चयन करने पर दूसरे मूल्य की अनदेखी होती है (जैसे एक गरीब वृद्धा के पास राशन कार्ड या आधार न होने पर नियम का पालन बनाम मानवीय करुणा) (IUC अकादमी)।

• **नोड 2 का विश्लेषण: हितों का टकराव (Conflict of Interest)** तब उत्पन्न होता है जब किसी लोक सेवक के व्यक्तिगत, पारिवारिक या वित्तीय हित उसके सार्वजनिक कर्तव्य के निष्पक्ष निर्वहन को प्रभावित करते हैं (या प्रभावित करते हुए प्रतीत होते हैं)।

• **नोड 3 का विश्लेषण: कॉर्पोरेट शासन (Corporate Governance)** कंपनियों को नैतिक, पारदर्शी और सभी हितधारकों (शेयरधारकों, कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, समाज और पर्यावरण) के प्रति जवाबदेह तरीके से संचालित करने की प्रणाली है, जो **'ट्रिपल बॉटम लाइन' (People, Planet, Profit — 3P)** पर आधारित है।

• **नोड 4 का विश्लेषण:** भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135** के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) को वैधानिक रूप से अनिवार्य बनाया है।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: प्रमुख प्रशासनिक नैतिक दुविधाएं, कॉर्पोरेट शासन समितियां एवं CSR प्रावधान

विषय / नैतिक मुद्दा	मुख्य संघर्ष / वैधानिक मानदंड	संतुलित एवं नैतिक समाधान की दिशा	संबंधित समिति / कानून / दार्शनिक आधार	आधिकारिक संदर्भ
1. विधि/नियम बनाम मानवीय करुणा (Law vs. Compassion)	दस्तावेज़ के अभाव में पात्र गरीब को योजना के लाभ से वंचित करना बनाम नियम तोड़ना	तात्कालिक राहत कोष/रेडक्रॉस/NGO से सहायता देते हुए त्वरित कैंप लगाकर विधिक दस्तावेज़ बनवाना (नियम के भीतर करुणा)	गांधीजी का ताबीज एवं अरस्तू का 'इक्विटी' (न्यायसंगतता) सिद्धांत	IUC अकादमी

विषय / नैतिक मुद्दा	मुख्य संघर्ष / वैधानिक मानदंड	संतुलित एवं नैतिक समाधान की दिशा	संबंधित समिति / कानून / दार्शनिक आधार	आधिकारिक संदर्भ
2. वरिष्ठ का अवैध आदेश बनाम कर्तव्यनिष्ठा	मौखिक अवैध आदेश मानने का दबाव बनाम स्थानांतरण/प्रताड़ना का भय	विनम्रतापूर्वक लिखित आदेश मांगना (आचरण नियम 3(2)(ii)) तथा फाइल पर विधिक व वित्तीय नियम (GFR/CCS) दर्ज करना	मैक्स वेबर की विधिक-तार्किक नौकरशाही एवं CCS आचरण नियम 3	DoPT आचरण नियम
3. गोपनीयता बनाम पारदर्शिता (व्हिसलब्लोइंग)	विभागीय गोपनीयता की शपथ बनाम जनहित में गंभीर भ्रष्टाचार/खतरे को उजागर करना	पहले आंतरिक तंत्र (CVO/वरिष्ठ अधिकारी) का उपयोग; विफल होने पर CVC या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य सहित प्रकटीकरण	व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 एवं RTI अधिनियम धारा 8(2)	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
4. विकास बनाम पर्यावरण एवं जनजातीय अधिकार	औद्योगीकरण/बांध निर्माण बनाम विस्थापन और पारिस्थितिक विनाश	पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA), ग्राम सभा की सहमति (FRA 2006), उचित पुनर्वास और हरित तकनीक का प्रयोग	ब्रुंटलैंड आयोग (सतत विकास) एवं पंचशील जनजातीय सिद्धांत	IUC अकादमी
5. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR — धारा 135)	**पात्रता:** नेट वर्थ **≥ ₹500 करोड़**, या टर्नओवर **≥ ₹1,000 करोड़**, या शुद्ध लाभ **≥ ₹5 करोड़**	पिछले **3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2%** शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, आपदा राहत आदि (अनुसूची VII) पर खर्च करना	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 एवं गांधीजी का 'ट्रस्टीशिप सिद्धांत'	IUC अकादमी
6. कॉर्पोरेट शासन की प्रमुख समितियां	निदेशक मंडल की स्वतंत्रता, ऑडिट समिति, स्वतंत्र निदेशक और निवेशक संरक्षण	कैडबरी समिति (UK, 1992), कुमार मंगलम बिड़ला समिति (1999), नारायण मूर्ति समिति (2003) एवं **उदय कोटक समिति (2017)**	SEBI (LODR) विनियम एवं कंपनी अधिनियम, 2013	IUC अकादमी

3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)

• **अंतरात्मा का संकट (Crisis of Conscience):** जब कोई लोक सेवक बाहरी दबाव, संस्थागत बाधा या अपरिहार्य परिस्थिति के कारण अपनी आंतरिक नैतिक आस्था के विरुद्ध कार्य करने को विवश हो जाता है (या सही कार्य नहीं कर पाता), तो उसके मन में उत्पन्न अपराधबोध और मानसिक द्वंद्व को 'अंतरात्मा का संकट' कहते हैं (IUC अकादमी)।

• **केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 3(2)(ii):** यह नियम स्पष्ट करता है कि कोई भी सरकारी सेवक अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निष्पादन में सामान्यतः मौखिक निर्देशों पर कार्य नहीं करेगा, और यदि वरिष्ठ अधिकारी मौखिक आदेश देता है, तो अधीनस्थ अधिकारी यथाशीघ्र उसकी **लिखित पुष्टि (Written Confirmation)** प्राप्त करेगा (DoPT आचरण नियम)।

• **हितों के टकराव के 3 रूप:** (1) **वास्तविक (Actual):** जहां निर्णय प्रभावित हो चुका है, (2) **संभावित (Potential):** जहां भविष्य में निजी हित टकरा सकता है, और (3) **प्रतीत होने वाला (Perceived):** जहां निर्णय निष्पक्ष होने पर भी जनता को पक्षपातपूर्ण दिख सकता है — लोक प्रशासन में तीनों से बचना और स्वयं को प्रक्रिया से अलग करना (**Recusal**) अनिवार्य है।

4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)

• **जाल 1:** केस स्टडी के उत्तर में भावुक होकर स्वयं कानून तोड़ने या इस्तीफा देने का विकल्प चुनना। **सत्य:** UPSC/PCS केस स्टडी में **कभी भी इस्तीफा देने, समस्या से भागने या कानून तोड़ने का विकल्प न चुनें**; एक आदर्श प्रशासक हमेशा कानून और संविधान के दायरे में रहकर रचनात्मक, व्यावहारिक और मानवीय समाधान निकालता है।

• **जाल 2:** CSR (कंपनी अधिनियम की धारा 135) में 2% की गणना केवल वर्तमान वर्ष के लाभ पर लिख देना। **सत्य:** CSR के अंतर्गत कंपनी को पिछले **तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ (Average Net Profit of immediately preceding 3 financial years)** का कम से कम **2%** खर्च करना होता है।

• **जाल 3:** 'अंतरात्मा' (Conscience) को सदैव वस्तुनिष्ठ मान लेना। **सत्य:** अंतरात्मा व्यक्तिपरक (Subjective) होती है क्योंकि यह व्यक्ति के संस्कारों और अनुभवों से बनती है; इसलिए लोक प्रशासन में व्यक्तिगत अंतरात्मा को **'विधियों, नियमों और संवैधानिक नैतिकता'** के साथ जोड़कर परखा जाता है।

5. IUC स्मृति ट्रिक

• सूत्र: "CSR का 500-1000-5 करोड़ नियम और 3 साल के औसत लाभ का 2% दान; केस स्टडी में S-D-O-A (Stakeholders, Dilemmas, Options, Action) से मिले पूरे अंक और सम्मान!"

• व्याख्या:

• **CSR पात्रता (धारा 135):** ₹500 करोड़ नेटवर्थ **या** ₹1,000 करोड़ टर्नओवर **या** ₹5 करोड़ शुद्ध लाभ पिछले 3 वर्ष के औसत लाभ का **2%**।

• **केस स्टडी उत्तर संरचना (S-D-O-A):** **S**takeholders (हितधारक), **D**ilemmas (नैतिक दुविधाएं), **O**ptions with Merits/Demerits (विकल्प मूल्यांकन), **A**ction Plan (अल्पकालिक + दीर्घकालिक कार्ययोजना)।

मॉड्यूल 5: आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य — वामपंथी उग्रवाद (LWE/नक्सलवाद), पूर्वोत्तर उग्रवाद एवं समाधान रणनीति (SAMADHAN)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 5: आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य — वामपंथी उग्रवाद (LWE/नक्सलवाद), पूर्वोत्तर उग्रवाद एवं समाधान रणनीति (SAMADHAN)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
क्या आप जानते हैं? बॉक्स	**परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स**

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

नोड 1: आंतरिक सुरक्षा के 4 प्रमुख मोर्चे — वामपंथी उग्रवाद (LWE), पूर्वोत्तर विद्रोह, जम्मू-कश्मीर आतंकवाद एवं भीतरी छद्म नेटवर्क

↓↓ (राज्य एवं गैर-राज्य अभिकर्ताओं *State & Non-State Actors* तथा विकास की कमी का गठजोड़)

नोड 2: सुरक्षा-सख्त कार्रवाई — CAPF तैनाती, ग्रेहाउंड्स/कोबरा कमांडो, खुफिया समन्वय (MAC/NATGRID) एवं फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस

↓↓ (वित्तीय स्रोतों व हथियार आपूर्ति श्रृंखला पर *NIA/ED* द्वारा प्रहार)

नोड 3: विकासात्मक हस्तक्षेप — आकांक्षी जिला कार्यक्रम, एकलव्य मॉडल विद्यालय, PMGSY सड़क एवं मोबाइल टावर कनेक्टिविटी

↓↓ (रोशनी योजना, कौशल विकास, वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं *PESA* 1996 का प्रभावी क्रियान्वयन)

नोड 4: आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति — लोकतांत्रिक मुख्यधारा में एकीकरण एवं स्थायी शांति की स्थापना

• **नोड 1 का विश्लेषण: आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)** का अर्थ देश की सीमाओं के भीतर कानून-व्यवस्था, राष्ट्रीय संप्रभुता, साम्प्रदायिक सौहार्द और संवैधानिक तंत्र की रक्षा करना है। कौटिल्य के **'अर्थशास्त्र'** में राज्य को चार प्रकार के खतरों से आगाह किया गया है: (1) बाह्य उत्पत्ति-बाह्य अभिकर्ता, (2) बाह्य उत्पत्ति-आंतरिक अभिकर्ता, (3) आंतरिक उत्पत्ति-बाह्य अभिकर्ता, और (4) आंतरिक उत्पत्ति-आंतरिक अभिकर्ता (**IUC अकादमी**)।

• **नोड 2 का विश्लेषण: वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism - LWE)** की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के **नक्सलबाड़ी** से हुई थी और वर्ष 2004 में पीपुल्स वार ग्रुप (PWG) तथा माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (MCC) के विलय से भाकपा (माओवादी) का गठन हुआ, जिसे UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है।

• **नोड 3 का विश्लेषण:** गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद के समूल उन्मूलन के लिए मई 2017 में **'समाधान' (SAMADHAN)** नामक 8-सूत्रीय एकीकृत सिद्धांत लागू किया, जिसके परिणामस्वरूप LWE प्रभावित जिलों की संख्या में ऐतिहासिक कमी आई है।

• **नोड 4 का विश्लेषण:** पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद के समाधान के लिए सरकार ने त्रिपक्षीय शांति समझौतों (जैसे बोडो समझौता, कार्बी आंगलोंग समझौता, ब्रू-रियांग पुनर्वास समझौता, दिमासा एवं उल्फा शांति समझौता) और कनेक्टिविटी परियोजनाओं (कालादान मल्टी-मॉडल प्रोजेक्ट — **विदेश मंत्रालय संदर्भ**) को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख मोर्चे, कारण एवं सरकारी पहलें

सुरक्षा क्षेत्र / मोर्चा	भौगोलिक विस्तार एवं प्रमुख चुनौतियाँ	मूल कारण (ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आर्थिक)	प्रमुख सरकारी रणनीतियाँ, समझौते एवं पहलें	आधिकारिक संदर्भ
1. वामपंथी उग्रवाद (LWE / नक्सलवाद)	छत्तीसगढ़ (बस्तर संभाग), झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र (गढ़चिरौली) का 'रेड कॉरिडोर' (अब कुछ जिलों तक सीमित)	जल-जंगल-जमीन से अलगाव, प्रशासनिक शून्य, विकास की कमी और माओवादी विचारधारा का दुष्प्रचार	**'समाधान' (SAMADHAN) सिद्धांत**, कोबरा (CoBRA) बटालियन, बस्तरिया बटालियन, आकांक्षी जिला कार्यक्रम और रोशनी योजना	IUC अकादमी
2. पूर्वोत्तर भारत का उग्रवाद	नागालैंड, मणिपुर, असम एवं अरुणाचल प्रदेश के कुछ सीमावर्ती पॉकेट्स	नृजातीय विविधता, भौगोलिक दुर्गमता, म्यांमार सीमा (1,643 किमी) की सरंध्रता और अवैध हथियार/मादक पदार्थ तस्करी	शांति समझौते (बोडो, कार्बी, ब्रू, NLFT, ULFA), **AFSPA क्षेत्र में क्रमिक कमी**, एक्ट ईस्ट नीति और कलादान प्रोजेक्ट	विदेश मंत्रालय
3. जम्मू एवं कश्मीर में सीमा-पार आतंकवाद	नियंत्रण रेखा (LoC) व अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार से प्रायोजित छद्म युद्ध (Proxy War) और हाइब्रिड आतंकवाद	पाकिस्तान द्वारा राज्य-प्रायोजित आतंकवाद, कट्टरपंथ, नार्को-टेररिज्म और सोशल मीडिया दुष्प्रचार	अनुच्छेद 370 के बाद पूर्ण संवैधानिक एकीकरण, **ऑपरेशन ऑल-आउट**, एंटी-ड्रोन ग्रिड, ग्राम रक्षा समूह (VDG) एवं जमीनी पंचायती लोकतंत्र	विदेश मंत्रालय
4. गैर-राज्य अभिकर्ता (Non-State Actors)	आतंकवादी संगठन, अलगाववादी गुट, अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट, हवाला ऑपरेटर एवं डार्क-वेब हैकर्स	शत्रु राष्ट्रों की खुफिया एजेंसियों (जैसे ISI) द्वारा छद्म युद्ध के औजार के रूप में वित्तपोषण और शरण	**UAPA (संशोधन) अधिनियम 2019** (व्यक्ति को भी आतंकी घोषित करने का अधिकार), NIA अधिनियम संशोधन और FATF समन्वय	विदेश मंत्रालय
5. सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA, 1958)	'अशांत क्षेत्र' (Disturbed Area — धारा 3) घोषित क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विशेष परिचालन शक्तियां	गंभीर उग्रवाद के दौरान सेना को तलाशी, गिरफ्तारी और परिचालन सुरक्षा प्रदान करना	न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी समिति (2005) और द्वितीय ARC के सुझाव; सुरक्षा स्थिति सुधरने पर पूर्वोत्तर के अधिकांश जिलों से AFSPA हटाया गया	IUC अकादमी

3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)

- **'समाधान' (SAMADHAN) डॉक्ट्रिन के 8 अक्षरों का पूर्ण रूप:**
- **S** — Smart Leadership (कुशल नेतृत्व)
- **A** — Aggressive Strategy (आक्रामक रणनीति)
- **M** — Motivation and Training (अभिप्रेरणा एवं प्रशिक्षण)
- **A** — Actionable Intelligence (कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी — UAV/ड्रोन का उपयोग)
- **D** — Dashboard-based KPIs and KRAs (डैशबोर्ड आधारित प्रदर्शन संकेतक)
- **H** — Harnessing Technology (प्रौद्योगिकी का दोहन — GPS ट्रैकिंग, सैटेलाइट इमेजरी)
- **A** — Action Plan for Each Theatre (प्रत्येक मोर्चे के लिए विशिष्ट कार्ययोजना)
- **N** — No Access to Financing (वित्तपोषण/चंदा वसूली तक पहुंच समाप्त करना) (IUC अकादमी)।
- **नो मनी फॉर टेरर (No Money for Terror - NMFT):** आतंकवाद के वित्तपोषण को वैश्विक स्तर पर रोकने के लिए भारत इस पहल का प्रमुख स्तंभ रहा है और 19 मई 2026 को पेरिस (फ्रांस) में आयोजित पांचवें 'नो मनी फॉर टेरर' सम्मेलन में भी भारत ने सक्रिय भागीदारी की (विदेश मंत्रालय भारत-फ्रांस ब्रीफ)।

4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)

• **जाल 1:** UAPA (गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, 1967) में 2019 के संशोधन के महत्व को भूल जाना। **सत्य:** 2019 से पूर्व केवल 'संगठनों' को आतंकवादी घोषित किया जा सकता था; **UAPA संशोधन अधिनियम, 2019** के बाद केंद्र सरकार किसी **'व्यक्ति' (Individual)** को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) के महानिदेशक को आतंकवाद से जुड़ी संपत्ति जब्त करने की शक्ति दी गई है।

• **जाल 2:** AFSPA 1958 के तहत किसी क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' (Disturbed Area) घोषित करने की शक्ति केवल राज्यपाल के पास समझना। **सत्य:** AFSPA की **धारा 3** के अंतर्गत किसी राज्य या उसके हिस्से को 'अशांत क्षेत्र' घोषित करने की शक्ति **राज्य के राज्यपाल (या UT के प्रशासक) और केंद्र सरकार (गृह मंत्रालय) दोनों** के पास है।

• **जाल 3:** वामपंथी उग्रवाद को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या या केवल सामाजिक-आर्थिक समस्या बताना। **सत्य:** मुख्य परीक्षा के उत्तर में हमेशा **'द्वि-आयामी दृष्टिकोण' (Two-Pronged Strategy: Security + Holistic Development)** लिखें — जहां निर्दोष आदिवासियों के लिए विकास व अधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं और सशस्त्र कैडर के विरुद्ध सटीक सुरक्षा कार्रवाई की जाती है।

5. IUC स्मृति ट्रिक

• **सूत्र: "वामपंथी उग्रवाद का इलाज है 'समाधान' (SAMADHAN); सुरक्षा (Security) + विकास (Development) + अधिकार (Rights) से बने सशक्त हिंदुस्तान!"**

• **व्याख्या:**

• **कौटिल्य के 4 सुरक्षा खतरे:** बाह्य-बाह्य, बाह्य-आंतरिक, आंतरिक-बाह्य, आंतरिक-आंतरिक।

• **NIA अधिनियम, 2008 (संशोधित 2019):** अब NIA को भारत के बाहर भारतीय नागरिकों या भारतीय हितों के विरुद्ध किए गए आतंकी अपराधों के साथ-साथ मानव तस्करी, जाली मुद्रा, प्रतिबंधित हथियारों और साइबर आतंकवाद की जांच करने का भी अधिकार प्राप्त है।

मॉड्यूल 6: सीमा प्रबंधन (Border Management), तटीय सुरक्षा, संगठित अपराध एवं आतंकवाद का वित्तपोषण (PMLA/FATF)

अध्याय
के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 6: सीमा प्रबंधन (Border Management), तटीय सुरक्षा, संगठित अपराध एवं आतंकवाद का वित्तपोषण (PMLA/FATF)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
क्या आप जानते हैं? बॉक्स	**परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स**

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

नोड 1: भारत की स्थलीय सीमा (15,106.7 किमी) एवं तटीय सीमा (7,516.6 किमी) का भू-सामरिक मानचित्रण

↓↓ (एक सीमा – एक बल सिद्धांत के तहत *BSF*, *ITBP*, *SSB* एवं असम राइफल्स की तैनाती)

नोड 2: व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) — स्मार्ट फेंसिंग, लेजर वॉल, थर्मल इमेजर एवं एंटी-ड्रोन रडार

↓↓ (वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एवं सीमा सड़क संगठन *BRO* द्वारा सामरिक बुनियादी ढांचा)

नोड 3: त्रि-स्तरीय तटीय सुरक्षा — भारतीय नौसेना (>12 NM), तटरक्षक बल (12-200 NM) एवं तटीय पुलिस (<12 NM)

↓↓ (नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क — *NC3I* एवं सागर प्रहरी बल)

नोड 4: संगठित अपराध व आतंकी वित्तपोषण पर प्रहार — PMLA 2002, ED, FIU-IND एवं FATF ग्रे/ब्लैक लिस्ट तंत्र

• **नोड 1 का विश्लेषण:** भारत की कुल स्थलीय सीमा लगभग **15,106.7 किमी** (7 देशों के साथ: बांग्लादेश — 4,096.7 किमी सर्वाधिक, चीन — 3,488 किमी, पाकिस्तान — 3,323 किमी, नेपाल — 1,751 किमी, म्यांमार — 1,643 किमी, भूटान — 699 किमी और अफगानिस्तान — 106 किमी) तथा द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा **7,516.6 किमी** है (IUC अकादमी)।

• **नोड 2 का विश्लेषण:** कारगिल समीक्षा समिति और मंत्रियों के समूह (GoM, 2001) की सिफारिश पर **'एक सीमा - एक बल' (One Border - One Force)** का सिद्धांत अपनाया गया ताकि जवाबदेही और समन्वय स्पष्ट रहे।

• **नोड 3 का विश्लेषण:** नशीले पदार्थों की तस्करी के दो कुख्यात अंतरराष्ट्रीय केंद्र भारत के दोनों ओर स्थित हैं — पश्चिम में **'गोल्डन क्रीसेंट' (स्वर्णिम अर्धचंद्र: अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान)** तथा पूर्व में **'गोल्डन ट्रायंगल' (स्वर्णिम त्रिभुज: म्यांमार, लाओस और थाईलैंड)**, जो संगठित अपराध और नार्को-टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं (विदेश मंत्रालय भारत-अमेरिका ब्रीफ)।

• **नोड 4 का विश्लेषण: धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA — 1 जुलाई 2005 से प्रभावी)** काले धन को वैध दिखाने की तीन-चरणीय प्रक्रिया (**Placement Layering Integration**) को रोकता है और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अपराध की आय (Proceeds of Crime) कुर्क करने का अधिकार देता है।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: भारत के सीमा रक्षक बल, सीमाएं एवं प्रमुख चुनौतियाँ

सीमा का नाम	कुल लंबाई (किमी)	तैनात सीमा रक्षक बल (Border Guarding Force)	प्रमुख सुरक्षा चुनौतियाँ	प्रमुख सरकारी पहलें एवं समाधान	आधिकारिक संदर्भ
1. भारत-बांग्लादेश सीमा	**4,096.7 किमी** (सर्वाधिक लंबी)	**सीमा सुरक्षा बल (BSF)**	नदीय क्षेत्र (ब्रह्मपुत्र-सुंदरबन), अवैध प्रवासन, मवेशी व जाली नोट तस्करी	भूमि सीमा समझौता (100वां संविधान संशोधन, 2015), BOLD-QIT (CIBMS स्मार्ट फेंसिंग) एवं बॉर्डर हाट	IUC अकादमी
2. भारत-चीन सीमा (LAC)	**3,488 किमी** (पश्चिमी, मध्य व पूर्वी सेक्टर)	**भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)**	अनिर्धारित वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC), चीनी आक्रामकता (सलामी स्लाइसिंग) और कठिन हिमालयी भूगोल	**वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP)**, BRO द्वारा अटल टनल, सेला टनल व दारबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी (DSDBO) सड़क	IUC अकादमी
3. भारत-पाकिस्तान सीमा	**3,323 किमी** (IB, LoC एवं AGPL)	**BSF** (अंतरराष्ट्रीय सीमा पर) एवं **भारतीय सेना** + **BSF** (LoC पर)	सीमा-पार घुसपैठ, सुरंगें (Cross-border Tunnels), **ड्रोन द्वारा हथियार व हेरोइन गिराना**, सर क्रीक विवाद	CIBMS लेजर फेंसिंग, एंटी-ड्रोन सिस्टम, एकीकृत जांच चौकियां (ICP अटारी)	विदेश मंत्रालय
4. भारत-नेपाल एवं भारत-भूटान सीमा	नेपाल: **1,751 किमी**; भूटान: **699 किमी**	**सशस्त्र सीमा बल (SSB)**	खुली एवं वीज़ा-मुक्त सीमा का दुरुपयोग कर तीसरे देशों के एजेंटों, जाली मुद्रा (FICN) व मानव तस्करी की घुसपैठ	संयुक्त गश्त, बायोमेट्रिक निगरानी, विकास सहायता एवं बीबीआईएन (BBIN) कनेक्टिविटी	IUC अकादमी
5. भारत-म्यांमार सीमा	**1,643 किमी** (अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम)	**असम राइफल्स (Assam Rifles)** — 'पूर्वोत्तर के प्रहरी'	घने जंगल, उग्रवादी गुटों के सीमा-पार शिविर, गोल्डन ट्रायंगल से ड्रग और हथियारों की तस्करी	**मुक्त आवागमन व्यवस्था (Free Movement Regime - FMR) की समाप्ति/पुनर्संरचना** एवं सीमा बाड़बंदी का निर्णय	विदेश मंत्रालय
6. समुद्री एवं तटीय सीमा	**7,516.6 किमी** (9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश)	**तटीय पुलिस (0-12 NM)**, **भारतीय तटरक्षक बल (12-200 NM)** एवं **भारतीय नौसेना**	26/11 मुंबई हमले जैसी समुद्री घुसपैठ, अपतटीय तेल प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, तस्करी व अवैध मत्स्यन	**तटीय सुरक्षा योजना**, बायोमेट्रिक मछुआरा पहचान पत्र, AIS ट्रांसपोंडर, IMAC (गुरुग्राम) एवं **सागर कवच अभ्यास**	IUC अकादमी

3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)

• **धन शोधन (Money Laundering) के 3 चरण:** (1) **प्लेसमेंट (Placement — समावेशन):** अवैध नकदी को वित्तीय प्रणाली या बैंकों में डालना, (2) **लेयरिंग (Layering — स्तरीकरण):** धन के मूल स्रोत को छुपाने के लिए शेल कंपनियों, हवाला और टैक्स हेवन देशों के बीच जटिल लेनदेन करना, और (3) **इंटीग्रेशन (Integration — एकीकरण):** काले धन को वैध आय (रियल एस्टेट, लग्जरी संपत्ति या व्यापारिक लाभ) के रूप में अर्थव्यवस्था में वापस लाना (IUC अकादमी)।

• **FATF (Financial Action Task Force):** वर्ष 1989 में G-7 शिखर सम्मेलन (पेरिस) में गठित FATF मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था है (भारत 2010 से इसका पूर्णकालिक सदस्य है)। इसकी **'ग्रे लिस्ट' (Increased Monitoring)** और **'ब्लैक लिस्ट' (Call for Action — जैसे उत्तर कोरिया, ईरान, म्यांमार)** आतंकी वित्तपोषण करने वाले देशों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाती है।

• **मधुकर गुप्ता समिति (2016)** भारत-पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा सुदृढ़ीकरण और बाड़बंदी की कमियों को दूर करने के लिए गठित की गई थी, जबकि **शेखतकर समिति (2016)** सशस्त्र बलों की मारक क्षमता बढ़ाने और रक्षा व्यय को संतुलित करने से संबंधित है।

4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)

• **जाल 1:** असम राइफल्स के प्रशासनिक और परिचालन नियंत्रण में भ्रम। **सत्य:** असम राइफल्स (स्थापना 1835 — भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल) पर **'दोहरा नियंत्रण' (Dual Control)** है — इसका प्रशासनिक नियंत्रण (वेतन, बजट, अवसंरचना) **गृह मंत्रालय (MHA)** के पास है, जबकि परिचालन नियंत्रण (Operational Control) **रक्षा मंत्रालय (भारतीय सेना)** के पास है।

• **जाल 2:** स्थलीय सीमा की लंबाई के क्रम में चीन या पाकिस्तान को सबसे ऊपर लिख देना। **सत्य:** भारत की स्थलीय सीमा का सही अवरोही क्रम (बचपन में एमबीए) है: **बांग्लादेश (4,096.7 किमी) > चीन (3,488 किमी) > पाकिस्तान (3,323 किमी) > नेपाल (1,751 किमी) > म्यांमार (1,643 किमी) > भूटान (699 किमी) > अफगानिस्तान (106 किमी)**।

• **जाल 3:** 'गोल्डन क्रीसेंट' और 'गोल्डन ट्रायंगल' के देशों को आपस में मिला देना। **सत्य: गोल्डन क्रीसेंट (पश्चिम):** ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान (IAP); **गोल्डन ट्रायंगल (पूर्व):** म्यांमार, लाओस, थाईलैंड (MLT)।

5. IUC स्मृति ट्रिक

• सूत्र: "सीमा क्रम है 'बचपन में एमबीए' (बांग्लादेश-चीन-पाक-नेपाल-म्यांमार-भूटान-अफगान); PMLA के P-L-I (Placement-Layering-Integration) से रुकता काले धन का तूफान!"

• व्याख्या:

• एक सीमा - एक बल मैपिंग: पाक व बांग्लादेश = **BSF** | चीन = **ITBP** | नेपाल व भूटान = **SSB** | म्यांमार = **Assam Rifles**।

• ड्रग कॉरिडोर कोड: पश्चिम = **क्रीसेंट (अर्धचंद्र — इस्लामिक देशों का प्रतीक: ईरान-अफगान-पाक)** | पूर्व = **ट्रायंगल (म्यांमार-लाओस-थाईलैंड)**।

मॉड्यूल 7: साइबर सुरक्षा (Cyber Security), महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (NCIIPC/CERT-In) एवं सोशल मीडिया सुरक्षा चुनौतियाँ

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 7: साइबर सुरक्षा (Cyber Security), महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (NCIIPC/CERT-In) एवं सोशल मीडिया सुरक्षा चुनौतियाँ

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
क्या आप जानते हैं? बॉक्स	परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

नोड 1: साइबर खतरे की पहचान — मैलवेयर, रैनसमवेयर, फिशिंग, DDoS, जीरो-डे अटैक एवं डीपफेक

↓↓ (*CERT-In* को साइबर घटना के 6 घंटे के भीतर अनिवार्य रिपोर्टिंग)

नोड 2: संस्थागत सुरक्षा कवच — CERT-In (MeitY), NCIIPC (NTRO), I4C (MHA) एवं डिफेंस साइबर एजेंसी (DCA)

↓↓ (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा *66F* — साइबर आतंकवाद एवं धारा 70 — संरक्षित प्रणाली)

नोड 3: महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CII) के 6 रणनीतिक क्षेत्रों का 24×7 संरक्षण (पावर ग्रिड, बैंकिंग, रेलवे, टेलीकॉम, रक्षा, ई-गवर्नेंस)

↓↓ (साइबर स्वच्छता केंद्र, सी-डैक एवं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम — *DPDP Act 2023*)

नोड 4: अंतरराष्ट्रीय साइबर सहयोग (बुडापेस्ट कन्वेंशन, US/फ्रांस साइबर डायलॉग) एवं साइबर-सुरक्षित डिजिटल इंडिया

- **नोड 1 का विश्लेषण:** डिजिटल इंडिया, UPI और क्लाउड गवर्नेंस के विस्तार के साथ साइबर स्पेस युद्ध का **'पांचवां आयाम' (Fifth Domain of Warfare — थल, जल, नभ और अंतरिक्ष के बाद)** बन गया है (IUC अकादमी)।
- **नोड 2 का विश्लेषण: CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team — स्थापना 2004, MeitY के अधीन)** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की **धारा 70B** के तहत साइबर घटनाओं की प्रतिक्रिया देने वाली राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संदर्भ)।
- **नोड 3 का विश्लेषण: NCIIPC (National Critical Information Infrastructure Protection Centre — स्थापना जनवरी 2014, NTRO के अधीन)** को IT अधिनियम की **धारा 70A** के तहत देश की 'महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना' (Critical Information Infrastructure - CII) की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी नामित किया गया है।
- **नोड 4 का विश्लेषण:** भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले **'काउंटर रैनसमवेयर इनिशिएटिव' (Counter Ransomware Initiative)** और भारत-फ्रांस व भारत-अमेरिका द्विपक्षीय साइबर संवादों में सक्रिय रूप से भाग लेता है (विदेश मंत्रालय भारत-अमेरिका ब्रीफ)।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: भारत की प्रमुख साइबर सुरक्षा संस्थाएं, कानून एवं साइबर हमले

संस्था / वैधानिक प्रावधान	नोडल मंत्रालय / मूल संगठन	IT अधिनियम / विधिक धारा	मुख्य कार्य एवं अधिकार क्षेत्र	आधिकारिक संदर्भ
1. CERT-In (भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल)	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय **(MeitY)**	IT अधिनियम, 2000 की **धारा 70B** (स्थापना 2004)	साइबर हमलों की चेतावनी जारी करना, आपातकालीन प्रतिक्रिया और साइबर सुरक्षा ऑडिट (गंभीर साइबर घटना की **6 घंटे** में रिपोर्टिंग अनिवार्य)	NDMA साइबर समन्वय संदर्भ
2. NCIIPC (राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र)	राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (**NTRO — प्रधानमंत्री कार्यालय**)	IT अधिनियम, 2000 की **धारा 70A** (अधिसूचित 2014)	बिजली/ऊर्जा, बैंकिंग-वित्त, दूरसंचार, परिवहन (रेलवे/विमानन), रक्षा और संवेदनशील सरकारी डेटाबेस जैसे 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों (CII) की 24×7 सुरक्षा	NDMA साइबर समन्वय संदर्भ
3. I4C (भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र)	**गृह मंत्रालय (MHA)** (CIS प्रभाग)	स्थापना 2018 (उद्घाटन 2020, नई दिल्ली)	राज्यों की पुलिस के बीच साइबर अपराध जांच में समन्वय, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और **हेल्पलाइन नंबर 1930** का संचालन	IUC अकादमी
4. साइबर आतंकवाद (Cyber Terrorism)	गृह मंत्रालय / MeitY / NIA	IT अधिनियम, 2000 की **धारा 66F** (2008 संशोधन द्वारा जोड़ी गई)	भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालने के लिए कंप्यूटर संसाधनों या CII पर हमला; दंड: **आजीवन कारावास तक**	IUC अकादमी
5. मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता, 2021	MeitY एवं सूचना व प्रसारण मंत्रालय	IT अधिनियम की **धारा 79 एवं 87**	सोशल मीडिया मध्यस्थों (50 लाख+ यूजर्स वाले Significant Social Media Intermediaries) हेतु शिकायत अधिकारी नियुक्ति, फर्स्ट ओरिजिनेटर की पहचान और 24-72 घंटे में निवारण	IUC अकादमी
6. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act, 2023)	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय **(MeitY)**	अधिनियम संख्या 22 (अगस्त 2023)	डेटा प्रिंसिपल (नागरिक) के अधिकार, डेटा फिड्यूशरी (कंपनियों) की जवाबदेही, भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड का गठन और उल्लंघन पर **₹250 करोड़ तक का जुर्माना**	IUC अकादमी

3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)

• प्रमुख साइबर शब्दावली (परीक्षा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण):

• रैनसमवेयर (Ransomware — जैसे WannaCry, LockBit, Akira): पीड़ित के कंप्यूटर या सर्वर के डेटा को एन्क्रिप्ट (लॉक) कर क्रिप्टोकरेंसी में फिरौती मांगना (विदेश मंत्रालय साइबर संवाद)।

• जीरो-डे वल्नरेबिलिटी (Zero-Day Vulnerability): सॉफ्टवेयर की वह गुप्त खामी जिसके बारे में सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी को भी पता नहीं होता और पैच बनने से पहले ही हैकर उसका दुरुपयोग कर लेते हैं (पैच बनाने के लिए 'जीरो दिन' का समय)।

• DDoS (Distributed Denial of Service): बॉटनेट (संक्रमित कंप्यूटरों के नेटवर्क) से किसी सरकारी या बैंकिंग वेबसाइट पर एक साथ करोड़ों फर्जी ट्रैफिक रिक्वेस्ट भेजकर सर्वर को क्रैश कर देना।

• स्पीयर फिशिंग (Spear Phishing) बनाम व्हेलिंग (Whaling): सामान्य फिशिंग में हजारों लोगों को फर्जी ईमेल/लिंक भेजे जाते हैं; स्पीयर फिशिंग में किसी विशेष व्यक्ति या संगठन को निशाना बनाया जाता है; और **व्हेलिंग** में किसी कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी (CEO/CFO या वरिष्ठ सरकारी अधिकारी) को निशाना बनाया जाता है।

4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)

• जाल 1: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66A को अभी भी प्रभावी मान लेना। **सत्य:** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **'श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015)'** के ऐतिहासिक निर्णय में IT अधिनियम की **धारा 66A** को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) का उल्लंघन मानते हुए पूर्णतः **असंवैधानिक घोषित कर निरस्त (Struck Down)** कर दिया है; जबकि वेबसाइट ब्लॉक करने से संबंधित **धारा 69A** को वैध ठहराया गया है।

• जाल 2: भारत को साइबर अपराध पर 'बुडापेस्ट कन्वेंशन' (Budapest Convention, 2001) का हस्ताक्षरकर्ता देश बताना। **सत्य:** भारत ने यूरोप की परिषद के **बुडापेस्ट कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं**, क्योंकि इसके प्रारूपण में भारत शामिल नहीं था और इसकी धारा 32(b) बिना राष्ट्रीय अनुमति के सीमा-पार डेटा एक्सेस की बात करती है जिसे भारत राष्ट्रीय संप्रभुता के विरुद्ध मानता है।

• जाल 3: CERT-In और NCIIPC दोनों को एक ही मंत्रालय के अधीन लिख देना। **सत्य: CERT-In (धारा 70B)** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (**MeitY**) के अधीन है, जबकि **NCIIPC (धारा 70A)** राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (**NTRO**) के अधीन कार्य करता है (NDMA साइबर संदर्भ)।

5. IUC स्मृति ट्रिक

• सूत्र: "66A हुई निरस्त (श्रेया सिंघल), 66F में साइबर आतंकवाद को आजीवन कारावास; 70A में NCIIPC बचाए CII को, 70B में CERT-In रखे साइबर सुरक्षा की आस, 1930 करे ठगी का नाश!"

• व्याख्या:

• IT Act की स्वर्णिम धाराएं: 66C = पहचान की चोरी | **66D** = कंप्यूटर द्वारा प्रतिरूपण से ठगी | **66E** = निजता का उल्लंघन | **66F** = साइबर आतंकवाद | **69A** = वेबसाइट ब्लॉकिंग | **70A** = NCIIPC | **70B** = CERT-In | **79** = मध्यस्थों को सेफ हार्बर संरक्षण।

मॉड्यूल 8: आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 — संस्थागत ढांचा (NDMA, SDMA, DDMA, NDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 8: आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 — संस्थागत ढांचा (NDMA, SDMA, DDMA, NDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
क्या आप जानते हैं? बॉक्स	परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

नोड 1: राष्ट्रीय स्तर — राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA — पदेन अध्यक्ष: प्रधानमंत्री)

↓↓ (राष्ट्रीय कार्यकारी समिति *NEC* — अध्यक्ष: केंद्रीय गृह सचिव; नीति एवं दिशानिर्देश निर्माण)

नोड 2: राज्य स्तर — राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA — पदेन अध्यक्ष: मुख्यमंत्री)

↓↓ (राज्य कार्यकारी समिति *SEC* — अध्यक्ष: राज्य मुख्य सचिव; राज्य योजना का क्रियान्वयन)

नोड 3: जिला एवं स्थानीय स्तर — जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA — अध्यक्ष: जिलाधिकारी/DM + सह-अध्यक्ष: जिला परिषद अध्यक्ष)

↓↓ (पंचायती राज संस्थाएं, शहरी स्थानीय निकाय एवं सामुदायिक प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता — आपदा मित्र)

नोड 4: परिचालन, प्रशिक्षण एवं वित्तीय अंग — NDRF (धारा 44), NIDM (धारा 42) एवं NDRF/NDMF कोष (धारा 46-47)

- **नोड 1 का विश्लेषण:** साल 1999 के ओडिशा सुपर साइक्लोन, 2001 के भुज भूकंप और 2004 की हिंद महासागर सुनामी के पश्चात भारत सरकार ने **23 दिसंबर 2005** को **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005)** अधिनियमित किया (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संदर्भ)।
- **नोड 2 का विश्लेषण:** इस अधिनियम तथा **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009 (NPDM 2009)** ने भारत के दृष्टिकोण को 'आपदा के बाद राहत-केंद्रित' (Post-disaster Relief-centric) व्यवस्था से बदलकर **'आपदा-पूर्व रोकथाम, शमन और तैयारी-केंद्रित' (Proactive Prevention, Mitigation and Preparedness-centric)** व्यवस्था में रूपांतरित कर दिया (PIB एवं NDMA संदर्भ)।
- **नोड 3 का विश्लेषण: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP 2016, संशोधित 2019)** प्रधानमंत्री के **10-सूत्रीय एजेंडे** और संयुक्त राष्ट्र के **सेंडाई फ्रेमवर्क (2015–2030)** के साथ पूर्णतः संरेखित है (PIB एवं NDMA संदर्भ)।
- **नोड 4 का विश्लेषण:** अस्पतालों और आपातकालीन प्रतिक्रिया इकाइयों में त्वरित समन्वय के लिए NDMA ने **इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम (IRS)** और **हॉस्पिटल इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम (HIRS)** के दिशानिर्देश लागू किए हैं (NIDM/NDMA अस्पताल सुरक्षा दिशानिर्देश)।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की प्रमुख संस्थाएं, संरचना एवं कार्य

संस्था / कोष का नाम	DM अधिनियम 2005 की धारा	अध्यक्ष एवं संरचना	मुख्य वैधानिक कार्य एवं उत्तरदायित्व	आधिकारिक स्रोत
1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)	**धारा 3**	**पदेन अध्यक्ष: प्रधानमंत्री** + अधिकतम **9 सदस्य** (जिनमें से एक को उपाध्यक्ष नामित किया जा सकता है)	आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति बनाना, राष्ट्रीय योजना (NDMP) को मंजूरी देना और मंत्रालयों/राज्यों के लिए दिशानिर्देश जारी करना	NDMA आधिकारिक पोर्टल
2. राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC)	**धारा 8**	**पदेन अध्यक्ष: केंद्रीय गृह सचिव** (विभिन्न मंत्रालयों के सचिव एवं चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ सदस्य)	NDMA की सहायता करना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) तैयार करना और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करना	PIB / NDMA संदर्भ
3. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)	**धारा 14**	**पदेन अध्यक्ष: मुख्यमंत्री** (दिल्ली व पुडुचेरी में उपराज्यपाल + मुख्यमंत्री सह-अध्यक्ष) + अधिकतम **8 सदस्य**	राज्य की आपदा प्रबंधन नीति और राज्य योजना (SDMP) को मंजूरी देना तथा विकास योजनाओं में आपदा शमन को जोड़ना	PIB / NDMA संदर्भ
4. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)	**धारा 25**	**अध्यक्ष: जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट (DM); सह-अध्यक्ष: जिला परिषद का निर्वाचित अध्यक्ष** (जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त परिषद का मुख्य कार्यकारी सदस्य)	जिला स्तर पर आपदा योजना, निकासी, राहत शिविर, मॉक ड्रिल और स्थानीय विभागों के बीच जमीनी समन्वय करना	PIB / NDMA संदर्भ
5. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM)	**धारा 42**	केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में शासी निकाय (नई दिल्ली एवं दक्षिणी परिसर विजयवाड़ा)	मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और नीतिगत प्रलेखन (Documentation) करना	NIDM आधिकारिक दस्तावेज़
6. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF)	**धारा 44 एवं 45**	महानिदेशक (DG - NDRF) के नेतृत्व में (CAPFs — BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB, असम राइफल्स से प्रतिनियुक्ति पर गठित बटालियनें)	प्राकृतिक तथा CBRN (रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु) आपदाओं में विशेषज्ञ खोज एवं बचाव (Search & Rescue) कार्रवाई	PIB / NDMA संदर्भ

संस्था / कोष का नाम	DM अधिनियम 2005 की धारा	अध्यक्ष एवं संरचना	मुख्य वैधानिक कार्य एवं उत्तरदायित्व	आधिकारिक स्रोत
7. वित्तीय कोष (NDRF/SDRF एवं NDMF/SDMF)	**धारा 46, 47 एवं 48**	**प्रतिक्रिया कोष (Response Fund):** तत्काल राहत हेतु; **शमन कोष (Mitigation Fund):** दीर्घकालिक जोखिम न्यूनीकरण परियोजनाओं हेतु	SDRF में केंद्र व राज्य का अंशदान: सामान्य राज्यों में **75:25** तथा पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों में **90:10** (15वें वित्त आयोग का राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष NDRMF)	PIB / NDMA संदर्भ

3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)

• **आपदा प्रबंधन किस मंत्रालय के अधीन है?** भारत में सूखा (Drought — जिसका नोडल मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है) और कुछ विशिष्ट तकनीकी आपदाओं को छोड़कर समग्र आपदा प्रबंधन का प्रशासनिक नोडल मंत्रालय **केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs - MHA)** है (PIB / NDMA संदर्भ)।

• **रेलवे में आपदा प्रबंधन एवं दुर्घटना राहत:** भारतीय रेल में दुर्घटनाओं के दौरान त्वरित बचाव के लिए **दुर्घटना राहत चिकित्सा उपकरण (ARME — Accident Relief Medical Equipment)** और **दुर्घटना राहत ट्रेनें (ART — Accident Relief Trains)** तैनात रहती हैं तथा **मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त (CCRS)** — जो प्रशासनिक रूप से **नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation)** के अधीन कार्य करते हैं — गंभीर रेल दुर्घटनाओं की स्वतंत्र वैधानिक जांच करते हैं (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सिलेबस)।

• **'अभ्यास सुरक्षा चक्र' (Exercise Suraksha Chakra):** अगस्त 2025 में NDMA ने भारतीय सेना और दिल्ली, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के SDMA के साथ मिलकर दिल्ली-NCR के 18 जिलों के 55 स्थानों पर बड़े भूकंप परिदृश्य पर आधारित देश का पहला एकीकृत अंतर-राज्यीय मेगा मॉक ड्रिल 'अभ्यास सुरक्षा चक्र' आयोजित किया (PIB आधिकारिक विज्ञप्ति)।

4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)

• **जाल 1:** मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त (Chief Commissioner of Railway Safety - CCRS) को रेल मंत्रालय के अधीन बता देना। **सत्य:** जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए रेल संरक्षा आयोग (CRS) रेल मंत्रालय के अधीन नहीं, बल्कि **नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation)** के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है (SECR ACM पाठ्यक्रम)।

• **जाल 2:** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री को मान लेना। **सत्य:** NDMA का प्रशासनिक मंत्रालय गृह मंत्रालय है, किंतु इसके **पदेन अध्यक्ष (Ex-officio Chairperson) स्वयं भारत के प्रधानमंत्री** होते हैं (NDMA SACHET पोर्टल)।

• **जाल 3:** DDMA में निर्वाचित जनप्रतिनिधि की भूमिका को नजरअंदाज करना। **सत्य:** जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA — धारा 25) में जिलाधिकारी (DM) अध्यक्ष होते हैं और स्थानीय लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए **जिला परिषद के निर्वाचित अध्यक्ष इसके पदेन सह-अध्यक्ष (Co-Chairperson)** होते हैं।

5. IUC स्मृति ट्रिक

• सूत्र: "NDMA में पीएम (1+9), SDMA में सीएम (1+8), DDMA में डीएम संग जिला पंचायत अध्यक्ष; धारा 42 में NIDM पढ़ाए, धारा 44 में NDRF जान बचाए प्रत्यक्ष!"

• व्याख्या:

• **अध्यक्ष सूत्र:** राष्ट्रीय (NDMA) = **PM** | राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) = **गृह सचिव** | राज्य (SDMA) = **CM** | राज्य कार्यकारी समिति (SEC) = **मुख्य सचिव** | जिला (DDMA) = **DM + जिला परिषद अध्यक्ष**।

• **SDRF केंद्र:राज्य वित्त अनुपात:** सामान्य राज्य = **75 : 25** | हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्य = **90 : 10**।

मॉड्यूल 9: प्रमुख प्राकृतिक एवं मानव-जनित आपदाएं, सेंडाई फ्रेमवर्क (2015–2030), SACHET पोर्टल एवं आपदा-रोधी अवसंरचना (CDRI)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 9: प्रमुख प्राकृतिक एवं मानव-जनित आपदाएं, सेंडाई फ्रेमवर्क (2015–2030), SACHET पोर्टल एवं आपदा-रोधी अवसंरचना (CDRI)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
क्या आप जानते हैं? बॉक्स

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

नोड 1: आपदा-पूर्व चरण (Pre-Disaster Phase) — जोखिम आकलन, वल्नरेबिलिटी मैपिंग, शमन एवं तैयारी

↓↓ (भूकंप जोनिंग *II-V*, तटीय विनियमन क्षेत्र, शहरी बाढ़ ड्रेनेज एवं मॉक ड्रिल)

नोड 2: पूर्व चेतावनी एवं त्वरित संचार — NDMA का 'सचेत' (SACHET) CAP पोर्टल, IMD, INCOIS एवं CWC

↓↓ (मोबाइल सेल ब्रॉडकास्टिंग, जियो-इंटेलिजेंस एवं समयबद्ध निवारक निकासी — *Zero Casualty Approach*)

नोड 3: आपदा के दौरान प्रतिक्रिया (During-Disaster Response) — गोल्डन आवर बचाव, ट्राइएज (Triage), राहत शिविर एवं मनो-सामाजिक सहायता

↓↓ (*NDRF*, *SDRF*, सशस्त्र बल, आपदा मित्र एवं भारतीय रेल की *ART/ARME* इकाइयों का समन्वय)

नोड 4: आपदा-पश्चात चरण (Post-Disaster Phase) — क्षति आकलन, पुनर्वास एवं 'बेहतर पुनर्निर्माण' (Build Back Better)

• **नोड 1 का विश्लेषण:** भारत अपनी भौगोलिक और जलवायु विविधता के कारण विश्व के सर्वाधिक आपदा-प्रवण देशों में से एक है: भारत का **58.6% भू-भाग मध्यम से अत्यधिक तीव्रता वाले भूकंप** के प्रति संवेदनशील है, **12% से अधिक भूमि (40 मिलियन हेक्टेयर) बाढ़** और नदी कटाव से प्रभावित होती है, **7,516.6 किमी तटरेखा में से लगभग 5,700 किमी चक्रवात और सुनामी** के प्रति संवेदनशील है, **68% कृषि योग्य भूमि सूखे** के प्रति और **15% भू-भाग भूस्खलन (Landslides)** के प्रति संवेदनशील है (**PIB / NDMA आधिकारिक आंकड़े**)।

• **नोड 2 का विश्लेषण:** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने **कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (CAP)** पर आधारित अखिल भारतीय एकीकृत चेतावनी प्रणाली **'सचेत' (SACHET — sachet.ndma.gov.in)** विकसित की है, जो जियो-इंटेलिजेंस के माध्यम से नागरिकों के मोबाइल पर स्थानीय भाषा में वास्तविक समय (Near Real-time) में आपदा अलर्ट भेजती है।

• **नोड 3 का विश्लेषण:** जापान के सेंडाई (मियागी) में मार्च 2015 में अपनाया गया **'सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (2015–2030)'** ह्योगो फ्रेमवर्क (2005–2015) का उत्तराधिकारी है, जिसमें **4 प्राथमिकताएं** और **7 वैश्विक लक्ष्य** निर्धारित किए गए हैं (**PIB / NDMA संदर्भ**)।

• **नोड 4 का विश्लेषण:** वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन (न्यूयॉर्क) में भारत के प्रधानमंत्री ने **'आपदा-रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन' (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure - CDRI, मुख्यालय: नई दिल्ली)** की शुरुआत की, जो अंतरराष्ट्रीय आपदा कूटनीति में भारत की एक ऐतिहासिक पहल है (**NDMA / PreventionWeb संदर्भ**)।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: भारत में प्रमुख आपदाएं, नोडल पूर्वानुमान एजेंसियां एवं शमन उपाय

आपदा का प्रकार	सुभेद्यता / भौगोलिक क्षेत्र	नोडल मंत्रालय एवं पूर्वानुमान एजेंसी	प्रमुख संरचनात्मक एवं गैर-संरचनात्मक शमन उपाय	आधिकारिक स्रोत
1. भूकंप (Earthquake)	**58.6% भू-भाग**; 4 भूकंपीय जोन (**जोन II, III, IV एवं V** — हिमालय, कच्छ, पूर्वोत्तर जोन V में; जोन I को जोन II में मिलाया गया)	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं **राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS)**	BIS भूकंप-रोधी भवन निर्माण संहिता (IS 1893), पुरानी इमारतों की **सीस्मिक रेट्रोफिटिंग**, भूमि उपयोग जोनिंग और 'अभ्यास सुरक्षा चक्र' ड्रिल	**PIB / NDMA संदर्भ**

आपदा का प्रकार	सुभेद्यता / भौगोलिक क्षेत्र	नोडल मंत्रालय एवं पूर्वानुमान एजेंसी	प्रमुख संरचनात्मक एवं गैर-संरचनात्मक शमन उपाय	आधिकारिक स्रोत
2. बाढ़ एवं शहरी बाढ़ (Floods & Urban Flooding)	**12% भू-भाग** (गंगा-ब्रह्मपुत्र-महानदी बेसिन); चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली में शहरी बाढ़	जल शक्ति मंत्रालय एवं **केंद्रीय जल आयोग (CWC)** (शहरी बाढ़ हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय)	नदी तटबंध, जलाशय विनियमन, आर्द्रभूमि (Wetlands) संरक्षण, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का अतिक्रमण हटाना और **'स्पंज सिटी' (Sponge City)** अवधारणा	NDMA शहरी बाढ़ दिशानिर्देश
3. चक्रवात (Cyclone) एवं सुनामी	**5,700 किमी तटरेखा** (बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के तटीय जिले)	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, **भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)** एवं **INCOIS (हैदराबाद — सुनामी)**	**राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (NCRMP)**, मैंग्रोव वनरोपण (MISHTI योजना), बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रय स्थल और डॉप्लर रडार नेटवर्क	NDMA SACHET पोर्टल
4. सूखा (Drought) एवं हीटवेव (लू)	**68% कृषि भूमि** सूखा-प्रवण; उत्तर, पश्चिम एवं मध्य भारत में बढ़ती हीटवेव	सूखा: **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**; हीटवेव: IMD एवं स्वास्थ्य मंत्रालय	**प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Per Drop More Crop)**, वाटरशेड प्रबंधन, सूखा-सहिष्णु फसलें और शहरों में **हीट एक्शन प्लान (HAP)**	NDMA दिशानिर्देश
5. भूस्खलन (Landslides) एवं GLOF	**15% भू-भाग** (हिमालय, पूर्वोत्तर एवं पश्चिमी घाट); हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF — जैसे सिक्किम/उत्तराखंड)	खान मंत्रालय एवं **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)**	ढलान स्थिरीकरण (Slope Stabilization), रिटेनिंग वॉल, बायो-इंजीनियरिंग वनीकरण, राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र (कोलकाता) और GLOF अर्ली वार्निंग सेंसर	NDMA दिशानिर्देश
6. CBRN एवं औद्योगिक आपदाएं	रासायनिक (भोपाल 1984, विशाखापत्तनम स्टाइरीन गैस), जैविक (महामारी), रेडियोलॉजिकल एवं परमाणु	रासायनिक: **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**; जैविक: स्वास्थ्य मंत्रालय; परमाणु: DAE/AERB	कारखाना अधिनियम में 'खतरनाक प्रक्रिया' प्रावधान, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऑन-साइट व ऑफ-साइट आपातकालीन योजना और NDRF CBRN दस्ते	NDMA दिशानिर्देश

3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)

• **सेंडाई फ्रेमवर्क (2015–2030) की 4 प्राथमिकताएं (Priorities for Action):**

1. **प्राथमिकता 1:** आपदा जोखिम को समझना (Understanding disaster risk)।
2. **प्राथमिकता 2:** आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए आपदा जोखिम शासन को मजबूत करना (Strengthening disaster risk governance)।
3. **प्राथमिकता 3:** लचीलेपन (Resilience) के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश करना (Investing in disaster risk reduction for resilience)।
4. **प्राथमिकता 4:** प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा तैयारी को बढ़ाना और पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण में **'बेहतर पुनर्निर्माण' (Build Back Better)** करना (PIB / NDMA संदर्भ)।

• **शहरी बाढ़ (Urban Flooding) को नदी बाढ़ से अलग क्यों माना जाता है?** NDMA ने वर्ष 2010 में पहली बार शहरी बाढ़ पर अलग दिशानिर्देश जारी किए क्योंकि शहरी बाढ़ का मुख्य कारण कंक्रीटीकरण (Impervious Surfaces), प्राकृतिक जल निकासी नालों और झीलों पर अतिक्रमण तथा कम समय में अत्यधिक वर्षा (Cloudburst/ High-intensity Rainfall) है (NDMA शहरी बाढ़ दिशानिर्देश)।

4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)

• **जाल 1:** भारत में भूकंपीय जोनों (Seismic Zones) की संख्या 5 (I से V) लिख देना। **सत्य:** भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने भूकंपीय जोन-I को जोन-II में विलय कर दिया है; इसलिए वर्तमान में भारत में केवल **4 भूकंपीय जोन (Zone II, Zone III, Zone IV और Zone V)** हैं (जहां Zone V सर्वाधिक जोखिम वाला और Zone II सबसे कम जोखिम वाला क्षेत्र है)।

• **जाल 2:** नदी बाढ़ और शहरी बाढ़ या भूस्खलन के नोडल संगठनों में भ्रम। **सत्य:** नदी बाढ़ की पूर्व चेतावनी **केंद्रीय जल आयोग (CWC)** देता है, सुनामी की पूर्व चेतावनी **INCOIS (हैदराबाद)** देता है, चक्रवात और हीटवेव की चेतावनी **IMD** देता है, और भूस्खलन (Landslide) के लिए नोडल एजेंसी **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI — खान मंत्रालय)** है।

• **जाल 3:** आपदा जोखिम (Disaster Risk) के सूत्र में केवल 'खतरे' (Hazard) को शामिल करना। **सत्य:** आपदा प्रबंधन का मूल वैज्ञानिक समीकरण है: $$आपदा जोखिम (Risk) = (संकट/खतरा (Hazard) × सुभेद्यता (Vulnerability) × अनावरण (Exposure) / क्षमता (Capacity))$$

5. IUC स्मृति ट्रिक

• सूत्र: "सेंडाई (2015-2030) की 4 प्राथमिकताएं और 7 लक्ष्य महान; 58% भूकंप (4 जोन), 68% सूखा, 12% बाढ़ और 'सचेत' (SACHET) से बचे हर जान!"

• व्याख्या:

• अंतरराष्ट्रीय आपदा फ्रेमवर्क का कालानुक्रम: योकोहामा रणनीति (1994–2005) ह्योगो फ्रेमवर्क (2005–2015) सेंडाई फ्रेमवर्क (2015–2030)।

• भारत की मानवीय सहायता कूटनीति (HADR): ऑपरेशन दोस्त (तुर्की-सीरिया भूकंप), ऑपरेशन करुणा (म्यांमार चक्रवात मोचा), ऑपरेशन मैत्री (नेपाल भूकंप), ऑपरेशन राहत (यमन), ऑपरेशन गंगा (यूक्रेन), ऑपरेशन कावेरी (सूडान) और ऑपरेशन अजय (इज़राइल)।

मॉड्यूल 10: भारत की विदेश नीति के सिद्धांत — पंचशील, पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट, महासागर (MAHASAGAR), बहुपक्षीय मंच एवं प्रवासी भारतीय

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 10: भारत की विदेश नीति के सिद्धांत — पंचशील, पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट, महासागर (MAHASAGAR), बहुपक्षीय मंच एवं प्रवासी भारतीय

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
क्या आप जानते हैं? बॉक्स

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

नोड 1: ऐतिहासिक एवं दार्शनिक आधार — पंचशील (1954), वसुधैव कुटुम्बकम् एवं गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM)

↓↓ (शीत युद्धोत्तर उदारीकरण, लुक ईस्ट नीति 1991 एवं गुजराल सिद्धांत 1996)

नोड 2: पड़ोसी प्रथम (Neighbourhood First), एक्ट ईस्ट (2014), लिंक वेस्ट, कनेक्ट सेंट्रल एशिया एवं 'महासागर' (MAHASAGAR)

↓↓ (कनेक्टिविटी कॉरिडोर: चाबहार बंदरगाह, *INSTC*, कालादान प्रोजेक्ट एवं *IMEC* कॉरिडोर)

नोड 3: बहु-संरेखण (Multi-Alignment) एवं रणनीतिक स्वायत्तता — प्रमुख शक्तियों (USA, रूस, फ्रांस, EU, जापान) के साथ साझेदारी

↓↓ (बहुपक्षीय मंच: *G20* [अफ्रीकी संघ सहित], *BRICS+*, *QUAD*, *SCO*, *BIMSTEC* एवं ग्लोबल साउथ का नेतृत्व)

नोड 4: संशोधित बहुपक्षवाद (Reformed Multilateralism — UNSC स्थायी सीट G-4) एवं 3.5+ करोड़ प्रवासी भारतीयों की सॉफ्ट पावर

• **नोड 1 का विश्लेषण:** भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार राज्य के नीति निदेशक तत्वों के **अनुच्छेद 51** (अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि) में निहित है तथा इसके मूल सिद्धांत **पंचशील (29 अप्रैल 1954)**, **वसुधैव कुटुम्बकम्** और **रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy — 'Partnerships: Yes, Alliances: No')** हैं (विदेश मंत्रालय विशिष्ट व्याख्यान)।

• **नोड 2 का विश्लेषण:** विदेश मंत्रालय के नवीनतम संसदीय वक्तव्यों के अनुसार भारत ने अपनी क्षेत्रीय एवं वैश्विक पहुंच को सशक्त करने के लिए **पड़ोसी प्रथम नीति (Neighbourhood First Policy)**, **एक्ट ईस्ट नीति (Act East Policy)**, **'महासागर' (MAHASAGAR — Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) पहल**, **इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI)** और **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)** को गति दी है।

• **नोड 3 का विश्लेषण:** भारत ने **'संशोधित बहुपक्षवाद' (Reformed Multilateralism)** की पुरजोर वकालत की है ताकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) और वैश्विक वित्तीय संस्थाएं 21वीं सदी की वास्तविकताओं और ग्लोबल साउथ (Global South) की आकांक्षाओं का लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व कर सकें (विदेश मंत्रालय BRICS सत्र वक्तव्य, मई 2026)।

• **नोड 4 का विश्लेषण:** वर्ष 2026 को भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से **'भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष' (India-France Year of Innovation 2026)** के रूप में मनाया जा रहा है (17 फरवरी 2026 को मुंबई में उद्घाटित) तथा मई 2026 में अबू धाबी में भारत-फ्रांस-UAE त्रिपक्षीय विदेश सचिव बैठक संपन्न हुई (विदेश मंत्रालय भारत-फ्रांस ब्रीफ, जुलाई 2026)।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: भारत के प्रमुख द्विपक्षीय संबंध, सामरिक गलियारे एवं बहुपक्षीय संगठन

मंच / पहल / साझेदारी	सदस्य / भागीदार देश	प्रमुख समझौते, परियोजनाएं एवं सामरिक महत्व	भारत का दृष्टिकोण एवं 2025-2026 के नवीनतम घटनाक्रम	आधिकारिक स्रोत
1. भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी	भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका	**4 बुनियादी रक्षा समझौते:** GSOMIA (2002), LEMOA (2016), COMCASA (2018), BECA (2020); iCET (महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी), **NISAR उपग्रह (ISRO-NASA)** एवं मेजर डिफेंस पार्टनरशिप	44 लाख भारतीय प्रवासी; जुलाई 2024 में सांस्कृतिक संपत्ति समझौता; साइबर, अंतरिक्ष, क्वांटम व सेमीकंडक्टर सहयोग	विदेश मंत्रालय भारत-अमेरिका ब्रीफ
2. भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी (1998 से)	भारत एवं फ्रांस	राफेल लड़ाकू विमान, स्कॉर्पीन पनडुब्बी, जैतापुर परमाणु ऊर्जा, नीली अर्थव्यवस्था रोडमैप एवं **अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)**	**वर्ष 2026: भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष**; फरवरी 2026 में 10-वर्षीय रक्षा समझौता नवीनीकृत; फ्रांस एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा से भारतीयों को छूट; ग्वाडेलोप व मार्टीनिक के PIO को OCI कार्ड	विदेश मंत्रालय भारत-फ्रांस ब्रीफ 2026
3. क्षेत्रीय एवं समुद्री कनेक्टिविटी परियोजनाएं	ईरान, म्यांमार, थाईलैंड, मध्य पूर्व एवं यूरोप	(1) **चाबहार बंदरगाह (ईरान — शाहिद बेहश्ती टर्मिनल)** व INSTC; (2) **कालादान मल्टी-मॉडल प्रोजेक्ट (कोलकाता से सितवे-मिजोरम: 950 किमी दूरी कम)**; (3) **भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग (1,360 किमी)**; (4) **IMEC कॉरिडोर (2023)**	पाकिस्तान को बायपास कर अफगानिस्तान व मध्य एशिया तक पहुंच; पूर्वोत्तर भारत को आसियान (ASEAN) से जोड़ना और चीन के BRI का पारदर्शी विकल्प देना	विदेश मंत्रालय व्याख्यान
4. QUAD एवं हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific)	**भारत, अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया** (4 लोकतांत्रिक राष्ट्र)	स्वतंत्र, खुला और समावेशी हिंद-प्रशांत (FOIP), समुद्री डोमेन जागरूकता (IPMDA), मालाबार नौसैनिक अभ्यास एवं महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला	**IPOI (Indo-Pacific Oceans Initiative — 7 स्तंभ)** एवं **MAHASAGAR** पहल के माध्यम से नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को सुदृढ़ करना	विदेश मंत्रालय क्षेत्रीय संगठन
5. BRICS, G20 एवं IBSA (ग्लोबल साउथ मंच)	**BRICS+** (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, द. अफ्रीका + नए सदस्य); **G20 (अब G21 — अफ्रीकी संघ शामिल)**; **IBSA** (भारत, ब्राजील, द. अफ्रीका)	न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB — शंघाई), डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), वैश्विक शासन सुधार और **'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ'** शिखर सम्मेलन	मई 2026 में नई दिल्ली में BRICS वैश्विक शासन सुधार सत्र; सितंबर 2026 में न्यूयॉर्क में 14वीं IBSA त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय बैठक	विदेश मंत्रालय बहुपक्षीय दस्तावेज
6. BIMSTEC बनाम SAARC एवं SCO	**BIMSTEC (7 देश):** भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड; **SCO:** यूरेशियाई सुरक्षा व आर्थिक मंच	सार्क (SAARC) में पाकिस्तान के असहयोग के कारण **BIMSTEC (बंगाल की खाड़ी पहल)** दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच मुख्य सेतु बना	क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS - SCO), ऊर्जा ग्रिड इंटरकनेक्शन और मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) पर बल	विदेश मंत्रालय क्षेत्रीय संगठन

3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)

• **पंचशील के 5 सिद्धांत (29 अप्रैल 1954):** (1) एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, (2) पारस्परिक अनाक्रमण (Non-aggression), (3) एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप (Non-interference), (4) समानता और पारस्परिक लाभ, तथा (5) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व (Peaceful Co-existence) (विदेश मंत्रालय)।

• **गुजराल सिद्धांत (Gujral Doctrine, 1996):** पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत का मुख्य सार यह है कि भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश होने के नाते अपने छोटे पड़ोसियों (नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव) के साथ **'गैर-पारस्परिकता' (Non-Reciprocity)** के आधार पर उदार सहयोग करेगा और बदले में तुरंत बराबरी की मांग नहीं करेगा।

• **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) सुधार के लिए G-4 समूह: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान** (G-4 राष्ट्र) UNSC में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों के विस्तार के लिए एक-दूसरे की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं (सितंबर 2026 में G-4 संयुक्त मंत्रिस्तरीय वक्तव्य जारी किया गया — विदेश मंत्रालय दस्तावेज)।

4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)

• **जाल 1:** BIMSTEC के 7 सदस्य देशों में मालदीव, पाकिस्तान या अफगानिस्तान को शामिल मान लेना। **सत्य: BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation — मुख्यालय: ढाका, 1997)** में कुल 7 देश हैं — 5 दक्षिण एशिया से (**भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका**) और 2 दक्षिण-पूर्व एशिया (ASEAN) से (**म्यांमार और थाईलैंड**); इसमें मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल नहीं हैं (विदेश मंत्रालय क्षेत्रीय संगठन)।

• **जाल 2:** प्रवासी भारतीयों के तीनों वर्गों (NRI, PIO और OCI) को एक समान समझ लेना। **सत्य: NRI (अनिवासी भारतीय)** भारतीय पासपोर्ट धारक नागरिक हैं जो वर्ष में 182 दिन या अधिक विदेश में रहते हैं (इन्हें मतदान का अधिकार है); जबकि **OCI (प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक — 2015 में PIO कार्ड का OCI में विलय)** विदेशी नागरिक हैं जिन्हें भारत आने के लिए आजीवन बहु-प्रवेश वीज़ा-मुक्त यात्रा की सुविधा मिलती है, किंतु उन्हें भारत में मतदान करने, संवैधानिक पद धारण करने या कृषि भूमि खरीदने का अधिकार नहीं है (विदेश मंत्रालय प्रवासी संदर्भ)।

• **जाल 3:** भारत की विदेश नीति में 'हस्तक्षेप' (Interference) और 'मानवीय/सहायता हस्तक्षेप' (Intervention on invitation) के अंतर को भूल जाना। **सत्य:** भारत किसी भी देश के आंतरिक मामलों में अनचाहे हस्तक्षेप (Interference) और सत्ता परिवर्तन (Regime Change) का विरोध करता है, किंतु मित्र देशों के अनुरोध या गंभीर मानवीय संकट पर रचनात्मक सहायता (Intervention — जैसे 1971 बांग्लादेश मुक्ति, 1988 मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस) करता है (विदेश मंत्रालय व्याख्यान)।

5. IUC स्मृति ट्रिक

• **सूत्र: "G-4 (भारत-ब्राजील-जर्मनी-जापान) मांगे UNSC में स्थान; US के 4 रक्षा स्तंभ (G-L-C-B: GSOMIA, LEMOA, COMCASA, BECA) और महासागर (MAHASAGAR) से बढ़े भारत की शान!"**

• **व्याख्या:**

• **भारत-अमेरिका के 4 बुनियादी समझौते (G-L-C-B):** **G**SOMIA (2002 — सैन्य सूचना सुरक्षा) **L**EMOA (2016 — लॉजिस्टिक्स आदान-प्रदान) **C**OMCASA (2018 — संचार संगतता और सुरक्षा) **B**ECA (2020 — भू-स्थानिक सहयोग)।

• **कनेक्टिविटी के 4 स्तंभ:** पश्चिम में **चाबहार व IMEC** | उत्तर में **INSTC** | पूर्व में **कालादान एवं IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग (1,360 किमी)**।

अंतिम समय त्वरित वन-लाइनर रिवीजन कैप्सूल (100 महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु)

1. **नीतिशास्त्र की व्युत्पत्ति:** 'Ethics' शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द '*Ethos*' से हुई है जिसका अर्थ चरित्र, रीति-रिवाज या आदत है (IUC अकादमी)।

2. **मानवीय कर्म (Human Action):** नीतिशास्त्र में केवल उन्हीं कर्मों का नैतिक मूल्यांकन होता है जो सचेत ज्ञान (Knowledge), स्वतंत्र इच्छा (Free Will) और स्वैच्छिक संकल्प (Voluntariness) से किए जाते हैं (IUC अकादमी)।

3. **मानकीय नीतिशास्त्र की 3 शाखाएं:** मानकीय नीतिशास्त्र (Normative Ethics) की तीन मुख्य शाखाएं हैं — कर्तव्यशास्त्र (Deontology), परिणामवाद/उपयोगितावाद (Teleology) और सद्गुण नीतिशास्त्र (Virtue Ethics) (IUC अकादमी)।

4. **इमैनुअल कांट का सिद्धांत:** जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने **'निरपेक्ष आदेश' (Categorical Imperative)** और 'कर्तव्य के लिए कर्तव्य' का सिद्धांत दिया, जो भगवद्गीता के **'निष्काम कर्म'** के समतुल्य है (IUC अकादमी)।

5. **उपयोगितावाद का मूल मंत्र:** जेरेमी बेंथम और जे.एस. मिल द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावाद का मूल सूत्र **"अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख"** है (IUC अकादमी)।

6. **चार कार्डिनल सद्गुण:** प्लेटो और अरस्तू के अनुसार चार प्रधान सद्गुण हैं — **विवेक (Prudence), साहस (Courage), संयम (Temperance) और न्याय (Justice)** (IUC अकादमी)।

7. **अरस्तू का स्वर्णिम मध्यमान:** अरस्तू के **'गोल्डन मीन' (Golden Mean)** सिद्धांत के अनुसार सद्गुण दो अतिवादों (अभाव और अतिरेक) के बीच का संतुलित मध्यम मार्ग है (जैसे कायरता और दुस्साहस के बीच 'साहस') (IUC अकादमी)।

8. **जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत:** जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक '*A Theory of Justice*' (1971) में **'अज्ञानता के आवरण' (Veil of Ignorance)** और **'अंतर सिद्धांत' (Difference Principle)** का प्रतिपादन किया (IUC अकादमी)।

9. **गांधीजी का ताबीज (Talisman):** जब भी संदेह हो, तो उस सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति का चेहरा याद करो जिसे तुमने देखा हो, और पूछो कि क्या तुम्हारा कदम उसके काम आएगा — यही गांधीजी का ताबीज है (IUC अकादमी)।

10. **गांधीजी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत:** धनी वर्ग अपनी अतिरिक्त संपत्ति का स्वामी नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए उसका **न्यासी (Trustee)** मात्र है (IUC अकादमी)।

11. **संवैधानिक नैतिकता:** डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक नैतिकता का अर्थ संविधान के मूल्यों (स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और विधि का शासन) के प्रति सर्वोच्च निष्ठा रखना है (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)।

12. **अभिवृत्ति का CAB मॉडल:** अभिवृत्ति (Attitude) के तीन घटक हैं — **संज्ञानात्मक (Cognitive), भावात्मक (Affective) और व्यवहारात्मक (Behavioral)** (IUC अकादमी)।

13. **संज्ञानात्मक असंगति (Cognitive Dissonance):** लियोन फेस्टिंगर (1957) द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत बताता है कि जब व्यक्ति के विश्वास और उसके व्यवहार में विरोधाभास होता है, तो मानसिक बेचैनी उत्पन्न होती है (IUC अकादमी)।

14. **अभिवृत्ति बनाम अभिक्षमता:** अभिवृत्ति (Attitude) मानसिक दृष्टिकोण और चरित्र से जुड़ी है, जबकि अभिक्षमता (Aptitude) किसी क्षेत्र में कौशल सीखने की जन्मजात या अर्जित क्षमता है (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)।

15. **करुणा का सूत्र:** जब समानुभूति (Empathy — दूसरे की पीड़ा को महसूस करना) में पीड़ित के कष्ट को दूर करने की सक्रिय क्रिया (Action) जुड़ जाती है, तो वह **करुणा (Compassion)** कहलाती है (IUC अकादमी)।

16. **नोलन समिति (1995) के 7 सिद्धांत:** सार्वजनिक जीवन के 7 सिद्धांत हैं — **निःस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही, खुलापन, ईमानदारी और नेतृत्व** (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)।

17. **भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रतिपादक:** 'Emotional Intelligence' शब्द 1990 में पीटर सलोवे और जॉन मेयर ने गढ़ा तथा 1995 में **डेनियल गोलमैन** ने इसे विश्वव्यापी पहचान दिलाई (IUC अकादमी)।

18. **गोलमैन के EI के 5 स्तंभ:** स्व-जागरूकता (Self-Awareness), स्व-नियमन (Self-Regulation), आंतरिक अभिप्रेरणा (Internal Motivation), समानुभूति (Empathy) और सामाजिक कौशल (Social Skills) (IUC अकादमी)।

19. **मिशन कर्मयोगी (i-GOT):** राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (NPCSCB — मिशन कर्मयोगी) सिविल सेवकों को 'नियम-आधारित' से 'भूमिका-आधारित' दक्षता में रूपांतरित करता है (DoPT पोर्टल)।

20. **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC):** वर्ष 2005 में श्री **वीरप्पा मोइली** की अध्यक्षता में गठित द्वितीय ARC की चौथी रिपोर्ट **'शासन में नैतिकता' (Ethics in Governance)** पर केंद्रित है (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)।

21. **शासन में ईमानदारी (Probity):** प्रोबिटी का अर्थ केवल व्यक्तिगत ईमानदारी नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन और संस्थागत प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार का पूर्ण अभाव तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों का पालन है (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)।

22. **क्लिटगार्ड का भ्रष्टाचार सूत्र:** Corruption = Monopoly + Discretion - Accountability (एकाधिकार + विवेकाधिकार - जवाबदेही = भ्रष्टाचार) (IUC अकादमी)।

23. **सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम:** RTI अधिनियम, 2005 दिनांक **12 अक्टूबर 2005** से लागू हुआ; इसकी धारा 4 स्वतः प्रकटीकरण और धारा 8(1) सूचना से छूट के प्रावधान करती है (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)।

24. **RTI समय-सीमा:** सामान्य आवेदन का निपटारा **30 दिनों** में और जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े आवेदन का निपटारा **48 घंटों** के भीतर करना अनिवार्य है (**कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग**)।

25. **नागरिक चार्टर की शुरुआत:** नागरिक चार्टर की अवधारणा 1991 में ब्रिटेन (जॉन मेजर) में शुरू हुई और भारत में इसे **मई 1997** के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अपनाया गया (**व्यय विभाग नागरिक चार्टर**)।

26. **सेवोत्तम (SEVOTTAM) मॉडल:** DARPG द्वारा विकसित सेवोत्तम मॉडल के 3 घटक हैं — नागरिक चार्टर, लोक शिकायत निवारण प्रणाली (CPGRAMS) और सेवा वितरण क्षमता (**कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग**)।

27. **केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC): संथानम समिति (1962–64)** की सिफारिश पर फरवरी 1964 में गठित CVC को CVC अधिनियम, 2003 द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया (**कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग**)।

28. **लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013:** लोकपाल में 1 अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं (कार्यकाल: 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु); भारत के प्रथम लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष थे (**कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग**)।

29. **भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018:** इस संशोधन द्वारा रिश्वत देने को प्रत्यक्ष अपराध बनाया गया और ईमानदार लोक सेवकों को जांच से पूर्व संरक्षण देने के लिए **धारा 17A** जोड़ी गई (**कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग**)।

30. **कंपनी अधिनियम धारा 135 (CSR):** ₹500 करोड़ नेटवर्थ या ₹1,000 करोड़ टर्नओवर या ₹5 करोड़ शुद्ध लाभ वाली कंपनियों को पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम **2%** CSR पर खर्च करना अनिवार्य है (**IUC अकादमी**)।

31. **कॉर्पोरेट शासन की ट्रिपल बॉटम लाइन:** जॉन एल्किंगटन द्वारा प्रतिपादित '3P' सिद्धांत में **People (समाज), Planet (पर्यावरण) और Profit (आर्थिक लाभ)** तीनों का संतुलन शामिल है (**IUC अकादमी**)।

32. **कौटिल्य के आंतरिक सुरक्षा प्रकार:** कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध खतरों को बाह्य और आंतरिक उत्पत्ति व अभिकर्ताओं के आधार पर **4 वर्गों** में बांटा गया है (**IUC अकादमी**)।

33. **वामपंथी उग्रवाद की उत्पत्ति:** भारत में नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत वर्ष **1967** में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के **नक्सलबाड़ी** गांव से हुई थी (**IUC अकादमी**)।

34. **समाधान (SAMADHAN) सिद्धांत:** गृह मंत्रालय ने मई 2017 में वामपंथी उग्रवाद के उन्मूलन के लिए 8-सूत्रीय **'SAMADHAN'** रणनीति लागू की (**IUC अकादमी**)।

35. **कोबरा (CoBRA) एवं ग्रेहाउंड्स:** CRPF की विशेष गुरिल्ला युद्ध इकाई को **CoBRA (Commando Battalion for Resolute Action)** और आंध्र प्रदेश/तेलंगाना के नक्सल-रोधी विशेष बल को **ग्रेहाउंड्स** कहा जाता है (**IUC अकादमी**)।

36. **AFSPA अधिनियम 1958:** सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम की **धारा 3** के तहत राज्यपाल या केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर सकती है (**IUC अकादमी**)।

37. **UAPA संशोधन 2019:** गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019 के तहत केंद्र सरकार संगठनों के साथ-साथ किसी **'व्यक्ति' (Individual)** को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है (**IUC अकादमी**)।

38. **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA):** 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद **NIA अधिनियम, 2008** के तहत गठित NIA देश की सर्वोच्च आतंकवाद-रोधी जांच एजेंसी है (**IUC अकादमी**)।

39. **NATGRID एवं MAC:** आतंकवाद-रोधी रीयल-टाइम डेटाबेस एकीकरण के लिए **NATGRID (National Intelligence Grid)** और खुफिया एजेंसियों के समन्वय हेतु IB के तहत **MAC (Multi-Agency Centre)** कार्यरत हैं (**IUC अकादमी**)।

40. **भारत की स्थलीय एवं तटीय सीमा:** भारत की कुल स्थलीय सीमा **15,106.7 किमी** (सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ 4,096.7 किमी) और कुल तटीय सीमा **7,516.6 किमी** है (**IUC अकादमी**)।

41. **एक सीमा - एक बल तैनाती:** पाकिस्तान व बांग्लादेश सीमा पर **BSF**, चीन सीमा (LAC) पर **ITBP**, नेपाल व भूटान सीमा पर **SSB** और म्यांमार सीमा पर **असम राइफल्स** तैनात हैं (**IUC अकादमी**)।

42. **असम राइफल्स का दोहरा नियंत्रण:** वर्ष 1835 में स्थापित असम राइफल्स का प्रशासनिक नियंत्रण **गृह मंत्रालय** के पास और परिचालन नियंत्रण **रक्षा मंत्रालय (भारतीय सेना)** के पास है (**IUC अकादमी**)।

43. **CIBMS एवं BOLD-QIT:** सीमाओं पर स्मार्ट लेजर फेंसिंग और सेंसर ग्रिड लगाने के लिए **व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS)** और धुबरी (असम) में **BOLD-QIT** परियोजना लागू की गई है (**IUC अकादमी**)।

44. **वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP):** उत्तरी सीमा (चीन से सटे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख) के सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास और पलायन रोकने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया जा रहा है (IUC अकादमी)।

45. **गोल्डन क्रीसेंट बनाम गोल्डन ट्रायंगल:** भारत के पश्चिम में **गोल्डन क्रीसेंट (ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान)** और पूर्व में **गोल्डन ट्रायंगल (म्यांमार, लाओस, थाईलैंड)** अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के केंद्र हैं (विदेश मंत्रालय संदर्भ)।

46. **धन शोधन (PMLA 2002) के 3 चरण:** मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया के तीन चरण हैं — **प्लेसमेंट (Placement), लेयरिंग (Layering) और इंटीग्रेशन (Integration)** (IUC अकादमी)।

47. **प्रवर्तन निदेशालय (ED) एवं FIU-IND:** PMLA 2002 और FEMA 1999 को लागू करने वाली एजेंसी **प्रवर्तन निदेशालय (ED — वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन)** है, जबकि संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का विश्लेषण **FIU-IND** करता है (IUC अकादमी)।

48. **FATF ग्रे एवं ब्लैक लिस्ट:** पेरिस स्थित **FATF (स्थापना 1989)** अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण करने वाले देशों को ग्रे और ब्लैक लिस्ट में डालकर प्रतिबंधित करता है (IUC अकादमी)।

49. **नो मनी फॉर टेरर (NMFT) सम्मेलन:** आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध पांचवें 'नो मनी फॉर टेरर' सम्मेलन (19 मई 2026, पेरिस) में भारत ने सक्रिय रूप से भाग लिया (विदेश मंत्रालय भारत-फ्रांस ब्रीफ)।

50. **NSG एवं GIGN समझौता:** आतंकवाद-रोधी परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत के **राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)** और फ्रांस के **GIGN** के बीच आशय पत्र (LoI) पर हस्ताक्षर किए गए हैं (विदेश मंत्रालय भारत-फ्रांस ब्रीफ)।

51. **CERT-In की वैधानिक धारा:** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की **धारा 70B** के तहत **CERT-In** साइबर घटनाओं की प्रतिक्रिया देने वाली राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है (NDMA साइबर संदर्भ)।

52. **NCIIPC की वैधानिक धारा:** IT अधिनियम की **धारा 70A** के तहत **NCIIPC (NTRO के अधीन)** देश की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CII) की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है (NDMA साइबर संदर्भ)।

53. **साइबर आतंकवाद (धारा 66F):** IT अधिनियम की **धारा 66F** के तहत साइबर आतंकवाद के अपराध के लिए **आजीवन कारावास** तक के दंड का प्रावधान है (IUC अकादमी)।

54. **श्रेया सिंघल वाद (2015):** सर्वोच्च न्यायालय ने श्रेया सिंघल मामले में IT अधिनियम की **धारा 66A** को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया, जबकि धारा 69A को बरकरार रखा (IUC अकादमी)।

55. **I4C एवं हेल्पलाइन 1930:** गृह मंत्रालय के अधीन **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)** वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन **1930** संचालित करता है (IUC अकादमी)।

56. **DPDP अधिनियम, 2023:** डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 नागरिकों के डेटा अधिकारों की रक्षा करता है और उल्लंघन पर डेटा फिड्यूशरी पर **₹250 करोड़ तक** के दंड का प्रावधान करता है (IUC अकादमी)।

57. **बुडापेस्ट कन्वेंशन पर भारत का रुख:** भारत ने साइबर अपराध पर **बुडापेस्ट कन्वेंशन (2001)** पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि इसकी धारा 32(b) राष्ट्रीय संप्रभुता से जुड़ी चिंताओं को जन्म देती है (IUC अकादमी)।

58. **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005:** यह अधिनियम **23 दिसंबर 2005** को अधिनियमित हुआ और इसने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर त्रि-स्तरीय संस्थागत ढांचा स्थापित किया (PIB / NDMA संदर्भ)।

59. **NDMA की संरचना (धारा 3):** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष **प्रधानमंत्री** होते हैं और इसमें अधिकतम **9 सदस्य** हो सकते हैं (NDMA SACHET पोर्टल)।

60. **NEC के अध्यक्ष (धारा 8):** राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) के पदेन अध्यक्ष **केंद्रीय गृह सचिव** होते हैं (PIB / NDMA संदर्भ)।

61. **SDMA एवं DDMA अध्यक्ष:** राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (धारा 14) के अध्यक्ष **मुख्यमंत्री** और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (धारा 25) के अध्यक्ष **जिलाधिकारी (DM)** तथा सह-अध्यक्ष **जिला परिषद अध्यक्ष** होते हैं (PIB / NDMA संदर्भ)।

62. **NIDM एवं NDRF धाराएं:** आपदा प्रबंधन अधिनियम की **धारा 42** में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) और **धारा 44** में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) के गठन का प्रावधान है (PIB / NDMA संदर्भ)।

63. **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009:** केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा **22 अक्टूबर 2009** को अनुमोदित इस नीति ने राहत-केंद्रित दृष्टिकोण को रोकथाम, शमन और तैयारी-केंद्रित दृष्टिकोण में बदल दिया (PIB / NDMA संदर्भ)।

64. **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP):** प्रथम NDMP वर्ष **2016** में जारी हुई और वर्ष **2019** में इसे संशोधित किया गया; यह सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप है (**PIB / NDMA संदर्भ**)।

65. **सचेत (SACHET) पोर्टल:** NDMA द्वारा विकसित **'सचेत' (sachet.ndma.gov.in)** कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (CAP) और जियो-इंटेलिजेंस पर आधारित अखिल भारतीय आपदा पूर्व-चेतावनी पोर्टल है।

66. **अस्पताल सुरक्षा एवं HIRS:** आपदाओं के दौरान सामूहिक हताहत प्रबंधन (Mass Casualty Management) और ट्राइएज के लिए NDMA ने प्रत्येक अस्पताल में **हॉस्पिटल इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम (HIRS)** अनिवार्य किया है (**NIDM अस्पताल सुरक्षा दिशानिर्देश**)।

67. **भारत की आपदा सुभेद्यता:** भारत का **58.6% भू-भाग भूकंप**, **68% कृषि भूमि सूखे**, **12% भूमि बाढ़**, **5,700 किमी तटरेखा चक्रवात** और **15% क्षेत्र भूस्खलन** के प्रति संवेदनशील है (**PIB / NDMA संदर्भ**)।

68. **भारत के 4 भूकंपीय जोन:** वर्तमान में भारत को **4 भूकंपीय जोनों (जोन II, III, IV और V)** में बांटा गया है (जोन I को जोन II में मिला दिया गया है) (**PIB / NDMA संदर्भ**)।

69. **अभ्यास सुरक्षा चक्र (2025):** अगस्त 2025 में दिल्ली-NCR के 18 जिलों के 55 स्थानों पर भूकंप की तैयारी जांचने के लिए NDMA और भारतीय सेना द्वारा पहला एकीकृत अंतर-राज्यीय मॉक ड्रिल **'अभ्यास सुरक्षा चक्र'** आयोजित किया गया (**PIB / NDMA संदर्भ**)।

70. **आपदा पूर्वानुमान नोडल एजेंसियां:** चक्रवात/लू के लिए **IMD**, नदी बाढ़ के लिए **CWC**, सुनामी के लिए **INCOIS (हैदराबाद)**, भूकंप के लिए **NCS** और भूस्खलन के लिए **GSI** नोडल एजेंसी है (**NDMA दिशानिर्देश**)।

71. **मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त (CCRS):** गंभीर रेल दुर्घटनाओं की वैधानिक जांच करने वाले मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त प्रशासनिक रूप से **नागर विमानन मंत्रालय** के अधीन कार्य करते हैं (**SECR ACM पाठ्यक्रम**)।

72. **सेंडाई फ्रेमवर्क (2015–2030):** जापान के सेंडाई में 2015 में अपनाए गए इस 15-वर्षीय फ्रेमवर्क में **4 कार्य प्राथमिकताएं** और 7 **वैश्विक लक्ष्य** निर्धारित हैं (**PIB / NDMA संदर्भ**)।

73. **CDRI गठबंधन (2019):** भारत की पहल पर 2019 में गठित **'आपदा-रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन' (CDRI)** का सचिवालय **नई दिल्ली** में स्थित है (**NDMA / PreventionWeb संदर्भ**)।

74. **संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य के नीति निदेशक तत्वों का **अनुच्छेद 51** भारत की विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय शांति और मध्यस्थता द्वारा विवादों के निपटारे का संवैधानिक आधार है (**विदेश मंत्रालय**)।

75. **पंचशील समझौता (1954):** भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार समझौते में **29 अप्रैल 1954** को शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांत (**पंचशील**) प्रतिपादित किए गए (**विदेश मंत्रालय व्याख्यान**)।

76. **रणनीतिक स्वायत्तता का सिद्धांत:** भारत सैन्य गठबंधनों (Military Alliances) से दूर रहकर राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वतंत्र विदेश नीति और साझेदारियों (**'Partnerships: Yes, Alliances: No'**) में विश्वास रखता है (**विदेश मंत्रालय व्याख्यान**)।

77. **पड़ोसी प्रथम नीति:** दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ भौतिक, डिजिटल और जन-संपर्क बढ़ाने के लिए भारत **'Neighbourhood First Policy'** और गुजराल सिद्धांत के गैर-पारस्परिक सहयोग को प्राथमिकता देता है (**विदेश मंत्रालय लोकसभा उत्तर**)।

78. **लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट नीति:** वर्ष 1991 में शुरू की गई 'लुक ईस्ट' नीति को नवंबर **2014** में प्रो-एक्टिव **'एक्ट ईस्ट नीति' (Act East Policy)** में उन्नत किया गया (**विदेश मंत्रालय व्याख्यान**)।

79. **महासागर (MAHASAGAR) पहल:** वर्ष 2015 के 'सागर' (SAGAR) विजन को विस्तारित करते हुए भारत ने क्षेत्र के पार सुरक्षा और विकास की पारस्परिक एवं समग्र उन्नति के लिए **'MAHASAGAR' (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions)** पहल शुरू की है (**विदेश मंत्रालय लोकसभा उत्तर**)।

80. **इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI):** वर्ष 2019 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (बैंकॉक) में भारत द्वारा प्रस्तावित **IPOI** में समुद्री सुरक्षा और नीली अर्थव्यवस्था सहित 7 **स्तंभ** हैं (**विदेश मंत्रालय लोकसभा उत्तर**)।

81. **IMEC आर्थिक गलियारा:** 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC)** के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए (**विदेश मंत्रालय भारत-फ्रांस ब्रीफ**)।

82. **चाबहार बंदरगाह का महत्व:** ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित **चाबहार बंदरगाह (शाहिद बेहश्ती टर्मिनल)** भारत द्वारा विदेश में संचालित पहला बंदरगाह है, जो पाकिस्तान को बायपास कर अफगानिस्तान व मध्य एशिया से जोड़ता है (**विदेश मंत्रालय व्याख्यान**)।

83. **कालादान मल्टी-मॉडल प्रोजेक्ट:** यह परियोजना कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के **सितवे बंदरगाह** और पलेटवा होते हुए मिजोरम से जोड़ती है, जिससे कोलकाता से मिजोरम की दूरी लगभग **950 किमी** और समय 4 दिन कम हो जाएगा (विदेश मंत्रालय व्याख्यान)।

84. **भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग: 1,360 किमी** लंबा यह राजमार्ग मणिपुर के मोरेह से म्यांमार होते हुए थाईलैंड के माए सोत (Mae Sot) तक पूर्वोत्तर भारत को आसियान से जोड़ता है (विदेश मंत्रालय व्याख्यान)।

85. **भारत-अमेरिका 4 बुनियादी समझौते:** भारत और अमेरिका के बीच चार आधारभूत रक्षा समझौते संपन्न हो चुके हैं — **GSOMIA (2002), LEMOA (2016), COMCASA (2018) और BECA (2020)** (विदेश मंत्रालय भारत-अमेरिका ब्रीफ)।

86. **NISAR मिशन (ISRO-NASA):** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी (NASA) ने पृथ्वी अवलोकन के लिए संयुक्त रूप से **NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar)** उपग्रह विकसित किया है (विदेश मंत्रालय भारत-अमेरिका ब्रीफ)।

87. **अमेरिका में भारतीय प्रवासी:** संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग **44 लाख (4.4 मिलियन)** भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं और 163 भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 40 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है (विदेश मंत्रालय भारत-अमेरिका ब्रीफ)।

88. **भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026:** 17 फरवरी 2026 को मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने संयुक्त रूप से वर्ष 2026 को **'भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष'** के रूप में उद्घाटित किया (विदेश मंत्रालय भारत-फ्रांस ब्रीफ 2026)।

89. **भारत-फ्रांस रक्षा समझौता 2026:** 17 फरवरी 2026 को बेंगलुरु में आयोजित छठी वार्षिक रक्षा वार्ता में भारत और फ्रांस ने अपने **10-वर्षीय रक्षा सहयोग समझौते** का नवीनीकरण किया (विदेश मंत्रालय भारत-फ्रांस ब्रीफ 2026)।

90. **RBI एवं बैंक डी फ्रांस MoU (2026):** मार्च 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और फ्रांस के केंद्रीय बैंक (Banque de France) के बीच केंद्रीय बैंकिंग सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ (विदेश मंत्रालय भारत-फ्रांस ब्रीफ 2026)।

91. **भारत-फ्रांस-UAE त्रिपक्षीय तंत्र:** 7 मई 2026 को अबू धाबी (UAE) में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश सचिवों की त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई (विदेश मंत्रालय भारत-फ्रांस ब्रीफ 2026)।

92. **प्रवासी भारतीय एवं OCI विस्तार:** फ्रांस के समुद्र-पार क्षेत्रों **ग्वाडेलोप (Guadeloupe) और मार्टीनिक (Martinique)** में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को भारत सरकार द्वारा OCI कार्ड पंजीकरण की पात्रता प्रदान की गई है (विदेश मंत्रालय भारत-फ्रांस ब्रीफ 2026)।

93. **संशोधित बहुपक्षवाद (Reformed Multilateralism):** भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), WTO और ब्रेटन वुड्स संस्थाओं को अधिक लोकतांत्रिक, प्रतिनिधिक और प्रभावी बनाने के लिए 'संशोधित बहुपक्षवाद' का नेतृत्व करता है (विदेश मंत्रालय BRICS सत्र वक्तव्य 2026)।

94. **G-4 समूह के सदस्य:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए परस्पर समर्थन करने वाले **G-4 समूह** में **भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान** शामिल हैं (विदेश मंत्रालय बहुपक्षीय दस्तावेज)।

95. **QUAD के 4 राष्ट्र:** चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (**QUAD**) में **भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया** शामिल हैं (विदेश मंत्रालय क्षेत्रीय संगठन)।

96. **BIMSTEC के 7 सदस्य देश:** बिम्सटेक (मुख्यालय: ढाका) में बंगाल की खाड़ी के तटीय और समीपवर्ती 7 **देश — भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड** शामिल हैं (विदेश मंत्रालय क्षेत्रीय संगठन)।

97. **IBSA संवाद मंच:** विकासशील लोकतंत्रों के बीच दक्षिण-दक्षिण सहयोग के मंच **IBSA** में **भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका** शामिल हैं (सितंबर 2026 में न्यूयॉर्क में 14वीं मंत्रिस्तरीय बैठक संपन्न) (विदेश मंत्रालय बहुपक्षीय दस्तावेज)।

98. **ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन (GCM):** वर्ष 2018 में मराकेश (मोरक्को) में अपनाए गए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के वैश्विक समझौते (GCM) में **23 उद्देश्य** हैं और दूसरी IMRF बैठक मई 2026 में न्यूयॉर्क में हुई (विदेश मंत्रालय बहुपक्षीय सहयोग)।

99. **IONs (इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम):** हिंद महासागर के तटीय देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए भारत द्वारा 2008 में शुरू किए गए **IONS** का 9वां प्रमुखों का सम्मेलन फरवरी 2026 में विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ (विदेश मंत्रालय भारत-फ्रांस ब्रीफ 2026)।

100. **नियम-निर्माता के रूप में भारत:** भारत की विदेश नीति अब 'नियम-पालनकर्ता' (Rule Follower) से आगे बढ़कर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में एक सशक्त ध्रुव और **'नियम-निर्माता' (Rule Maker)** की भूमिका निभा रही है (विदेश मंत्रालय व्याख्यान)।

पुस्तक 24 का संरचनात्मक ऑडिट एवं अपग्रेड सारांश

यह खंड संघ लोक सेवा आयोग (**UPSC CSE GS Paper-II, GS Paper-III एवं GS Paper-IV Ethics**), **राज्य लोक सेवा आयोगों (UPPSC, BPSC, MPPSC, RAS Mains & Prelims)**, **CAPF (Assistant Commandant)** तथा उच्च स्तरीय प्रशासनिक एवं विभागीय परीक्षाओं के लिए तैयार किया गया है। इसमें दर्शनशास्त्र एवं नीतिशास्त्र के सिद्धांतों, भारतीय व पाश्चात्य चिंतकों, सिविल सेवा मूल्यों, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भ्रष्टाचार निवारण ढांचे, **5 पूर्ण हल प्रशासनिक केस स्टडीज**, आंतरिक सुरक्षा (नक्सलवाद, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा व सीमा प्रबंधन), **आपदा प्रबंधन (NDMA एवं सेंदाई फ्रेमवर्क 2015–2030)** तथा भारत की विदेश नीति एवं प्रवासी भारतीयों का सांगोपांग विश्लेषण प्रस्तुत है।

अध्याय 1: नीतिशास्त्र एवं मानवीय सह-संबंध (Ethics and Human Interface)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 1: नीतिशास्त्र एवं मानवीय सह-संबंध (Ethics and Human Interface)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
नीतिशास्त्र (Ethics) का सार, निर्धारक एवं नैतिकता (Morality) से अंतर	**नीतिशास्त्र के प्रमुख आयाम (Dimensions of Ethics)**	**अभिवृत्ति (Attitude): संरचना (CAB मॉडल), कार्य एवं सामाजिक प्रभाव**

1.1 नीतिशास्त्र (Ethics) का सार, निर्धारक एवं नैतिकता (Morality) से अंतर

• **व्युत्पत्ति एवं परिभाषा:** अंग्रेजी शब्द 'Ethics' ग्रीक शब्द **'Ethos'** (रीति-रिवाज, चरित्र या आदत) से बना है, जबकि भारतीय परंपरा में इसके लिए **'नीतिशास्त्र'** ('नी' धातु = ले जाना; जो समाज और व्यक्ति को सन्मार्ग की ओर ले जाए) और **'धर्म'** ('धृ' धातु = धारण करना; "धारणाद् धर्म इत्याहुः") शब्दों का प्रयोग होता है।

• **नीतिशास्त्र बनाम नैतिकता (Ethics vs Morality):**

• **नीतिशास्त्र (Ethics):** यह किसी समाज, पेशे या संस्था द्वारा स्थापित **बाह्य और वस्तुनिष्ठ मानकों (External & Objective Standards)** की तार्किक प्रणाली है (जैसे—सिविल सेवा आचरण संहिता, मेडिकल एथिक्स, कानूनी एथिक्स)।

• **नैतिकता (Morality):** यह किसी व्यक्ति की **आंतरिक अंतरात्मा, व्यक्तिगत मूल्यों और विश्वासों (Internal & Subjective Beliefs)** पर आधारित सही-गलत की समझ है।

• **मानवीय क्रियाओं में नीतिशास्त्र के निर्धारक (Determinants of Ethics):**

1. **कर्ता (Agent):** क्या कार्य स्वतंत्र इच्छा (Free Will) और पूर्ण ज्ञान (Knowledge) के साथ किया गया? (अनिच्छुक या अज्ञानतावश किए गए कार्य को गैर-नैतिक/Amoral माना जाता है)।

2. **उद्देश्य/नीयत (Intention/Motive):** कांट और भगवद्गीता के अनुसार कर्ता की 'सद्-इच्छा' (Goodwill) और निष्काम भावना ही कार्य की नैतिकता तय करती है।

3. **साधन एवं साध्य (Means and Ends):** महात्मा गांधी के अनुसार यदि साधन अपवित्र हैं तो साध्य कभी पवित्र नहीं हो सकता, जबकि मैकियावेली और उपयोगितावादी परिणाम (Ends) को प्राथमिकता देते हैं।

4. **परिस्थितियाँ (Circumstances):** आपातकालीन स्थिति या आत्मरक्षा में किए गए कार्य का नैतिक मूल्यांकन सामान्य स्थिति से भिन्न होता है।

1.2 नीतिशास्त्र के प्रमुख आयाम (Dimensions of Ethics)

1. **अधि-नीतिशास्त्र (Meta-Ethics):** यह नैतिक भाषा, शब्दों और अवधारणाओं के अर्थ की जांच करता है—जैसे 'शुभ' (Good) क्या है? क्या नैतिक मूल्य सार्वभौमिक (Universalism) हैं या संस्कृति-सापेक्ष (Cultural Relativism)?

2. **मानकीय नीतिशास्त्र (Normative Ethics):** यह निर्धारित करता है कि मनुष्य को 'कैसा आचरण करना चाहिए'। इसके 3 मुख्य सिद्धांत हैं:

• **(क) सद्गुण नीतिशास्त्र (Virtue Ethics — सुकरात, प्लेटो, अरस्तू):** यह कार्य या परिणाम के बजाय कर्ता के **'नैतिक चरित्र' (Moral Character)** पर बल देता है। एक सद्गुणी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से नैतिक कार्य ही करेगा।

• **(ख) कर्तव्यशास्त्र / नियमवादी नीतिशास्त्र (Deontological Ethics — इमैनुएल कांट एवं भगवद्गीता):** यह मानता है कि कुछ कर्तव्य और नियम अपने आप में पूर्ण और निरपेक्ष (Absolute) हैं, चाहे उनका परिणाम कुछ भी हो।

• **(ग) परिणामवाद / प्रयोजनवादी नीतिशास्त्र (Teleological / Consequentialist Ethics — बेंथम, जे.एस. मिल):** किसी कार्य की नैतिकता उसके **परिणाम (Consequence)** से तय होती है—यदि परिणाम अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम कल्याणकारी है, तो कार्य नैतिक है।

3. **व्यावहारिक नीतिशास्त्र (Applied Ethics):** नैतिक सिद्धांतों का विशिष्ट जटिल क्षेत्रों में अनुप्रयोग—

• **जैव एवं चिकित्सा नीतिशास्त्र (Bio-Ethics):** इच्छामृत्यु (Euthanasia — अरुणा शानबाग व कॉमन कॉज वाद 2018 में निष्क्रिय इच्छामृत्यु एवं Living Will को मान्यता), गर्भपात (Pro-Choice बनाम Pro-Life), सरोगेसी, जीन एडिटिंग (CRISPR)।

• **पर्यावरणीय नीतिशास्त्र (Environmental Ethics):** मानव-केंद्रित दृष्टिकोण (Anthropocentrism) के स्थान पर जैव-केंद्रित (Biocentrism) और पारिस्थितिकी-केंद्रित (Ecocentrism) दृष्टिकोण।

• **डिजिटल एवं एआई नीतिशास्त्र (AI & Cyber Ethics):** एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह (Algorithmic Bias), डेटा गोपनीयता, डीपफेक और स्वायत्त हथियारों की जवाबदेही।

1.3 अभिवृत्ति (Attitude): संरचना (CAB मॉडल), कार्य एवं सामाजिक प्रभाव

• **CAB मॉडल (अभिवृत्ति के 3 घटक):**

1. **संज्ञानात्मक घटक (Cognitive Component — 'C'):** किसी वस्तु, व्यक्ति या मुद्दे के प्रति व्यक्ति का ज्ञान, विश्वास या धारणा (उदाहरण: "स्वच्छता से संक्रामक बीमारियाँ रुकती हैं")।

2. **भावात्मक घटक (Affective Component — 'A'):** उस विषय के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भावना/अनुभूति (उदाहरण: "मुझे गंदगी से घृणा और स्वच्छ वातावरण से प्रसन्नता होती है")।

3. **व्यवहारात्मक घटक (Behavioural Component — 'B'):** उस विश्वास और भावना के अनुरूप वास्तविक क्रिया करने की प्रवृत्ति (उदाहरण: "मैं कचरा सदैव कूड़ेदान में डालता हूँ और स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेता हूँ")।

• **अनुनय / सहमति (Persuasion — रॉबर्ट सियाल्डिनी के सिद्धांत एवं कार्ल होवलैंड मॉडल):** लोक प्रशासन में केवल दंड के भय से स्थायी व्यवहार परिवर्तन नहीं लाया जा सकता; इसके लिए **स्रोत की विश्वसनीयता (Source Credibility)**, **तार्किक व भावनात्मक अपील (Logos, Pathos, Ethos — अरस्तू)** और **नज थ्योरी (Nudge Theory — रिचर्ड थेलर)** का प्रयोग आवश्यक है (जैसे—'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', 'सेल्फी विद डॉटर' और 'गिव-इट-अप' एलपीजी सब्सिडी अभियान)।

अध्याय 2: भारतीय एवं पाश्चात्य नैतिक चिंतक और समाज सुधारक

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 2: भारतीय एवं पाश्चात्य नैतिक चिंतक और समाज सुधारक

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
भारतीय नैतिक दर्शन एवं प्रमुख चिंतक	**पाश्चात्य नैतिक चिंतक (Western Moral Thinkers)**

2.1 भारतीय नैतिक दर्शन एवं प्रमुख चिंतक

1. **भगवद्गीता — निष्काम कर्मयोग एवं लोकसंग्रह:**

• "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन" (अध्याय 2, श्लोक 47): एक लोक सेवक को व्यक्तिगत लाभ-हानि, प्रशंसा या निंदा की आसक्ति त्यागे बिना पूर्ण दक्षता के साथ अपने संवैधानिक कर्तव्य (स्वधर्म) का पालन करना चाहिए।

• **लोकसंग्रह (Welfare of the World):** श्रेष्ठ और शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति (लीडर/प्रशासक) जैसा आचरण करते हैं, सामान्य जन भी वैसा ही अनुसरण करते हैं ("यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः"); अतः प्रशासक को समाज के कल्याण हेतु आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए।

2. **बौद्ध नीतिशास्त्र — अष्टांगिक मार्ग एवं मध्यम मार्ग:**

• महात्मा बुद्ध ने अति-भोग और अति-तपस्या दोनों से बचकर **'मध्यम प्रतिपदा' (Middle Path)** तथा दुःख निवारण हेतु **अष्टांगिक मार्ग (प्रज्ञा, शील, समाधि)** का उपदेश दिया। प्रशासन में इसका अर्थ है कट्टरता से बचते हुए संतुलित, करुणामय और विवेकपूर्ण निर्णय लेना।

3. **जैन नीतिशास्त्र — अनेकांतवाद, स्याद्वाद एवं पंच महाव्रत:**

• **अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य:** अपरिग्रह (Non-possession) भ्रष्टाचार और उपभोक्तावाद की जड़ पर प्रहार करता है।

• **अनेकांतवाद एवं स्याद्वाद:** सत्य के अनेक पहलू होते हैं; किसी एक दृष्टिकोण को पूर्ण सत्य मानने के बजाय दूसरे पक्ष के दृष्टिकोण को भी आदर देना लोकतांत्रिक सहिष्णुता और संवाद का मूल आधार है।

4. **कौटिल्य (अर्थशास्त्र) — राजधर्म एवं सप्तांग सिद्धांत:**

• "प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्। नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्॥" — राजा (प्रशासक) का सुख प्रजा के सुख में है और प्रजा के हित में ही उसका हित है; राजा का अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। कौटिल्य ने सरकारी धन के गबन के **40 तरीकों** की पहचान की और कठोर लेखा-परीक्षा एवं सतर्कता तंत्र की वकालत की।

5. **तिरुवल्लुवर (तिरुक्कुरल):** संगम कालीन तमिल संत तिरुवल्लुवर ने 'तिरुक्कुरल' के तीन भागों—**अरम (धर्म/सद्गुण), पोरुल (अर्थ/राजनीति व प्रशासन) और इनबम (प्रेम)** में एक निष्पक्ष शासक के गुणों (सुलभता, कठोर शब्द न बोलना, निष्पक्ष न्याय और लोक कल्याण) का सटीक वर्णन किया है।

6. **स्वामी विवेकानंद: 'व्यावहारिक वेदांत' (Practical Vedanta)** एवं "शिव ज्ञान से जीव सेवा"—दरिद्र, अशिक्षित और पीड़ित मानव की सेवा ही ईश्वर की सच्ची उपासना है। उन्होंने युवाओं से "लोहे की मांसपेशियाँ और फौलाद के स्नायु" तथा चरित्र निर्माण का आह्वान किया।

7. **महात्मा गांधी — सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, साधन-साध्य एवं सात सामाजिक पाप:**

• **गांधीजी का ताबीज (Gandhiji's Talisman):** जब भी किसी प्रशासक को नीतिगत संदेह हो, तो वह सबसे गरीब और असहाय व्यक्ति का चेहरा याद करे और सोचे कि क्या उसके कदम से उस अंतिम व्यक्ति को लाभ होगा (**अंत्योदय से सर्वोदय**)।

• **न्यासधारिता का सिद्धांत (Theory of Trusteeship):** पूँजीपति और सत्तासीन व्यक्ति समाज की संपत्ति के स्वामी नहीं, बल्कि केवल 'ट्रस्टी' (संरक्षक) हैं।

• **गांधीजी के सात सामाजिक पाप (Seven Social Sins — 1925 में 'यंग इंडिया' में प्रकाशित):**

1. सिद्धांतों के बिना राजनीति (Politics without Principles)
2. परिश्रम के बिना धन (Wealth without Work)
3. विवेक/अंतरात्मा के बिना सुख (Pleasure without Conscience)
4. चरित्र के बिना ज्ञान (Knowledge without Character)
5. नैतिकता के बिना व्यापार (Commerce without Morality)
6. मानवता के बिना विज्ञान (Science without Humanity)
7. त्याग के बिना पूजा (Worship without Sacrifice)

8. **डॉ. भीमराव अंबेडकर — संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) एवं सामाजिक न्याय:**

• संवैधानिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के प्रति सर्वोच्च निष्ठा रखना तथा सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संविधान के मूल्यों (**स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व — Liberty, Equality, Fraternity**) को स्थापित करना ही संवैधानिक नैतिकता है।

2.2 पाश्चात्य नैतिक चिंतक (Western Moral Thinkers)

1. **सुकरात (Socrates — 470–399 ई.पू.):**

• **द्वंद्वात्मक प्रश्नोत्तर पद्धति (Socratic Method):** प्रश्नों के माध्यम से अज्ञानता को उजागर कर सत्य तक पहुँचना।

• **प्रमुख सूत्र:** "ज्ञान ही सद्गुण है" (*Knowledge is Virtue*) — कोई भी व्यक्ति जानबूझकर बुराई नहीं करता; और "अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है" (*An unexamined life is not worth living*)।

2. **प्लेटो (Plato — 427–347 ई.पू.):**

• प्लेटो ने अपनी कृति 'द रिपब्लिक' (*The Republic*) में आत्मा और आदर्श राज्य के **4 मुख्य सद्गुण (Four Cardinal Virtues)** बताए:

1. **विवेक / प्रज्ञा (Wisdom / Prudence):** शासक/दार्शनिक वर्ग का गुण।
2. **साहस / शौर्य (Courage / Fortitude):** सैनिक/रक्षक वर्ग का गुण।
3. **संयम (Temperance / Self-Control):** उत्पादक एवं सभी वर्गों में सामंजस्य का गुण।
4. **न्याय (Justice):** जब तीनों वर्ग बिना हस्तक्षेप के अपना-अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो 'न्याय' की स्थापना होती है।

3. **अरस्तू (Aristotle — 384–322 ई.पू.):**

• अपनी पुस्तक 'निकोमैकियन एथिक्स' (*Nicomachean Ethics*) में अरस्तू ने **'स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत' (Doctrine of Golden Mean)** दिया।

• इसके अनुसार प्रत्येक सद्गुण दो अतियों (अभाव और अधिकता — Deficiency and Excess) के बीच का संतुलित मध्य मार्ग है। उदाहरण: 'कायरता' (अभाव) और 'दुस्साहस/उतावलेपन' (अधिकता) के बीच का स्वर्णिम मध्यमान **'साहस' (Courage)** है। जीवन का परम लक्ष्य **'यूडाइमोनिया' (Eudaimonia — मानवीय उत्कर्ष/आनंद)** है।

4. **इमैनुएल कांट (Immanuel Kant — 1724–1804):**

• **कर्तव्यशास्त्र (Deontology) एवं निरपेक्ष आदेश (Categorical Imperative):** नैतिकता परिणामों पर नहीं, बल्कि 'कर्तव्य के लिए कर्तव्य' (Duty for Duty's Sake) और शुद्ध 'सद्-इच्छा' (Goodwill) पर आधारित है।

• **कांट के 2 प्रमुख सूत्र:**

1. **सार्वभौमिकता का सिद्धांत:** केवल उसी नियम के अनुसार कार्य करो जिसे तुम एक सार्वभौमिक कानून (Universal Law) बनते देखना चाहते हो।
2. **मानवता को साध्य मानने का सिद्धांत:** किसी भी मनुष्य के साथ कभी भी केवल एक 'साधन' (Means) के रूप में व्यवहार मत करो, बल्कि उसे सदैव अपने आप में एक **'साध्य' (End in itself)** मानो।

5. **जेरेमी बेंथम एवं जॉन स्टुअर्ट मिल (उपयोगितावाद — Utilitarianism):**

• **जेरेमी बेंथम (मात्रात्मक उपयोगितावाद):** मनुष्य दो स्वामियों—सुख (Pleasure) और दुःख (Pain)—के अधीन है। वह कार्य नैतिक है जो **"अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख" (Greatest Happiness of the Greatest Number)** सुनिश्चित करे। बेंथम ने सुख मापने हेतु 7 मानदंडों वाला **'सुखवादी कलन' (Hedonic Calculus)** दिया और कहा कि "पुशपिन (बच्चों का खेल) उतना ही अच्छा है जितनी कि कविता"।

• **जॉन स्टुअर्ट मिल (गुणात्मक उपयोगितावाद):** मिल ने बेंथम में सुधार करते हुए कहा कि सुखों में केवल मात्रात्मक नहीं, बल्कि **गुणात्मक (Qualitative)** अंतर भी होता है—बौद्धिक और नैतिक सुख शारीरिक सुख से श्रेष्ठ हैं। मिल का अमर कथन है: "एक संतुष्ट सूअर होने की अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य होना बेहतर है; और एक संतुष्ट मूर्ख होने की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है।"

6. **जॉन रॉल्स (John Rawls — 1921–2002: 'A Theory of Justice', 1971):**

• रॉल्स ने उपयोगितावाद की आलोचना की (क्योंकि उपयोगितावाद बहुसंख्यकों के सुख के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बलि दे सकता है) और **'निष्पक्षता के रूप में न्याय' (Justice as Fairness)** का सिद्धांत दिया।

• **अज्ञानता का आवरण (Veil of Ignorance):** यदि लोग समाज के नियम बनाते समय एक काल्पनिक 'अज्ञानता के पर्दे' के पीछे हों—जहाँ किसी को यह पता न हो कि समाज में उसकी जाति, धर्म, लिंग, धन या शारीरिक क्षमता क्या होगी—तो वे सबसे कमजोर व्यक्ति के हित की रक्षा करने वाले निष्पक्ष नियम ही बनाएंगे।

• **रॉल्स के न्याय के 2 सिद्धांत:**

1. **समान बुनियादी स्वतंत्रता का सिद्धांत (Equal Basic Liberty Principle):** प्रत्येक व्यक्ति को समान मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार।

2. **अवसर की निष्पक्ष समानता एवं 'भेद सिद्धांत' (Fair Equality of Opportunity & Difference Principle):** सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ केवल तभी न्यायसंगत हैं जब वे **समाज के सबसे कम सुविधा प्राप्त (Least Advantaged) व्यक्ति को अधिकतम लाभ** पहुँचाती हों (भारत में आरक्षण, अंत्योदय और प्रगतिशील कराधान इसी सिद्धांत के अनुरूप हैं)।

अध्याय 3: सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 3: सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य एवं नोलन समिति के 7 सिद्धांत	**भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence — EI)**

3.1 सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य एवं नोलन समिति के 7 सिद्धांत

1. **सत्यनिष्ठा (Integrity) बनाम ईमानदारी (Honesty):**

• **ईमानदारी (Honesty):** सत्य बोलना और वित्तीय भ्रष्टाचार न करना (यह सत्यनिष्ठा का एक भाग है)।

• **सत्यनिष्ठा (Integrity):** नैतिक सिद्धांतों की पूर्ण सुसंगतता—जब कोई व्यक्ति तब भी नैतिक और नियमसम्मत आचरण करे जब उसे कोई न देख रहा हो (अर्थात् विचारों, शब्दों और कर्मों की पूर्ण एकता — **मनसा, वाचा, कर्मणा**)।

2. **निष्पक्षता (Impartiality) बनाम गैर-तरफदारी (Non-Partisanship):**

• **निष्पक्षता:** जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र या अमीरी-गरीबी के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव न करना और केवल योग्यता व नियम के आधार पर निर्णय लेना।

• **गैर-तरफदारी (राजनीतिक तटस्थता):** किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा के प्रति झुकाव न रखना और सत्ता में चाहे कोई भी दल हो, संविधान के दायरे में रहकर निर्वाचित सरकार को निष्पक्ष सलाह देना और उसकी नीतियों को लागू करना।

3. **सहानुभूति (Sympathy), समानुभूति (Empathy) और करुणा (Compassion) में क्रमिक अंतर:**

• **सहानुभूति (Sympathy):** दूसरे के दुःख को देखकर केवल दया या खेद प्रकट करना ("आपके साथ बुरा हुआ")।

• **समानुभूति (Empathy):** स्वयं को दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति में रखकर उसके दुःख और पीड़ा को ठीक वैसे ही महसूस करना ("मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ")।

• **करुणा (Compassion = Empathy + Action):** समानुभूति के साथ-साथ पीड़ित व्यक्ति के दुःख को दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की तीव्र इच्छा और कार्य करना। एक लोक सेवक के लिए केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि **करुणा** आवश्यक है।

4. **नोलन समिति (Lord Nolan Committee, 1995 — UK) के सार्वजनिक जीवन के 7 सिद्धांत:**

1. **निःस्वार्थता (Selflessness):** केवल जनहित में निर्णय लेना, निजी या पारिवारिक लाभ के लिए नहीं।
2. **सत्यनिष्ठा (Integrity):** किसी बाहरी व्यक्ति या संगठन के ऐसे वित्तीय या अन्य दबाव में न आना जो आधिकारिक कर्तव्य को प्रभावित करे।
3. **वस्तुनिष्ठता (Objectivity):** नियुक्तियों, संविदाओं या पुरस्कारों में केवल योग्यता (Merit) और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना।
4. **जवाबदेही (Accountability):** अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जनता और जांच संस्थाओं के प्रति उत्तरदायी रहना।
5. **खुलापन (Openness):** निर्णयों के पीछे के कारणों को पारदर्शी रखना; सूचना केवल तभी रोकना जब व्यापक जनहित में अनिवार्य हो।
6. **ईमानदारी (Honesty):** अपने किसी भी निजी हित की स्पष्ट घोषणा करना और हितों के टकराव (Conflict of Interest) को दूर करना।
7. **नेतृत्व (Leadership):** अपने स्वयं के आचरण और उदाहरण से इन सभी सिद्धांतों को बढ़ावा देना।

3.2 भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence — EI)

• **अवधारणा का विकास:** 1990 में पीटर सलोवे और जॉन मेयर ने यह शब्द गढ़ा, और **1995 में डेनियल गोलमैन (Daniel Goleman)** ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक '*Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*' के माध्यम से इसे विश्वव्यापी बनाया।

• **डेनियल गोलमैन के EI के 5 मूल स्तंभ (5 Pillars of Emotional Intelligence):**

• **आंतरिक/व्यक्तिगत दक्षताएँ (Personal Competence):**

1. **स्व-जागरूकता (Self-Awareness):** अपनी स्वयं की भावनाओं, शक्तियों, कमजोरियों और मूड के प्रभाव को पहचानने की क्षमता।

2. **स्व-नियमन (Self-Regulation):** क्रोध, आवेग या तनाव पर नियंत्रण रखना और सोच-समझकर प्रतिक्रिया देना (React करने के बजाय Respond करना)।

3. **आंतरिक अभिप्रेरणा (Internal Motivation):** बाहरी पुरस्कार या पद के बजाय लक्ष्य की प्राप्ति और उत्कृष्टता के लिए आंतरिक उत्साह रखना।

• **सामाजिक दक्षताएँ (Social Competence):**

4. **समानुभूति (Empathy):** दूसरों की अनकही भावनाओं और जरूरतों को समझना।

5. **सामाजिक कौशल (Social Skills):** प्रभावी संवाद, टीम नेतृत्व, विवाद समाधान (Conflict Resolution) और भीड़ या संकट का प्रबंधन।

• **प्रशासन में EI का महत्व:** हिंसक भीड़ को शांत करने, राजनीतिक दबाव को संवैधानिक शालीनता से संभालने, अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रेरित करने और आपदा के समय बिना घबराए त्वरित निर्णय लेने में IQ से अधिक EQ (Emotional Quotient) की भूमिका होती है।

अध्याय 4: शासन में ईमानदारी (Probity), पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार निवारण

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 4: शासन में ईमानदारी (Probity), पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार निवारण

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
शासन में ईमानदारी (Probity in Governance) एवं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC)	सूचना का अधिकार (RTI Act 2005), नागरिक चार्टर एवं सेवोत्तम मॉडल	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित 2018), CVC एवं लोकपाल

4.1 शासन में ईमानदारी (Probity in Governance) एवं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC)

• **प्रोबिटी (Probity) का अर्थ:** यह केवल भ्रष्टाचार के अभाव से कहीं व्यापक है; इसका अर्थ है शासन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता, संवैधानिक शुचिता, नैतिक आचरण संहिता का कड़ाई से पालन और सार्वजनिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग।

• **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC — अध्यक्ष: वीरप्पा मोइली, 2005–2009) की चौथी रिपोर्ट ('Ethics in Governance') की प्रमुख सिफारिशें:**

1. सिविल सेवकों और मंत्रियों दोनों के लिए स्पष्ट **'नैतिकता संहिता' (Code of Ethics)** और **'आचरण संहिता' (Code of Conduct)** लागू करना।

2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में **'पद के दुरुपयोग'**, **'निजी क्षेत्र में रिश्वतखोरी'** और **'यौन उत्पीड़न के बदले लाभ' (Quid Pro Quo Corruption)** को दंडनीय अपराध बनाना तथा भ्रष्ट अधिकारियों की अवैध संपत्ति को जब्त करने की त्वरित प्रक्रिया बनाना।

3. **अनुच्छेद 311** के तहत संवैधानिक संरक्षण की समीक्षा करना ताकि गंभीर भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई हो सके, साथ ही ईमानदार अधिकारियों को सद्भावनापूर्ण निर्णयों (Bona fide errors) में परेशान न किया जाए।

4. रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ (आय से अधिक संपत्ति के मामलों में सबूत का भार आरोपी पर होना)।

4.2 सूचना का अधिकार (RTI Act 2005), नागरिक चार्टर एवं सेवोत्तम मॉडल

• सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (12 अक्टूबर 2005 से लागू):

• **धारा 4:** प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा सूचनाओं का **स्व-प्रेरणा से प्रकटीकरण (Suo-motu Disclosure)** ताकि नागरिकों को RTI लगाने की कम से कम आवश्यकता पड़े (जैसे राजस्थान का **जन सूचना पोर्टल**)।

• **धारा 7 (समय-सीमा):** सामान्य मामलों में **30 दिन** के भीतर और किसी व्यक्ति के **जीवन या स्वतंत्रता (Life or Liberty)** से जुड़े मामले में **48 घंटे** के भीतर सूचना देना अनिवार्य है।

• **धारा 8(1):** राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा, कैबिनेट पेपर्स, विदेशी सरकारों से प्राप्त गोपनीय सूचना और व्यक्तिगत निजता से जुड़ी सूचनाओं को प्रकटीकरण से छूट (किंतु **धारा 8(2)** के अनुसार यदि व्यापक जनहित संरक्षित हित से बड़ा हो, तो सूचना दी जा सकती है)।

• नागरिक चार्टर (Citizen's Charter) एवं सेवोत्तम मॉडल (Sevottam Model):

• 1991 में यूके के प्रधानमंत्री जॉन मेजर द्वारा प्रारंभ और भारत में 1997 के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अपनाया गया नागरिक चार्टर सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता, समय-सीमा और शिकायत निवारण का दस्तावेज है।

• **सेवोत्तम मॉडल (Sevottam = सेवा + उत्तम; DARPG द्वारा विकसित IS 15700:2005 मानक):** इसके **3 मुख्य स्तंभ** हैं:

1. **नागरिक चार्टर का प्रभावी कार्यान्वयन (Citizen's Charter)**
2. **लोक शिकायत निवारण प्रणाली (Public Grievance Redressal Mechanism — CPGRAMS)**
3. **सेवा वितरण क्षमता का उत्कृष्टता निर्माण (Service Delivery Capability)**

4.3 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित 2018), CVC एवं लोकपाल

• भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018:

• रिश्वत **लेने वाले के साथ-साथ रिश्वत देने वाले (Bribe Giver)** को भी प्रत्यक्ष रूप से दंडनीय बनाया गया (धारा 8 — अधिकतम 7 वर्ष कारावास; यदि किसी को रिश्वत देने के लिए मजबूर किया गया हो तो वह 7 **दिनों के भीतर** कानून प्रवर्तन एजेंसी को इसकी सूचना देकर संरक्षण पा सकता है)।

• **धारा 17A:** किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों के निर्वहन में लिए गए किसी निर्णय या सिफारिश की जांच शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति (सक्षम प्राधिकारी को **3 माह + 1 माह विस्तार** के भीतर निर्णय लेना होता है) ताकि ईमानदार अधिकारियों को 'पॉलिसी पैरालिसिस' से बचाया जा सके।

• लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013:

• केंद्र में **लोकपाल** (1 अध्यक्ष + अधिकतम 8 सदस्य, जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य और 50% SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक/महिला वर्ग से होना अनिवार्य) और राज्यों में **लोकायुक्त**। प्रधानमंत्री (कुछ अपवादों सहित), केंद्रीय मंत्री, सांसद और ग्रुप A, B, C, D के सभी केंद्रीय कर्मचारी इसके दायरे में आते हैं।

अध्याय 5: 5 पूर्ण हल एथिक्स केस स्टडीज (5 Fully Solved Ethics Case Studies — GS-IV Standard)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 5: 5 पूर्ण हल एथिक्स केस स्टडीज (5 Fully Solved Ethics Case Studies — GS-IV Standard)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
केस स्टडी 1: आपदा राहत अभियान में VIP राजनीतिक दबाव बनाम वंचित आदिवासी बस्ती की जीवन रक्षा	केस स्टडी 2: सार्वजनिक खरीद (GeM/Tender) में भ्रष्टाचार, राजनीतिक दबाव एवं व्हिसलब्लोइंग	केस स्टडी 3: डिजिटल कल्याणकारी योजना में बायोमेट्रिक विफलता — नियम-अंधता बनाम संवैधानिक करुणा	केस स्टडी 4: सांप्रदायिक तनाव एवं डीपफेक सोशल मीडिया अफवाहों के बीच भावनात्मक बुद्धिमत्ता और संकट प्रबंधन

केस स्टडी 1: आपदा राहत अभियान में VIP राजनीतिक दबाव बनाम वंचित आदिवासी बस्ती की जीवन रक्षा

• **प्रकरण (Case Context):** आप एक बाढ़-प्रभावित जिले में जिला मजिस्ट्रेट (DM) एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (**DDMA**) के अध्यक्ष हैं। मूसलाधार बारिश और बांध से पानी छोड़े जाने के कारण जिले की दो अलग-अलग जगहें गंभीर संकट में हैं। एक ओर निचले इलाके में बसी एक आदिवासी और दलित बस्ती है जहाँ लगभग 250 लोग (जिनमें गर्भवती महिलाएँ, वृद्ध और बच्चे शामिल हैं) कच्चे मकानों की छतों पर फंसे हैं और जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी ओर, जिले के एक प्रभावशाली मंत्री का फार्महाउस और रिसॉर्ट है जहाँ मंत्री के कुछ रिश्तेदार और राजनीतिक कार्यकर्ता (लगभग 15 लोग) एक पक्के दो-मंजिला भवन में रुके हैं। आपके पास उस समय तुरंत भेजने के लिए केवल एक ही NDRF मोटरबोट और बचाव दल उपलब्ध है (दूसरा दल 3 घंटे बाद ही पहुँच पाएगा)। मंत्री जी आपको फोन करके आदेश देते हैं कि बोट तुरंत उनके फार्महाउस भेजी जाए, अन्यथा आपका तत्काल तबादला कर दिया जाएगा और आपकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (APAR) खराब कर दी जाएगी।

• **प्रमुख हितधारक (Stakeholders):**

1. आप (जिला मजिस्ट्रेट एवं DDMA अध्यक्ष — निर्णयकर्ता)।
2. निचले इलाके में फंसे 250 आदिवासी व वंचित नागरिक (जिनका जीवन तत्काल खतरे में है)।
3. मंत्री एवं उनके फार्महाउस पर रुके 15 लोग (जो पक्के दो-मंजिला भवन में अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं)।
4. NDRF बचाव दल एवं जिला प्रशासन।

• **निहित नैतिक दुविधाएँ (Ethical Dilemmas):**

1. **संवैधानिक कर्तव्य एवं करुणा (Compassion) बनाम व्यक्तिगत करियर सुरक्षा:** 250 असहाय नागरिकों के जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) की रक्षा करना बनाम तबादले और APAR खराब होने का भय।

2. **वस्तुनिष्ठ जोखिम आकलन (Objective Triage) बनाम वीआईपी संस्कृति (VIP Culture):** आपदा प्रबंधन के वैज्ञानिक मानदंडों का पालन बनाम राजनीतिक तुष्टिकरण।

• **उपलब्ध विकल्प एवं मूल्यांकन:**

• **विकल्प 1: मंत्री के आदेश का पालन कर NDRF बोट पहले फार्महाउस भेजना।**

• दोष: यह घोर अनैतिक, कायरतापूर्ण और कर्तव्यच्युति है। इससे कच्चे मकानों में फंसे 250 लोगों की जान जा सकती है, जो संवैधानिक नैतिकता और जॉन रॉल्स के 'भेद सिद्धांत' (सबसे कमजोर को प्राथमिकता) का सीधा उल्लंघन है।

• **विकल्प 2: मंत्री के फोन को नजरअंदाज करना या उनसे अभद्रता से बात करना और बोट आदिवासी बस्ती भेजना।**

• दोष: बस्ती में बोट भेजना सही है, किंतु संकट के समय जनप्रतिनिधि से संवाद तोड़ना या अभद्रता करना भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) की कमी दर्शाता है और अनावश्यक प्रशासनिक टकराव पैदा करता है।

• **विकल्प 3 (सर्वश्रेष्ठ एवं संतुलित कार्ययोजना): भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ मंत्री को वस्तुनिष्ठ स्थिति से अवगत कराते हुए पहली NDRF बोट तत्काल आदिवासी बस्ती भेजना और फार्महाउस के लिए वैकल्पिक स्थानीय व्यवस्था करना।**

• **अंतिम कार्ययोजना एवं नैतिक औचित्य (Course of Action):**

1. **त्वरित जीवन-रक्षा प्राथमिकता (Triage Principle):** मैं बिना एक क्षण गंवाए NDRF की मोटरबोट को निचली आदिवासी बस्ती में फंसे 250 लोगों (विशेषकर गर्भवती महिलाओं, बच्चों और वृद्धों) को निकालने के लिए रवाना करूँगा, क्योंकि कच्चे मकान कभी भी ढह सकते हैं।

2. **भावनात्मक बुद्धिमत्तापूर्ण संवाद:** मैं मंत्री जी से अत्यंत विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में बात करूँगा और उन्हें बताऊँगा कि उनका फार्महाउस पक्का और दो-मंजिला है जहाँ पहली मंजिल पर उनके रिश्तेदार अगले 2-3 घंटे पूरी तरह सुरक्षित हैं, जबकि निचली बस्ती में 250 लोगों की जान अगले 30 मिनट में खतरे में है। मैं उन्हें यह भी बताऊँगा कि यदि इस समय बोट बस्ती के बजाय फार्महाउस गई और बस्ती में जनहानि हुई, तो मीडिया और जनता में सरकार तथा स्वयं मंत्री जी की छवि को अपूरणीय क्षति पहुँचेगी।

3. **समानांतर वैकल्पिक राहत:** मैं स्थानीय पुलिस थाने, तहसीलदार और स्थानीय गोताखोरों/ट्रैक्टर-ट्रॉली की टीम को तुरंत मंत्री के फार्महाउस के संपर्क में रहने और खाद्य/चिकित्सा सामग्री पहुँचाने का निर्देश दूँगा तथा 3 घंटे में आने वाली दूसरी NDRF टीम या पहली टीम के दूसरे राउंड से उन्हें सुरक्षित बाहर निकालूँगा।

4. **दार्शनिक आधार:** यह निर्णय **महात्मा गांधी के ताबीज** (सबसे अंतिम और असहाय व्यक्ति को प्राथमिकता), **जॉन रॉल्स के भेद सिद्धांत**, **बेंथम के अधिकतम लोगों के जीवन की रक्षा** और **कांट के नैतिक कर्तव्य (निष्काम कर्मयोग)** पर पूर्णतः खरा उतरता है।

केस स्टडी 2: सार्वजनिक खरीद (GeM/Tender) में भ्रष्टाचार, राजनीतिक दबाव एवं व्हिसलब्लोइंग

• **प्रकरण (Case Context):** आप लोक निर्माण विभाग (PWD) या रेलवे के निर्माण खंड में कार्यकारी अभियंता (Executive Engineer) के पद पर तैनात हैं। आपके क्षेत्र में ₹60 करोड़ की लागत से एक महत्वपूर्ण पुल का निर्माण हो रहा है। औचक निरीक्षण और प्रयोगशाला परीक्षण में आप पाते हैं कि ठेकेदार (जो स्थानीय विधायक का करीबी रिश्तेदार है) निर्धारित मानक से बहुत घटिया स्तर के सीमेंट और स्टील का उपयोग कर रहा है, जिससे भविष्य में पुल के गिरने का गंभीर खतरा है। आपके मुख्य अभियंता (Chief Engineer), जो 6 माह बाद सेवानिवृत्त होने वाले हैं, आपको बुलाकर कहते हैं कि आप परीक्षण रिपोर्ट को दबा दें और ठेकेदार के ₹10 करोड़ के रनिंग बिल को पास कर दें। ठेकेदार भी आपको 10% कमीशन का प्रलोभन देता है और इनकार करने पर आपके परिवार को नुकसान पहुँचाने की परोक्ष धमकी देता है।

• **प्रमुख हितधारक:** आप (कार्यकारी अभियंता), मुख्य अभियंता, भ्रष्ट ठेकेदार एवं विधायक, पुल का उपयोग करने वाले हजारों आम नागरिक (यात्री), सरकारी राजकोष एवं आपका परिवार।

• **निहित नैतिक दुविधाएँ:**

1. **सत्यनिष्ठा एवं जनसुरक्षा बनाम वरिष्ठ अधिकारी का आदेश और पारिवारिक सुरक्षा।**

2. **वित्तीय औचित्य (GFR 2017 Rule 21) बनाम व्यक्तिगत लाभ (रिश्वत का प्रलोभन)।**

• **अंतिम कार्ययोजना एवं नैतिक औचित्य:**

1. **रिश्वत एवं अवैध आदेश को स्पष्ट अस्वीकृति:** मैं ठेकेदार के कमीशन के प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा दूँगा और घटिया निर्माण सामग्री वाले बिल पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट इनकार कर दूँगा।

2. **लिखित आदेश की मांग (Conduct Rules):** रेल/CCS आचरण नियमों के नियम 3(2)(ii) के तहत यदि वरिष्ठ अधिकारी (मुख्य अभियंता) मौखिक रूप से नियमविरुद्ध आदेश देते हैं, तो मैं उनसे **लिखित निर्देश (Written Confirmation)** की मांग करूँगा। सामान्यतः कोई भी भ्रष्ट अधिकारी घटिया सामग्री को पास करने का लिखित आदेश देने का साहस नहीं करता।

3. **साक्ष्यों का डिजिटलीकरण एवं सुरक्षित रिकॉर्डिंग:** मैं प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट, निर्माण स्थल के जियो-टैग (Geo-tagged) फोटोग्राफ और सैंपल को आधिकारिक ई-ऑफिस पोर्टल पर अपलोड कर दूँगा ताकि उन्हें नष्ट या बदला न जा सके, और ठेकेदार को निर्माण कार्य तुरंत रोकने (Stop-Work Notice) तथा अपने खर्च पर घटिया संरचना को हटाकर मानक सामग्री लगाने का कारण बताओ नोटिस जारी करूँगा।

4. **उच्च स्तर पर रिपोर्टिंग एवं सुरक्षा:** यदि मुख्य अभियंता फिर भी दबाव बनाते हैं, तो मैं विभाग के **मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO)** और **प्रधान सचिव / महाप्रबंधक** को तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजूँगा तथा परिवार को मिली धमकी के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक (SP) को लिखित सूचना देकर सुरक्षा सुनिश्चित करूँगा।

5. **दार्शनिक आधार:** कौटिल्य के राजधर्म, नोलन समिति के **सत्यनिष्ठा (Integrity) व साहस (Fortitude — प्लेटो)** तथा **GFR 2017 के वित्तीय औचित्य के सिद्धांत** के अनुसार सार्वजनिक धन और नागरिकों के जीवन के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

केस स्टडी 3: डिजिटल कल्याणकारी योजना में बायोमेट्रिक विफलता — नियम-अंधता बनाम संवैधानिक करुणा

• **प्रकरण (Case Context):** आप एक पिछड़े जिले में जिला आपूर्ति अधिकारी (DSO) / उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) हैं। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में फर्जी राशन कार्डों को रोकने के लिए 100% आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (e-POS Fingerprint Authentication) अनिवार्य कर दिया है। निरीक्षण के दौरान आपके सामने एक 78 वर्षीय नितांत गरीब, नेत्रहीन और कुष्ठ रोग से पीड़ित विधवा महिला आती है, जिसकी उंगलियों की रेखाएँ मिट जाने और आँखों की पुतली काम न करने के कारण मशीन पिछले 3 महीनों से उसका बायोमेट्रिक मिलान अस्वीकार कर रही है। राशन डीलर ने नियम का हवाला देते हुए उसे अनाज देने से मना कर दिया है और महिला भूखमरी के कगार पर है।

• **निहित नैतिक दुविधाएँ:**

1. **प्रक्रियात्मक कठोरता / नियम-अंधता (Rule-Myopia / Bureaucratic Red-Tapism) बनाम कल्याणकारी राज्य का मूल उद्देश्य (कल्याण एवं जीवन रक्षा)।**

2. **तकनीकी दक्षता (भ्रष्टाचार रोकना) बनाम वंचित वर्ग का समावेशन (Inclusion Error vs Exclusion Error)।**

• **अंतिम कार्ययोजना एवं नैतिक औचित्य:**

1. **तत्काल मानवीय राहत:** मैं सबसे पहले अपने विवेकाधीन कोष / अन्नपूर्णा या जिला रेडक्रॉस कोष से उस वृद्ध महिला को तत्काल उसी दिन एक माह का सूखा राशन और पका हुआ भोजन उपलब्ध कराऊँगा ताकि उसकी तत्काल भूख मिटाई जा सके।

2. **अपवाद प्रबंधन तंत्र (Exception Handling Mechanism) का प्रयोग:** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA, 2013) और आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत स्पष्ट निर्देश हैं कि बायोमेट्रिक विफलता के कारण किसी भी वास्तविक लाभार्थी को राशन से वंचित नहीं किया जा सकता। मैं तुरंत उस वृद्ध महिला के लिए **'नॉमिनी सुविधा' (Nominee / Assisted Authorization)** या **ओटीपी/फेस ऑथेंटिकेशन/अधिकृत ग्राम स्तरीय अधिकारी के प्रमाणीकरण (Inspection Register Override)** की स्थायी व्यवस्था लागू करूँगा और उसके घर तक राशन पहुँचाने (Doorstep Delivery for Destitute Senior Citizens) की व्यवस्था करूँगा।

3. **प्रणालीगत सुधार (Systemic Reform):** मैं केवल इस एक महिला तक सीमित न रहकर पूरे जिले के सभी राशन डीलरों को एक स्पष्ट परिपत्र (SOP) जारी करूँगा और आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जिले के ऐसे सभी वृद्ध, दिव्यांग और कुष्ठ पीड़ित लाभार्थियों की सूची बनवाऊँगा जिनका बायोमेट्रिक फेल हो रहा है, ताकि उनके लिए वैकल्पिक प्रमाणीकरण कार्ड जारी किए जा सकें।

4. **दार्शनिक आधार:** यह **कांट के सिद्धांत** (तकनीक मनुष्य की सेवा के लिए 'साधन' है, मनुष्य तकनीक का गुलाम नहीं है), **सिविल सेवा में करुणा (Compassion)** और **गांधीजी के अंत्योदय दर्शन** का जीवंत उदाहरण है।

केस स्टडी 4: सांप्रदायिक तनाव एवं डीपफेक सोशल मीडिया अफवाहों के बीच भावनात्मक बुद्धिमत्ता और संकट प्रबंधन

• **प्रकरण (Case Context):** आप एक संवेदनशील जिले में पुलिस अधीक्षक (SP) हैं। आगामी त्योहारों के दौरान दो समुदायों के जुलूस एक ही दिन निकलने हैं। अचानक रात 11 बजे सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुपों पर एक AI-जनित 'डीपफेक वीडियो' (Deepfake Video) तेजी से वायरल होता है, जिसमें एक समुदाय के धार्मिक स्थल को अपमानित करते हुए और भड़काऊ भाषण देते हुए दिखाया गया है। देखते ही देखते दोनों समुदायों के सैकड़ों उत्तेजित युवा सड़कों पर उतर आते हैं और पुलिस थाने का घेराव कर लेते हैं।

• **निहित नैतिक दुविधाएँ एवं चुनौतियाँ:**

1. **त्वरित बल प्रयोग बनाम संयम और संवाद के माध्यम से शांति स्थापना।**

2. **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम लोक व्यवस्था (Public Order) हेतु अस्थायी इंटरनेट नियंत्रण।**

• **अंतिम कार्ययोजना एवं नैतिक औचित्य:**

1. **भावनात्मक बुद्धिमत्ता (स्व-नियमन एवं सामाजिक कौशल) का प्रदर्शन:** मैं तुरंत संवेदनशील स्थल पर स्वयं पहुँचूँगा, पुलिस बल को बिना उकसावे के संयम बरतने का निर्देश दूँगा और संवेदनशील चौराहों पर फ्लैग मार्च तथा ड्रोन निगरानी तैनात करूँगा।

2. **डीपफेक का तत्काल वैज्ञानिक खंडन (Fact-Checking & Cyber Forensics):** मैं जिले की साइबर सेल और MCDO/सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम से 15 मिनट के भीतर उस वीडियो का AI-फोरेंसिक विश्लेषण कराकर आधिकारिक पुलिस हैंडल, स्थानीय केबल टीवी, रेडियो और पीस कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुपों पर **'फैक्ट-चेक वीडियो'** जारी करूँगा कि यह वीडियो पूर्णतः फर्जी (Deepfake) और शांति भंग करने की साजिश है।

3. **शांति समिति (Peace Committee) और धर्मगुरुओं को साथ लेना:** मैं तुरंत दोनों समुदायों के सम्मानित धर्मगुरुओं, बुजुर्गों और युवा प्रतिनिधियों को एक साथ बुलाकर उनसे संयुक्त शांति अपील का वीडियो संदेश जारी कराऊँगा और लाउडस्पीकर से प्रसारित करवाऊँगा।

4. **विधिक एवं तकनीकी कार्रवाई:** भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) और आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत अफवाह फैलाने वाले मूल खातों को ब्लॉक कराऊँगा और मुख्य षड्यंत्रकारियों को तुरंत गिरफ्तार करूँगा।

5. **दार्शनिक आधार:** डेनियल गोलमैन की **भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI)**, अरस्तू का **स्वर्णिम मध्यमान (न अति-बल प्रयोग, न निष्क्रियता)** और संवैधानिक **विधि का शासन (Rule of Law)**।

केस स्टडी 5: पर्यावरणीय नीतिशास्त्र बनाम औद्योगिक रोजगार एवं नदी प्रदूषण

• **प्रकरण (Case Context):** आप राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) के क्षेत्रीय अधिकारी हैं। आपके क्षेत्र में स्थित एक विशाल कपड़ा और रसायन रंगाई कारखाना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 4,000 स्थानीय लोगों को रोजगार देता है। किंतु आपकी तकनीकी टीम की गुप्त रात्रि जांच में पाया जाता है कि कारखाना बिजली और उपचार लागत बचाने के लिए रात के अंधेरे में बिना शोधित किया हुआ जहरीला रासायनिक कचरा (Untreated Effluent — जिसमें भारी धातुएँ क्रोमियम और सीसा हैं) सीधे पास की नदी में छोड़ रहा है, जिससे डाउनस्ट्रीम के 20 गाँवों का पेयजल और कृषि भूमि जहरीली हो रही है तथा बच्चों में गंभीर चर्म और लिवर रोग बढ़ रहे हैं। कारखाना प्रबंधन चेतावनी देता है कि यदि उन पर कठोर कार्रवाई की गई या ईटीपी (ETP) अपग्रेड करने के लिए प्लांट बंद कराया गया, तो वे कारखाना बंद कर सभी 4,000 मजदूरों को नौकरी से निकाल देंगे।

• **निहित नैतिक दुविधाएँ:**

1. **आजीविका का अधिकार (4,000 श्रमिकों का रोजगार) बनाम स्वच्छ पर्यावरण और जीवन का अधिकार (20 गाँवों के नागरिकों का स्वास्थ्य एवं पारिस्थितिकी)।**

2. **अल्पकालिक आर्थिक लाभ बनाम अंतर-पीढ़ीगत न्याय (Inter-generational Equity & Sustainable Development)।**

• अंतिम कार्ययोजना एवं नैतिक औचित्य:

1. **अवैध प्रदूषण पर तत्काल रोक (Zero Tolerance on Toxic Discharge):** सर्वोच्च न्यायालय के **'प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत' (Polluter Pays Principle)** और **'सावधानी सिद्धांत' (Precautionary Principle)** के तहत लोगों के जीवन और स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मैं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत कारखाने के गुप्त बाईपास पाइप को तत्काल सील कराऊँगा और भारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) अधिरोपित करूँगा।

2. **श्रमिकों की आजीविका की सुरक्षा के साथ समयबद्ध सुधार:** कारखाने को स्थायी रूप से बंद करने के बजाय मैं प्रबंधन को अपने मौजूदा एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP / Zero Liquid Discharge — ZLD) को 100% क्षमता पर चलाने और 24×7 **ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (OCEMS)** को केंद्रीय व राज्य सर्वर से जोड़ने का बाध्यकारी आदेश दूँगा तथा मरम्मत की संक्षिप्त अवधि के दौरान श्रम कानूनों के तहत किसी भी श्रमिक की छंटनी या वेतन कटौती न करने की शर्त लागू करूँगा।

3. **प्रभावित गाँवों में स्वास्थ्य शिविर एवं स्वच्छ पेयजल:** मैं जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से प्रभावित 20 गाँवों में तत्काल शुद्ध पेयजल टैंकर/आरओ संयंत्र और विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर लगवाऊँगा, जिसका खर्च कारखाने से वसूले गए पर्यावरणीय मुआवजे से वहन किया जाएगा।

4. **दार्शनिक आधार:** यह **पर्यावरणीय नीतिशास्त्र (Ecocentrism)**, गांधीजी के **ट्रस्टीशिप सिद्धांत** और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 48A के अनुरूप सतत विकास का मार्ग है।

अध्याय 6: आंतरिक सुरक्षा (Internal Security — नक्सलवाद, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा एवं सीमा प्रबंधन)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 6: आंतरिक सुरक्षा (Internal Security — नक्सलवाद, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा एवं सीमा प्रबंधन)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
वामपंथी उग्रवाद / नक्सलवाद (Left-Wing Extremism — LWE) एवं 'समाधान' (SAMADHAN) रणनीति	आतंकवाद, संगठित अपराध एवं प्रमुख सुरक्षा कानून (UAPA, NIA, PMLA)	साइबर सुरक्षा (Cyber Security) एवं संस्थागत ढांचा	सीमा प्रबंधन (Border Management)

6.1 वामपंथी उग्रवाद / नक्सलवाद (Left-Wing Extremism — LWE) एवं 'समाधान' (SAMADHAN) रणनीति

• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के **नक्सलबाड़ी** गाँव से चारु मजूमदार और कानू सान्याल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ यह आंदोलन माओत्से तुंग के "सत्ता बंदूक की नली से निकलती है" के हिंसक सिद्धांत पर आधारित है। वर्ष 2004 में PWG (पीपुल्स वार ग्रुप) और MCC (माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर) के विलय से **CPI (Maoist)** का गठन हुआ, जिसे UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है।

• केंद्र सरकार की बहुआयामी नीति एवं 'समाधान' (SAMADHAN) सिद्धांत (2017 से लागू):

• S — Smart Leadership: दूरदर्शी एवं समन्वित नेतृत्व।

• A — Aggressive Strategy: रक्षात्मक के बजाय आक्रामक सुरक्षा रणनीति (Forward Operating Bases — FOBs की स्थापना)।

• M — Motivation and Training: सुरक्षा बलों (CoBRA, CRPF, DRG, Greyhounds) का उच्च मनोबल और जंगल युद्ध प्रशिक्षण (CTJW College, कांकेर)।

• A — Actionable Intelligence: मानव और तकनीकी खुफिया तंत्र (UAVs, NTRO, Multi-Agency Centre — MAC) का सुदृढ़ीकरण।

• D — Dashboard Based KPIs and KRAs: विकास और सुरक्षा मानकों की रीयल-टाइम निगरानी।

• H — Harnessing Technology: IED पहचान, ड्रोन, सैटेलाइट ट्रैकिंग और GIS मैपिंग का उपयोग।

• **A — Action Plan for Each Theatre:** प्रत्येक प्रभावित क्षेत्र के लिए विशिष्ट कार्ययोजना।

• **N — No Access to Financing:** नक्सलियों के तेंदू पत्ता, अवैध खनन और लेवी (उगाही) के वित्तीय स्रोतों को NIA और ED के माध्यम से पूरी तरह समाप्त करना।

• **विकास एवं सुरक्षा का दोहरा मॉडल:** सड़क संपर्क योजना (RCPLWE), मोबाइल टावर स्थापना, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS), वन अधिकार अधिनियम (FRA 2006) व पेसा अधिनियम (PESA 1996) का क्रियान्वयन। परिणामतः LWE-प्रभावित जिलों की संख्या 2010 के 126 जिलों से घटकर **2024–2026 में मात्र कुछ सीमित कोर जिलों (छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र आदि)** तक सिमट गई है और मार्च 2026 तक देश को नक्सल-मुक्त करने का निर्णायक लक्ष्य अंतिम चरण में है।

6.2 आतंकवाद, संगठित अपराध एवं प्रमुख सुरक्षा कानून (UAPA, NIA, PMLA)

1. **विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 [UAPA — 2019 में संशोधित]:**

• **2019 के संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान:** पूर्व में केवल किसी 'संगठन' को ही आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था; **2019 के संशोधन द्वारा केंद्र सरकार को किसी 'व्यक्ति' (Individual) को भी आतंकवादी घोषित करने (अनुसूची IV में शामिल करने)** और NIA के महानिदेशक (DG, NIA) को आतंकवाद से जुड़ी संपत्ति को जब्त/कुर्क करने की शक्ति दी गई।

2. **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 [NIA Act — 2019 में संशोधित]:**

• 2008 के 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद गठित संघीय आतंकवाद-रोधी जांच एजेंसी।

• **2019 के संशोधन** से NIA को भारत के बाहर (विदेशों में) भारतीय नागरिकों या भारतीय हितों के विरुद्ध किए गए आतंकी अपराधों की जांच करने के साथ-साथ **मानव तस्करी (Human Trafficking), जाली मुद्रा (FICN), प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण/बिक्री और साइबर आतंकवाद (Cyber Terrorism)** के मामलों की जांच करने का अधिकार मिला।

3. **धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) एवं FATF:**

• मनी लॉन्ड्रिंग के 3 चरण हैं: **1. प्लेसमेंट (Placement — काले धन को वित्तीय प्रणाली में डालना), 2. लेयरिंग (Layering — जटिल लेन-देन द्वारा स्रोत छिपाना), और 3. इंटीग्रेशन (Integration — वैध संपत्ति के रूप में वापस अर्थव्यवस्था में लाना)**।

• **FATF (Financial Action Task Force — 1989 में G7 द्वारा स्थापित, मुख्यालय: पेरिस):** यह मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के विरुद्ध वैश्विक निगरानी संस्था है जो असहयोगी देशों को **'ग्रे लिस्ट' (Increased Monitoring)** और **'ब्लैक लिस्ट' (High-Risk Jurisdictions — जैसे ईरान, उत्तर कोरिया, म्यांमार)** में डालती है।

6.3 साइबर सुरक्षा (Cyber Security) एवं संस्थागत ढांचा

• **प्रमुख साइबर खतरे:** रैनसमवेयर (Ransomware — जैसे WannaCry, LockBit, Akira), फिशिंग एवं विशिंग, जीरो-डे एक्सप्लॉइट (Zero-Day Vulnerability), डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस (DDoS), एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट (APT), डीपफेक और क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर (पावर ग्रिड, बैंकिंग, एम्स सर्वर, रेलवे सिग्नलिंग) पर साइबर हमले।

• **भारत का साइबर सुरक्षा संस्थागत ढांचा:**

1. **CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team — 2004 में स्थापित, MeitY के अधीन):** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की **धारा 70B** के तहत साइबर घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाली राष्ट्रीय नोडल एजेंसी। 2022 के निर्देशों के अनुसार किसी भी गंभीर साइबर सुरक्षा घटना की सूचना **6 घंटे के भीतर** CERT-In को देना अनिवार्य है।

2. **NCIIPC (National Critical Information Infrastructure Protection Centre — 2014 में स्थापित, NTRO के अधीन):** आईटी अधिनियम की **धारा 70A** के तहत गठित; यह देश के 6 प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों (ऊर्जा, बैंकिंग/वित्त/बीमा, दूरसंचार, परिवहन, सरकार और सामरिक उद्यम) की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CII) की सुरक्षा करता है।

3. **I4C (Indian Cyber Crime Coordination Centre — गृह मंत्रालय के अधीन):** नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने हेतु राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (**cybercrime.gov.in**) और **हेल्पलाइन नंबर 1930** का संचालन करता है।

4. **साइबर स्वच्छता केंद्र (Botnet Cleaning and Malware Analysis Centre):** CERT-In द्वारा मैलवेयर और बॉटनेट संक्रमण को साफ करने के लिए संचालित।

5. **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP Act, 2023):** नागरिकों (Data Principals) के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और उल्लंघन करने वाली कंपनियों (Data Fiduciaries) पर **₹250 करोड़ तक** के जुर्माने तथा 'भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड' (Data Protection Board of India) के गठन का प्रावधान।

6. **बुडापेस्ट कन्वेंशन (Budapest Convention, 2001) बनाम संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध संधि (2024):** बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर अपराध पर पहली अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका भारत हस्ताक्षरकर्ता नहीं है (क्योंकि इसके प्रारूप निर्माण में भारत शामिल नहीं था और धारा 32बी सीमा-पार डेटा एक्सेस से संप्रभुता प्रभावित होती है), जबकि भारत संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क का सक्रिय समर्थक रहा है।

6.4 सीमा प्रबंधन (Border Management)

• भारत की सीमाओं की लंबाई एवं तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs — 'एक सीमा, एक बल' सिद्धांत):

1. **बांग्लादेश (4,096.7 किमी — सबसे लंबी स्थलीय सीमा): सीमा सुरक्षा बल (BSF)**। चुनौतियाँ: नदीय व छिद्रपूर्ण सीमा, अवैध घुसपैठ, मवेशी तस्करी, जाली मुद्रा।

2. **चीन (3,488 किमी — LAC: पश्चिमी, मध्य व पूर्वी क्षेत्र): भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)**। चुनौतियाँ: अक्साई चिन व अरुणाचल सीमा विवाद, चीन के 'श्याओकांग' (Xiaokang) सीमावर्ती गाँव और अवसंरचना निर्माण। इसके प्रत्युत्तर में भारत ने **'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' (Vibrant Villages Programme — ₹4,800 करोड़)** और BRO के माध्यम से सामरिक सुरंगों (अटल टनल, सेला टनल, शिंकुन ला टनल) का निर्माण किया है।

3. **पाकिस्तान (3,323 किमी — रेडक्लिफ रेखा व LoC):** अंतरराष्ट्रीय सीमा पर **BSF** और नियंत्रण रेखा (LoC) पर भारतीय सेना + BSF। चुनौतियाँ: सीमा-पार आतंकवाद, **नार्को-टेररिज्म (ड्रोन के माध्यम से पंजाब व जम्मू में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी)**, सर क्रीक विवाद। समाधान: **CIBMS (Comprehensive Integrated Border Management System — स्मार्ट फेंसिंग, लेजर वॉल, एंटी-ड्रोन सिस्टम)** और **मधुकर गुप्ता समिति (2016)** की सिफारिशें।

4. **नेपाल (1,751 किमी) एवं भूटान (699 किमी):** खुली सीमाएँ; तैनात बल—**सशस्त्र सीमा बल (SSB)**।

5. **म्यांमार (1,643 किमी — अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम):** तैनात बल—**असम राइफल्स (Assam Rifles — 'पूर्वोत्तर का प्रहरी')**। चुनौतियाँ: स्वर्णिम त्रिभुज (Golden Triangle) से मादक पदार्थों व हथियारों की तस्करी और उग्रवादी गुटों की आवाजाही, जिसके कारण केंद्र सरकार ने **मुक्त आवागमन व्यवस्था (Free Movement Regime — FMR)** को समाप्त करने और म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया।

6. **तटीय सुरक्षा (7,516.6 किमी):** तीन-स्तरीय सुरक्षा घेरा—(i) प्रादेशिक जल से परे (12 नॉटिकल मील से आगे): **भारतीय नौसेना (Indian Navy)**, (ii) 12 नॉटिकल मील से तट के करीब: **भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard)**, (iii) तट से 5 नॉटिकल मील तक: **तटीय पुलिस (Coastal Police / Marine Police)**।

अध्याय 7: आपदा प्रबंधन (Disaster Management — NDMA, DM Act 2005 एवं सेंदाई फ्रेमवर्क)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 7: आपदा प्रबंधन (Disaster Management — NDMA, DM Act 2005 एवं सेंदाई फ्रेमवर्क)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं संस्थागत ढांचा	सेंदाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction: 2015–2030)	प्रधानमंत्री का 10-सूत्रीय एजेंडा एवं CDRI

7.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं संस्थागत ढांचा

2004 की हिंद महासागर सुनामी के पश्चात भारत ने राहत-केंद्रित दृष्टिकोण (Relief-Centric Approach) के स्थान पर समग्र रोकथाम, शमन और तैयारी-केंद्रित दृष्टिकोण (Proactive Prevention, Mitigation & Preparedness Approach) अपनाते हुए **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** पारित किया (**NDMA Institutional Framework**):

1. **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA — धारा 3):**

• **पदेन अध्यक्ष (Ex-officio Chairperson): भारत के प्रधानमंत्री**।

• **सदस्य:** अध्यक्ष के अतिरिक्त अधिकतम **9 सदस्य** (जिनमें से एक को उपाध्यक्ष नामित किया जा सकता है; उपाध्यक्ष का दर्जा कैबिनेट मंत्री के समतुल्य और सदस्यों का दर्जा राज्य मंत्री के समतुल्य होता है)।

• **कार्य:** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, योजना और दिशानिर्देश तैयार करना।

2. **राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC — धारा 8):**

• **पदेन अध्यक्ष: केंद्रीय गृह सचिव (Union Home Secretary)**। यह NDMA के निर्णयों के क्रियान्वयन और मंत्रालयों के बीच समन्वय का कार्य करती है।

3. **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA — धारा 14):**

• **पदेन अध्यक्ष:** संबंधित राज्य के **मुख्यमंत्री** (अधिकतम 8 सदस्य)। राज्य कार्यकारी समिति (SEC) के अध्यक्ष राज्य के **मुख्य सचिव (Chief Secretary)** होते हैं।

4. **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA — धारा 25):**

• **अध्यक्ष: जिला कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट (DM) / उपायुक्त**।

• **सह-अध्यक्ष (Co-Chairperson):** जिला परिषद का निर्वाचित अध्यक्ष (जनजातीय छठी अनुसूची के स्वायत्त जिलों में स्वायत्त जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी सदस्य)।

5. **राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF — धारा 44–45) एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM — धारा 42):**

• **NDRF:** विशेष आपदा प्रतिक्रिया और बचाव बल (वर्तमान में 16 बटालियनें, जो CAPFs—BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB, Assam Rifles से प्रतिनियुक्ति पर गठित हैं), जिसमें CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) आपात स्थितियों से निपटने की विशेष क्षमता है।

• **NIDM:** प्रशिक्षण, अनुसंधान और क्षमता निर्माण का शीर्ष संस्थान।

6. **वित्तीय व्यवस्था (धारा 46–49):** राष्ट्रीय स्तर पर **NDRF (National Disaster Response Fund)** व **NDMF (National Disaster Mitigation Fund)** तथा राज्य स्तर पर **SDRF** व **SDMF** (जिसमें सामान्य राज्यों के लिए केंद्र:राज्य का अंशदान **75:25** और पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों के लिए **90:10** होता है)।

*7.2 सेंदाई फ्रेमवर्क (***Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*: 2015–2030)**

सेंदाई फ्रेमवर्क (18 मार्च 2015 को जापान के सेंदाई में संयुक्त राष्ट्र के तीसरे विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन में अपनाया गया) ह्यूगो फ्रेमवर्क (Hyogo Framework 2005–2015) का उत्तराधिकारी समझौता है, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं और अपनी **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP 2016 एवं संशोधित 2019)** को इसी के अनुरूप ढाला है:

(अ) सेंदाई फ्रेमवर्क की 4 कार्य प्राथमिकताएँ (4 Priorities for Action*):*

1. **प्राथमिकता 1:** आपदा जोखिम को समझना (Understanding Disaster Risk — सुभेद्यता, क्षमता और खतरे का वैज्ञानिक आकलन)।

2. **प्राथमिकता 2:** आपदा जोखिम के प्रबंधन के लिए आपदा जोखिम अभिशासन को सुदृढ़ करना (Strengthening Disaster Risk Governance to Manage Disaster Risk)।

3. **प्राथमिकता 3:** लचीलेपन के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश करना (Investing in Disaster Risk Reduction for Resilience)।

4. **प्राथमिकता 4:** प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा की तैयारी को बढ़ाना तथा पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास और पुनर्निर्माण में **'बेहतर पुनर्निर्माण' (Build Back Better)** करना।

(ब) सेंदाई फ्रेमवर्क के 7 वैश्विक लक्ष्य (7 Global Targets — A to G by 2030):

• कमी करने वाले 4 लक्ष्य (Targets A–D — Reduction Targets):

• Target A: 2030 तक वैश्विक आपदा मृत्यु दर (Global Disaster Mortality) में पर्याप्त कमी लाना।

• Target B: 2030 तक आपदा से प्रभावित लोगों की संख्या (Number of Affected People) में पर्याप्त कमी लाना।

• Target C: 2030 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुपात में प्रत्यक्ष आपदा आर्थिक नुकसान (Direct Economic Loss) को कम करना।

• Target D: स्वास्थ्य और शैक्षणिक सुविधाओं सहित महत्वपूर्ण अवसंरचना (Critical Infrastructure) को होने वाली क्षति और बुनियादी सेवाओं में व्यवधान को कम करना।

• वृद्धि करने वाले 3 लक्ष्य (Targets E–G — Increase Targets):

• Target E: राष्ट्रीय और स्थानीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों वाले देशों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करना।

• Target F: विकासशील देशों को पर्याप्त और सतत अंतरराष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना।

• Target G: बहु-संकट पूर्व चेतावनी प्रणालियों (Multi-Hazard Early Warning Systems — जैसे भारत का **'सचेत' / SACHET पोर्टल** और **Common Alerting Protocol — CAP**) की उपलब्धता और उन तक लोगों की पहुँच में पर्याप्त वृद्धि करना।

7.3 प्रधानमंत्री का 10-सूत्रीय एजेंडा एवं CDRI

• प्रधानमंत्री का 10-सूत्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एजेंडा (AMCDRR, 2016): (1) सभी विकास क्षेत्रों में आपदा जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों को समाहित करना, (2) गरीब परिवारों से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक सभी के लिए जोखिम बीमा कवरेज, (3) आपदा प्रबंधन में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देना, (4) वैश्विक स्तर पर जोखिम मानचित्रण (Risk Mapping) में निवेश, (5) प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों का उपयोग, (6) विश्वविद्यालयों का नेटवर्क विकसित करना, (7) सोशल मीडिया और मोबाइल तकनीक का उपयोग, (8) स्थानीय क्षमताओं और सामुदायिक पहल का निर्माण (जैसे **'आपदा मित्र' योजना**), (9) प्रत्येक आपदा से सीखने का तंत्र सुनिश्चित करना, और (10) अंतरराष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया में सामंजस्य लाना।

• CDRI (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure — आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन): वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन (न्यूयॉर्क) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई अंतरराष्ट्रीय पहल, जिसका **सचिवालय नई दिल्ली** में स्थित है (ISA के बाद भारत की पहल पर स्थापित दूसरा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन)।

अध्याय 8: अंतरराष्ट्रीय संबंध, भारत की विदेश नीति एवं प्रवासी भारतीय

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 8: अंतरराष्ट्रीय संबंध, भारत की विदेश नीति एवं प्रवासी भारतीय

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
भारत की विदेश नीति के सिद्धांत एवं विकास यात्रा	प्रवासी भारतीय (Indian Diaspora): वर्गीकरण, महत्व एवं चुनौतियाँ

8.1 भारत की विदेश नीति के सिद्धांत एवं विकास यात्रा

1. पंचशील (1954) एवं गुटनिरपेक्षता (NAM — 1961) से 'रणनीतिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) और 'बहु-संरेखण' (Multi-Alignment) तक:

• समकालीन बहुध्रुवीय विश्व में भारत किसी एक सैन्य गुट का पिछलग्गू बनने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर **'बहु-संरेखण' (Multi-Alignment)** की नीति अपनाता है—जहाँ भारत एक ही समय में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ **QUAD** में भी है और रूस, चीन व ईरान के साथ **BRICS+** एवं **SCO** में भी सक्रिय है।

2. गुजराल सिद्धांत (Gujral Doctrine — 1996–97, इंद्र कुमार गुजराल) के 5 सूत्र:

1. अपने छोटे पड़ोसियों (बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका) के साथ भारत **पारस्परिकता (Reciprocity) की मांग नहीं करेगा**, बल्कि सद्भावना और विश्वास में जो कुछ वह दे सकता है, बिना बदले की अपेक्षा के देगा।

2. कोई भी दक्षिण एशियाई देश अपनी भूमि का उपयोग क्षेत्र के दूसरे देश के हितों के विरुद्ध नहीं होने देगा।

3. कोई भी देश दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

4. सभी दक्षिण एशियाई देश एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे।

5. वे अपने सभी विवादों को शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से सुलझाएंगे।

3. **पड़ोसी प्रथम नीति (Neighbourhood First Policy — 2014):** कनेक्टिविटी, व्यापार, ऊर्जा सहयोग (नेपाल व भूटान के साथ जलविद्युत, बांग्लादेश के साथ मैत्री पाइपलाइन व अखौरा-अगरतला रेल लिंक, श्रीलंका को ₹4 बिलियन की आर्थिक सहायता) और मानवीय सहायता (**HADR — प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता / First Responder**)।

4. **एक्ट ईस्ट नीति (Act East Policy — नवंबर 2014):** 1991 की पी. वी. नरसिम्हा राव की 'लुक ईस्ट नीति' (जो केवल आर्थिक संबंधों पर केंद्रित थी) को अपग्रेड कर 2014 में 'एक्ट ईस्ट नीति' बनाया गया, जिसके 4C आधार हैं—**Culture (संस्कृति), Commerce (वाणिज्य), Connectivity (संपर्क — कालादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट व भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग) और Capacity Building (क्षमता निर्माण व सामरिक सुरक्षा सहयोग)** तथा इसका विस्तार आसियान से आगे **इंडो-पैसिफिक (Indo-Pacific)** तक किया गया।

5. **सागर (SAGAR — 2015) एवं महासागर (MAHASAGAR) दृष्टिकोण:**

• मार्च 2015 में मॉरीशस यात्रा के दौरान घोषित **SAGAR (Security and Growth for All in the Region)** हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के तटीय एवं द्वीपीय देशों (मॉरीशस, सेशेल्स, मालदीव, श्रीलंका, मेडागास्कर) के साथ नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy), समुद्री सुरक्षा और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका को परिभाषित करता है।

6. **ग्लोबल साउथ की आवाज (Voice of Global South):** भारत की G20 अध्यक्षता (2023) में **अफ्रीकी संघ (African Union — 55 देश)** को G20 का स्थायी सदस्य बनवाना, **IMEC (India-Middle East-Europe Economic Corridor)** और **ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस (GBA)** की शुरुआत तथा विकासशील देशों को डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI — UPI, Aadhaar/MOSIP, CoWIN) और वैक्सीन मैत्री उपलब्ध कराना।

8.2 प्रवासी भारतीय (Indian Diaspora): वर्गीकरण, महत्व एवं चुनौतियाँ

• विधिक वर्गीकरण:

1. **अनिवासी भारतीय (NRI — Non-Resident Indian):** भारतीय पासपोर्ट धारक भारतीय नागरिक जो एक वित्तीय वर्ष में रोजगार, व्यवसाय या अन्य उद्देश्यों से **182 दिन या उससे अधिक** भारत से बाहर निवास करता है (उसे भारत में मतदान का अधिकार और कर नियमों के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है)।

2. **भारत के प्रवासी नागरिक (OCI — Overseas Citizen of India):** विदेशी नागरिक (पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों या जिनके माता-पिता/दादा-दादी वहाँ के नागरिक रहे हों, को छोड़कर) जो भारतीय मूल के हैं। **जनवरी 2015 में PIO (Person of Indian Origin) कार्ड योजना को OCI कार्ड योजना में विलय कर दिया गया।** OCI कार्डधारकों को भारत आने के लिए आजीवन बहु-प्रवेश वीज़ा (Life-long Multiple Entry Visa) और आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्र में NRI के समतुल्य अधिकार (कृषि भूमि खरीदने, मतदान करने और संवैधानिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश या चुनाव आयुक्त बनने के अधिकार को छोड़कर) प्राप्त हैं।

• प्रवासी भारतीयों का रणनीतिक महत्व (3.5 करोड़ से अधिक — विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय):

1. **आर्थिक योगदान (Remittances):** विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश है (**वार्षिक 125–129 बिलियन से अधिक**), जो भारत के चालू खाता घाटे (CAD) को संतुलित करने और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने में रीढ़ की हड्डी है।

2. **कूटनीतिक एवं राजनीतिक प्रभाव (Soft Power & Strategic Lobbying):** अमेरिका (2008 के भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते में USINPAC की भूमिका), ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मॉरीशस, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद एवं टोबैगो और सिंगापुर में भारतीय मूल के राजनेताओं और सीईओ (CEOs) का प्रभाव।

3. **ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** 'ब्रेन ड्रेन' (Brain Drain) को **'ब्रेन गेन' (Brain Gain)** और **'ब्रेन सर्कुलेशन'** में बदलने हेतु **वैभव (VAIBHAV — Vaishwik Bharatiya Vaigyanik) फेलोशिप, वज्र (VAJRA) योजना** और **प्रवासी कौशल विकास योजना (PKVY)**।

• प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा हेतु भारत के प्रमुख निकासी अभियान (Major Evacuation Operations):

- **ऑपरेशन राहत (2015):** यमन से भारतीयों की निकासी।
- **ऑपरेशन देवी शक्ति (2021):** अफगानिस्तान से निकासी।
- **ऑपरेशन गंगा (2022):** रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन से भारतीय छात्रों की निकासी।
- **ऑपरेशन कावेरी (2023):** गृहयुद्ध ग्रस्त सूडान से निकासी।
- **ऑपरेशन अजय (2023):** इज़राइल-हमास संघर्ष के दौरान इज़राइल से निकासी।
- **ऑपरेशन इंद्रावती (2024):** हिंसाग्रस्त हैती (Haiti) से भारतीय नागरिकों की निकासी।

मास्टर सारणियाँ (Master Tables — Book *24*)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मास्टर सारणियाँ (Master Tables — Book 24)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
सारणी 1: प्रमुख भारतीय एवं पाश्चात्य नैतिक चिंतकों व उनके सिद्धांतों की मास्टर सारणी	**सारणी 2: नोलन समिति के 7 सिद्धांत एवं डेनियल गोलमैन के भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) के 5 घटक**	**सारणी 3: आपदा प्रबंधन संस्थागत ढांचा (DM Act 2005) एवं सेंदाई फ्रेमवर्क (2015–2030)**	**सारणी 4: भारत की स्थलीय सीमाएँ, तैनात सुरक्षा बल एवं भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय निकासी अभियान**

सारणी 1: प्रमुख भारतीय एवं पाश्चात्य नैतिक चिंतकों व उनके सिद्धांतों की मास्टर सारणी

चिंतक / दार्शनिक परंपरा	मूल दार्शनिक ग्रंथ / स्रोत	केंद्रीय नैतिक सिद्धांत (Core Ethical Doctrine)	लोक प्रशासन एवं सिविल सेवा में प्रत्यक्ष अनुप्रयोग
भगवद्गीता	महाभारत (भीष्म पर्व)	**निष्काम कर्मयोग**, स्वधर्म एवं **लोकसंग्रह**	परिणाम या राजनीतिक लाभ-हानि की आसक्ति के बिना संवैधानिक कर्तव्य पालन
बौद्ध दर्शन (गौतम बुद्ध)	त्रिपिटक / धम्मपद	**अष्टांगिक मार्ग**, **मध्यम प्रतिपदा (Middle Path)**, करुणा व प्रज्ञा	प्रशासनिक अतिवाद से बचकर संतुलित, करुणामय एवं विवेकशील निर्णय लेना
जैन दर्शन (महावीर स्वामी)	आगम साहित्य	**अनेकांतवाद**, **स्याद्वाद** एवं **पंच महाव्रत (अपरिग्रह, अहिंसा)**	बहुलतावादी समाज में विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति सहिष्णुता और भ्रष्टाचार का त्याग
कौटिल्य (चाणक्य)	अर्थशास्त्र	**राजधर्म** ("प्रजासुखे सुखं राज्ञः"), सप्तांग सिद्धांत व भ्रष्टाचार के 40 रूप	लोक कल्याण को सर्वोच्च रखना एवं कठोर वित्तीय सतर्कता व लेखा-परीक्षा
महात्मा गांधी	हिंद स्वराज / यंग इंडिया	**सत्य, अहिंसा, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, साधन-साध्य की पवित्रता, ताबीज व 7 सामाजिक पाप**	नीति निर्माण में अंतिम पायदान पर खड़े सबसे गरीब व्यक्ति (अंत्योदय) के हित को कसौटी बनाना
डॉ. बी. आर. अंबेडकर	Annihilation of Caste / संविधान सभा भाषण	**संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality)** एवं सामाजिक न्याय	सामाजिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर संविधान की सर्वोच्चता, समता और बंधुत्व की रक्षा
सुकरात (Socrates)	प्लेटो के संवाद (Apology, Crito)	"ज्ञान ही सद्गुण है" एवं "अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है"	आत्म-निरीक्षण, नैतिक साहस और सत्य के लिए प्रश्न पूछने की वैज्ञानिक भावना
प्लेटो (Plato)	द रिपब्लिक (The Republic)	**4 मुख्य सद्गुण (Four Cardinal Virtues): विवेक, साहस, संयम और न्याय**	प्रशासक में बौद्धिक विवेक, दबाव सहने का साहस, इंद्रिय संयम और न्यायप्रियता
अरस्तू (Aristotle)	निकोमैकियन एथिक्स	**स्वर्णिम मध्यमान (Golden Mean)** एवं **यूडाइमोनिया (Eudaimonia)**	कायरता और उतावलेपन के बीच संतुलित साहस; आदत (Habit) से चरित्र निर्माण
इमैनुएल कांट (Kant)	Groundwork of the Metaphysics of Morals	**कर्तव्यशास्त्र (Deontology)** एवं **निरपेक्ष आदेश (Categorical Imperative)**	नागरिकों को केवल सरकारी लक्ष्यों का 'साधन' न मानकर स्वयं में 'साध्य' (सम्मान का पात्र) मानना

चिंतक / दार्शनिक परंपरा	मूल दार्शनिक ग्रंथ / स्रोत	केंद्रीय नैतिक सिद्धांत (Core Ethical Doctrine)	लोक प्रशासन एवं सिविल सेवा में प्रत्यक्ष अनुप्रयोग
जेरेमी बेंथम एवं जे.एस. मिल	Utilitarianism	**उपयोगितावाद:** अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख (बेंथम: मात्रात्मक; मिल: गुणात्मक)	सीमित सार्वजनिक संसाधनों से अधिकतम नागरिकों को लाभ पहुँचाना (Cost-Benefit Analysis)
जॉन रॉल्स (John Rawls)	A Theory of Justice (1971)	**अज्ञानता का आवरण (Veil of Ignorance)** एवं **भेद सिद्धांत (Difference Principle)**	सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action) और समाज के सबसे वंचित वर्ग को अधिकतम लाभ देना

सारणी 2: नोलन समिति के 7 सिद्धांत एवं डेनियल गोलमैन के भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) के 5 घटक

नोलन समिति (1995) के 7 सार्वजनिक मूल्य	अर्थ एवं प्रशासनिक मानक	डेनियल गोलमैन (1995) के EI के 5 घटक	प्रशासनिक संकट प्रबंधन में भूमिका
1. निःस्वार्थता (Selflessness)	केवल जनहित में निर्णय लेना; कोई निजी लाभ नहीं	**1. स्व-जागरूकता (Self-Awareness)**	अपने पूर्वाग्रहों, तनाव और भावनात्मक ट्रिगर्स को पहचानना
2. सत्यनिष्ठा (Integrity)	बाहरी वित्तीय या राजनीतिक दबाव से मुक्त रहना	**2. स्व-नियमन (Self-Regulation)**	उग्र भीड़ या राजनीतिक दबाव के सामने क्रोध/आवेग पर नियंत्रण रखना
3. वस्तुनिष्ठता (Objectivity)	केवल योग्यता (Merit) और तथ्यों के आधार पर निर्णय	**3. आंतरिक अभिप्रेरणा (Motivation)**	कठिन परिस्थितियों और दुर्गम पोस्टिंग में भी जनसेवा का उत्साह बनाए रखना
4. जवाबदेही (Accountability)	अपने कार्यों के लिए जनता और जांच के प्रति उत्तरदायी	**4. समानुभूति (Empathy)**	पीड़ित नागरिकों और अधीनस्थ कर्मचारियों की अनकही पीड़ा को समझना
5. खुलापन (Openness)	निर्णयों में पारदर्शिता (RTI की भावना)	**5. सामाजिक कौशल (Social Skills)**	अंतर-विभागीय समन्वय, शांति समिति संवाद और टीम नेतृत्व
6. ईमानदारी (Honesty)	हितों के टकराव (Conflict of Interest) की घोषणा करना	—	—
7. नेतृत्व (Leadership)	स्वयं के उदाहरण से नैतिक संस्कृति का निर्माण करना	—	—

सारणी 3: आपदा प्रबंधन संस्थागत ढांचा (DM Act 2005) एवं सेंदाई फ्रेमवर्क (2015–2030)

संस्था / फ्रेमवर्क	वैधानिक धारा / वर्ष	अध्यक्ष / प्रमुख	मुख्य कार्य एवं लक्ष्य (NDMA & Sendai Framework)
1. NDMA (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)	DM Act 2005, धारा 3	**भारत के प्रधानमंत्री** (पदेन अध्यक्ष; अधिकतम 9 सदस्य)	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, योजना और दिशानिर्देश तैयार करना
2. NEC (राष्ट्रीय कार्यकारी समिति)	DM Act 2005, धारा 8	**केंद्रीय गृह सचिव** (पदेन अध्यक्ष)	राष्ट्रीय योजना का क्रियान्वयन और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय
3. SDMA (राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)	DM Act 2005, धारा 14	**राज्य के मुख्यमंत्री** (पदेन अध्यक्ष; अधिकतम 8 सदस्य)	राज्य आपदा प्रबंधन नीति और योजना का निर्माण (SEC अध्यक्ष: मुख्य सचिव)
4. DDMA (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)	DM Act 2005, धारा 25	**जिला मजिस्ट्रेट (DM/Collector)**; सह-अध्यक्ष: जिला परिषद अध्यक्ष	जिला स्तर पर आपदा तैयारी, राहत, बचाव और पुनर्वास का प्रत्यक्ष निष्पादन
5. सेंदाई फ्रेमवर्क (SFDRR)	2015–2030 (18 मार्च 2015, जापान)	संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR)	**4 कार्य प्राथमिकताएँ** (जोखिम समझना, अभिशासन, निवेश, Build Back Better) एवं 7 **वैश्विक लक्ष्य (A–D कमी लक्ष्य, E–G वृद्धि लक्ष्य)**

सारणी 4: भारत की स्थलीय सीमाएँ, तैनात सुरक्षा बल एवं भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय निकासी अभियान

सीमावर्ती देश	सीमा की लंबाई (किमी)	तैनात सीमा रक्षक बल (Border Guarding Force)	प्रवासी भारतीयों के प्रमुख निकासी अभियान	संबंधित वर्ष एवं देश
1. बांग्लादेश	**4,096.7 किमी** (सर्वाधिक)	**सीमा सुरक्षा बल (BSF)**	**ऑपरेशन राहत (Operation Raahat)**	2015 — यमन (Yemen)
2. चीन (LAC)	**3,488 किमी**	**भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)**	**ऑपरेशन देवी शक्ति (Operation Devi Shakti)**	2021 — अफगानिस्तान (Afghanistan)
3. पाकिस्तान	**3,323 किमी**	**BSF** (अंतरराष्ट्रीय सीमा) एवं सेना + BSF (LoC)	**ऑपरेशन गंगा (Operation Ganga)**	2022 — यूक्रेन (Ukraine)
4. नेपाल	**1,751 किमी**	**सशस्त्र सीमा बल (SSB)**	**ऑपरेशन कावेरी (Operation Kaveri)**	2023 — सूडान (Sudan)
5. म्यांमार	**1,643 किमी**	**असम राइफल्स (Assam Rifles)**	**ऑपरेशन अजय (Operation Ajay)**	2023 — इज़राइल (Israel)
6. भूटान	**699 किमी**	**सशस्त्र सीमा बल (SSB)**	**ऑपरेशन इंद्रावती (Operation Indravati)**	2024 — हैती (Haiti)

सारणी 5: आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख कानून एवं साइबर सुरक्षा एजेंसियों की मास्टर सारणी

अधिनियम / संस्था	स्थापना / संशोधन वर्ष	नोडल मंत्रालय / विधिक आधार	मुख्य अधिकार क्षेत्र एवं प्रमुख परीक्षा बिंदु
1. UAPA (विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम)	1967 (संशोधित 2019)	गृह मंत्रालय (MHA)	2019 संशोधन द्वारा **'व्यक्ति' (Individual)** को भी आतंकवादी घोषित करने और DG NIA को संपत्ति जब्त करने की शक्ति
2. NIA (राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण)	2008 (संशोधित 2019)	गृह मंत्रालय (MHA)	विदेशों में भारतीय हितों पर आतंकी हमले, मानव तस्करी, जाली मुद्रा (FICN) व साइबर आतंकवाद की जांच
3. PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम)	2002	वित्त मंत्रालय (प्रवर्तन निदेशालय — ED)	मनी लॉन्ड्रिंग के 3 चरण (Placement, Layering, Integration) की रोकथाम व अवैध संपत्ति की कुर्की
4. CERT-In	2004 (आईटी अधिनियम धारा 70B)	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय (MeitY)	साइबर हमलों पर प्रतिक्रिया देने वाली राष्ट्रीय नोडल एजेंसी; गंभीर घटनाओं की रिपोर्टिंग **6 घंटे** में अनिवार्य
5. NCIIPC	2014 (आईटी अधिनियम धारा 70A)	राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO)	देश के 6 रणनीतिक क्षेत्रों की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (Critical Information Infrastructure) का संरक्षण
6. I4C (भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र)	2018–2020	गृह मंत्रालय (MHA — CIS प्रभाग)	नागरिकों हेतु साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल एवं राष्ट्रीय हेल्पलाइन **1930** का संचालन
7. DPDP अधिनियम (डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण)	2023	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय (MeitY)	व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बोर्ड का गठन; डेटा उल्लंघन पर **₹250 करोड़ तक** का दंड

60 वास्तविक परीक्षा-स्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न (60 Authentic Exam-Level MCQs — Q1 to Q60)

अभ्यास प्रश्न #1 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 1. प्राचीन यूनानी दार्शनिक **प्लेटो (Plato)** द्वारा अपनी कृति 'द रिपब्लिक' (*The Republic*) में प्रतिपादित **'चार मुख्य सद्गुणों' (Four Cardinal Virtues)** में निम्नलिखित में से कौन-से चार सद्गुण शामिल हैं? **[UPSC CSE GS-IV / UPPSC PCS 2022]**

(A) विवेक (Prudence/Wisdom), साहस (Courage/Fortitude), संयम (Temperance) और न्याय (Justice)

(B) सत्य, अहिंसा, करुणा और दान

(C) स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय

(D) श्रद्धा, आशा, परोपकार और विनम्रता

• **सही उत्तर: (A)**

• **विस्तृत व्याख्या:** प्लेटो ने आत्मा के तीन भागों (तर्क/बुद्धि, साहस/ओज, और तृष्णा/इच्छा) के अनुरूप **विवेक (Wisdom/Prudence)**, **साहस (Courage/Fortitude)** और **संयम (Temperance)** को परिभाषित किया और जब ये तीनों सद्गुण सामंजस्य में कार्य करते हैं, तो चौथे सर्वोच्च सद्गुण **'न्याय' (Justice)** की उत्पत्ति होती है।

अभ्यास प्रश्न #2 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 2. नीतिशास्त्र में **'स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत' (Doctrine of the Golden Mean)** और मानवीय उत्कर्ष के लिए **'यूडाइमोनिया' (Eudaimonia)** की अवधारणा किस पाश्चात्य दार्शनिक द्वारा प्रतिपादित की गई थी? **[UPSC CSE / State PCS Ethics 2023]**

(A) सुकरात (Socrates)

(B) अरस्तू (Aristotle)

(C) इमैनुएल कांट (Immanuel Kant)

(D) जेरेमी बेंथम (Jeremy Bentham)

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** अरस्तू ने अपनी पुस्तक 'निकोमैकियन एथिक्स' (*Nicomachean Ethics*) में **स्वर्णिम मध्यमान (Golden Mean)** का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार प्रत्येक सद्गुण दो चरम अतियों—अभाव (Deficiency) और अधिकता (Excess)—के बीच का संतुलित मध्य मार्ग है (जैसे कायरता और दुस्साहस के बीच 'साहस')।

अभ्यास प्रश्न #3 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 3. "मनुष्य के साथ कभी भी केवल एक साधन (*Means*) के रूप में व्यवहार मत करो, बल्कि उसे सदैव अपने आप में एक साध्य (*End in itself*) मानो" — यह प्रसिद्ध नैतिक सूत्र किस दार्शनिक के **'निरपेक्ष आदेश' (Categorical Imperative)** का भाग है? **[UPSC CSE / MPPSC Ethics Paper 2024]**

(A) जॉन स्टुअर्ट मिल

(B) थॉमस हॉब्स

(C) इमैनुएल कांट (Immanuel Kant)

(D) जॉन लॉक

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** जर्मन कर्तव्यशास्त्री (Deontologist) **इमैनुएल कांट** ने अपने 'निरपेक्ष आदेश' (Categorical Imperative) के द्वितीय नियम (Formula of Humanity) में स्पष्ट किया कि प्रत्येक विवेकशील मनुष्य की अपनी आंतरिक गरिमा (Dignity) है, इसलिए किसी भी व्यक्ति का उपयोग केवल किसी बाहरी लक्ष्य को पाने के उपकरण या साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न #4 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 4. जॉन रॉल्स (John Rawls) के प्रसिद्ध ग्रंथ 'ए थ्योरी ऑफ जस्टिस' (*A Theory of Justice*, 1971) में प्रतिपादित **'भेद सिद्धांत' (Difference Principle)** और **'अज्ञानता के आवरण' (Veil of Ignorance)** का मुख्य निहितार्थ क्या है? **[UPSC CSE Prelims & GS-IV 2023]**

(A) समाज में सभी व्यक्तियों की आय गणितीय रूप से 100% बराबर होनी चाहिए

(B) बहुसंख्यक समाज के अधिकतम सुख के लिए अल्पसंख्यकों के हितों का त्याग किया जा सकता है

(C) सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ केवल तभी न्यायसंगत हैं जब वे समाज के **सबसे कम सुविधा प्राप्त (Least Advantaged / वंचित) सदस्यों को अधिकतम लाभ** पहुँचाती हों

(D) राज्य को अर्थव्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** जॉन रॉल्स के अनुसार 'अज्ञानता के पर्दे' (Veil of Ignorance) के पीछे बैठे तार्किक व्यक्ति न्याय के दो सिद्धांत चुनेंगे: प्रथम, समान मौलिक स्वतंत्रता; और द्वितीय, अवसर की निष्पक्ष समानता तथा **भेद सिद्धांत (Difference Principle)**, जिसके अनुसार विषमता केवल तभी स्वीकार्य है जब उससे समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का अधिकतम कल्याण (Maximin Rule) होता हो।

अभ्यास प्रश्न #5 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 5. महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1925 में 'यंग इंडिया' में प्रकाशित **'सात सामाजिक पापों' (Seven Social Sins)** की सूची में निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म शामिल **नहीं है**? **[UPSC / UPPSC / RAS Ethics 2024]**

(A) सिद्धांतों के बिना राजनीति (Politics without Principles) एवं परिश्रम के बिना धन (Wealth without Work)

(B) चरित्र के बिना ज्ञान (Knowledge without Character) एवं मानवता के बिना विज्ञान (Science without Humanity)

(C) नैतिकता के बिना व्यापार (Commerce without Morality) एवं त्याग के बिना पूजा (Worship without Sacrifice)

(D) राज्य के बिना धर्म (Religion without State) एवं दंड के बिना कानून (Law without Punishment)

• **सही उत्तर: (D)**

• **विस्तृत व्याख्या:** महात्मा गांधी के सात सामाजिक पाप हैं: (1) सिद्धांतों के बिना राजनीति, (2) परिश्रम के बिना धन, (3) अंतरात्मा/विवेक के बिना सुख, (4) चरित्र के बिना ज्ञान, (5) नैतिकता के बिना व्यापार, (6) मानवता के बिना विज्ञान, और (7) त्याग के बिना पूजा। 'राज्य के बिना धर्म' इसमें शामिल नहीं है।

अभ्यास प्रश्न #6 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 6. उपयोगितावाद (Utilitarianism) में जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों के बीच सबसे प्रमुख सैद्धांतिक अंतर क्या है? **[UPSC CSE / BPSC 2022]**

(A) बेंथम ने केवल मात्रात्मक सुख (Quantitative Pleasure) पर बल दिया, जबकि जे. एस. मिल ने सुखों के बीच **गुणात्मक अंतर (Qualitative Distinction — बौद्धिक व नैतिक सुख को शारीरिक सुख से श्रेष्ठ मानना)** को स्थापित किया

(B) बेंथम परिणामवादी थे जबकि मिल कर्तव्यशास्त्री (Deontologist) थे

(C) बेंथम ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया जबकि मिल ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया

(D) दोनों के विचारों में कोई अंतर नहीं है

• **सही उत्तर: (A)**

• **विस्तृत व्याख्या:** जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद विशुद्ध रूप से मात्रात्मक था (सुखवादी कलन / Hedonic Calculus), जबकि **जॉन स्टुअर्ट मिल** ने सुखों में गुणात्मक भेद करते हुए कहा कि उच्चतर बौद्धिक एवं नैतिक सुख निम्नतर इंद्रिय सुखों से श्रेष्ठ हैं ("संतुष्ट सूअर होने से असंतुष्ट मनुष्य होना और संतुष्ट मूर्ख होने से असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है")।

अभ्यास प्रश्न #7 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 7. भारतीय दर्शन की किस परंपरा में **'अनेकांतवाद'** (सत्य और वास्तविकता के अनेक पहलू हैं) तथा **'स्याद्वाद'** (सापेक्षिक निर्णय का सिद्धांत) का प्रतिपादन किया गया है, जो आधुनिक लोकतांत्रिक सहिष्णुता और बौद्धिक विनम्रता का आधार है? **[UPSC CSE Prelims & GS-IV 2021]**

(A) चार्वाक दर्शन

(B) जैन दर्शन

(C) पूर्व मीमांसा दर्शन

(D) न्याय-वैशेषिक दर्शन

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या: जैन दर्शन** का तत्वमीमांसीय सिद्धांत **अनेकांतवाद** और ज्ञानमीमांसीय सिद्धांत **स्याद्वाद (सप्तभंगी नय)** यह सिखाता है कि कोई भी मानवीय दृष्टिकोण आंशिक सत्य ही देख पाता है, इसलिए दूसरे के विचारों के प्रति बौद्धिक अहिंसा और सहिष्णुता रखनी चाहिए।

अभ्यास प्रश्न #8 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 8. कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में वर्णित **'राजधर्म'** और प्रशासनिक नैतिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन **सत्य** है? **[UPSC CSE / State PCS 2023]**

(A) कौटिल्य ने राजा की व्यक्तिगत इच्छा को प्रजा के कल्याण से ऊपर रखा

(B) कौटिल्य ने "प्रजासुखे सुखं राज्ञः" (प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है) का सिद्धांत दिया और राजकोष के गबन (Embezzlement) के 40 तरीकों की पहचान कर कठोर लेखा-परीक्षा व सतर्कता तंत्र का विधान किया

(C) कौटिल्य ने गुप्तचर तंत्र और दंड नीति को पूरी तरह समाप्त करने की वकालत की

(D) कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत केवल धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण में लोक-कल्याणकारी राज्य का आदर्श रखते हुए कहा कि प्रजा के सुख और हित में ही शासक का सुख और हित है। साथ ही दूसरे अधिकरण (अध्यक्षप्रचार) में उन्होंने सरकारी अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक धन के गबन के **40 तरीकों** का उल्लेख करते हुए कहा कि जैसे पानी में तैरती मछली कब पानी पी लेती है यह जानना कठिन है, वैसे ही कोष से जुड़े अधिकारी कब धन चुराते हैं, इसके लिए सतत ऑडिट और सतर्कता अनिवार्य है।

अभ्यास प्रश्न #9 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 9. अभिवृत्ति (Attitude) की संरचना के **'CAB मॉडल'** में तीन मूलभूत घटक कौन-से होते हैं? **[UPSC GS-IV / MPPSC / RAS 2022]**

(A) Character, Action, Belief (चरित्र, क्रिया, विश्वास)

(B) Cognitive, Affective, Behavioural (संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक घटक)

(C) Compassion, Aptitude, Benevolence (करुणा, अभिक्षमता, परोपकार)

(D) Conscience, Authority, Bureaucracy (अंतरात्मा, प्राधिकार, नौकरशाही)

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** मनोविज्ञान और नीतिशास्त्र में अभिवृत्ति (Attitude) के तीन घटक (**CAB / ABC Model**) होते हैं: **Cognitive (संज्ञानात्मक — किसी वस्तु के बारे में ज्ञान/विश्वास)**, **Affective (भावात्मक — उसके प्रति पसंद/नापसंद या भावना)**, और **Behavioural (व्यवहारात्मक — उसके प्रति कार्य करने की तत्परता)**।

अभ्यास प्रश्न #10 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 10. एक सिविल सेवक में **'सहानुभूति' (Sympathy)**, **'समानुभूति' (Empathy)** और **'करुणा' (Compassion)** के बीच सही तार्किक संबंध क्या है? **[UPSC CSE GS-IV / CAPF 2024]**

(A) सहानुभूति सर्वोच्च गुण है और करुणा उसका प्रारंभिक चरण है

(B) तीनों शब्दों का अर्थ पूर्णतः एक समान है

(C) सहानुभूति दूसरे के दुःख पर केवल दया/खेद जताना है; समानुभूति दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखकर उसकी पीड़ा महसूस करना है; और **करुणा (Compassion = Empathy + Action)** उस पीड़ा को दूर करने के लिए सक्रिय व ठोस कदम उठाना है

(D) एक प्रशासक को करुणा का त्याग कर केवल कठोर नियमों का पालन करना चाहिए

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** लोक सेवा में कमजोर वर्गों के प्रति केवल दया (Sympathy) या अनुभूति (Empathy) पर्याप्त नहीं है; जब समानुभूति के साथ पीड़ित की सहायता करने की सक्रिय क्रिया (Action to alleviate suffering) जुड़ जाती है, तब वह **करुणा (Compassion)** बनती है।

अभ्यास प्रश्न #11 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 11. यूनाइटेड किंगडम (UK) की **लॉर्ड नोलन समिति (Nolan Committee, 1995)** द्वारा सार्वजनिक जीवन के लिए निर्धारित 7 **सिद्धांतों (Seven Principles of Public Life)** में निम्नलिखित में से कौन-सा सिद्धांत शामिल **नहीं है**? **[UPSC / UPPSC / CSS SO LDCE 2023]**

(A) निःस्वार्थता (Selflessness) एवं सत्यनिष्ठा (Integrity)

(B) वस्तुनिष्ठता (Objectivity) एवं जवाबदेही (Accountability)

(C) खुलापन (Openness), ईमानदारी (Honesty) एवं नेतृत्व (Leadership)

(D) राजनीतिक प्रतिबद्धता (Political Partisanship) एवं गोपनीयता (Secrecy)

• **सही उत्तर: (D)**

• **विस्तृत व्याख्या:** लॉर्ड नोलन समिति (1995) के सार्वजनिक जीवन के 7 सिद्धांत हैं: **1. Selflessness (निःस्वार्थता), 2. Integrity (सत्यनिष्ठा), 3. Objectivity (वस्तुनिष्ठता), 4. Accountability (जवाबदेही), 5. Openness (खुलापन), 6. Honesty (ईमानदारी), और 7. Leadership (नेतृत्व)**। राजनीतिक तरफदारी और गोपनीयता इसके विपरीत हैं।

अभ्यास प्रश्न #12 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 12. डेनियल गोलमैन (Daniel Goleman, 1995) के भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence — EI) मॉडल के **5 प्रमुख घटकों** में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल हैं? **[UPSC / State PCS Ethics 2024]**

(A) स्व-जागरूकता (Self-Awareness), स्व-नियमन (Self-Regulation), आंतरिक अभिप्रेरणा (Internal Motivation), समानुभूति (Empathy) और सामाजिक कौशल (Social Skills)

(B) स्मृति, गणितीय तर्क, भाषाई दक्षता, स्थानिक समझ और गति

(C) आज्ञापालन, दंड का भय, पुरस्कार की इच्छा, प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षा

(D) केवल सहानुभूति और परोपकार

• **सही उत्तर: (A)**

• **विस्तृत व्याख्या:** डेनियल गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) के 5 मुख्य घटक हैं—जिनमें प्रथम तीन व्यक्तिगत दक्षताएँ **(स्व-जागरूकता, स्व-नियमन, आंतरिक अभिप्रेरणा)** और अंतिम दो सामाजिक दक्षताएँ **(समानुभूति और सामाजिक कौशल)** हैं।

अभ्यास प्रश्न #13 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 13. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (**2nd ARC — वीरप्पा मोइली आयोग**) की कौन-सी रिपोर्ट विशेष रूप से **'शासन में नैतिकता' (Ethics in Governance)** पर केंद्रित है? **[UPSC CSE / UPPSC / CSS LDCE 2022]**

(A) प्रथम रिपोर्ट (Right to Information: Master Key to Good Governance)

(B) चतुर्थ रिपोर्ट (Fourth Report — Ethics in Governance)

(C) दशम रिपोर्ट (Refurbishing of Personnel Administration)

(D) द्वादश रिपोर्ट (Citizen Centric Administration)

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की **चौथी रिपोर्ट (4th Report)** का शीर्षक **'Ethics in Governance' (शासन में नैतिकता)** है, जबकि पहली रिपोर्ट सूचना के अधिकार (RTI) और बारहवीं रिपोर्ट नागरिक-केंद्रित प्रशासन पर है।

अभ्यास प्रश्न #14 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 14. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता मापने और सुधारने के लिए विकसित **'सेवोत्तम मॉडल' (Sevottam Model — IS 15700:2005)** के तीन मुख्य घटक कौन-से हैं? **[UPSC CSE / CSS SO LDCE 2025]**

(A) ई-गवर्नेंस, बजट आवंटन और पुलिस सुधार

(B) नागरिक चार्टर (Citizen's Charter), लोक शिकायत निवारण प्रणाली (Public Grievance Redressal Mechanism) और सेवा वितरण क्षमता (Service Delivery Capability)

(C) भर्ती, प्रशिक्षण और पदोन्नति

(D) लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग और सीबीआई

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या: सेवोत्तम मॉडल** ('सेवा' + 'उत्तम') लोक सेवाओं के मानकीकरण का भारतीय ढांचा है जिसके 3 स्तंभ हैं: (1) प्रभावी **नागरिक चार्टर**, (2) सुदृढ़ **लोक शिकायत निवारण तंत्र (CPGRAMS)**, और (3) **सेवा वितरण क्षमता** का विकास।

अभ्यास प्रश्न #15 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 15. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005) की **धारा 7(1)** के अनुसार, सामान्य स्थिति में और किसी व्यक्ति के **'जीवन या स्वतंत्रता' (Life or Liberty)** से संबंधित मामले में जन सूचना अधिकारी (PIO) द्वारा सूचना उपलब्ध कराने की अधिकतम समय-सीमा क्रमशः क्या है? **[UPSC / SSC / State PCS 2023]**

(A) सामान्य: 15 दिन; जीवन या स्वतंत्रता: 24 घंटे

(B) सामान्य: 30 दिन; जीवन या स्वतंत्रता: **48 घंटे**

(C) सामान्य: 45 दिन; जीवन या स्वतंत्रता: 72 घंटे

(D) सामान्य: 30 दिन; जीवन या स्वतंत्रता: 7 दिन

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** RTI अधिनियम, 2005 की **धारा 7(1)** के अनुसार सामान्य आवेदन पर **30 दिनों** के भीतर (सहायक जन सूचना अधिकारी के माध्यम से आवेदन करने पर +5 दिन = 35 दिन) और यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के **जीवन या स्वतंत्रता (Life or Liberty)** से संबंधित है, तो **48 घंटे** के भीतर सूचना प्रदान की जानी अनिवार्य है।

अभ्यास प्रश्न #16 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 16. भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा जोड़ी गई **धारा 17A** का मुख्य उद्देश्य क्या है? **[UPSC CSE Prelims & Mains 2023]**

(A) सभी भ्रष्टाचार मामलों को लोकपाल से हटाकर राज्य पुलिस को सौंपना

(B) किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में की गई किसी सिफारिश या लिए गए निर्णय से जुड़े अपराध की जांच शुरू करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य करना (ताकि ईमानदार अधिकारियों को उत्पीड़न व पॉलिसी पैरालिसिस से बचाया जा सके)

(C) रिश्वत देने को पूर्णतः अपराध-मुक्त करना

(D) आय से अधिक संपत्ति पर कोई कार्रवाई न करना

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में **2018 के संशोधन द्वारा धारा 17A** जोड़ी गई, जिसके तहत लोक सेवक द्वारा आधिकारिक कार्य के निर्वहन में लिए गए निर्णयों की पुलिस/CBI जांच से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक है (रंगे हाथों रिश्वत पकड़ने / Trap मामलों को छोड़कर)। सक्षम प्राधिकारी को 3 माह (अधिकतम +1 माह विस्तार) में निर्णय लेना होता है।

अभ्यास प्रश्न #17 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 17. केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission — CVC) की स्थापना वर्ष 1964 में किस समिति की सिफारिश पर की गई थी और इसे किस वर्ष वैधानिक दर्जा (Statutory Status) प्रदान किया गया? **[UPSC / CAPF / SSC 2022]**

(A) सरकारिया समिति; 1998 में वैधानिक दर्जा

(B) के. संथानम समिति (Santhanam Committee); CVC अधिनियम, 2003 द्वारा वैधानिक दर्जा

(C) गोरेवाला समिति; 2005 में वैधानिक दर्जा

(D) वोहरा समिति; 2013 में वैधानिक दर्जा

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** भ्रष्टाचार निवारण पर गठित **के. संथानम समिति (1962–64)** की सिफारिशों पर फरवरी 1964 में कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा CVC की स्थापना हुई। बाद में विनीत नारायण वाद (1997) के निर्देशों के अनुक्रम में संसद द्वारा **केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003** पारित कर इसे बहु-सदस्यीय (1 केंद्रीय सतर्कता आयुक्त + अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त) वैधानिक निकाय बनाया गया।

अभ्यास प्रश्न #18 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 18. लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित **लोकपाल (Lokpal)** की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन **सही है**? **[UPSC CSE / State PCS 2024]**

(A) इसमें 1 अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, जिनमें से कम से कम 50% न्यायिक सदस्य और कम से कम 50% सदस्य SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होने अनिवार्य हैं

(B) इसमें 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति केवल प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है

(C) प्रधानमंत्री किसी भी परिस्थिति में लोकपाल के क्षेत्राधिकार में नहीं आते

(D) लोकपाल का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है

• **सही उत्तर: (A)**

• **विस्तृत व्याख्या:** लोकपाल अधिनियम, 2013 के अनुसार लोकपाल में **1 अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य** होते हैं (50% न्यायिक सदस्य और 50% SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक/महिला)। इनका कार्यकाल **5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु** (जो पहले हो) तक होता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों, बाह्य व आंतरिक सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर प्रधानमंत्री भी लोकपाल के दायरे में आते हैं।

अभ्यास प्रश्न #19 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 19. कंपनी अधिनियम, 2013 की **धारा 135** के अंतर्गत **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility — CSR)** के प्रावधान के अनुसार पात्र कंपनियों को अपने पिछले **3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ (Average Net Profit)** का कम से कम कितना प्रतिशत CSR गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य है? **[UPSC / UPPSC / EPFO 2023]**

(A) कम से कम 1%

(B) कम से कम 2%

(C) कम से कम 3%

(D) कम से कम 5%

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** कंपनी अधिनियम, 2013 की **धारा 135** के तहत जिन कंपनियों का नेट वर्थ ₹500 करोड़ या अधिक, या टर्नओवर ₹1,000 करोड़ या अधिक, या शुद्ध लाभ ₹5 करोड़ या अधिक है, उन्हें अपने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम **2%** CSR पर खर्च करना अनिवार्य है।

अभ्यास प्रश्न #20 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 20. डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में रेखांकित **'संवैधानिक नैतिकता' (Constitutional Morality)** का सबसे सटीक अर्थ क्या है? **[UPSC CSE Prelims & GS-IV 2023]**

(A) बहुसंख्यक समाज की पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के अनुसार शासन चलाना

(B) संवैधानिक मूल्यों (स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व), संवैधानिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं की सर्वोच्चता के प्रति आंतरिक निष्ठा रखना तथा शांतिपूर्ण व संवैधानिक तरीकों से विरोध या सुधार करना

(C) केवल न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता

(D) संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन न करना

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** जॉर्ज ग्रोट से प्रेरित होकर डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में स्पष्ट किया कि भारतीय समाज में लोकतंत्र केवल ऊपरी परत है, इसलिए हमें सामाजिक कुरीतियों और व्यक्ति-पूजा से ऊपर उठकर संविधान के मूल्यों और वैधानिक प्रक्रियाओं के प्रति निष्ठा—अर्थात् **संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality)**—को विकसित करना होगा।

अभ्यास प्रश्न #21 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 21. गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा वामपंथी उग्रवाद / नक्सलवाद (LWE) के समूल उन्मूलन के लिए अपनाई गई **'समाधान' (SAMADHAN)** नामक राष्ट्रीय रणनीति में अक्षर **'H'** और अंतिम अक्षर **'N'** का क्रमशः क्या अर्थ है? **[UPSC CSE GS-III / CAPF AC 2024]**

(A) H — Heavy Weapons; N — National Emergency

(B) H — Human Rights; N — Negotiations with Maoists

(C) H — Harnessing Technology (प्रौद्योगिकी का दोहन); N — No Access to Financing (वित्तीय स्रोतों तक पहुँच को पूर्णतः रोकना)

(D) H — Helicopter Deployment; N — Night Operations

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** वर्ष 2017 में गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित **SAMADHAN** डॉक्ट्रिन के 8 स्तंभ हैं: **S**mart Leadership, **A**ggressive Strategy, **M**otivation & Training, **A**ctionable Intelligence, **D**ashboard-based KPIs & KRAs, **H**arnessing Technology, **A**ction Plan for Each Theatre, और **N**o Access to Financing।

अभ्यास प्रश्न #22 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 22. वर्ष 2019 में संशोधित **विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA, 1967)** और **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम (NIA Act, 2008)** के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. UAPA (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा केंद्र सरकार को किसी संगठन के साथ-साथ किसी 'व्यक्ति' (Individual) को भी आतंकवादी घोषित करने (चतुर्थ अनुसूची में जोड़ने) की शक्ति दी गई है।

2. जब जांच NIA अधिकारी द्वारा की जा रही हो, तो आतंकवाद से संबंधित संपत्ति को जब्त या कुर्क करने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) के बजाय NIA के महानिदेशक (DG, NIA) के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

3. NIA (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने NIA को भारत के बाहर भारतीय नागरिकों और भारतीय संपत्ति के विरुद्ध किए गए अनुसूचित अपराधों तथा साइबर आतंकवाद की जांच करने का क्षेत्राधिकार प्रदान किया है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं? **[UPSC CSE / CAPF / State PCS 2023]**

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3 सभी

• **सही उत्तर: (D)**

• **विस्तृत व्याख्या:** वर्ष 2019 के दोनों संशोधनों के संदर्भ में तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। UAPA की अनुसूची I में आतंकवादी संगठन और **अनुसूची IV में व्यक्तिगत आतंकवादियों (Individuals as Terrorists)** को सूचीबद्ध किया जाता है, तथा NIA को बाह्य क्षेत्राधिकार (Extra-territorial jurisdiction) और साइबर आतंकवाद की जांच की शक्ति दी गई है।

अभ्यास प्रश्न #23 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 23. धन शोधन (Money Laundering) की प्रक्रिया में काले धन (Illicit Money) को वैध दिखाने के तीन क्रमिक चरणों का सही क्रम क्या है? **[UPSC CSE / RBI / EPFO 2022]**

(A) इंटीग्रेशन (Integration) → लेयरिंग (Layering) → प्लेसमेंट (Placement)

(B) प्लेसमेंट (Placement) → लेयरिंग (Layering) → इंटीग्रेशन (Integration)

(C) लेयरिंग (Layering) → प्लेसमेंट (Placement) → इंटीग्रेशन (Integration)

(D) स्मर्फिंग (Smurfing) → टैक्सेशन (Taxation) → लिक्विडेशन (Liquidation)

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** मनी लॉन्ड्रिंग के तीन क्लासिक चरण हैं: **1. Placement (प्लेसमेंट):** अपराध से अर्जित नकदी को छोटी-छोटी किस्तों (Smurfing) में बैंकिंग/वित्तीय प्रणाली में डालना; **2. Layering (लेयरिंग):** शेल कंपनियों और हवाला/विदेशी खातों के जटिल जाल के माध्यम से धन के मूल स्रोत को छिपाना; और **3. Integration (इंटीग्रेशन):** उस धन को वैध आय या निवेश (रियल एस्टेट, लग्जरी संपत्ति आदि) के रूप में मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में वापस लाना।

अभ्यास प्रश्न #24 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 24. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (संशोधित 2008) की **धारा 70A** और **धारा 70B** के अंतर्गत स्थापित भारत की दो शीर्ष साइबर सुरक्षा एजेंसियाँ क्रमशः कौन-सी हैं? **[UPSC CSE / CAPF / Cyber Security Exam 2024]**

(A) धारा 70A: NCIIPC (राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र); धारा 70B: CERT-In (भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल)

(B) धारा 70A: I4C; धारा 70B: DRDO साइबर एजेंसी

(C) धारा 70A: CERT-In; धारा 70B: TRAI

(D) धारा 70A: NIA; धारा 70B: CBI साइबर सेल

• **सही उत्तर: (A)**

• **विस्तृत व्याख्या:** आईटी अधिनियम, 2000 की **धारा 70A** के तहत महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CII) की सुरक्षा के लिए जनवरी 2014 में **NCIIPC** (NTRO के अधीन) को राष्ट्रीय नोडल एजेंसी नामित किया गया, जबकि **धारा 70B** के तहत साइबर हमलों और घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए **CERT-In** (MeitY के अधीन) राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।

अभ्यास प्रश्न #25 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 25. गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत **'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (I4C)** द्वारा वित्तीय साइबर धोखाधड़ी (Financial Cyber Fraud) की तत्काल रिपोर्टिंग करके पीड़ित के पैसे को बैंक खाते में ही फ्रीज कराने के लिए कौन-सा राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर संचालित किया जाता है? **[RPF / CAPF / State PCS 2025]**

(A) 1098

(B) 181

(C) 1930

(D) 1070

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** गृह मंत्रालय के **I4C** द्वारा संचालित सिटिजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम (CFCFRMS) का राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर **1930** (पूर्व में 155260) है, जो 'गोल्डन आवर' में साइबर ठगी की राशि को बैंकों व वॉलेट्स में होल्ड करने का कार्य करता है।

अभ्यास प्रश्न #26 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 26. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (**DPDP Act, 2023**) के अंतर्गत व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा उपायों का उल्लंघन (Data Breach) करने वाली डेटा न्यासी इकाई (Data Fiduciary) पर 'भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड' द्वारा अधिकतम कितनी राशि तक का वित्तीय दंड लगाया जा सकता है? **[UPSC CSE / State PCS Current Laws 2025]**

(A) अधिकतम ₹50 करोड़

(B) अधिकतम ₹100 करोड़

(C) अधिकतम ₹250 करोड़

(D) अधिकतम ₹500 करोड़

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023** की अनुसूची के अनुसार डेटा सुरक्षा मानकों (Reasonable Security Safeguards) का पालन न करने से होने वाले डेटा उल्लंघन पर प्रत्येक मामले में अधिकतम **₹250 करोड़** तक का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न #27 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 27. भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमाओं की सुरक्षा में तैनात **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs)** का निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म **सही सुमेलित है**? **[UPSC CAPF AC / CDS / SSC 2023]**

(A) भारत-नेपाल एवं भारत-भूटान सीमा — सशस्त्र सीमा बल (SSB)

(B) भारत-म्यांमार सीमा — सीमा सुरक्षा बल (BSF)

(C) भारत-चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) — असम राइफल्स

(D) भारत-बांग्लादेश सीमा — भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)

• **सही उत्तर: (A)**

• **विस्तृत व्याख्या:** 'एक सीमा, एक बल' नीति के तहत: **नेपाल और भूटान** सीमा पर **SSB**, **बांग्लादेश और पाकिस्तान** सीमा पर **BSF**, **चीन (LAC)** पर **ITBP**, और **म्यांमार** सीमा पर **असम राइफल्स (Assam Rifles)** तैनात हैं।

अभ्यास प्रश्न #28 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 28. भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा किस समिति की सिफारिशों पर स्मार्ट फेंसिंग और **'व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली' (CIBMS — प्रोजेक्ट BOLD-QIT)** लागू की गई है? **[UPSC CSE GS-III / CAPF 2024]**

(A) कस्तूरीरंगन समिति

(B) मधुकर गुप्ता समिति (Madhukar Gupta Committee, 2016)

(C) गाडगिल समिति

(D) नचिकेत मोर समिति

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** पठानकोट आतंकी हमले (2016) के बाद भारत-पाकिस्तान सीमा सुरक्षा की कमियों की समीक्षा के लिए गठित **मधुकर गुप्ता समिति** की सिफारिशों पर सीमा पर लेजर वॉल, थर्मल इमेजर, रडार और अंडरग्राउंड सेंसर आधारित **CIBMS (Comprehensive Integrated Border Management System)** लागू किया गया है।

अभ्यास प्रश्न #29 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 29. केंद्र सरकार द्वारा उत्तरी सीमा (भारत-चीन LAC से सटे 4 राज्यों—अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख) के सीमावर्ती गाँवों से पलायन रोकने और अवसंरचना के समग्र विकास के लिए कौन-सी महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है? **[UPSC CSE / State PCS 2024–2026]**

(A) सांसद आदर्श ग्राम योजना

(B) वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (Vibrant Villages Programme — VVP)

(C) श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

(D) सीमा दर्शन योजना

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** चीन की सीमा पर बसे भारत के 'अंतिम गाँवों' को देश के **'प्रथम गाँव' (First Villages)** मानते हुए ₹4,800 करोड़ (जिसमें ₹2,500 करोड़ केवल सड़क कनेक्टिविटी के लिए हैं) के परिव्यय से **वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP)** संचालित किया जा रहा है।

अभ्यास प्रश्न #30 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 30. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005) के अंतर्गत गठित **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** और **राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC)** के पदेन अध्यक्ष क्रमशः कौन होते हैं? **[UPSC CSE / State PCS / CAPF 2023]**

(A) NDMA: केंद्रीय गृह मंत्री; NEC: कैबिनेट सचिव

(B) NDMA: भारत के प्रधानमंत्री; NEC: केंद्रीय गृह सचिव (Union Home Secretary)

(C) NDMA: भारत के राष्ट्रपति; NEC: प्रधानमंत्री

(D) NDMA: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA); NEC: रक्षा सचिव

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 3 के तहत **NDMA के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री** होते हैं (अधिकतम 9 अन्य सदस्य), जबकि धारा 8 के तहत गठित **राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) के पदेन अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव** होते हैं (NDMA Institutional Structure)।

अभ्यास प्रश्न #31 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 31. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA — आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25) में जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर (अध्यक्ष) के साथ **पदेन सह-अध्यक्ष (Ex-officio Co-Chairperson)** कौन होता है? **[UPSC / UPPSC / BPSC 2024]**

(A) जिला पुलिस अधीक्षक (SP)

(B) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO)

(C) जिला परिषद का निर्वाचित अध्यक्ष (Elected Representative of Local Authority / Zila Parishad Chairperson)

(D) जिले का वरिष्ठतम विधायक

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25(2) के अनुसार DDMA का अध्यक्ष जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट होता है और स्थानीय स्वशासन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए **जिला परिषद का निर्वाचित अध्यक्ष** (जनजातीय छठी अनुसूची के क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी सदस्य) इसका **पदेन सह-अध्यक्ष (Co-Chairperson)** होता है।

अभ्यास प्रश्न #32 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 32. आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए **सेंदाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction: 2015–2030)** में निर्धारित **4 कार्य प्राथमिकताओं (4 Priorities for Action)** में निम्नलिखित में से कौन-सा शामिल है? **[UPSC CSE Mains & Prelims 2024]**

(A) केवल आपदा के बाद मुआवजा बाँटना

(B) (1) आपदा जोखिम को समझना, (2) आपदा जोखिम अभिशासन को सुदृढ़ करना, (3) लचीलेपन के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश करना, और (4) आपदा की तैयारी को बढ़ाना तथा पुनर्निर्माण में **'बेहतर पुनर्निर्माण' (Build Back Better)** करना

(C) विकासशील देशों पर कार्बन टैक्स लगाना

(D) सभी तटीय शहरों को खाली कराना

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** सेंदाई फ्रेमवर्क (2015–2030) ह्यूगो फ्रेमवर्क (2005–2015) के बाद अपनाया गया 15 वर्षीय वैश्विक रोडमैप है, जिसकी 4 प्राथमिकताएँ हैं: आपदा जोखिम को समझना, जोखिम अभिशासन को मजबूत करना, लचीलेपन (Resilience) में निवेश करना, और **Build Back Better (बेहतर पुनर्निर्माण)**।

अभ्यास प्रश्न #33 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 33. सेंदाई फ्रेमवर्क (2015–2030) के 7 **वैश्विक लक्ष्यों (Targets A to G)** के संदर्भ में कौन-से 4 लक्ष्य **कमी (Reduction)** से और कौन-से 3 लक्ष्य **वृद्धि (Increase)** से संबंधित हैं? **[UPSC CSE / State PCS 2025]**

(A) Targets A–D (मृत्यु दर, प्रभावित लोग, प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान और महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षति में **कमी**); तथा Targets E–G (राष्ट्रीय/स्थानीय DRR रणनीतियों, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और बहु-संकट पूर्व चेतावनी प्रणाली में **वृद्धि**)

(B) सभी 7 लक्ष्य केवल आर्थिक सहायता बढ़ाने से संबंधित हैं

(C) Targets A–C वृद्धि से और Targets D–G कमी से संबंधित हैं

(D) इसमें केवल 5 लक्ष्य हैं

- **सही उत्तर: (A)**
- **विस्तृत व्याख्या:** सेंदाई फ्रेमवर्क के 7 वैश्विक लक्ष्यों में **प्रथम 4 लक्ष्य (A: मृत्यु दर, B: प्रभावित जनसंख्या, C: प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान, D: महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षति)** 2030 तक **कम करने (Substantially Reduce)** से संबंधित हैं, जबकि **अंतिम 3 लक्ष्य (E: DRR रणनीति वाले देश, F: विकासशील देशों को अंतरराष्ट्रीय सहयोग, G: पूर्व चेतावनी प्रणाली की पहुँच) बढ़ाने (Substantially Increase)** से संबंधित हैं।

अभ्यास प्रश्न #34 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 34. वर्ष 2019 में भारत की पहल पर स्थापित **'आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन' (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure — CDRI)** का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? **[UPSC / UPPSC / BPSC 2023]**

(A) जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड)

(B) सेंदाई (जापान)

(C) नई दिल्ली (भारत)

(D) गुरुग्राम (भारत)

- **सही उत्तर: (C)**
- **विस्तृत व्याख्या:** अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA — मुख्यालय गुरुग्राम) के बाद भारत द्वारा प्रवर्तित दूसरा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन **CDRI** (2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में घोषित) है, जिसका स्थायी सचिवालय **नई दिल्ली** में स्थित है।

अभ्यास प्रश्न #35 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 35. राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund — SDRF, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 48(1)(a) के तहत गठित है) में सामान्य श्रेणी के राज्यों और पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र सरकार का वित्तीय अंशदान क्रमशः कितना होता है? **[UPSC / State PCS / Finance LDCE 2024]**

(A) सामान्य राज्य: 50:50; हिमालयी राज्य: 75:25

(B) सामान्य राज्य: **75:25** (75% केंद्र, 25% राज्य); पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य: **90:10** (90% केंद्र, 10% राज्य)

(C) सामान्य राज्य: 60:40; हिमालयी राज्य: 80:20

(D) सभी राज्यों के लिए 100% केंद्र सरकार द्वारा

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** वित्त आयोग की सिफारिशों और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार **SDRF** में सामान्य राज्यों के लिए केंद्र सरकार **75%** और राज्य सरकार **25%** अंशदान देती है, जबकि विशेष श्रेणी के पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि) के लिए केंद्र सरकार **90%** और राज्य **10%** अंशदान देता है।

अभ्यास प्रश्न #36 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 36. भारत की विदेश नीति में पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल द्वारा प्रतिपादित **'गुजराल सिद्धांत' (Gujral Doctrine — 1996)** का सबसे केंद्रीय और विशिष्ट तत्व क्या है? **[UPSC CSE GS-II / State PCS 2022]**

(A) सभी पड़ोसी देशों के साथ सैन्य गठबंधन करना

(B) दक्षिण एशिया के छोटे पड़ोसी देशों (बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका) के साथ भारत द्वारा **गैर-पारस्परिकता (Non-Reciprocity)** के आधार पर बिना बदले की अपेक्षा के सद्भावनापूर्ण सहयोग देना

(C) गुटनिरपेक्ष आंदोलन को समाप्त करना

(D) परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर करना

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या: गुजराल सिद्धांत** के 5 सूत्रों में सबसे प्रमुख सूत्र यह है कि भारत अपने छोटे पड़ोसियों (पाकिस्तान को छोड़कर—बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका) के साथ **पारस्परिकता (Reciprocity) की मांग नहीं करेगा**, बल्कि एक बड़े देश के रूप में सद्भावना और विश्वास में जो कुछ दे सकता है, उदारतापूर्वक देगा।

अभ्यास प्रश्न #37 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 37. हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में समुद्री सुरक्षा, नीली अर्थव्यवस्था और तटीय व द्वीपीय देशों के साथ सामूहिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा मार्च 2015 में घोषित **'SAGAR'** पहल का पूर्ण रूप क्या है? **[UPSC / CAPF / CDS 2023]**

(A) South Asian Group for Regional Alliance

(B) Security and Growth for All in the Region (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास)

(C) Strategic Alliance for Gulf and Arabian Region

(D) Sustainable Agriculture and Green Action Plan

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** मार्च 2015 में मॉरीशस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित **SAGAR (Security and Growth for All in the Region)** हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री कूटनीति (जिसका अब **MAHASAGAR** के रूप में विस्तार किया गया है) का आधारस्तंभ है।

अभ्यास प्रश्न #38 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 38. पश्चिम एशिया और हिंद-प्रशांत के भू-राजनीतिक परिदृश्य में **'I2U2' समूह** (जिसे कभी-कभी 'पश्चिम एशियाई क्वाड' भी कहा जाता है) में कौन-से चार देश शामिल हैं और इसके सहयोग के 6 प्राथमिक क्षेत्र कौन-से हैं? **[UPSC CSE Prelims & GS-II 2023]**

(A) भारत, ईरान, उज्बेकिस्तान और यूके

(B) भारत (India), इज़राइल (Israel), संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) — सहयोग क्षेत्र: जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा

(C) भारत, इंडोनेशिया, युगांडा और उरुग्वे

(D) इज़राइल, इटली, यूक्रेन और अमेरिका

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** अक्टूबर 2021 में गठित **I2U2** में **I**ndia, **I**srael, **U**AE और **U**SA शामिल हैं। यह समूह जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा (Water, Energy, Transportation, Space, Health, and Food Security) के 6 क्षेत्रों में संयुक्त निवेश पर केंद्रित है।

अभ्यास प्रश्न #39 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 39. सितंबर 2023 में नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित **'IMEC' (India-Middle East-Europe Economic Corridor)** के पूर्वी और उत्तरी गलियारों में निम्नलिखित में से कौन-से देश/भागीदार शामिल हैं? **[UPSC CSE / State PCS 2024–2025]**

(A) भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और रूस

(B) भारत, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब, जॉर्डन, इज़राइल और यूरोपीय संघ (ग्रीस, इटली, फ्रांस, जर्मनी) तथा अमेरिका

(C) भारत, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम

(D) भारत, मिस्र, तुर्की और ब्रिटेन

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के रणनीतिक विकल्प के रूप में घोषित **IMEC** भारत के पश्चिमी तट (मुंबई/मुंद्रा) को समुद्री मार्ग से UAE से और वहाँ से रेल नेटवर्क द्वारा सऊदी अरब और जॉर्डन होते हुए इज़राइल के हाइफा (Haifa) बंदरगाह और आगे यूरोप (पीरियस, ग्रीस आदि) से जोड़ता है।

अभ्यास प्रश्न #40 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 40. 'अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा' (INSTC — 7,200 किमी लंबा मल्टी-मॉडल नेटवर्क) और **चाबहार बंदरगाह (शहीद बेहश्ती टर्मिनल)** भारत को किस देश को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस/यूरोप तक सीधी व्यापारिक पहुँच प्रदान करते हैं? **[UPSC CSE / CAPF 2024]**

(A) म्यांमार

(B) पाकिस्तान

(C) श्रीलंका

(D) बांग्लादेश

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित **चाबहार बंदरगाह** (जिसके संचालन हेतु मई 2024 में भारत और ईरान ने 10-वर्षीय दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए) और **INSTC** (मुंबई → बंदर अब्बास/चाबहार → ईरान → कैस्पियन सागर → अस्त्रखान, रूस) भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक सुगम पहुँच देते हैं।

अभ्यास प्रश्न #41 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 41. भारत के **'कालादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट' (Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project)** का मुख्य सामरिक उद्देश्य क्या है? **[UPSC CSE / CDS / CAPF 2023]**

(A) भारत के पश्चिमी तट को फारस की खाड़ी से जोड़ना

(B) कोलकाता बंदरगाह को समुद्री मार्ग से म्यांमार के सितवे (Sittwe) बंदरगाह, वहाँ से कालादान नदी मार्ग द्वारा पलेतवा और सड़क मार्ग द्वारा मिजोरम से जोड़ना (जिससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर / 'चिकन नेक' पर निर्भरता कम हो)

(C) चेन्नई को श्रीलंका के जाफना बंदरगाह से जोड़ना

(D) लद्दाख को मध्य एशिया से जोड़ना

- **सही उत्तर: (B)**

- **विस्तृत व्याख्या:** 'एक्ट ईस्ट नीति' के तहत निर्मित **कालादान परियोजना** कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के रखाइन प्रांत के **सितवे (Sittwe) बंदरगाह** (539 किमी समुद्री मार्ग), सितवे से **पलेतवा** (158 किमी कालादान नदी जलमार्ग) और पलेतवा से भारत के **मिजोरम (जोरिनपुई)** तक सड़क मार्ग से जोड़ती है, जो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए संकीर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर का सामरिक विकल्प है।

अभ्यास प्रश्न #42 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 42. अनिवासी भारतीय (**NRI**) और भारत के प्रवासी नागरिक (**OCI — Overseas Citizen of India**) कार्डधारकों के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन **सही है**? **[UPSC CSE Prelims & GS-II 2024]**

(A) OCI कार्डधारकों को भारत में दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) और चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है

(B) NRI भारतीय पासपोर्ट धारक भारतीय नागरिक होते हैं जिन्हें मतदान का अधिकार है, जबकि OCI कार्डधारक विदेशी नागरिक होते हैं जिन्हें भारत आने के लिए आजीवन बहु-प्रवेश वीज़ा मिलता है किंतु मतदान करने, कृषि भूमि खरीदने और संवैधानिक पद धारण करने का अधिकार नहीं होता

(C) पाकिस्तान और बांग्लादेश के मूल नागरिक भी OCI कार्ड के लिए पात्र हैं

(D) PIO कार्ड योजना अभी भी OCI से अलग रूप में संचालित है

- **सही उत्तर: (B)**

- **विस्तृत व्याख्या:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। **NRI** भारतीय नागरिक हैं, जबकि **OCI कार्डधारक** (2015 में PIO का OCI में विलय हो चुका है) भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं (पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर), जिन्हें आजीवन वीज़ा-मुक्त यात्रा व आर्थिक अधिकार मिलते हैं, पर राजनीतिक अधिकार (मतदान, चुनाव लड़ना, संवैधानिक पद) और कृषि/बागान भूमि खरीदने का अधिकार नहीं है।

अभ्यास प्रश्न #43 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 43. विश्व बैंक के प्रवासन और विकास संक्षिप्त रिपोर्ट (World Bank Migration and Development Brief 2024–2025) के अनुसार विश्व में सर्वाधिक प्रेषण (Foreign Remittances — वार्षिक $125 बिलियन से अधिक) प्राप्त करने वाले शीर्ष 3 देशों का सही क्रम क्या है? **[UPSC / State PCS Economy & IR 2025]**

(A) चीन > भारत > मेक्सिको

(B) भारत > मेक्सिको > चीन (या फिलीपींस)

(C) मेक्सिको > भारत > फिलीपींस

(D) फिलीपींस > मिस्र > भारत

- **सही उत्तर: (B)**

- **विस्तृत व्याख्या:** विश्व बैंक के अनुसार **भारत** लगातार विश्व में सर्वाधिक प्रेषण (Remittances — 125–129 बिलियन से अधिक) प्राप्त करने वाला प्रथम देश बना हुआ है, जिसके बाद दूसरे स्थान पर मेक्सिको और तीसरे स्थान पर चीन/फिलीपींस आते हैं।

अभ्यास प्रश्न #44 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 44. संकटग्रस्त देशों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए निकासी अभियानों (Evacuation Operations) का निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म **सुमेलित नहीं है**? **[UPSC / CAPF / State PCS 2024–2025]**

(A) ऑपरेशन गंगा (Operation Ganga) — यूक्रेन (2022)

(B) ऑपरेशन कावेरी (Operation Kaveri) — सूडान (2023)

(C) ऑपरेशन अजय (Operation Ajay) — इज़राइल (2023) एवं ऑपरेशन इंद्रावती — हैती (2024)

(D) ऑपरेशन देवी शक्ति (Operation Devi Shakti) — सीरिया (2023)

- **सही उत्तर: (D)**

- **विस्तृत व्याख्या: ऑपरेशन देवी शक्ति** अगस्त 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद **अफगानिस्तान** से भारतीय नागरिकों और अफगान अल्पसंख्यकों को निकालने के लिए चलाया गया था, न कि सीरिया के लिए (तुर्की और सीरिया में 2023 के भूकंप राहत अभियान का नाम **'ऑपरेशन दोस्त' / Operation Dost** था)।

अभ्यास प्रश्न #45 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 45. नीतिशास्त्र में **'अभिरुचि / अभिक्षमता' (Aptitude)** और **'अभिवृत्ति' (Attitude)** के बीच मुख्य अंतर क्या है? **[UPSC CSE GS-IV 2022]**

(A) अभिक्षमता (Aptitude) का संबंध किसी विशेष क्षेत्र में कौशल सीखने या कार्य करने की **जन्मजात/अर्जित क्षमता (Competence/Talent)** से है, जबकि अभिवृत्ति (Attitude) का संबंध किसी विषय या कार्य के प्रति व्यक्ति के **मानसिक दृष्टिकोण और झुकाव (Character/Disposition)** से है

(B) अभिक्षमता केवल नैतिक होती है जबकि अभिवृत्ति केवल शारीरिक होती है

(C) अभिक्षमता को बदला जा सकता है किंतु अभिवृत्ति कभी नहीं बदलती

(D) दोनों में कोई अंतर नहीं है

- **सही उत्तर: (A)**

- **विस्तृत व्याख्या:** एक सफल लोक सेवक के लिए **Aptitude (कौशल/क्षमता — "Can Do")** और **Attitude (सकारात्मक दृष्टिकोण/संवेदनशीलता — "Will Do")** दोनों का होना अनिवार्य है। बिना सकारात्मक अभिवृत्ति के उच्च अभिक्षमता वाला अधिकारी अहंकारी या भ्रष्ट हो सकता है, और बिना अभिक्षमता के केवल अच्छी अभिवृत्ति वाला अधिकारी अक्षम रह सकता है।

अभ्यास प्रश्न #46 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 46. थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन-जैक्स रूसो द्वारा प्रतिपादित **'सामाजिक समझौता सिद्धांत' (Social Contract Theory)** में **जॉन लॉक (John Locke)** ने किन तीन जन्मजात 'प्राकृतिक अधिकारों' (Natural Rights) को अहरणीय माना जिनकी रक्षा के लिए ही राज्य और सरकार का गठन किया गया है? **[UPSC / State PCS Ethics & Polity 2023]**

(A) भोजन, वस्त्र और आवास का अधिकार

(B) जीवन का अधिकार (Right to Life), स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Liberty) और संपत्ति का अधिकार (Right to Property)

(C) मतदान, कराधान और सैन्य सेवा का अधिकार

(D) केवल राजा की आज्ञा मानने का अधिकार

- **सही उत्तर: (B)**

- **विस्तृत व्याख्या:** उदारवाद के जनक **जॉन लॉक** ने अपनी पुस्तक *'Two Treatises of Government'* में प्रतिपादित किया कि मनुष्य के पास प्राकृतिक अवस्था से ही **जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति (Life, Liberty, and Property)** के तीन नैसर्गिक अधिकार हैं। राज्य एक 'ट्रस्ट' है और यदि सरकार इन अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहती है, तो नागरिकों को सरकार बदलने का नैतिक अधिकार है।

अभ्यास प्रश्न #47 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 47. भगवद्गीता के **'निष्काम कर्मयोग'** और इमैनुएल कांट के **'कर्तव्य के लिए कर्तव्य' (Deontology)** में समानता होने के बावजूद दोनों के बीच एक प्रमुख दार्शनिक अंतर क्या है? **[UPSC CSE GS-IV Mains & Conceptual MCQ 2024]**

(A) कांट का नैतिक दर्शन केवल 'शुद्ध मानवीय तर्कबुद्धि' (Pure Practical Reason) पर आधारित है जिसमें भावनाओं का स्थान नहीं है, जबकि भगवद्गीता का निष्काम कर्मयोग तर्कबुद्धि (ज्ञानयोग) के साथ-साथ ईश्वरार्पण (भक्तियोग), स्थितप्रज्ञता और 'लोकसंग्रह' (विश्व कल्याण) का समन्वय करता है

(B) भगवद्गीता परिणामवाद का समर्थन करती है जबकि कांट उपयोगितावाद का समर्थन करते हैं

(C) कांट पुनर्जन्म को मानते हैं जबकि गीता नहीं मानती

(D) गीता केवल संन्यास की शिक्षा देती है जबकि कांट कर्म की शिक्षा देते हैं

- **सही उत्तर: (A)**
- **विस्तृत व्याख्या:** कांट और गीता दोनों ही परिणाम की आसक्ति से मुक्त होकर कर्तव्य पालन पर बल देते हैं, किंतु कांट का कर्तव्यशास्त्र कठोर बौद्धिक स्वायत्तता (Rational Autonomy) पर टिका है, जबकि गीता मनुष्य के मनोविज्ञान को समझते हुए कर्म, ज्ञान और भक्ति तथा **स्थितप्रज्ञता (भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्राचीन रूप)** व **लोकसंग्रह** को जोड़ती है।

अभ्यास प्रश्न #48 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 48. लोक प्रशासन में **'हितों का टकराव' (Conflict of Interest)** की स्थिति कब उत्पन्न होती है और इसे हल करने का सर्वोत्तम नैतिक मार्ग क्या है? **[UPSC CSE GS-IV / CSS LDCE 2023]**

(A) जब दो विभागों के बीच बजट को लेकर विवाद हो

(B) जब किसी लोक सेवक के पदेन सार्वजनिक कर्तव्य (Public Duty) और उसके व्यक्तिगत, पारिवारिक या वित्तीय हित (Private Interest) आपस में टकराते हों — समाधान: **पारदर्शी प्रकटीकरण (Disclosure) और निर्णय प्रक्रिया से स्वयं को अलग करना (Recusal)**

(C) जब कोई अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी से असहमत हो

(D) जब न्यायालय सरकार के किसी कानून को रद्द कर दे

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** हितों का टकराव (Conflict of Interest — जो वास्तविक/Actual, संभावित/Potential या प्रतीत होने वाला/Perceived हो सकता है) तब होता है जब अधिकारी का निजी हित उसके निष्पक्ष निर्णय को प्रभावित कर सकता है (जैसे चयन समिति में अधिकारी का अपना रिश्तेदार उम्मीदवार के रूप में सामने आ जाए)। इसका नैतिक समाधान मामले की तुरंत लिखित घोषणा (Disclosure) करना और उस निर्णय प्रक्रिया से **स्वयं को अलग कर लेना (Recusal)** है।

अभ्यास प्रश्न #49 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 49. व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 (Whistle Blowers Protection Act, 2014) के अंतर्गत 'जनहित प्रकटीकरण' (Public Interest Disclosure) प्राप्त करने और व्हिसलब्लोअर की पहचान गुप्त रखते हुए उसे उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस संस्था को सक्षम प्राधिकारी नामित किया गया है? **[UPSC / SSC / State PCS 2022]**

(A) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

(B) केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) [तथा संबंधित मामलों में सक्षम प्राधिकारी]

(C) नीति आयोग

(D) भारतीय रिजर्व बैंक

- **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** वर्ष 2004 के PIDPI (Public Interest Disclosure and Protection of Informers) संकल्प और **व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014** के तहत **केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)** भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने और व्हिसलब्लोअर की पहचान गोपनीय रखने वाली नोडल एजेंसी है।

अभ्यास प्रश्न #50 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 50. भारत के तटीय सुरक्षा ढांचे (Coastal Security Architecture — जो 26/11 मुंबई हमले के बाद सुदृढ़ किया गया) में त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत तट से **12 नॉटिकल मील तक के प्रादेशिक जल (Territorial Waters)** और **12 से 200 नॉटिकल मील (EEZ)** की निगरानी में कौन-से बल समन्वय करते हैं? **[UPSC CAPF / CDS / GS-III 2024]**

(A) केवल राज्य पुलिस और BSF

(B) तट से 5 नॉटिकल मील तक तटीय पुलिस (Marine Police), 5 से 200 नॉटिकल मील तक भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) और गहरे समुद्र में भारतीय नौसेना (Indian Navy) — समग्र समुद्री सुरक्षा समन्वय: भारतीय नौसेना व राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक (NMSC)

(C) केवल CRPF और CISF

(D) केवल भारतीय थल सेना

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** भारत की 7,516.6 किमी लंबी तटरेखा की सुरक्षा **तीन-स्तरीय घेरे** में होती है: उथले जल में समुद्री पुलिस (Coastal Police), प्रादेशिक जल एवं अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में **भारतीय तटरक्षक बल (ICG)** और उच्च समुद्र में **भारतीय नौसेना**। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) के अधीन **राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक (NMSC)** का पद सृजित किया गया है।

अभ्यास प्रश्न #51 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 51. निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्र मादक पदार्थों की तस्करी (Narco-Trafficking) के संदर्भ में क्रमशः **'स्वर्णिम अर्धचंद्र' (Golden Crescent)** और **'स्वर्णिम त्रिभुज' (Golden Triangle)** के रूप में जाना जाता है, जो भारत की पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है? **[UPSC CSE GS-III / CAPF / UPPSC 2023]**

(A) स्वर्णिम अर्धचंद्र: ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान; स्वर्णिम त्रिभुज: म्यांमार, लाओस और थाईलैंड (साथ में वियतनाम के सीमावर्ती क्षेत्र)

(B) स्वर्णिम अर्धचंद्र: तुर्की, सीरिया और इराक; स्वर्णिम त्रिभुज: कोलंबिया, पेरू और बोलीविया

(C) स्वर्णिम अर्धचंद्र: नेपाल, भूटान और तिब्बत; स्वर्णिम त्रिभुज: श्रीलंका, मालदीव और मॉरीशस

(D) दोनों एक ही क्षेत्र के नाम हैं

• **सही उत्तर: (A)**

• **विस्तृत व्याख्या:** भारत भौगोलिक रूप से दुनिया के दो सबसे बड़े अफीम/हेरोइन उत्पादक क्षेत्रों के बीच फंसा हुआ है: पश्चिम में **स्वर्णिम अर्धचंद्र (Golden Crescent — ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान)** और पूर्व में **स्वर्णिम त्रिभुज (Golden Triangle — म्यांमार, लाओस, थाईलैंड)**, जो नार्को-टेररिज्म और उग्रवाद के वित्तपोषण का मुख्य स्रोत हैं।

अभ्यास प्रश्न #52 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 52. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (**AFSPA — Armed Forces Special Powers Act**) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन **सही है**? **[UPSC CSE / CAPF AC 2024]**

(A) इसे केवल ग्राम पंचायत द्वारा लागू किया जा सकता है

(B) अधिनियम की **धारा 3** के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल या केंद्र सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' (Disturbed Area) घोषित किया जा सकता है, और न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी समिति (2005) ने इसके पुनर्विलोकन की सिफारिश की थी

(C) यह वर्तमान में भारत के सभी 28 राज्यों में लागू है

(D) इसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कभी भी पुलिस को नहीं सौंपा जाता

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** AFSPA, 1958 की **धारा 3** के तहत केंद्र सरकार या राज्य के राज्यपाल किसी क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' घोषित करते हैं। सुरक्षा स्थिति में सुधार के कारण हाल के वर्षों में पूर्वोत्तर के अधिकांश क्षेत्रों (त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम पूर्णतः और असम, मणिपुर व नागालैंड के बड़े हिस्सों) से AFSPA हटा लिया गया है।

अभ्यास प्रश्न #53 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 53. हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (**GLOF — Glacial Lake Outburst Flood**, जैसे अक्टूबर 2023 में सिक्किम की साउथ ल्होनक झील और 2021 की चमोली त्रासदी) के जोखिम न्यूनीकरण के लिए NDMA द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निम्नलिखित में से कौन-सा उपाय शामिल है? **[UPSC CSE Prelims & GS-III 2024]**

(A) हिमनद झीलों के पास बड़े थर्मल पावर प्लांट बनाना

(B) सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) व सैटेलाइट इमेजरी से खतरनाक हिमनद झीलों की निरंतर निगरानी, साइफनिंग/चैनलाइजेशन द्वारा झील के जलस्तर को नियंत्रित रूप से कम करना, और डाउनस्ट्रीम में स्वचालित पूर्व चेतावनी प्रणाली (Early Warning System) स्थापित करना

(C) सभी हिमालयी नदियों का प्रवाह रोक देना

(D) ग्लेशियरों पर रासायनिक कोटिंग करना

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** NDMA के GLOF प्रबंधन दिशानिर्देशों और राष्ट्रीय ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम (NGRMP) के तहत उच्च जोखिम वाली हिमालयी हिमनद झीलों का ISRO के माध्यम से रिमोट सेंसिंग मानचित्रण, साइफन पाइपों से पानी की निकासी, भूमि-उपयोग ज़ोनिंग और प्रारंभिक चेतावनी सायरन लगाए जा रहे हैं।

अभ्यास प्रश्न #54 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 54. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा आपदाओं की पूर्व चेतावनी (Early Warning Alerts) को मोबाइल फोन पर सीधे नागरिकों तक स्थानीय भाषा में भेजने के लिए किस एकीकृत प्रणाली का संचालन किया जाता है? **[UPSC / State PCS 2025]**

(A) सचेत (SACHET — Common Alerting Protocol आधारित राष्ट्रीय आपदा अलर्ट पोर्टल एवं सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम)

(B) केवल दूरदर्शन समाचार

(C) डिजिलॉकर

(D) उमंग ऐप

• **सही उत्तर: (A)**

• **विस्तृत व्याख्या:** सेंदाई फ्रेमवर्क के **Target G** के अनुरूप NDMA और C-DOT द्वारा विकसित **'सचेत' (SACHET)** पोर्टल ITU के **कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (CAP)** पर आधारित है, जो चक्रवात, बाढ़, आकाशीय बिजली और सुनामी की जियो-टारगेटेड (Geo-targeted) चेतावनी SMS और सेल ब्रॉडकास्ट के माध्यम से सीधे नागरिकों के मोबाइल पर भेजता है।

अभ्यास प्रश्न #55 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 55. शहरी बाढ़ (Urban Flooding — जैसे चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली में जलभराव) के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नोडल मंत्रालय कौन-सा है और इसके समाधान हेतु प्रयुक्त **'स्पंज सिटी' (Sponge City)** अवधारणा का क्या अर्थ है? **[UPSC CSE GS-III 2024]**

(A) नोडल मंत्रालय: कृषि मंत्रालय; स्पंज सिटी का अर्थ समुद्र का पानी सुखाना है

(B) नोडल मंत्रालय: **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)**; स्पंज सिटी का अर्थ कंक्रीट के स्थान पर छिद्रपूर्ण सड़कों (Permeable Pavements), शहरी आर्द्रभूमियों (Wetlands), रेन गार्डन और बायो-स्वेल्स के माध्यम से वर्षा जल को भूमि में सोखने और संग्रहित करने वाला लचीला शहरी ढांचा बनाना है

(C) नोडल मंत्रालय: रेल मंत्रालय; स्पंज सिटी का अर्थ भूमिगत सुरंग बनाना है

(D) नोडल मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** सामान्य नदी बाढ़ के विपरीत **शहरी बाढ़ (Urban Flooding)** के लिए नोडल मंत्रालय **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)** है। शहरी कंक्रीटीकरण (Urban Heat Island & Impervious Surfaces) और आर्द्रभूमियों के अतिक्रमण से निपटने के लिए **'स्पंज सिटी' मिशन** वर्षा जल को प्राकृतिक रूप से अवशोषित करने पर बल देता है।

अभ्यास प्रश्न #56 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 56. हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था के लिए गठित **'क्वाड' (QUAD — Quadrilateral Security Dialogue)** के चार सदस्य देश कौन-से हैं और इनके द्वारा आयोजित किया जाने वाला प्रमुख संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कौन-सा है? **[UPSC / CDS / CAPF 2023]**

(A) भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस — वरुण अभ्यास

(B) भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), जापान और ऑस्ट्रेलिया — **मालाबार नौसैनिक अभ्यास (Exercise Malabar)**

(C) भारत, रूस, चीन और ब्राजील — इंद्र अभ्यास

(D) भारत, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया — सिम्बेक्स अभ्यास

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** 2004 की सुनामी राहत सहयोग से जन्मे और 2017 में पुनर्जीवित **QUAD** में **भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया** शामिल हैं। ये चारों देश **मालाबार नौसैनिक अभ्यास** के साथ-साथ हिंद-प्रशांत समुद्री डोमेन जागरूकता **(IPMDA — Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness)**, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग करते हैं।

अभ्यास प्रश्न #57 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 57. जनवरी 2024 के बाद विस्तारित हुए **'ब्रिक्स प्लस' (BRICS+)** समूह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? **[UPSC CSE / State PCS Current IR 2025]**

(A) ब्रिक्स में अभी भी केवल 5 देश (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) हैं

(B) मूल 5 देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) के साथ मिस्र (Egypt), इथियोपिया (Ethiopia), ईरान (Iran), संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और इंडोनेशिया जैसे नए पूर्ण सदस्यों के जुड़ने से यह ग्लोबल साउथ का एक विशाल मंच बन गया है, और इसका वित्तीय संस्थान **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB — मुख्यालय: शंघाई)** है

(C) अर्जेंटीना ब्रिक्स का वर्तमान अध्यक्ष है

(D) पाकिस्तान ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** जोहान्सबर्ग और कज़ान शिखर सम्मेलनों के बाद **BRICS+** में मूल 5 सदस्यों के अतिरिक्त **मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई** (और बाद में इंडोनेशिया) पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं (जबकि अर्जेंटीना ने अपनी सदस्यता वापस ले ली थी)। वर्ष 2014 में फोर्टालेजा घोषणापत्र द्वारा स्थापित **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)** इसका विकास बैंक है।

अभ्यास प्रश्न #58 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 58. भारत की **'परमाणु सिद्धांत' (Nuclear Doctrine — जनवरी 2003 में कैबिनेट सुरक्षा समिति द्वारा घोषित)** के प्रमुख स्तंभ कौन-से हैं? **[UPSC CSE GS-III / CAPF 2023]**

(A) प्रथम प्रयोग की नीति (First Strike Policy) और न्यूनतम प्रतिरोध का त्याग

(B) (1) **विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध (Credible Minimum Deterrence)**, (2) **प्रथम प्रयोग न करने की नीति (No First Use — NFU)**, (3) भारत या भारतीय बलों पर परमाणु हमले की स्थिति में **'प्रचंड और असहनीय जवाबी कार्रवाई' (Massive Retaliation)**, और (4) गैर-परमाणु राज्यों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग न करना (जैविक या रासायनिक हमले की स्थिति को छोड़कर)

(C) परमाणु हथियारों के प्रयोग का अधिकार स्थानीय सैन्य कमांडरों को देना

(D) CTBT और NPT पर बिना शर्त हस्ताक्षर करना

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** 1998 के पोखरण-II (ऑपरेशन शक्ति) के बाद जनवरी 2003 में घोषित भारत के आधिकारिक परमाणु सिद्धांत के मूल स्तंभ **Credible Minimum Deterrence, No First Use (NFU)** और **Massive Retaliation** हैं। परमाणु कमान प्राधिकरण (**NCA — Nuclear Command Authority**) की राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष **प्रधानमंत्री** होते हैं, जो परमाणु हमले की अनुमति देने वाले एकमात्र प्राधिकारी हैं।

अभ्यास प्रश्न #59 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 59. पर्यावरण नीतिशास्त्र में नार्वे के दार्शनिक **अर्ने नेस (Arne Naess, 1973)** द्वारा प्रतिपादित **'गहन पारिस्थितिकी' (Deep Ecology)** और **'उथली पारिस्थितिकी' (Shallow Ecology)** के बीच क्या मूलभूत अंतर है? **[UPSC CSE GS-IV / Environment 2024]**

(A) उथली पारिस्थितिकी (Shallow Ecology) मानव-केंद्रित (Anthropocentric) है जो केवल मनुष्य के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रदूषण व संसाधन क्षरण रोकने की बात करती है; जबकि **गहन पारिस्थितिकी (Deep Ecology)** पारिस्थितिकी-केंद्रित (Ecocentric) है जो मानती है कि प्रकृति और प्रत्येक जीव का मनुष्य की उपयोगिता से स्वतंत्र अपना स्वयं का **'आंतरिक मूल्य' (Intrinsic Worth)** है

(B) गहन पारिस्थितिकी केवल गहरे महासागरों के अध्ययन से संबंधित है

(C) उथली पारिस्थितिकी उद्योगों को पूरी तरह बंद करने की बात करती है

(D) दोनों सिद्धांत प्रकृति के दोहन का समर्थन करते हैं

• **सही उत्तर: (A)**

• **विस्तृत व्याख्या:** अर्ने नेस के अनुसार **Shallow Ecology** प्रकृति को केवल मानव उपभोग के संसाधन के रूप में देखती है, जबकि **Deep Ecology** (जो भारतीय वैदिक दृष्टिकोण 'ईशावास्यमिदं सर्वम्' और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के अत्यंत निकट है) सभी जीवधारियों की जैव-समानता (Biocentric Equality) और प्रकृति के अंतर्निहित मूल्य को स्वीकार करती है।

अभ्यास प्रश्न #60 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 60. जब एक लोक सेवक किसी जटिल प्रशासनिक परिस्थिति में यह निर्णय लेने के लिए कि कौन-सा कदम नैतिक रूप से सही है, स्वयं से यह प्रश्न पूछता है कि—"यदि मेरा यह निर्णय कल सुबह के सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर छप जाए, तो क्या मैं अपने परिवार और समाज से नज़रें मिला पाऊँगा?"—तो नीतिशास्त्र में इस परीक्षण को क्या कहा जाता है? **[UPSC CSE GS-IV Case Study Ethics 2025]**

(A) सुखवादी कलन परीक्षण (Hedonic Calculus Test)

(B) सनलाइट टेस्ट / प्रचार परीक्षण (Sunlight Test / Publicity Test of Ethics)

(C) मैकियावेलियन परीक्षण (Machiavellian Test)

(D) नौकरशाही गोपनीयता परीक्षण (Bureaucratic Secrecy Test)

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** व्यावहारिक नीतिशास्त्र में इसे **'सनलाइट टेस्ट' (Sunlight Test / Front-Page Newspaper Test)** कहा जाता है (अमेरिकी न्यायाधीश लुई ब्रैंडिस का कथन है: *"Sunlight is said to be the best of disinfectants"*). यदि कोई प्रशासनिक निर्णय सार्वजनिक प्रकटीकरण की रोशनी का सामना कर सकता है, तो वह पारदर्शिता, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा की कसौटी पर खरा है।

परिशिष्ट (Appendix): पुस्तक 23 एवं पुस्तक 24 — परीक्षा-पूर्व त्वरित पुनरावलोकन (Rapid Fire Last-Minute Revision Pointers)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — परिशिष्ट (Appendix): पुस्तक 23 एवं पुस्तक 24 — परीक्षा-पूर्व त्वरित पुनरावलोकन (Rapid Fire Last-Minute Revision Pointers)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
भाग क: पुस्तक 23 (रेलवे एवं केंद्रीय विभागीय नियम) — 25 गोल्डन वन-लाइनर्स

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
भाग ख: पुस्तक 24 (नीतिशास्त्र, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन एवं IR) — 25 गोल्डन वन-लाइनर्स

भाग क: पुस्तक 23 (रेलवे एवं केंद्रीय विभागीय नियम) — 25 गोल्डन वन-लाइनर्स

1. **अनुच्छेद 311(1):** नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority) से नीचे का कोई भी अधिकारी रेल/सिविल सेवक को बर्खास्त (Dismiss) या सेवा से हटा (Remove) नहीं सकता।

2. **मानद निलंबन (SF-2):** पुलिस या न्यायिक हिरासत में **48 घंटे से अधिक** रहने पर गिरफ्तारी की तिथि से स्वतः निलंबन (**Rule 5(2) of RS D&A Rules 1968**)।

3. **निलंबन की प्रथम समीक्षा:** निलंबन के **90 दिनों के भीतर** अनिवार्य; एक बार में विस्तार अधिकतम **180 दिन**।

4. **SF-5 के 4 अनुबंध:** अनुबंध-I (आरोपों के अनुच्छेद), अनुबंध-II (कदाचार का विवरण), अनुबंध-III (दस्तावेजों/RUDs की सूची), अनुबंध-IV (गवाहों की सूची)।

5. **SF-11(c):** जब SF-5 (दीर्घ शास्ति आरोप-पत्र) जारी करने के बाद कर्मचारी के लिखित बचाव के आधार पर बिना मौखिक जांच के सीधे **लघु शास्ति** दी जाए।

6. **अपील की समय-सीमा (Rule 20):** दंड आदेश प्राप्त होने की तिथि से **45 दिन**।

7. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा DAR जांच:** रेलवे बोर्ड के **RBE No. 65/2026 (12 अगस्त 2026)** द्वारा अनुमत।

8. **HOER 2005 मानक रोस्टर घंटे:** Intensive = **42 घंटे/सप्ताह** (वैधानिक 45); Continuous = **48 घंटे/सप्ताह** (वैधानिक 54); EI = **60 या 72 घंटे/सप्ताह** (वैधानिक 64.5 या 75) (**HOER Rule 8**)।

9. **HOER साप्ताहिक विश्राम:** Intensive व Continuous = **30 लगातार घंटे**; EI = **24 लगातार घंटे (एक पूर्ण रात्रि सहित)** (**HOER Rule 12**)।

10. **दो ड्यूटी के बीच न्यूनतम विश्राम:** Intensive = **12 घंटे**, Continuous = **10 घंटे**, EI = **8 घंटे** (**HOER Provisions**)।

11. **स्प्लिट ड्यूटी (Rule 8(8)):** निवास 1.6 किमी से दूर होने पर 7 **घंटे की स्प्लिट ड्यूटी = 8 घंटे की सामान्य ड्यूटी**; अधिकतम 2 ब्रेक (3 स्पेल)।

12. **सुविधा पास पात्रता:** राजपत्रित = **6 सेट/वर्ष**; अराजपत्रित = 1–5 वर्ष सेवा तक **1 सेट/वर्ष**, 5 वर्ष बाद **3 सेट/वर्ष**; PTO = सभी को **4 सेट/वर्ष** (**Pass Rules 1986**)।

13. **पास एवं PTO वैधता:** सिंगल जर्नी (हाफ सेट) और रिटर्न जर्नी (फुल सेट) दोनों की वैधता **5 माह**।

14. **PRCP (सेवानिवृत्ति मानार्थ पास):** न्यूनतम **20 वर्ष की रेलवे सेवा** अनिवार्य।

15. **LAP नकदीकरण (सेवाकाल में):** एक बार में **10 दिन**, न्यूनतम **2 वर्ष का अंतराल**, खाते में **30 दिन शेष** रहना अनिवार्य, पूरे सेवाकाल में **अधिकतम 6 बार (60 दिन)**।

16. **शिशु देखभाल अवकाश (CCL):** कुल **730 दिन** (प्रथम 365 दिन 100% वेतन, अगले 365 दिन 80% वेतन); महिला एवं एकल पुरुष माता-पिता दोनों पात्र।

17. **RPF अधिनियम 1957:** धारा 3 (1985 संशोधन से संघ का सशस्त्र बल), धारा 10 (सदैव ड्यूटी पर), धारा 12 (बिना वारंट गिरफ्तारी), धारा 13 (बिना वारंट तलाशी), धारा 14 (पुलिस को सौंपना), धारा 20 (3 माह का पूर्व नोटिस व 3 माह की परिसीमा)।

18. **RPF नियम 70 बनाम नियम 72:** नियम 70 (सामान्य चयन — अधिकतम **3 अवसर**); नियम 72 (LDCE त्वरित पदोन्नति — अधिकतम **2 अवसर**; HC हेतु 5 वर्ष सेवा, ASI हेतु 10 वर्ष सेवा) (**RPF LDCE Rules**)।

19. **GFR 2024 नियम 149 (GeM स्लैब):** ₹50,000 तक सीधी खरीद; **₹50,000 से ₹10 लाख तक** 3 OEM L-1 तुलना; **₹10 लाख से ऊपर** बिडिंग/रिवर्स ऑक्शन (**GFR 2024 Official PDF**)।

20. **GFR 2024 नियम 154 एवं 155:** बिना कोटेशन (Rule 154) = **₹50,000 तक** (वैज्ञानिक विभाग: ₹1 लाख); स्थानीय क्रय समिति LPC (Rule 155) = **₹50,000 से ₹5 लाख तक** (वैज्ञानिक विभाग: ₹10 लाख)।

21. **GFR 2024 नियम 161 एवं 162:** सीमित निविदा LTE (Rule 162) = **₹50 लाख तक** (न्यूनतम 4 पंजीकृत वेंडर); खुली निविदा ATE (Rule 161) = **₹50 लाख एवं अधिक**; ₹200 करोड़ तक ग्लोबल टेंडर वर्जित।

22. **एकीकृत पेंशन योजना (UPS 2024–25):** 25 वर्ष सेवा पर अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन का **50% सुनिश्चित पेंशन**; 10 वर्ष सेवा पर **₹10,000 न्यूनतम पेंशन**; मृत्यु पर **60% पारिवारिक पेंशन**; प्रत्येक 6 माह सेवा पर (Basic+DA) का **1/10वां भाग एकमुश्त** (**PIB UPS Release**)।

23. **UPS अंशदान दर:** कर्मचारी = **10%**, केंद्र सरकार = **18.5%** (1 अप्रैल 2025 से प्रभावी)।

24. **राजभाषा नियम 1976 क्षेत्र:** 'क' क्षेत्र (9 राज्य + दिल्ली व अंडमान-निकोबार), 'ख' क्षेत्र (गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब + चंडीगढ़ व दमन-दीव/दादरा-नगर हवेली), 'ग' क्षेत्र (शेष सभी राज्य/UTs) (**Official Languages Rules 1976**)।

25. **संसदीय राजभाषा समिति (धारा 4):** कुल **30 सदस्य** (20 लोकसभा + 10 राज्यसभा); रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती है।

भाग ख: पुस्तक 24 (नीतिशास्त्र, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन एवं IR) — 25 गोल्डन वन-लाइनर्स

1. **प्लेटो के 4 मुख्य सद्गुण:** विवेक (Prudence), साहस (Courage), संयम (Temperance) और न्याय (Justice)।

2. **अरस्तू का स्वर्णिम मध्यमान (Golden Mean):** सद्गुण दो चरम अतियों (अभाव व अधिकता) के बीच का संतुलित मार्ग है।

3. **कांट का निरपेक्ष आदेश (Categorical Imperative):** कर्तव्य के लिए कर्तव्य और मनुष्य को सदैव 'साध्य' मानना, कभी केवल 'साधन' नहीं।

4. **जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत:** 'अज्ञानता का आवरण' (Veil of Ignorance) और 'भेद सिद्धांत' (Difference Principle — सबसे वंचित व्यक्ति को अधिकतम लाभ)।

5. **गांधीजी के 7 सामाजिक पाप:** सिद्धांतहीन राजनीति, परिश्रमहीन धन, विवेकहीन सुख, चरित्रहीन ज्ञान, नैतिकताहीन व्यापार, मानवताहीन विज्ञान, त्यागहीन पूजा।

6. **नोलन समिति (1995) के 7 सिद्धांत:** निःस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही, खुलापन, ईमानदारी, नेतृत्व।

7. **डेनियल गोलमैन के EI के 5 स्तंभ:** स्व-जागरूकता, स्व-नियमन, आंतरिक अभिप्रेरणा, समानुभूति, सामाजिक कौशल।

8. **2nd ARC की चतुर्थ रिपोर्ट:** 'शासन में नैतिकता' (Ethics in Governance — वीरप्पा मोइली आयोग)।

9. **सेवोत्तम मॉडल (IS 15700):** नागरिक चार्टर + लोक शिकायत निवारण प्रणाली + सेवा वितरण क्षमता।

10. **RTI अधिनियम 2005 समय-सीमा:** सामान्य मामले = **30 दिन**; जीवन या स्वतंत्रता (Life or Liberty) = **48 घंटे**।

11. **भ्रष्टाचार निवारण संशोधन 2018 (धारा 17A):** आधिकारिक निर्णयों की जांच से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्य (3 माह + 1 माह की समय-सीमा)।

12. **नक्सलवाद उन्मूलन डॉक्ट्रिन:** गृह मंत्रालय की **'SAMADHAN'** रणनीति (2017)।

13. **UAPA संशोधन 2019:** चतुर्थ अनुसूची में **'व्यक्ति' (Individual)** को आतंकवादी घोषित करने और DG NIA को संपत्ति जब्त करने की शक्ति।

14. **साइबर सुरक्षा एजेंसियाँ: NCIIPC** (धारा 70A — महत्वपूर्ण अवसंरचना संरक्षण); **CERT-In** (धारा 70B — 6 घंटे में साइबर घटना रिपोर्टिंग); **I4C** (साइबर अपराध हेल्पलाइन **1930**)।

15. **DPDP अधिनियम 2023:** डेटा उल्लंघन पर अधिकतम **₹250 करोड़** का दंड; भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड का गठन।

16. **सीमा रक्षक बल:** बांग्लादेश व पाकिस्तान = **BSF**; चीन (LAC) = **ITBP**; नेपाल व भूटान = **SSB**; म्यांमार = **Assam Rifles**।

17. **वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP):** उत्तरी सीमा (LAC) के 4 राज्यों और लद्दाख के सीमावर्ती गाँवों के समग्र विकास की योजना।

18. **आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005: NDMA** अध्यक्ष = प्रधानमंत्री; **NEC** अध्यक्ष = केंद्रीय गृह सचिव; **SDMA** अध्यक्ष = मुख्यमंत्री; **DDMA** अध्यक्ष = जिला मजिस्ट्रेट (सह-अध्यक्ष: जिला परिषद अध्यक्ष) (**NDMA Overview**)।

19. **सेंदाई फ्रेमवर्क (2015–2030): 4 कार्य प्राथमिकताएँ** और 7 **वैश्विक लक्ष्य** (A–D कमी लक्ष्य, E–G वृद्धि लक्ष्य) (**Sendai Framework Guide**)।

20. **CDRI (2019):** आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन; स्थायी सचिवालय **नई दिल्ली** में।

21. **गुजराल सिद्धांत (1996):** दक्षिण एशिया के छोटे पड़ोसियों के साथ **गैर-पारस्परिक (Non-Reciprocal)** उदार सहयोग।

22. **SAGAR (2015) एवं MAHASAGAR:** हिंद महासागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (Security and Growth for All in the Region)।

23. **QUAD एवं I2U2:** QUAD = भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया (मालाबार अभ्यास); I2U2 = भारत, इज़राइल, UAE, अमेरिका।

24. **प्रवासी भारतीय प्रेषण (Remittances):** भारत विश्व में प्रथम स्थान पर (125–129 बिलियन+ वार्षिक); जनवरी 2015 में PIO का OCI में विलय।

25. **प्रमुख निकासी अभियान:** ऑपरेशन राहत (यमन), ऑपरेशन देवी शक्ति (अफगानिस्तान), ऑपरेशन गंगा (यूक्रेन), ऑपरेशन कावेरी (सूडान), ऑपरेशन अजय (इज़राइल), ऑपरेशन इंद्रावती (हैती)।

24.1 उच्च-स्तरीय सैद्धांतिक एवं प्रशासनिक तथ्य संकलन

लोक प्रशासन में नीतिशास्त्र (Ethics), सत्यनिष्ठा (Integrity) और अभिरुचि (Aptitude) सिविल सेवकों के निर्णय-निर्माण को जनकल्याण, संवैधानिक नैतिकता और पारदर्शिता से जोड़ते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की चतुर्थ रिपोर्ट ('शासन में नैतिकता' - dopt.gov.in) तथा एनसीईआरटी के नैतिक एवं राजनीतिक दर्शन ग्रंथों (ncert.nic.in) में कर्तव्यवादी (Deontological), परिणामवादी (Teleological) और सद्गुण नीतिशास्त्र (Virtue Ethics) का गहन विश्लेषण किया गया है। साथ ही, भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष वामपंथी उग्रवाद, सीमा-पार आतंकवाद, साइबर युद्ध, धन-शोधन (Money Laundering) तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत संस्थागत ढांचा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं (www.iucacademy.com)।

- **नोलन समिति के सात सिद्धांत (1995):** लोक जीवन में मानकों पर लॉर्ड नोलन समिति ने सात मूलभूत मूल्य निर्धारित किए: (1) निःस्वार्थता (Selflessness), (2) सत्यनिष्ठा (Integrity), (3) वस्तुनिष्ठता (Objectivity), (4) जवाबदेही (Accountability), (5) खुलापन (Openness), (6) ईमानदारी (Honesty) और (7) नेतृत्व (Leadership)।
- **भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence):** डैनियल गोलमैन के मॉडल में इसके पांच स्तंभ हैं—स्व-जागरूकता, स्व-नियमन, आंतरिक अभिप्रेरणा, समानुभूति (Empathy) और सामाजिक कौशल।
- **आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन का वैधानिक तंत्र:** राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 (संशोधित 2019), विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA) 1967 (संशोधित 2019), धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भारत के सुरक्षा एवं आपदा प्रतिरोधक ढांचे की रीढ़ हैं।

24.2 विस्तृत तुलनात्मक सारणियाँ (खंड 24)

तुलनात्मक सारणी 24.1: प्रमुख पाश्चात्य एवं भारतीय नैतिक दार्शनिक परंपराओं का तुलनात्मक विश्लेषण

दार्शनिक परंपरा / सिद्धांत	प्रमुख प्रतिपादक / स्रोत	नैतिक मूल्यांकन का केंद्रीय आधार	लोक प्रशासन एवं शासन में व्यावहारिक अनुप्रयोग	मुख्य सीमाएं एवं आलोचनाएं
कर्तव्यवादी नीतिशास्त्र (Deontology)	इमैनुअल कांट; भगवद्गीता का निष्काम कर्मयोग (ncert.nic.in)	कर्म का अंतर्निहित कर्तव्य और नियम की शुद्धता; परिणाम की चिंता से मुक्त नैतिक आदेश (Categorical Imperative)	विधि के शासन (Rule of Law) का कड़ाई से पालन, मानवाधिकारों का संरक्षण और भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता	अत्यधिक कठोरता के कारण कभी-कभी मानवीय संवेदना या आपातकालीन व्यावहारिक परिणामों की उपेक्षा हो सकती है
उपयोगितावाद / परिणामवाद (Utilitarianism)	जेरेमी बेंथम (मात्रात्मक) एवं जॉन स्टुअर्ट मिल (गुणात्मक)	'अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख' (Greatest happiness of the greatest number); कर्म के परिणाम की उपयोगिता	सीमित बजट और संसाधनों के आवंटन में लागत-लाभ विश्लेषण (Cost-Benefit Analysis) तथा वृहद जनकल्याणकारी योजनाएं	बहुसंख्यक हित के नाम पर अल्पसंख्यक या कमजोर वर्गों के मौलिक अधिकारों की अनदेखी का जोखिम
सद्गुण नीतिशास्त्र (Virtue Ethics)	सुकरात, प्लेटो और अरस्तू (स्वर्णिम मध्य मार्ग - Golden Mean)	कर्ता का नैतिक चरित्र (Character) और चार मुख्य सद्गुण: विवेक, साहस, संयम और न्याय	सिविल सेवकों के प्रशिक्षण में चरित्र निर्माण, संतुलित निर्णय क्षमता और नैतिक नेतृत्व का विकास (dopt.gov.in)	जटिल प्रशासनिक दुविधाओं में यह स्पष्ट नियम नहीं बताता कि किसी विशिष्ट क्षण में कौन-सी सटीक कार्यवाही की जाए
न्याय का क्षमता एवं निष्पक्षता सिद्धांत	जॉन रॉल्स (अज्ञानता का पर्दा) एवं अमर्त्य सेन (नीति और न्याय)	समाज के सबसे वंचित व्यक्ति को अधिकतम लाभ (Difference Principle) और वास्तविक मानवीय क्षमताओं का विस्तार	सकारात्मक भेदभाव (Affirmative Action), अंत्योदय आधारित योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा संजाल का निर्माण	पूर्ण प्रक्रियात्मक समानता और परिणाममूलक समानता के मध्य निरंतर नीतिगत संतुलन स्थापित करने की चुनौती
गांधीवादी सर्वोदय एवं ट्रस्टीशिप नीतिशास्त्र	महात्मा गांधी (सात सामाजिक पाप एवं जंतर/Talisman)	सत्य, अहिंसा, साध्य और साधन दोनों की पवित्रता तथा अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान	सहभागी लोकतंत्र, ग्राम स्वराज, सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षक (Trustee) भाव से प्रबंधन और नैतिक जवाबदेही	अत्यधिक भौतिकवादी और प्रतिस्पर्धी वैश्विक व्यवस्था में स्वैच्छिक ट्रस्टीशिप को पूर्णतः लागू करने में व्यावहारिक कठिनाई

दार्शनिक परंपरा / सिद्धांत	प्रमुख प्रतिपादक / स्रोत	नैतिक मूल्यांकन का केंद्रीय आधार	लोक प्रशासन एवं शासन में व्यावहारिक अनुप्रयोग	मुख्य सीमाएं एवं आलोचनाएं
कौटिल्य का राजधर्म एवं लोकसंग्रह	आचार्य चाणक्य (अर्थशास्त्र) (ncert.nic.in)	प्रजा के सुख में राजा का सुख ('प्रजासुखे सुखं राज्ञः'); दंडनीति, राजकोषीय अनुशासन और गुप्तचर सतर्कता	सुदृढ़ आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा, भ्रष्टाचार की रोकथाम (40 प्रकार के गबन की पहचान) और परिणामोन्मुखी कल्याणकारी राज्य	कठोर राज्य-नियंत्रण और निगरानी तंत्र का आधुनिक निजता अधिकारों के साथ समन्वय करना आवश्यक

तुलनात्मक सारणी 24.2: नैतिक एवं प्रशासनिक अवधारणाओं के सूक्ष्म अंतर (अभिवृत्ति, अभिरुचि, सहानुभूति, समानुभूति एवं करुणा)

अवधारणा युग्म / संप्रत्यय	मूल परिभाषा एवं मनोवैज्ञानिक प्रकृति	संज्ञानात्मक एवं भावनात्मक घटक	सिविल सेवा के संदर्भ में प्रत्यक्ष उदाहरण	प्रशिक्षण द्वारा परिवर्तनीयता
अभिवृत्ति (Attitude)	किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार या संस्था के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक मूल्यांकन करने की स्थायी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति	CAB मॉडल: संज्ञानात्मक (Cognitive), भावात्मक (Affective) और व्यवहारात्मक (Behavioral) घटक (ncert.nic.in)	एक प्रशासक का महिला सशक्तिकरण या डिजिटल पारदर्शिता के प्रति सकारात्मक और प्रगतिशील दृष्टिकोण रखना	अनुनय (Persuasion), अनुभव और संज्ञानात्मक विसंगति के समाधान द्वारा क्रमिक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है
अभिरुचि (Aptitude)	किसी विशिष्ट क्षेत्र में भविष्य में कौशल अर्जित करने और उच्च दक्षता के साथ कार्य निष्पादन करने की जन्मजात एवं अर्जित क्षमता	तार्किक विश्लेषण, संख्यात्मक दक्षता, स्थानिक समझ और त्वरित समस्या-समाधान कौशल	किसी जिले में बाढ़ राहत कार्यों के दौरान संसाधनों के सटीक आवंटन और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन की प्रशासनिक क्षमता	लक्षित प्रशिक्षण, अभ्यास और तकनीकी क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों (dopt.gov.in) से निखारा जा सकता है
उदासीनता (Apathy)	दूसरे के कष्ट या समस्या के प्रति संवेदना, रुचि और सरोकार का पूर्ण अभाव	भावनात्मक सुन्नता और अपने कर्तव्य के प्रति संवेदनहीन नौकरशाही मानसिकता	किसी वृद्ध पेंशनभोगी की शिकायत फाइल को तकनीकी खामी बताकर बिना सुने महीनों तक लंबित रखना	कठोर जवाबदेही तंत्र, संवेदीकरण कार्यशालाओं और नैतिक आचार संहिता से ही दूर किया जा सकता है
सहानुभूति (Sympathy)	दूसरे व्यक्ति के दुःख को देखकर उसके प्रति दया या खेद प्रकट करना (ऊपर से नीचे की भावना)	दूसरे के कष्ट को समझना किंतु स्वयं को उससे अलग रखते हुए केवल मौखिक संवेदना जताना	आपदा पीड़ितों को देखकर दुःख व्यक्त करना और औपचारिक मुआवजा चेक सौंपकर कर्तव्य की इतिश्री मान लेना	सामाजिक संस्कारों से विकसित होती है, किंतु प्रशासन में यह पर्याप्त नहीं मानी जाती
समानुभूति (Empathy)	स्वयं को दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति में रखकर उसके दर्द और दृष्टिकोण को उसी की भांति महसूस करना	संज्ञानात्मक एवं भावात्मक स्तर पर परानुभूति ('Putting oneself in another's shoes')	दिव्यांग नागरिकों की कठिनाई को स्वयं अनुभव कर सरकारी भवन में तुरंत रैंप और सुगम्य शौचालय की व्यवस्था समझना	रोल-प्ले, क्षेत्रीय भ्रमण (Field Immersion) और भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण से विकसित होती है
करुणा (Compassion)	समानुभूति के साथ-साथ पीड़ित व्यक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए सक्रिय और त्वरित कर्म करने की प्रबल प्रेरणा	समानुभूति + क्रियाशील सहायता (Empathy + Action to alleviate suffering)	रात्रि में बेघर श्रमिकों की पीड़ा समझकर न केवल रैन-बसेरे खुलवाना बल्कि उनके भोजन व स्वास्थ्य जांच की स्थायी व्यवस्था करना	उच्चतम नैतिक मूल्य; यह सिविल सेवक को 'नियम-उन्मुख' से 'नागरिक-केंद्रित' प्रशासक में रूपांतरित करता है

तुलनात्मक सारणी 24.3: भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) एवं प्रमुख आंतरिक सुरक्षा अभिकरणों का कार्यात्मक विश्लेषण

बल / अभिकरण का नाम	स्थापना वर्ष एवं वैधानिक आधार	प्रशासनिक नियंत्रण (मंत्रालय)	प्राथमिक सुरक्षा अधिदेश एवं कार्यक्षेत्र	विशेष परिचालन इकाइयां / प्रमुख विशेषताएं
असम राइफल्स (AR)	1835 (कछार लेवी); असम राइफल्स अधिनियम, 2006	प्रशासनिक: गृह मंत्रालय; परिचालन (Operational): रक्षा मंत्रालय (भारतीय थल सेना)	भारत-म्यांमार सीमा (1,643 किमी) की सुरक्षा और पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद-रोधी अभियान	देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल; इसे 'पूर्वोत्तर का प्रहरी' और 'पर्वतीय लोगों का मित्र' कहा जाता है
सीमा सुरक्षा बल (BSF)	1 दिसंबर 1965; सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968	गृह मंत्रालय, भारत सरकार	शांतिकाल में भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं की सुरक्षा तथा सीमा-पार तस्करी व घुसपैठ की रोकथाम	विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल; इसके पास जल स्कंध (Water Wing), वायु स्कंध और तोपखाना रेजिमेंट भी हैं

बल / अभिकरण का नाम	स्थापना वर्ष एवं वैधानिक आधार	प्रशासनिक नियंत्रण (मंत्रालय)	प्राथमिक सुरक्षा अधिदेश एवं कार्यक्षेत्र	विशेष परिचालन इकाइयां / प्रमुख विशेषताएं
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF)	1939 (क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस); CRPF अधिनियम, 1949	गृह मंत्रालय, भारत सरकार	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखना, वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद-रोधी अभियान	दंगा नियंत्रण हेतु 'रैपिड एक्शन फोर्स' (RAF) और जंगल युद्ध व नक्सल अभियान हेतु 'कोबरा' (CoBRA) कमांडो बटालियन
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) एवं सशस्त्र सीमा बल (SSB)	ITBP: 1962 (अधिनियम 1992); SSB: 1963 (अधिनियम 2007)	गृह मंत्रालय, भारत सरकार	ITBP: भारत-चीन (LAC - 3,488 किमी) सीमा सुरक्षा; SSB: भारत-नेपाल (1,751 किमी) एवं भारत-भूटान (699 किमी) खुली सीमाओं की सुरक्षा	ITBP उच्च हिमालयी पर्वतारोहण एवं आपदा राहत में दक्ष; SSB सीमावर्ती गांवों में नागरिक कल्याण और मानव तस्करी रोकने में अग्रणी
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) एवं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)	CISF: 1969 (अधिनियम 1968); NSG: 1984 (अधिनियम 1986)	गृह मंत्रालय, भारत सरकार	CISF: हवाई अड्डों, परमाणु संस्थानों, अंतरिक्ष केंद्रों, मेट्रो और महत्वपूर्ण औद्योगिक उपक्रमों की सुरक्षा; NSG: आतंकवाद-रोधी एवं अपहरण-रोधी विशेष अभियान	NSG एक 'शून्य त्रुटि' (Zero Error) संघीय आकस्मिक बल है जिसमें थल सेना (SAG) और CAPFs (SRG) से प्रतिनियुक्ति पर कमांडो आते हैं
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)	2008; राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 (संशोधित 2019)	गृह मंत्रालय, भारत सरकार	आतंकवाद, राष्ट्र-विरोधी अपराधों, जाली मुद्रा, मानव तस्करी, साइबर आतंकवाद और अनुसूचित अपराधों की अखिल भारतीय जांच	2019 के संशोधन के बाद भारत के बाहर भारतीय नागरिकों या भारतीय हितों के विरुद्ध होने वाले आतंकी अपराधों की जांच का भी अधिकार (www.iucacademy.com)

24.3 उच्च-स्तरीय व्याख्या सहित बहुविकल्पीय प्रश्न (खंड 24: प्रश्न 1 से 20)

अभ्यास प्रश्न #1 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 1. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की चतुर्थ रिपोर्ट 'शासन में नैतिकता' (Ethics in Governance) के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई थी?

(A) मंत्रियों और सिविल सेवकों दोनों के लिए पृथक-पृथक वैधानिक 'नैतिकता संहिता' (Code of Ethics) और 'आचरण संहिता' (Code of Conduct) का निर्माण तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 'पद के दुरुपयोग' को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना

(B) लोकपाल संस्था को समाप्त कर केवल विभागीय सतर्कता इकाइयों को समस्त न्यायिक शक्तियां सौंपना

(C) सिविल सेवकों को राजनीतिक दलों की सदस्यता लेने की छूट देना

(D) सूचना का अधिकार अधिनियम को पूर्णतः निरस्त करना

सही उत्तर: (A) मंत्रियों और सिविल सेवकों दोनों के लिए पृथक-पृथक वैधानिक 'नैतिकता संहिता' (Code of Ethics) और 'आचरण संहिता' (Code of Conduct) का निर्माण तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 'पद के दुरुपयोग' को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना

विस्तृत व्याख्या:

- वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाले द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट 'शासन में नैतिकता' (dopt.gov.in) में स्पष्ट किया कि वर्तमान 'आचरण नियम' केवल निषेधात्मक सूची हैं, जबकि सिविल सेवकों के लिए उच्च आदर्शों पर आधारित 'सिविल सेवा मूल्य और नैतिकता संहिता' (Civil Services Bill में) तथा मंत्रियों के लिए 'Code of Ethics' होना चाहिए।
- आयोग ने राष्ट्रीय लोकपाल, सत्यनिष्ठा समझौते (Integrity Pact) और झूठे दावों पर रोक के कानून की भी अनुशंसा की।

अभ्यास प्रश्न #2 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 2. इमैनुअल कांट के 'निरपेक्ष आदेश' (Categorical Imperative) के नैतिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा कथन किसी कार्य की नैतिकता का सर्वोच्च मानदंड है?

(A) कोई कार्य तभी नैतिक है जब उससे समाज के बहुसंख्यक वर्ग को आर्थिक लाभ प्राप्त हो।

(B) केवल ऐसे ही सूत्र के अनुसार कार्य करो जिसके बारे में तुम साथ ही यह भी इच्छा कर सको कि वह एक सार्वभौमिक नियम बन जाए, और प्रत्येक मनुष्य को सदैव साध्य (End) मानो, कभी भी मात्र साधन (Means) मत मानो।

(C) शासक को अपने राज्य के विस्तार के लिए किसी भी साधन का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है।

(D) नैतिकता पूर्णतः व्यक्तिगत भावनाओं और तात्कालिक सुख पर निर्भर करती है।

सही उत्तर: (B) केवल ऐसे ही सूत्र के अनुसार कार्य करो जिसके बारे में तुम साथ ही यह भी इच्छा कर सको कि वह एक सार्वभौमिक नियम बन जाए, और प्रत्येक मनुष्य को सदैव साध्य (End) मानो, कभी भी मात्र साधन (Means) मत मानो।

विस्तृत व्याख्या: जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का कर्तव्यवादी नीतिशास्त्र (ncert.nic.in) दो प्रमुख सूत्रों पर टिका है: प्रथम, 'सार्वभौमिकता का सिद्धांत' (Principle of Universality)—अर्थात जो नियम आप अपने लिए चाहते हैं, क्या वह सबके लिए सार्वभौमिक नियम बन सकता है (जैसे झूठ बोलना कभी सार्वभौमिक नियम नहीं बन सकता); द्वितीय, 'मानवता का सिद्धांत'—प्रत्येक मानव में अंतर्निहित गरिमा है, अतः किसी भी मनुष्य का उपयोग केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के 'साधन' के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसे स्वयं में 'साध्य' माना जाना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न #3 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 3. लोक जीवन में मानकों पर गठित लॉर्ड नोलन समिति (1995) के सात सिद्धांतों में 'वस्तुनिष्ठता' (Objectivity) का सटीक अर्थ क्या है?

(A) सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियां, अनुबंध प्रदान करना या पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना जैसे सार्वजनिक कार्य करते समय धारकों को अपनी पसंद केवल योग्यता (Merit) और तथ्यों के आधार पर तय करनी चाहिए।

(B) अपने परिवार और मित्रों के प्रति निष्ठा रखते हुए प्रशासनिक निर्णय लेना।

(C) बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के केवल अंतरात्मा की आवाज पर ठेके आवंटित करना।

(D) सभी प्रशासनिक फाइलों को गोपनीय रखना।

सही उत्तर: (A) सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियां, अनुबंध प्रदान करना या पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना जैसे सार्वजनिक कार्य करते समय धारकों को अपनी पसंद केवल योग्यता (Merit) और तथ्यों के आधार पर तय करनी चाहिए।

विस्तृत व्याख्या: नोलन समिति के सात सिद्धांतों (dopt.gov.in) में 'वस्तुनिष्ठता' (Objectivity) का तात्पर्य है कि एक लोक सेवक व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों, पक्षपात, भावनात्मक झुकाव या बाह्य दबावों से मुक्त होकर केवल प्रमाणित तथ्यों, साक्ष्यों और योग्यता (Merit) के आधार पर सार्वजनिक नियुक्तियां, निविदा आवंटन या कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का चयन करे।

अभ्यास प्रश्न #4 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 4. जब किसी लोक सेवक के व्यक्तिगत या पारिवारिक हित और उसके पदीय कर्तव्यों (Official Duties) के बीच टकराव की संभावना उत्पन्न होती है, किंतु वास्तविक भ्रष्टाचार अभी घटित नहीं हुआ है, तो इस स्थिति को नीतिशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा जाता है और इसका सर्वोत्तम प्रशासनिक समाधान क्या है?

(A) इसे 'दण्डनीय अपराध' कहा जाता है और समाधान तत्काल त्यागपत्र है।

(B) इसे 'संभावित या प्रतीत होने वाला हितों का टकराव' (Potential or Perceived Conflict of Interest) कहा जाता है, और इसका सर्वोत्तम समाधान पूर्व प्रकटीकरण (Disclosure) तथा स्वयं को उस निर्णय-प्रक्रिया से अलग करना (Recusal) है।

(C) इसे 'भावनात्मक बुद्धिमत्ता' कहा जाता है और इसे गुप्त रखना चाहिए।

(D) इसे 'समानुभूति' कहा जाता है और अपने रिश्तेदार को वरीयता देनी चाहिए।

सही उत्तर: (B) इसे 'संभावित या प्रतीत होने वाला हितों का टकराव' (Potential or Perceived Conflict of Interest) कहा जाता है, और इसका सर्वोत्तम समाधान पूर्व प्रकटीकरण (Disclosure) तथा स्वयं को उस निर्णय-प्रक्रिया से अलग करना (Recusal) है।

विस्तृत व्याख्या:

- लोक प्रशासन में केवल 'वास्तविक' (Actual) हितों के टकराव से बचना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि 'संभावित' (Potential) और 'प्रतीत होने वाले' (Perceived) हितों के टकराव से बचना भी उतना ही आवश्यक है ताकि जनता का संस्था की निष्पक्षता में विश्वास बना रहे (dopt.gov.in)।

• उदाहरणार्थ, यदि किसी चयन समिति के सदस्य का कोई निकट संबंधी साक्षात्कार दे रहा है, तो सदस्य को तुरंत इसकी लिखित सूचना (Disclosure) उच्चाधिकारी को देनी चाहिए और उस चयन प्रक्रिया से स्वयं को अलग (Recuse) कर लेना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न #5 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 5. जॉन रॉल्स के 'न्याय के सिद्धांत' (A Theory of Justice) में 'अज्ञानता के पर्दे' (Veil of Ignorance) की वैचारिक प्रयोग-पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(A) नागरिकों को कानून की जानकारी से वंचित रखना ताकि वे विद्रोह न कर सकें।

(B) न्याय के ऐसे निष्पक्ष सिद्धांतों का चयन सुनिश्चित करना जहाँ नीति-निर्माता को यह ज्ञात न हो कि समाज में उसकी स्वयं की जाति, वर्ग, लिंग, संपत्ति या शारीरिक स्थिति क्या होगी, ताकि वह सबसे कमजोर वर्ग के हित की भी रक्षा करे।

(C) न्यायालयों में बिना वकील के मुकदमे चलाना।

(D) केवल प्रतिभाशाली और धनी वर्ग को करों से मुक्त करना।

सही उत्तर: (B) न्याय के ऐसे निष्पक्ष सिद्धांतों का चयन सुनिश्चित करना जहाँ नीति-निर्माता को यह ज्ञात न हो कि समाज में उसकी स्वयं की जाति, वर्ग, लिंग, संपत्ति या शारीरिक स्थिति क्या होगी, ताकि वह सबसे कमजोर वर्ग के हित की भी रक्षा करे।

विस्तृत व्याख्या:

• राजनीतिक दार्शनिक जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक 'अ थ्योरी ऑफ जस्टिस' (1971) में 'मूल स्थिति' (Original Position) और 'अज्ञानता के पर्दे' (Veil of Ignorance) की संकल्पना प्रस्तुत की (ncert.nic.in)।

• उनका तर्क है कि जब लोग यह जाने बिना समाज के नियम बनाएंगे कि पर्दा हटने के बाद वे स्वयं अमीर होंगे या गरीब, स्वस्थ होंगे या दिव्यांग, तो वे तर्कसंगत रूप से ऐसे नियम चुनेंगे जिनमें सभी को समान बुनियादी स्वतंत्रता मिले और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को केवल तभी स्वीकार किया जाए जब वे समाज के सबसे वंचित (Least Advantaged) व्यक्ति के अधिकतम लाभ (Difference Principle) में हों।

अभ्यास प्रश्न #6 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 6. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत गठित 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (NDMA) तथा 'राष्ट्रीय कार्यकारी समिति' (NEC) के पदेन अध्यक्ष क्रमशः कौन होते हैं?

(A) केंद्रीय गृह मंत्री और कैबिनेट सचिव

(B) भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह सचिव

(C) भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री

(D) रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

सही उत्तर: (B) भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह सचिव

विस्तृत व्याख्या:

• आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 3 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं (इसमें अधिकतम 9 अन्य सदस्य हो सकते हैं)।

• इसी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत NDMA की नीतियों के क्रियान्वयन और मंत्रालयों के मध्य समन्वय हेतु गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (National Executive Committee - NEC) के पदेन अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव (Union Home Secretary) होते हैं (www.iucacademy.com)।

• राज्य स्तर पर SDMA के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और SEC के अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं।

अभ्यास प्रश्न #7 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 7. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2019 (UAPA Amendment Act, 2019) द्वारा मूल अधिनियम (1967) में किया गया सबसे महत्वपूर्ण विधिक परिवर्तन क्या है?

(A) इसने केवल संगठनों को ही आतंकवादी घोषित करने की सीमा तय की।

(B) इसने केंद्र सरकार को किसी संगठन के अतिरिक्त किसी 'व्यक्ति' (Individual) को भी आतंकवादी के रूप में नामित (Designate) करने और NIA के महानिदेशक को आतंकवाद से जुड़ी संपत्ति की कुर्की को मंजूरी देने का अधिकार प्रदान किया।

(C) इसने आतंकवाद के मामलों की जांच का अधिकार केवल ग्राम पंचायतों को दे दिया।

(D) इसने आतंकवादी अपराधों के लिए जमानत को पूर्णत: स्वचालित बना दिया।

सही उत्तर: (B) इसने केंद्र सरकार को किसी संगठन के अतिरिक्त किसी 'व्यक्ति' (Individual) को भी आतंकवादी के रूप में नामित (Designate) करने और NIA के महानिदेशक को आतंकवाद से जुड़ी संपत्ति की कुर्की को मंजूरी देने का अधिकार प्रदान किया।

विस्तृत व्याख्या:

- वर्ष 2019 के संशोधन से पूर्व UAPA, 1967 की चतुर्थ अनुसूची के तहत केवल 'संगठनों' को ही आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था, जिससे आतंकी सरगना संगठन का नाम बदलकर सक्रिय रहते थे।
- 2019 के संशोधन द्वारा चतुर्थ अनुसूची में किसी 'व्यक्ति' (Individual) को भी आतंकवादी नामित करने की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई, तथा NIA द्वारा जांचे जा रहे मामलों में संपत्ति की जब्ती/कुर्की के लिए राज्य पुलिस महानिदेशक (DGP) के स्थान पर NIA के महानिदेशक (DG, NIA) की पूर्व स्वीकृति का प्रावधान किया गया (www.iucacademy.com)।

अभ्यास प्रश्न #8 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 8. धन-शोधन (Money Laundering) की अंतरराष्ट्रीय अपराध प्रक्रिया में अवैध धन को वैध वित्तीय प्रणाली में समाहित करने के तीन क्रमिक चरणों का सही अनुक्रम क्या है?

(A) एकीकरण (Integration) → स्तरण (Layering) → स्थापन (Placement)

(B) स्थापन (Placement) → स्तरण (Layering) → एकीकरण (Integration)

(C) स्तरण (Layering) → स्थापन (Placement) → समाशोधन (Clearing)

(D) कराधान (Taxation) → निवेश (Investment) → लाभांश (Dividend)

सही उत्तर: (B) स्थापन (Placement) → स्तरण (Layering) → एकीकरण (Integration)

विस्तृत व्याख्या: धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के मानकों के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग के तीन चरण होते हैं (www.iucacademy.com): (1) **स्थापन (Placement):** अपराध से अर्जित नकदी (काले धन) को टुकड़ों में बांटकर (Smurfing) पहली बार बैंकिंग या वित्तीय प्रणाली में डालना; (2) **स्तरण (Layering):** धन के मूल अवैध स्रोत को छिपाने के लिए फर्जी कंपनियों (Shell Companies) और विदेशी कर-पनाहगाहों के माध्यम से जटिल लेन-देन की परतें बनाना; तथा (3) **एकीकरण (Integration):** उस धन को वैध आय (जैसे रियल एस्टेट, लग्जरी संपत्ति या वैध व्यापारिक लाभ) के रूप में पुन: मुख्य अर्थव्यवस्था में वापस लाना।

अभ्यास प्रश्न #9 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 9. कॉर्पोरेट प्रशासन (Corporate Governance) के क्षेत्र में गठित निम्नलिखित समितियों को उनके गठन के कालानुक्रम (Chronological Order) में व्यवस्थित कीजिए:

1. कुमार मंगलम बिड़ला समिति
2. नारायण मूर्ति समिति
3. उदय कोटक समिति
4. कैडबरी समिति (यूके - वैश्विक आधार)

सही कूट का चयन कीजिए:

(A) 4 → 1 → 2 → 3

(B) 1 → 4 → 2 → 3

(C) 3 → 2 → 1 → 4

(D) 4 → 2 → 1 → 3

सही उत्तर: (A) 4 → 1 → 2 → 3

विस्तृत व्याख्या:

• कॉर्पोरेट प्रशासन के विकास क्रम (www.iucacademy.com) में सर्वप्रथम 1992 में ब्रिटेन में सर एड्रियन कैडबरी की अध्यक्षता में 'कैडबरी समिति' बनी जिसने बोर्ड की जवाबदेही और ऑडिट समिति की नींव रखी।

• भारत में सेबी (SEBI) द्वारा 1999 में 'कुमार मंगलम बिड़ला समिति' गठित की गई (जिससे क्लॉज 49 आया), तत्पश्चात 2003 में 'एन.आर. नारायण मूर्ति समिति' (स्वतंत्र निदेशकों और व्हिसलब्लोअर नीति को सुदृढ़ करने हेतु) और 2017 में 'उदय कोटक समिति' (बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष व MD के पद का पृथक्करण और पारदर्शिता हेतु) गठित की गई।

अभ्यास प्रश्न #10 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 10. भारत की आंतरिक सुरक्षा में वामपंथी उग्रवाद (Left-Wing Extremism - LWE) से निपटने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई बहु-आयामी राष्ट्रीय नीति और कार्ययोजना 'समाधान' (SAMADHAN) में 'M' और 'N' अक्षरों का क्या अभिप्राय है?

(A) Money और Navy

(B) Motivation and Training (अभिप्रेरणा एवं प्रशिक्षण) तथा No access to Financing (वित्तीय स्रोतों तक पहुंच को रोकना)

(C) Media और Nuclear Power

(D) Migration और Nationalization

सही उत्तर: (B) Motivation and Training (अभिप्रेरणा एवं प्रशिक्षण) तथा No access to Financing (वित्तीय स्रोतों तक पहुंच को रोकना)

विस्तृत व्याख्या: वामपंथी उग्रवाद के उन्मूलन हेतु गृह मंत्रालय के 'SAMADHAN' सिद्धांत (www.iucacademy.com) के आठ स्तंभ हैं: **S** - Smart Leadership (कुशल नेतृत्व), **A** - Aggressive Strategy (आक्रामक रणनीति), **M** - Motivation and Training (सुरक्षा बलों की अभिप्रेरणा और प्रशिक्षण), **A** - Actionable Intelligence (कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी), **D** - Dashboard Based KPIs and KRAs (डैशबोर्ड आधारित विकास व परिचालन संकेतक), **H** - Harnessing Technology (यूएवी, जीपीएस और आधुनिक तकनीक का उपयोग), **A** - Action Plan for each Theatre (प्रत्येक क्षेत्र हेतु विशिष्ट कार्ययोजना), तथा **N** - No access to Financing (उग्रवादियों के लेवी व वित्तीय स्रोतों को पूर्णतः बंद करना)।

अभ्यास प्रश्न #11 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 11. आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के 'सेंडाई फ्रेमवर्क' (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030), जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है, में कार्रवाई की कितनी प्राथमिकताएं (Priorities for Action) और कितने वैश्विक लक्ष्य (Global Targets) निर्धारित किए गए हैं?

(A) 2 प्राथमिकताएं और 5 वैश्विक लक्ष्य

(B) 4 प्राथमिकताएं और 7 वैश्विक लक्ष्य

(C) 6 प्राथमिकताएं और 10 वैश्विक लक्ष्य

(D) 8 प्राथमिकताएं और 17 वैश्विक लक्ष्य

सही उत्तर: (B) 4 प्राथमिकताएं और 7 वैश्विक लक्ष्य

विस्तृत व्याख्या:

• जापान के सेंडाई में मार्च 2015 में अपनाए गए 'सेंडाई फ्रेमवर्क (2015–2030)' (ncert.nic.in, www.iucacademy.com) ने ह्यूगो फ्रेमवर्क (2005–2015) का स्थान लिया।

• इसमें कार्रवाई की 4 प्राथमिकताएं हैं: (1) आपदा जोखिम को समझना, (2) आपदा जोखिम के प्रबंधन के लिए आपदा जोखिम अभिशासन को मजबूत करना, (3) लचीलेपन के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश करना, और (4) प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा की तैयारी को बढ़ाना और पुनर्वास व पुनर्निर्माण में 'बेहतर पुनर्निर्माण' (Build Back Better) करना।

• इसके साथ 7 मापने योग्य वैश्विक लक्ष्य (मृत्यु दर, प्रभावित लोग, आर्थिक क्षति, बुनियादी ढांचे की क्षति में कमी तथा राष्ट्रीय रणनीति, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और पूर्व-चेतावनी प्रणाली में वृद्धि) निर्धारित किए गए हैं।

अभ्यास प्रश्न #12 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 12. साइबर सुरक्षा के संदर्भ में भारत की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी कौन-सी है जो साइबर हमलों की तात्कालिक घटनाओं पर प्रतिक्रिया देती है, और 'महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना' (Critical Information Infrastructure) की सुरक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की किस धारा के तहत 'NCIIPC' का गठन किया गया है?

(A) नोडल एजेंसी: CERT-In (धारा 70B); महत्वपूर्ण अवसंरचना सुरक्षा: NCIIPC (धारा 70A)

(B) नोडल एजेंसी: TRAI; महत्वपूर्ण अवसंरचना सुरक्षा: C-DAC

(C) नोडल एजेंसी: RBI; महत्वपूर्ण अवसंरचना सुरक्षा: SEBI

(D) नोडल एजेंसी: BSNL; महत्वपूर्ण अवसंरचना सुरक्षा: NIC

सही उत्तर: (A) नोडल एजेंसी: CERT-In (धारा 70B); महत्वपूर्ण अवसंरचना सुरक्षा: NCIIPC (धारा 70A)

विस्तृत व्याख्या:

• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (यथासंशोधित 2008) की धारा 70B के तहत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) देश में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाली राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।

• वहीं, इसी अधिनियम की धारा 70A के तहत जनवरी 2014 में 'राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र' (NCIIPC) को बैंकिंग, ऊर्जा, दूरसंचार, रक्षा, परिवहन और ई-गवर्नेंस जैसे रणनीतिक क्षेत्रों के महत्वपूर्ण साइबर ढांचे की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया (www.iucacademy.com)।

अभ्यास प्रश्न #13 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 13. लियो फेस्टिंगर (Leon Festinger) द्वारा प्रतिपादित 'संज्ञानात्मक विसंगति' (Cognitive Dissonance) के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का लोक प्रशासन के संदर्भ में क्या तात्पर्य है?

(A) जब किसी व्यक्ति के स्मृति कोष से बचपन की यादें मिट जाती हैं।

(B) जब किसी लोक सेवक के आंतरिक नैतिक विश्वासों/अभिवृत्तियों और उसके द्वारा दबाव या परिस्थिति में किए जाने वाले बाह्य व्यवहार के बीच विरोधाभास होता है, जिससे उत्पन्न मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वह या तो अपना व्यवहार बदलता है या अपने विश्वास को तर्कसंगत बनाने का प्रयास करता है।

(C) जब एक साथ दो भाषाओं का अनुवाद किया जाता है।

(D) जब कंप्यूटर प्रणाली में डेटा करप्ट हो जाता है।

सही उत्तर: (B) जब किसी लोक सेवक के आंतरिक नैतिक विश्वासों/अभिवृत्तियों और उसके द्वारा दबाव या परिस्थिति में किए जाने वाले बाह्य व्यवहार के बीच विरोधाभास होता है, जिससे उत्पन्न मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वह या तो अपना व्यवहार बदलता है या अपने विश्वास को तर्कसंगत बनाने का प्रयास करता है।

विस्तृत व्याख्या:

• एनसीईआरटी मनोविज्ञान (ncert.nic.in) में वर्णित लियो फेस्टिंगर (1957) के संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत के अनुसार जब किसी व्यक्ति के दो संज्ञान (विचार/अभिवृत्ति और कृत्य) एक-दूसरे के विपरीत होते हैं (जैसे एक ईमानदार अधिकारी को किसी अनुचित आदेश पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाना), तो उसमें तीव्र मानसिक बेचैनी (Dissonance) उत्पन्न होती है।

• एक सत्यनिष्ठ सिविल सेवक अपने नैतिक मूल्य पर अडिग रहकर और नियमसंगत असहमति (Dissent note) दर्ज करके इस विसंगति का नैतिक समाधान करता है।

अभ्यास प्रश्न #14 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 14. निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म भारतीय सीमाओं की लंबाई (अवरोही क्रम में) और उनकी निगरानी करने वाले सीमा रक्षक बल (Border Guarding Force) के सिद्धांत 'एक सीमा, एक बल' (One Border, One Force) के अनुसार सही सुमेलित है?

(A) भारत-बांग्लादेश सीमा (4,096.7 किमी) — सीमा सुरक्षा बल (BSF)

(B) भारत-चीन सीमा (3,488 किमी) — केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)

(C) भारत-नेपाल सीमा (1,751 किमी) — असम राइफल्स (AR)

(D) भारत-म्यांमार सीमा (1,643 किमी) — सशस्त्र सीमा बल (SSB)

सही उत्तर: (A) भारत-बांग्लादेश सीमा (4,096.7 किमी) — सीमा सुरक्षा बल (BSF)

विस्तृत व्याख्या: करगिल समीक्षा समिति और मंत्रियों के समूह (GoM) की सिफारिशों के आधार पर भारत में 'एक सीमा, एक बल' का सिद्धांत लागू किया गया (www.iucacademy.com): भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश (4,096.7 किमी) और पाकिस्तान (3,323 किमी) के साथ है, जिनकी रक्षा BSF करती है; भारत-चीन सीमा (3,488 किमी) की रक्षा ITBP करती है; भारत-नेपाल (1,751 किमी) और भारत-भूटान (699 किमी) सीमा की रक्षा SSB करती है; तथा भारत-म्यांमार सीमा (1,643 किमी) की रक्षा असम राइफल्स (AR) करती है।

अभ्यास प्रश्न #15 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 15. सार्वजनिक खरीद और प्रशासनिक अनुबंधों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा विकसित और केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) द्वारा भारत में लागू किए गए 'सत्यनिष्ठा समझौते' (Integrity Pact) का मुख्य कार्य क्या है?

(A) निविदा में भाग लेने वाली कंपनियों को आयकर से छूट देना।

(B) क्रेता (सरकारी विभाग) और बोलीदाताओं (Bidders) के मध्य एक बाध्यकारी समझौता करना कि कोई भी पक्ष रिश्वत या अनुचित प्रभाव का प्रयोग नहीं करेगा, और इसकी निगरानी के लिए 'स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर' (Independent External Monitors - IEMs) नियुक्त किए जाते हैं।

(C) केवल विदेशी कंपनियों को बिना बोली के ठेका देना।

(D) सरकारी कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण करना।

सही उत्तर: (B) क्रेता (सरकारी विभाग) और बोलीदाताओं (Bidders) के मध्य एक बाध्यकारी समझौता करना कि कोई भी पक्ष रिश्वत या अनुचित प्रभाव का प्रयोग नहीं करेगा, और इसकी निगरानी के लिए 'स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर' (Independent External Monitors - IEMs) नियुक्त किए जाते हैं।

विस्तृत व्याख्या:

- केंद्रीय सतर्कता आयोग (dopt.gov.in) और सामान्य वित्तीय नियमों (GFR नियम 175) के अंतर्गत उच्च मूल्य की सरकारी निविदाओं में 'सत्यनिष्ठा समझौता' (Integrity Pact) अनिवार्य किया गया है।
- इसमें सरकारी क्रय एजेंसी और सभी बोलीदाता यह वचनबद्धता हस्ताक्षरित करते हैं कि वे निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में रिश्वत, मिलीभगत या अपारदर्शी आचरण नहीं करेंगे।
- इसके निष्पक्ष पर्यवेक्षण हेतु उच्च सत्यनिष्ठा वाले सेवानिवृत्त सिविल सेवकों/विशेषज्ञों को 'स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर' (IEM) नियुक्त किया जाता है।

अभ्यास प्रश्न #16 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 16. अरस्तू के 'स्वर्णिम मध्य मार्ग' (Doctrine of the Golden Mean) के अनुसार 'साहस' (Courage) नामक सद्गुण किन दो अतियों (Extremes/Vices) के बीच का संतुलित मध्य बिंदु है?

(A) क्रोध और ईर्ष्या के बीच

(B) कायरता (Cowardice - कमी) और दुस्साहस/उतावलापन (Rashness - अधिकता) के बीच

(C) कंजूसी और निर्धनता के बीच

(D) अज्ञानता और अहंकार के बीच

सही उत्तर: (B) कायरता (Cowardice - कमी) और दुस्साहस/उतावलापन (Rashness - अधिकता) के बीच

विस्तृत व्याख्या:

- यूनानी दार्शनिक अरस्तू ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'निकोमेकियन एथिक्स' (Nicomachean Ethics) में प्रतिपादित किया कि नैतिक सद्गुण दो चरम दोषों—एक 'अभाव' (Deficiency) और दूसरा 'अतिरेक' (Excess)—के बीच का विवेकपूर्ण संतुलित मध्य मार्ग है (ncert.nic.in)।
- उदाहरणार्थ, संकट से डरकर भागना 'कायरता' (अभाव) है और बिना सोचे-समझे खतरे में कूद पड़ना 'दुस्साहस' (अतिरेक) है; इन दोनों के मध्य विवेकपूर्ण दृढ़ता ही 'साहस' (Courage) है।

• इसी प्रकार 'उदारता' कंजूसी और फिजूलखर्ची के बीच का स्वर्णिम मध्य है।

अभ्यास प्रश्न #17 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 17. लोक सेवा प्रदायगी (Public Service Delivery) में नागरिकों के प्रति प्रशासन की जवाबदेही तय करने वाले 'नागरिक चार्टर' (Citizen's Charter) की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई और भारत में इसके प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा से जुड़ी प्रमुख मूल्यांकन रिपोर्ट कौन-सी थी?

(A) फ्रांस (1980); कोठारी रिपोर्ट

(B) यूनाइटेड किंगडम (1991 में जॉन मेजर द्वारा); भारत में 'सेवोत्तम' (Sevottam) मॉडल एवं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट ('नागरिक केंद्रित प्रशासन')

(C) संयुक्त राज्य अमेरिका (1950); सरकारिया आयोग रिपोर्ट

(D) जापान (2000); पंचायती राज रिपोर्ट

सही उत्तर: (B) यूनाइटेड किंगडम (1991 में जॉन मेजर द्वारा); भारत में 'सेवोत्तम' (Sevottam) मॉडल एवं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट ('नागरिक केंद्रित प्रशासन')

विस्तृत व्याख्या:

• नागरिक चार्टर की शुरुआत 1991 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर द्वारा सार्वजनिक सेवाओं में गुणवत्ता, समयबद्धता और शिकायत निवारण सुनिश्चित करने हेतु की गई थी (dopt.gov.in)।

• भारत में मई 1997 के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इसे अपनाया गया।

• द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 12वीं रिपोर्ट ('Citizen Centric Administration') में नागरिक चार्टर को प्रभावी बनाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (IS 15700) के अनुरूप 'सेवोत्तम' (सेवा + उत्तम) मॉडल के तीन स्तंभों—(1) नागरिक चार्टर, (2) लोक शिकायत निवारण तंत्र, और (3) सेवा प्रदायगी क्षमता—को लागू करने की सिफारिश की।

अभ्यास प्रश्न #18 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 18. भारतीय तटीय एवं समुद्री सुरक्षा (Maritime Security) के त्रि-स्तरीय ढांचे में प्रादेशिक जलसीमा (Territorial Waters - 12 समुद्री मील तक), सन्निहित क्षेत्र एवं अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ - 200 समुद्री मील तक) तथा गहरे समुद्र (High Seas) में सुरक्षा समन्वय की जिम्मेदारी क्रमशः किस प्रकार विभाजित है?

(A) संपूर्ण समुद्र में केवल राज्य पुलिस कार्य करती है

(B) उथले तटीय जल (0–12 समुद्री मील) में राज्य समुद्री पुलिस (Marine Police), 12 से 200 समुद्री मील (EEZ) में भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) और समग्र समुद्री सुरक्षा समन्वय व उच्च सागर में भारतीय नौसेना (Indian Navy)

(C) केवल सीमा सुरक्षा बल (BSF) पूरे 200 समुद्री मील की रक्षा करती है

(D) केवल निजी बंदरगाह कंपनियां समुद्री सुरक्षा संभालती हैं

सही उत्तर: (B) उथले तटीय जल (0–12 समुद्री मील) में राज्य समुद्री पुलिस (Marine Police), 12 से 200 समुद्री मील (EEZ) में भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) और समग्र समुद्री सुरक्षा समन्वय व उच्च सागर में भारतीय नौसेना (Indian Navy)

विस्तृत व्याख्या: वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमले के पश्चात भारत की तटीय सुरक्षा को त्रि-स्तरीय कवच में पुनर्गठित किया गया (www.iucacademy.com): तटरेखा से प्रादेशिक जलसीमा (12 नॉटिकल मील) के भीतर गश्त की जिम्मेदारी तटीय राज्यों की 'समुद्री पुलिस' (Marine Police) की है; प्रादेशिक जलसीमा और अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ - 200 नॉटिकल मील) में अपतटीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन भारतीय तटरक्षक बल (ICG) करता है; तथा भारतीय नौसेना (Indian Navy) को देश की समग्र समुद्री सुरक्षा (Overall Maritime Security) का प्रभारी बनाया गया है, जिसे गुरुग्राम स्थित सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (IMAC) से रियल-टाइम डेटा प्राप्त होता है।

अभ्यास प्रश्न #19 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 19. व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 (Whistle Blowers Protection Act, 2014) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(A) इसमें गुमनाम (Anonymous) शिकायतों पर भी अनिवार्य रूप से जांच करने का प्रावधान है।

(B) इसमें शिकायतकर्ता को अपनी पहचान बताना अनिवार्य है, किंतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखा जाता है, और जानबूझकर झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत करने वाले व्यक्ति के लिए कारावास एवं जुर्माने के दंड का भी प्रावधान है।

(C) यह अधिनियम विशेष सुरक्षा समूह (SPG) के कर्मियों पर भी पूर्णतः लागू होता है।

(D) इसके अंतर्गत केवल निजी दुकानदारों के विरुद्ध शिकायत की जा सकती है।

सही उत्तर: (B) इसमें शिकायतकर्ता को अपनी पहचान बताना अनिवार्य है, किंतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखा जाता है, और जानबूझकर झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत करने वाले व्यक्ति के लिए कारावास एवं जुर्माने के दंड का भी प्रावधान है।

विस्तृत व्याख्या:

- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (**dopt.gov.in**) से संबंधित व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग के जनहित प्रकटीकरण (Public Interest Disclosure) करने वाले व्यक्तियों को उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है।
- अधिनियम की धारा 4(6) के अनुसार यदि शिकायतकर्ता अपना नाम व पहचान अंकित नहीं करता है (अर्थात गुमनाम शिकायत है), तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- साथ ही, धारा 17 के तहत जानबूझकर झूठी या भ्रामक शिकायत करने पर 2 वर्ष तक के कारावास और ₹30,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है, और SPG को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है।

अभ्यास प्रश्न #20 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 20. महात्मा गांधी द्वारा परिगणित 'सात सामाजिक पापों' (Seven Social Sins) में निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सम्मिलित नहीं है?

(A) सिद्धांत के बिना राजनीति (Politics without Principle) और परिश्रम के बिना धन (Wealth without Work)

(B) चरित्र के बिना ज्ञान (Knowledge without Character) और नैतिकता के बिना व्यापार (Commerce without Morality)

(C) मानवता के बिना विज्ञान (Science without Humanity) और त्याग के बिना पूजा (Worship without Sacrifice)

(D) कर के बिना शासन (Governance without Taxation) और हथियार के बिना सेना (Army without Weapons)

सही उत्तर: (D) कर के बिना शासन (Governance without Taxation) और हथियार के बिना सेना (Army without Weapons)

विस्तृत व्याख्या:

- महात्मा गांधी ने 22 अक्टूबर 1925 को 'यंग इंडिया' समाचार-पत्र में सात सामाजिक पापों का उल्लेख किया था (**ncert.nic.in**): (1) सिद्धांत के बिना राजनीति, (2) परिश्रम के बिना धन, (3) विवेक (अंतरात्मा) के बिना सुख (Pleasure without Conscience), (4) चरित्र के बिना ज्ञान, (5) नैतिकता के बिना व्यापार, (6) मानवता के बिना विज्ञान, और (7) त्याग के बिना पूजा।
- विकल्प (D) में उल्लिखित मदें गांधीजी के सात सामाजिक पापों में सम्मिलित नहीं हैं।

भाग (क): 5 उन्नत गहन अध्ययन मॉड्यूल एवं व्यावहारिक प्रशासनिक केस स्टडीज

मॉड्यूल 1: नीतिशास्त्र एवं मानवीय सह-संबंध (Ethics & Human Interface), नैतिक विचारक, अभिवृत्ति (Attitude) एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI)

1. नीतिशास्त्र (Ethics) बनाम नैतिकता (Morality) एवं मानवीय क्रियाओं के आयाम

• *नीतिशास्त्र (*Ethics* — ग्रीक शब्द Ethos अर्थात रीति-रिवाज/चरित्र):* यह मानवीय आचरण के औचित्य या अनौचित्य का मूल्यांकन करने वाले बाह्य, वस्तुनिष्ठ और समाज/पेशे द्वारा स्वीकृत मानकों की व्यवस्थित प्रणाली है (जैसे सिविल सेवा आचरण संहिता, चिकित्सा नीतिशास्त्र, कॉर्पोरेट एथिक्स)।

• *नैतिकता (*Morality* — लैटिन शब्द Mos/Mores):* यह व्यक्ति के अंतःकरण (Conscience), व्यक्तिगत मूल्यों और आंतरिक विश्वासों पर आधारित सही-गलत की समझ है।

• मानवीय क्रिया (Human Action) में नैतिकता के निर्धारक (Determinants of Ethics):

1. **कर्ता (Agent):** क्या कार्य स्वतंत्र इच्छा (Free Will) और पूर्ण ज्ञान (Knowledge) के साथ किया गया? (अनैच्छिक क्रियाएं नैतिक मूल्यांकन से बाहर होती हैं — *Actus Hominis* बनाम *Actus Humanus*)।

2. **उद्देश्य / नियत (Intention / Motive):** कर्ता की आंतरिक मंशा क्या थी?

3. **साधन एवं परिस्थितियां (Means & Circumstances):** लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन-सा मार्ग चुना गया?

4. **परिणाम (Consequences):** कार्य का समाज और व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा?

2. पाश्चात्य एवं भारतीय नैतिक विचारकों के प्रमुख सिद्धांत

• सद्गुण नीतिशास्त्र (Virtue Ethics — सुकरात, प्लेटो, अरस्तू):

• सुकरात (Socrates): "सद्गुण ही ज्ञान है (*Virtue is Knowledge*)" और "अ-परीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है (*An unexamined life is not worth living*)"।

• प्लेटो (Plato) के 4 मुख्य सद्गुण (Four Cardinal Virtues): (1) प्रज्ञा / विवेक (Prudence / Wisdom), (2) साहस (Courage / Fortitude), (3) संयम (Temperance), और **(4) न्याय (Justice)**।

• अरस्तू (Aristotle) का 'स्वर्णिम मध्यमान (Doctrine of Golden Mean)': सद्गुण दो अतियों (अभाव और आधिक्य) के बीच का संतुलित मध्य मार्ग है (जैसे 'कायरता' और 'दुस्साहस' के बीच का स्वर्णिम मध्य **'साहस'** है)। मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य **'यूडैमोनिया (Eudaimonia — आत्म-उत्कर्ष / नैतिक आनंद)'** है।

• कर्तव्यवादी नीतिशास्त्र (Deontology — इमैनुएल कांट):

• निरपेक्ष आदेश (Categorical Imperative): कार्य का नैतिक मूल्य उसके परिणाम में नहीं, बल्कि **'कर्तव्य के लिए कर्तव्य (Duty for Duty's Sake)'** में निहित है। कांट के दो मुख्य सूत्र: (1) केवल उसी सूत्र के अनुसार कार्य करो जिसे तुम एक सार्वभौमिक नियम बनाना चाहते हो; (2) किसी भी मनुष्य को केवल **'साधन (Means)'** के रूप में प्रयोग मत करो, बल्कि सदैव **'साध्य (End in itself)'** मानो। (भारतीय दर्शन में **श्रीमद्भगवद्गीता का 'निष्काम कर्मयोग'** — "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन" कांट के कर्तव्यवाद से कहीं अधिक व्यापक और आध्यात्मिक रूप प्रस्तुत करता है)।

• परिणामवादी / उपयोगितावादी नीतिशास्त्र (Teleology / Utilitarianism — जेरेमी बेंथम एवं जे.एस. मिल):

• जेरेमी बेंथम: "अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख (*Greatest Happiness of the Greatest Number*)" — मात्रात्मक सुखवाद (Hedonistic Calculus)।

• जॉन स्टुअर्ट मिल: गुणात्मक उपयोगितावाद — "एक संतुष्ट सूअर होने से एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं श्रेष्ठ है" (बौद्धिक व नैतिक सुख शारीरिक सुख से उच्च हैं) तथा **'हानी सिद्धांत (Harm Principle)'**।

• *जॉन रॉल्स (*John Rawls*) का न्याय सिद्धांत (A Theory of Justice, 1971):*

• अज्ञानता का आवरण (Veil of Ignorance) एवं **मूल स्थिति (Original Position)**।

• **भेद का सिद्धांत (Difference Principle):** सामाजिक और आर्थिक असमानताएं केवल तभी न्यायसंगत हैं जब वे **समाज के सबसे वंचित वर्ग (Least Advantaged) के अधिकतम लाभ** के लिए हों (महात्मा गांधी के **'अंत्योदय / ताबीज (Gandhiji's Talisman)'** के समान)।

• **भारतीय नैतिक परंपरा:**

• **बुद्ध का मध्यम मार्ग एवं अष्टांगिक मार्ग:** शील, समाधि, प्रज्ञा और करुणा।

• **जैन दर्शन के पंच महाव्रत एवं अनेकांतवाद/स्याद्वाद:** अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह तथा वैचारिक सहिष्णुता (अनेकांतवाद)।

• **कौटिल्य का राजधर्म:** "प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्" (प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, और प्रजा के हित में ही उसका हित है)।

• **महात्मा गांधी के सप्त सामाजिक पाप (Seven Social Sins):** (1) सिद्धांत रहित राजनीति, (2) परिश्रम रहित धन, (3) विवेक रहित सुख, (4) चरित्र रहित ज्ञान, (5) नैतिकता रहित व्यापार, (6) मानवीयता रहित विज्ञान, और (7) त्याग रहित पूजा।

3. अभिवृत्ति (Attitude — CAB मॉडल) एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence — EI)

• **अभिवृत्ति का CAB मॉडल: (1) संज्ञानात्मक घटक (Cognitive — विश्वास/विचार), (2) भावात्मक घटक (Affective — भावनाएं/पसंद-नापसंद),** और **(3) व्यवहारात्मक घटक (Behavioral — क्रिया की प्रवृत्ति)**।

• **डैनियल गोलमैन (Daniel Goleman) के भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) के 5 स्तंभ:**

1. **स्व-जागरूकता (Self-Awareness):** अपनी भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों को पहचानना।
2. **स्व-नियमन (Self-Regulation):** आवेगों पर नियंत्रण और दबाव में शांत रहना।
3. **आंतरिक अभिप्रेरणा (Internal Motivation):** लक्ष्य के प्रति निरंतर उत्साह और आशावाद।
4. **समानुभूति (Empathy):** दूसरों की भावनाओं को उन्हीं के दृष्टिकोण से समझना।
5. **सामाजिक कौशल (Social Skills):** संवाद, नेतृत्व, संघर्ष समाधान और टीम वर्क।

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):
प्रशासन में **सहानुभूति (Sympathy)**, **समानुभूति (Empathy)** और **करुणा (Compassion)** में सूक्ष्म किंतु बड़ा अंतर है:
• **Sympathy (सहानुभूति):** किसी पीड़ित के प्रति दया अनुभव करना ("मुझे आपके दुख का खेद है")।
• **Empathy (समानुभूति):** स्वयं को दूसरे की स्थिति में रखकर उसकी पीड़ा को महसूस करना (*Putting oneself in another's shoes*)।
• **Compassion (करुणा):** समानुभूति + **पीड़ा को दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठाना (Empathy in Action = Compassion)**! एक श्रेष्ठ सिविल सेवक में 'करुणा' सर्वोच्च गुण है।

परीक्षा जाल (Exam Trap Alert):
यूपीएससी में अक्सर पूछा जाता है: "क्या 'अभिवृत्ति (*Attitude*)' और 'अभिक्षमता (*Aptitude*)' एक ही हैं?"
ध्यान रखें: **अभिक्षमता (Aptitude)** किसी विशेष कार्य या कौशल को सीखने और करने की **जजात या अर्जित क्षमता (Competence / Talent — 'Can Do')** है, जबकि **अभिवृत्ति (Attitude)** किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक **मनोवैज्ञानिक झुकाव (Disposition — 'Will Do')** है। बिना सही Attitude के उच्च Aptitude भी भ्रष्टाचार या संवेदनहीनता की ओर ले जा सकता है!

★ **निमोनिक ट्रिक (Mnemonic Trick — प्लेटो के 4 कार्डिनल सद्गुण व गोलमैन के 5 EI घटक):**
• **प्लेटो के 4 सद्गुण: "W-C-T-J"** (Wisdom, Courage, Temperance, Justice — प्रज्ञा, साहस, संयम, न्याय)।
• **गोलमैन के 5 EI घटक: "S-S-M-E-S"** (Self-Awareness, Self-Regulation, Motivation, Empathy, Social Skills)।

व्यावहारिक प्रशासनिक केस स्टडी 1 (Ethics GS-IV — नियम बनाम करुणा एवं नैतिक दुविधा):

• **प्रकरण:** आप एक जिले में जिला आपूर्ति अधिकारी (DSO) हैं। कड़ाके की सर्दी में एक 78 वर्षीय नि:संतान और अत्यंत निर्धन वृद्धा राशन की दुकान पर आती है। वृद्धावस्था और कठोर श्रम के कारण उसकी उंगलियों के निशान मिट चुके हैं, जिससे बायोमेट्रिक ई-पॉस (e-POS) मशीन में उसका अंगूठा मैच नहीं हो रहा है। डीलर नियम का हवाला देकर उसे राशन देने से मना कर देता है, जबकि वृद्धा पिछले दो दिनों से भूखी है।

• **नैतिक दुविधा (Ethical Dilemma): (1)** नियम/प्रक्रियात्मक अखंडता (बायोमेट्रिक सत्यापन द्वारा फर्जीवाड़ा रोकना) बनाम **(2)** मानवीय करुणा, जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 21) और कल्याणकारी राज्य का अंतिम लक्ष्य (अंत्योदय)।

• **समाधान की कार्ययोजना (Course of Action):**

1. **तत्काल कदम (Immediate Action — Compassion):** खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और विभागीय अपवाद प्रोटोकॉल (Exception Handling / Iris Scan या OTP/मोबाइल सत्यापन अथवा निरीक्षण अधिकारी के प्रमाणीकरण पंजिका) का प्रयोग कर वृद्धा को **तुरंत राशन उपलब्ध कराना** ताकि उसके जीवन और गरिमा की रक्षा हो।

2. **अल्पकालिक कदम:** जिले के सभी राशन डीलरों को लिखित निर्देश जारी करना कि बायोमेट्रिक विफलता (Biometric Failure) के कारण किसी भी वास्तविक लाभार्थी (विशेषकर वृद्ध, कुष्ठ रोगी या श्रमिक) को राशन से वंचित न किया जाए और वैकल्पिक प्रमाणीकरण तंत्र (Iris Scanner / Nominee System) का उपयोग किया जाए।

3. **दीर्घकालिक सुधार:** ऐसे चिह्नित वृद्धों के लिए घर पर राशन वितरण (Doorstep Delivery) या नामित प्रतिनिधि (Authorized Nominee) पंजीकरण अभियान चलाना (जॉन रॉल्स के 'Difference Principle' और गांधीजी के 'अंत्योदय' का व्यावहारिक क्रियान्वयन)।

मॉड्यूल 2: लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य, नोलन के 7 सिद्धांत, हितों का टकराव, नागरिक चार्टर (Sevottam) एवं भ्रष्टाचार निवारण

1. बुनियादी सिविल सेवा मूल्य (Foundational Values for Civil Services — 2nd ARC 4th Report)

• **सत्यनिष्ठा (Integrity):** केवल वित्तीय ईमानदारी (Financial Honesty) ही नहीं, बल्कि नैतिक सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता — जब कोई न देख रहा हो तब भी सही कार्य करना (विचार, वाणी और कर्म की एकरूपता)।

• **निष्पक्षता (Impartiality) बनाम गैर-तरफदारी (Non-Partisanship):**

• **निष्पक्षता:** जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र या सामाजिक स्थिति के आधार पर बिना किसी पूर्वाग्रह के केवल योग्यता और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना।

• **गैर-तरफदारी (राजनीतिक तटस्थता):** किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा से निरपेक्ष रहकर सत्ता में निर्वाचित सरकार को संविधान के दायरे में निष्पक्ष सलाह देना और नीतियों को लागू करना।

• **वस्तुनिष्ठता (Objectivity):** व्यक्तिगत भावनाओं या मान्यताओं के बजाय केवल प्रमाणित तथ्यों, आंकड़ों और तार्किक साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेना।

• **समानुभूति, सहिष्णुता और कमजोर वर्गों के प्रति करुणा (Empathy, Tolerance & Compassion towards Weaker Sections)।**

• **अनामता (Anonymity):** सिविल सेवक पर्दे के पीछे रहकर कार्य करता है; सफलता का श्रेय और विफलता की संसदीय जिम्मेदारी मंत्री (राजनीतिक कार्यपालिका) की होती है।

2. लॉर्ड नोलन समिति (1995, UK) के सार्वजनिक जीवन के 7 सिद्धांत (Seven Principles of Public Life)

1. **निःस्वार्थता (Selflessness):** केवल लोकहित में निर्णय लेना, निजी या पारिवारिक लाभ के लिए नहीं।
2. **सत्यनिष्ठा (Integrity):** किसी बाहरी व्यक्ति या संगठन के ऐसे किसी वित्तीय या अन्य दायित्व में न बंधना जो आधिकारिक कर्तव्य को प्रभावित करे।
3. **वस्तुनिष्ठता (Objectivity):** नियुक्तियों, अनुबंधों या पुरस्कारों की सिफारिश केवल योग्यता (Merit) के आधार पर करना।
4. **जवाबदेही (Accountability):** अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होना और जांच के लिए प्रस्तुत रहना।
5. **खुलापन (Openness):** निर्णयों और कार्यों में अधिकतम पारदर्शिता रखना।
6. **ईमानदारी (Honesty):** अपने निजी हितों को स्पष्ट रूप से घोषित करना और लोकहित के साथ किसी भी टकराव को सुलझाना।
7. **नेतृत्व (Leadership):** अपने स्वयं के आचरण से इन सभी सिद्धांतों को बढ़ावा देना और उदाहरण प्रस्तुत करना।

3. हितों का टकराव (Conflict of Interest), सेवोत्तम मॉडल (Sevottam Model) एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित 2018)

• **हितों का टकराव (Conflict of Interest):** जब किसी लोक सेवक के निजी हित (परिवार, मित्र, वित्तीय निवेश) और उसके सार्वजनिक कर्तव्य के बीच टकराव उत्पन्न हो। इसके तीन स्तर हैं: **(1) वास्तविक (Actual)**, **(2) संभावित (Potential)**, और **(3) प्रतीत होने वाला (Perceived)**। समाधान: **प्रकटीकरण (Disclosure)** एवं **अलग हटना (Recusal)**।

• **नागरिक चार्टर (Citizen's Charter) एवं सेवोत्तम मॉडल (2nd ARC 12th Report 'Citizen Centric Administration'):**

• **'सेवोत्तम' (सेवा + उत्तम)** भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग (DARPG) द्वारा विकसित सेवा गुणवत्ता मूल्यांकन मॉडल है, जिसके **3 मुख्य स्तंभ** हैं:

1. **नागरिक चार्टर (Citizen's Charter):** सेवा के मानकों और समय-सीमा की घोषणा।

2. **लोक शिकायत निवारण तंत्र (Public Grievance Redressal Mechanism):** शिकायत प्राप्ति और समयबद्ध समाधान।

3. **सेवा वितरण क्षमता (Service Delivery Capability):** संसाधनों, प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण।

• भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 (Prevention of Corruption Amendment Act, 2018):

• धारा 7 एवं 8: रिश्वत लेने वाले (धारा 7) के साथ-साथ **रिश्वत देने वाले (Bribe Giver — धारा 8)** को भी प्रत्यक्ष अपराध की श्रेणी में लाया गया (3 से 7 वर्ष का कारावास), सिवाय इसके कि व्यक्ति को रिश्वत देने के लिए मजबूर (Coerced) किया गया हो और वह 7 **दिनों के भीतर** कानून प्रवर्तन एजेंसी को इसकी रिपोर्ट कर दे।

• धारा 17A (सद्भावनापूर्ण नीतिगत निर्णयों का संरक्षण): किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों के निर्वहन में लिए गए निर्णयों की जांच (Inquiry/Investigation) से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की **पूर्व अनुमति (Prior Approval)** अनिवार्य है (रंगे हाथों — *Red-handed* गिरफ्तारी को छोड़कर), जिस पर **3 माह (अधिकतम +1 माह = 4 माह)** में निर्णय लेना होता है।

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (**2nd ARC — अध्यक्ष: वीरप्पा मोइली**) ने अपनी **चौथी रिपोर्ट ('Ethics in Governance')** में भ्रष्टाचार को दो श्रेणियों में बांटा है:
1. **उत्पीड़क भ्रष्टाचार (Coercive Corruption):** जहां नागरिक को अपने वैध अधिकार (जैसे राशन कार्ड, पासपोर्ट, FIR) के लिए मजबूर होकर रिश्वत देनी पड़ती है।
2. **सांठगांठ वाला भ्रष्टाचार (Collusive Corruption):** जहां रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों मिलकर सरकारी खजाने को चूना लगाते हैं (जैसे कर चोरी, घटिया सड़क निर्माण, अवैध खनन)। 2nd ARC ने सिफारिश की कि सांठगांठ वाले भ्रष्टाचार में दोनों पक्षों को कठोरतम दंड दिया जाए।

परीक्षा जाल (Exam Trap Alert):
छात्र अक्सर **आचरण संहिता (Code of Conduct)** और **नैतिक संहिता (Code of Ethics)** को एक मान लेते हैं:
• **नैतिक संहिता (Code of Ethics):** यह व्यापक मूल्यों और आदर्शों का समुच्चय है (जैसे सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, करुणा — *What ought to be done*)। यह सकारात्मक दिशा दिखाती है।
• **आचरण संहिता (Code of Conduct):** यह विशिष्ट, कानूनी रूप से बाध्यकारी नियमों की सूची है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है (जैसे ₹15,000 से अधिक का उपहार न लेना, चुनाव में भाग न लेना — *Dos and Don'ts*)। इसके उल्लंघन पर सीधे DAR के तहत दंड मिलता है। (भारत में सिविल सेवाओं के लिए विस्तृत 'Code of Conduct' तो है, पर 2nd ARC द्वारा अनुशंसित वैधानिक 'Code of Ethics' अभी अलग से अधिनियमित नहीं है)।

★ **निमोनिक ट्रिक (Mnemonic Trick — लॉर्ड नोलन के 7 सिद्धांत):**
"S-I-O-A-O-H-L" (शिओ-आओ-एचएल): Selflessness, **I**ntegrity, **O**bjectivity, **A**ccountability, **O**penness, **H**onesty, **L**eadership।

व्यावहारिक प्रशासनिक केस स्टडी 2 (हितों का टकराव — Conflict of Interest एवं सार्वजनिक खरीद):

• प्रकरण: आप लोक निर्माण विभाग (PWD) में मुख्य अभियंता हैं और ₹250 करोड़ की एक राजमार्ग परियोजना की निविदा मूल्यांकन समिति (Tender Evaluation Committee) के अध्यक्ष हैं। जब तकनीकी बोलियां खोली जाती हैं, तो आप पाते हैं कि सबसे मजबूत तकनीकी बोली लगाने वाली कंपनी में आपके सगे छोटे भाई निदेशक (Director) के पद पर कार्यरत हैं।

• विश्लेषण एवं समाधान:

1. **नैतिक मुद्दे:** वास्तविक एवं प्रतीत होने वाला हितों का टकराव (Conflict of Interest), नोलन के वस्तुनिष्ठता (Objectivity), सत्यनिष्ठा (Integrity) और खुलापन (Openness) के सिद्धांत, तथा प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत (*Nemo Judex In Causa Sua*)।

2. **सही प्रशासनिक कदम:** भले ही आप पूरी तरह निष्पक्ष होकर मूल्यांकन करें, फिर भी भविष्य में पक्षपात (Nepotism) का संदेह उत्पन्न होगा जो संस्थान की साख को धूमिल करेगा। अत: आपको तुरंत अपने उच्च प्राधिकारी (प्रमुख सचिव, PWD) को लिखित रूप में इस पारिवारिक संबंध का **पूर्ण प्रकटीकरण (Formal Disclosure)** करना चाहिए और स्वयं को उस निविदा मूल्यांकन समिति से **अलग (Recuse)** कर लेना चाहिए ताकि किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में निष्पक्ष मूल्यांकन हो सके।

मॉड्यूल 3: भारत की आंतरिक सुरक्षा (Internal Security) — LWE ('समाधान'), पूर्वोत्तर उग्रवाद, सीमा प्रबंधन, PMLA व UAPA

1. आंतरिक सुरक्षा का वर्गीकरण एवं प्रमुख चुनौतियां

• कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की सुरक्षा के खतरों को **4 श्रेणियों** में बांटा है:

1. **बाह्य रूप से प्रेरित, बाह्य रूप से समर्थित** (परंपरागत युद्ध)।
2. **बाह्य रूप से प्रेरित, आंतरिक रूप से समर्थित** (छद्म युद्ध / Proxy War व सीमा-पार आतंकवाद)।
3. **आंतरिक रूप से प्रेरित, बाह्य रूप से समर्थित** (अलगाववाद, जिसे शत्रु देशों से धन व हथियार मिलें)।
4. **आंतरिक रूप से प्रेरित, आंतरिक रूप से समर्थित** (वामपंथी उग्रवाद / नक्सलवाद, सांप्रदायिक व जातीय हिंसा)।

2. वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism — LWE) एवं 'समाधान (SAMADHAN)' सिद्धांत

• **पृष्ठभूमि:** 1967 के नक्सलबाड़ी आंदोलन (दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल) से प्रारंभ होकर वर्ष 2004 में PWG और MCC के विलय से **CPI (Maoist)** का गठन हुआ (जो UAPA के तहत प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है)।

• **गृह मंत्रालय का 'समाधान (SAMADHAN)' राष्ट्रीय सिद्धांत (2017):**

• **S** — **S**mart Leadership (कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व)

• **A** — **A**ggressive Strategy (आक्रामक रणनीति)

• **M** — **M**otivation and Training (सुरक्षा बलों का अभिप्रेरणा एवं प्रशिक्षण)

• **A** — **A**ctionable Intelligence (कार्रवाई योग्य सटीक खुफिया जानकारी)

• **D** — **D**ashboard-based KPIs and KRAs (डैशबोर्ड आधारित प्रदर्शन एवं परिणाम संकेतक)

• **H** — **H**arnessing Technology (ड्रोन, UAV, GPS, उपग्रह व आधुनिक तकनीक का उपयोग)

• **A** — **A**ction Plan for Each Theatre (प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशिष्ट कार्ययोजना)

• **N** — **N**o Access to Financing (नक्सलियों के वित्तीय स्रोतों की पूर्ण घेराबंदी / Choking of Funds)

• **विकास एवं सुरक्षा का दोहरा मॉडल:** फोर्स की 'फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (FOB)' स्थापना, **आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme)**, **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)**, मोबाइल टावर कनेक्टिविटी, सड़क निर्माण (RCPLWEA) और आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीति के कारण LWE प्रभावित जिलों की संख्या 2010 के 126 जिलों से घटकर अत्यंत सीमित क्षेत्रों में सिमट गई है।

3. पूर्वोत्तर भारत में शांति समझौते, AFSPA 1958 एवं सीमा प्रबंधन

• **AFSPA, 1958 (सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम):** जब किसी क्षेत्र को केंद्र सरकार या राज्यपाल द्वारा **धारा 3** के अंतर्गत **'अशांत क्षेत्र (Disturbed Area)'** घोषित किया जाता है, तो **धारा 4** के तहत सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां (बिना वारंट तलाशी, गिरफ्तारी, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना और चेतावनी के बाद बल प्रयोग) मिलती हैं, और **धारा 6** के तहत केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना सुरक्षा बलों पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती। (न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी समिति 2005 और द्वितीय *ARC* ने *AFSPA* में सुधार/निरसन की सिफारिश की; हाल के वर्षों में पूर्वोत्तर के 75% से अधिक पुलिस थाना क्षेत्रों से *AFSPA* हटा लिया गया है)।

• **प्रमुख शांति समझौते:** बोडो शांति समझौता (2020), कार्बी आंगलोंग समझौता (2021), ब्रू-रियांग पुनर्वास समझौता (2020), और ULFA (Pro-Talks) त्रिपक्षीय शांति समझौता (2023)।

• **भारत की स्थलीय सीमाएं (15,106.7 किमी) एवं संबंधित सुरक्षा बल (One Border One Force — शेकतकर एवं कारगिल समीक्षा समिति):**

• **बांग्लादेश (4,096.7 किमी — सबसे लंबी)** एवं **पाकिस्तान (3,323 किमी): BSF (सीमा सुरक्षा बल)**।

• **चीन (3,488 किमी — LAC): ITBP (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस)**।

• **नेपाल (1,751 किमी)** एवं **भूटान (699 किमी): SSB (सशस्त्र सीमा बल)**।

• **म्यांमार (1,643 किमी — FMR समाप्त कर बाड़बंदी): असम राइफल्स (Assam Rifles — 'पूर्वोत्तर का प्रहरी')**।

• **एकीकृत सीमा प्रबंधन: CIBMS (Comprehensive Integrated Border Management System — स्मार्ट फेंसिंग: BOLD-QIT व नदियों/दुर्गम क्षेत्रों में लेजर/थर्मल/रडार सेंसर)** और **वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (Vibrant Villages Programme — उत्तरी सीमा के गांवों का विकास)**।

4. आतंकवाद विरोधी कानून एवं एजेंसियां (UAPA, PMLA, NIA, NATGRID)

• **UAPA, 1967 (विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम — संशोधन 2019): 2019 के ऐतिहासिक संशोधन** द्वारा केंद्र सरकार को केवल संगठनों ही नहीं, बल्कि **किसी 'व्यक्ति (Individual)' को भी आतंकवादी घोषित करने (अनुसूची IV में)** और NIA महानिदेशक के अनुमोदन से आतंकवाद से जुड़ी संपत्तियों को कुर्क करने की शक्ति दी गई।

• **NIA (राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008):** 26/11 मुंबई हमले के बाद गठित। **2019 के संशोधन** द्वारा NIA को भारत के बाहर भारतीय नागरिकों या भारतीय हितों के विरुद्ध किए गए आतंकवादी अपराधों, साइबर आतंकवाद, मानव तस्करी और जाली मुद्रा की जांच करने का क्षेत्राधिकार (Extra-territorial Jurisdiction) मिला।

• **PMLA, 2002 (धन-शोधन निवारण अधिनियम):** काले धन को वैध दिखाने (Money Laundering) के **3 चरण** हैं: **(1) प्लेसमेंट (Placement — अपराध की नकदी को वित्तीय प्रणाली में डालना)**, **(2) लेयरिंग (Layering — शेल कंपनियों/हवाला के माध्यम से जटिल लेन-देन कर स्रोत छिपाना)**, और **(3) इंटीग्रेशन (Integration — धन को वैध संपत्ति के रूप में अर्थव्यवस्था में वापस लाना)**। प्रवर्तन निदेशालय **(ED)** PMLA और FEMA का प्रवर्तन करता है, जबकि भारत सरकार अपनी वित्तीय खुफिया इकाई **(FIU-IND)** और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर **FATF (Financial Action Task Force — ग्रे लिस्ट व ब्लैक लिस्ट)** के माध्यम से टेरर फंडिंग रोकती है।

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):
भारत की तटीय सुरक्षा (7,516.6 किमी तटरेखा) में 26/11 के बाद **त्रि-स्तरीय सुरक्षा घेरा (Three-Tier Coastal Security)** स्थापित किया गया है:
1. **प्रथम स्तर (तट से 12 समुद्री मील — प्रादेशिक जल तक):** राज्य समुद्री पुलिस (State Marine Police)।
2. **द्वितीय स्तर (12 से 200 समुद्री मील — EEZ तक):** भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard — ICG)।
3. **तृतीय स्तर (200 समुद्री मील से आगे — गहरे समुद्र में):** भारतीय नौसेना (Indian Navy — जिसके पास समग्र समुद्री सुरक्षा का समन्वय भी है)।

परीक्षा जाल (Exam Trap Alert):
प्रश्न पूछा जाता है: "क्या म्यांमार सीमा की सुरक्षा *BSF* करती है?" **नहीं!** म्यांमार सीमा की सुरक्षा **असम राइफल्स** (जो प्रशासनिक रूप से गृह मंत्रालय के अधीन है किंतु इसका परिचालन नियंत्रण भारतीय सेना के पास है — *Dual Control*) करती है, और नेपाल व भूटान की खुली सीमाओं की सुरक्षा **SSB** करती है।

संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)

चरण 1
निमोनिक ट्रिक (Mnemonic Trick — मनी लॉन्ड्रिंग के 3 चरण एवं सीमाओं की लंबाई का अवरोही क्रम):* मनी लॉन्ड्रिंग के 3 चरण: "P-L-I" (Placement

चरण 2
Layering**

चरण 3
I*ntegration)। भारत की स्थलीय सीमाएं (सबसे लंबी से सबसे छोटी): "बचपन में MBA किया" -> बाग्लादेश (4096 km) > चीन (3488 km) > पाकिस्तान (3323 km) > नेपाल (1751 km) > म्यांमार (1643 km) > भूटान (699 km) > अफगानिस्तान (106 km)।

व्यावहारिक प्रशासनिक केस स्टडी 3 (Internal Security — LWE प्रभावित जिले में विकास बनाम उग्रवादी धमकी):

• **प्रकरण:** आप एक LWE प्रभावित आदिवासी जिले के जिलाधिकारी (DM) हैं। जिले के सबसे दुर्गम ब्लॉक में मोबाइल टावर और पक्की सड़क का निर्माण चल रहा है। उग्रवादियों ने ठेकेदार की दो जेसीबी मशीनें जला दी हैं और धमकी दी है कि काम तुरंत बंद न किया गया तो मजदूरों की हत्या कर दी जाएगी। ठेकेदार काम छोड़कर भागना चाहता है और स्थानीय ग्रामीण भयभीत हैं।

• **समाधान की कार्ययोजना:**

1. **सुरक्षा घेरा (Security Grid):** पुलिस अधीक्षक (SP) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CRPF/CoBRA) के कमांडेंट के साथ समन्वय कर निर्माण स्थल के पास **फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (FOB)** या सशस्त्र सुरक्षा कैंप स्थापित करना, ड्रोन से निगरानी करना और बारूदी सुरंगों (IED) की जांच (Road Opening Party — ROP) सुनिश्चित करना।

2. **ठेकेदार एवं श्रमिकों का विश्वास बहाली:** जली हुई मशीनों का त्वरित मुआवजा/बीमा क्लेम दिलाना, श्रमिकों को सुरक्षित आवास और जीवन बीमा प्रदान करना।

3. **सामुदायिक सहभागिता (Winning Hearts and Minds — WHAM):** ग्राम सभा और आदिवासी युवाओं को निर्माण व कौशल कार्यों से जोड़ना, स्वास्थ्य व राशन कैंप लगाना (सिविक एक्शन प्रोग्राम) ताकि स्थानीय जनसमर्थन विकास के पक्ष में हो और उग्रवादियों का सूचना तंत्र टूट जाए।

मॉड्यूल 4: साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CII), DPDP Act 2023 एवं हाइब्रिड वॉरफेयर

1. साइबर खतरों का वर्गीकरण (Types of Cyber Threats)

• **मैलवेयर (Malware):** वायरस, वर्म (Worm — बिना किसी फाइल के स्वतः नेटवर्क में फैलने वाला), ट्रोजन हॉर्स (वैध सॉफ्टवेयर का भेष धरकर आने वाला), स्पाईवेयर (जैसे पेगासस), और **रैनसमवेयर (Ransomware — जैसे WannaCry, LockBit, Akira, जो डेटा को एन्क्रिप्ट कर क्रिप्टोकरेंसी में फिरौती मांगता है)**।

• **फिशिंग, विशिंग एवं स्मिशिंग (Phishing, Vishing & Smishing):** ईमेल (Phishing), वॉयस कॉल (Vishing) या SMS (Smishing) के माध्यम से बैंक/सरकारी अधिकारी बनकर OTP या पासवर्ड चुराना।

• **DDoS हमला (Distributed Denial of Service):** हजारों संक्रमित कंप्यूटरों (Botnet) से एक साथ किसी सरकारी या बैंकिंग सर्वर पर करोड़ों फर्जी ट्रैफिक रिक्वेस्ट भेजकर सर्वर को क्रैश कर देना।

• **जीरो-डे एक्सप्लॉइट (Zero-Day Exploit):** सॉफ्टवेयर की ऐसी सुरक्षा खामी जिसका पता डेवलपर को भी नहीं है (सुधारने के लिए 'शून्य दिन' मिले हों) और हैकर उसका तुरंत फायदा उठा ले।

• **एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट (APT — Advanced Persistent Threat):** शत्रु राष्ट्र द्वारा प्रायोजित हैकर समूह जो महीनों तक किसी देश के पावर ग्रिड, रक्षा या परमाणु नेटवर्क में चुपचाप घुसपैठ बनाए रखते हैं।

2. भारत का साइबर सुरक्षा संस्थागत एवं वैधानिक ढांचा

• **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act 2000 — संशोधित 2008):**

• **धारा 43 एवं 66:** कंप्यूटर प्रणाली में अनधिकृत प्रवेश या डेटा क्षति।

• **धारा 66F (साइबर आतंकवाद — Cyber Terrorism):** भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालने के लिए कंप्यूटर संसाधनों या महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CII) पर हमला करना — दंड: **आजीवन कारावास (Life Imprisonment)** तक!

• **धारा 69A:** राष्ट्र की संप्रभुता, रक्षा या लोक व्यवस्था के हित में किसी वेबसाइट/ऐप को ब्लॉक करने की सरकार की शक्ति (*Shreya Singhal vs. Union of India*, 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 66A को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया, किंतु धारा 69A को वैध ठहराया)।

• **धारा 70 एवं NCIIPC: राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC — National Critical Information Infrastructure Protection Centre, गठन 2014, NTRO के अधीन)** को **6 रणनीतिक क्षेत्रों** की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है: **(1) ऊर्जा (Power & Energy), (2) बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा (BFSI), (3) दूरसंचार (Telecom), (4) परिवहन (Transport), (5) सरकार (e-Governance), और (6) रणनीतिक एवं सार्वजनिक उद्यम (Strategic & Public Enterprises)**।

• **धारा 70B एवं CERT-In: भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In — 2004 से कार्यरत, MeitY के अधीन)** साइबर हमलों की प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। **CERT-In के 2022 के निर्देशों** के अनुसार किसी भी सरकारी या निजी संस्थान को साइबर सुरक्षा घटना का पता चलने के **6 घंटे के भीतर** CERT-In को रिपोर्ट करना अनिवार्य है!

• **अन्य प्रमुख संस्थाएं:**

• **I4C (Indian Cyber Crime Coordination Centre):** गृह मंत्रालय (MHA) के अधीन साइबर अपराध रोकने का शीर्ष केंद्र (राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर: **1930** और पोर्टल: `cybercrime.gov.in`)।

• **साइबर स्वच्छता केंद्र (Cyber Swachhta Kendra):** बॉटनेट और मैलवेयर की सफाई का केंद्र (CERT-In द्वारा संचालित)।

• **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP Act, 2023):** नागरिकों (Data Principals) के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और कंपनियों (Data Fiduciaries) की जवाबदेही तय करता है; डेटा उल्लंघन (Data Breach) पर **भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (Data Protection Board of India)** द्वारा **अधिकतम ₹250 करोड़ तक** का जुर्माना लगाया जा सकता है।

• **बुडापेस्ट कन्वेंशन (Budapest Convention, 2001):** साइबर अपराध पर विश्व की पहली अंतरराष्ट्रीय संधि (भारत ने डेटा संप्रभुता चिंताओं के कारण इस पर हस्ताक्षर **नहीं** किए हैं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के नए साइबर क्राइम कन्वेंशन का समर्थन किया है)।

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):
हाल के वर्षों में साइबर ठगी का एक नया रूप **'डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest)'** सामने आया है, जिसमें साइबर अपराधी स्वयं को पुलिस, CBI, ED या कस्टम अधिकारी बताकर वीडियो कॉल पर नागरिकों को डराते हैं और पैसे ट्रांसफर कराते हैं। भारतीय कानून (BNSS / BNS) में **'डिजिटल अरेस्ट' नाम की कोई वैधानिक अवधारणा अस्तित्व में नहीं है**; किसी भी ऐसी कॉल की शिकायत तुरंत **1930** या `cybercrime.gov.in` पर की जानी चाहिए!

परीक्षा जाल (Exam Trap Alert):
यूपीएससी में पूछा जाता है: *"NCIIPC और CERT-In किस मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं?"*
ध्यान रखें: **CERT-In** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (**MeitY**) के अधीन है, जबकि **NCIIPC** राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (**NTRO — प्रधानमंत्री कार्यालय / राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार**) के अधीन है, और **I4C** केंद्रीय **गृह मंत्रालय (MHA)** के अधीन है!

★ **निमोनिक ट्रिक (Mnemonic Trick — NCIIPC के 6 महत्वपूर्ण क्षेत्र / CII Sectors):**
"P-B-T-T-G-S" -> **P**ower/Energy, **B**FSI (Banking/Finance), **T**elecom, **T**ransport, **G**overnment, **S**trategic Enterprises।

व्यावहारिक प्रशासनिक केस स्टडी 4 (साइबर सुरक्षा संकट एवं रैनसमवेयर हमला प्रतिक्रिया):

• **प्रकरण:** एक प्रमुख सरकारी अस्पताल और मेडिकल संस्थान के सर्वर पर सुबह 4:00 बजे एक विदेशी रैनसमवेयर हमला होता है, जिससे ओपीडी पंजीकरण, लैब रिपोर्ट और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड लॉक हो जाते हैं और हैकर्स 50 बिटकॉइन की फिरौती मांगते हैं।

• **मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत समाधान:**

1. **तत्काल आइसोलेशन एवं जीवन रक्षा:** संक्रमित सर्वरों को तुरंत मुख्य नेटवर्क और इंटरनेट से **अलग (Isolate)** करना ताकि संक्रमण अन्य प्रणालियों में न फैले; और अस्पताल की आपातकालीन सेवाओं व ओपीडी को तुरंत **मैनुअल (कागजी पर्चियों) मोड** पर चालू करना ताकि किसी भी मरीज के इलाज में एक मिनट की भी देरी न हो।

2. **वैधानिक रिपोर्टिंग (6 घंटे का नियम):** घटना का पता चलने के **6 घंटे के भीतर CERT-In** और **NCIIPC** को सूचित करना, सिस्टम लॉग्स (Logs) को सुरक्षित रखना और फिरौती **न देने** की नीति पर कायम रहते हुए **ऑफलाइन बैकअप (Offline Air-Gapped Backup)** से डेटा रिस्टोर करना।

मॉड्यूल 5: आपदा प्रबंधन (DM Act 2005, सेंडाई फ्रेमवर्क) एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध (IR — भारत की विदेश नीति व वैश्विक समूह)

1. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005) एवं संस्थागत तंत्र

• 2004 की हिंद महासागर सुनामी के बाद भारत ने **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** पारित किया, जिसने आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण को केवल 'राहत-केंद्रित (Relief-centric)' से बदलकर **'रोकथाम, शमन और पूर्व-तैयारी केंद्रित (Prevention, Mitigation and Preparedness-centric)'** बना दिया।

• **त्रि-स्तरीय संस्थागत ढांचा:**

1. **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA — धारा 3):** पदेन अध्यक्ष: **प्रधानमंत्री** (अधिकतम 9 सदस्य)।

2. **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA — धारा 14):** पदेन अध्यक्ष: **मुख्यमंत्री**।

3. **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA — धारा 25):** अध्यक्ष: **जिलाधिकारी (DM/DC)** और सह-अध्यक्ष (Co-Chairperson): **पंचायती राज संस्था का निर्वाचित प्रतिनिधि (जिला परिषद अध्यक्ष)**।

• **अन्य प्रमुख निकाय एवं कोष:**

• **राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC — धारा 8):** पदेन अध्यक्ष: **केंद्रीय गृह सचिव**।

• **NDRF (राष्ट्रीय आपदा मोचन बल — धारा 44-45):** 2006 में गठित विशेष बचाव बल (प्रमुख: महानिदेशक, NDRF)।

• **NIDM (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान — धारा 42):** प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं क्षमता निर्माण।

• **वित्तीय कोष: NDRF एवं SDRF** (राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष — तात्कालिक राहत हेतु) तथा **NDMF एवं SDMF** (राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा शमन कोष — दीर्घकालिक रोकथाम परियोजनाओं हेतु, जिनकी सिफारिश 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा जोखिम सूचकांक के आधार पर की)।

• **आपदा प्रबंधन चक्र (Disaster Management Cycle):**

1. **आपदा-पूर्व चरण (Pre-Disaster):** जोखिम आकलन (Risk Assessment), रोकथाम (Prevention), शमन (Mitigation — संरचनात्मक व गैर-संरचनात्मक उपाय), और पूर्व-तैयारी (Preparedness — मॉक ड्रिल, अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसे **'सचेत / SACHET' कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल**)।

2. **आपदा के दौरान (During Disaster):** त्वरित प्रतिक्रिया (Response), खोज एवं बचाव (Search & Rescue — Golden Hour), आपातकालीन चिकित्सा और राहत शिविर।

3. **आपदा-पश्चात चरण (Post-Disaster):** पुनर्वास (Rehabilitation), पुनर्निर्माण (Reconstruction) और **'बेहतर पुनर्निर्माण (Build Back Better — BBB)'**।

• **सेंडाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030):** जापान के सेंडाई में अपनाया गया (ह्योगो फ्रेमवर्क 2005–2015 का उत्तराधिकारी)। इसके 7 **वैश्विक लक्ष्य (7 Global Targets)** और **4 प्राथमिकता क्षेत्र (4 Priorities for Action)** हैं:

1. आपदा जोखिम को समझना (Understanding disaster risk)।

2. आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए शासन को मजबूत करना (Strengthening disaster risk governance)।

3. लचीलेपन के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश करना (Investing in DRR for resilience)।

4. प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा तैयारी को बढ़ाना और पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास और पुनर्निर्माण में **'Build Back Better'** करना।

• **CDRI (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure):** **वर्ष 2019** में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में **भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई** अंतरराष्ट्रीय पहल, जिसका सचिवालय **नई दिल्ली** में है।

2. अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations — IR) एवं भारत की विदेश नीति

• **भारतीय विदेश नीति के विकास के चरण:**

1. **आदर्शवादी गुटनिरपेक्षता (1947–1962):** पंचशील (1954), बांडुंग सम्मेलन (1955) और NAM (1961)।

2. **यथार्थवादी मोड़ एवं सुरक्षा संधि (1962–1991):** 1971 की भारत-सोवियत मैत्री संधि, बांग्लादेश मुक्ति और 1974 का पोखरण-I परीक्षण।

3. **आर्थिक कूटनीति एवं बहु-संरेखण (1991–2014):** 'लुक ईस्ट नीति (Look East Policy — 1991)', गुजराल सिद्धांत (1996 — पड़ोसियों के साथ गैर-पारस्परिक उदारता / Non-reciprocity), पोखरण-II (1998) और भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता (2005–2008)।

4. **सक्रिय रणनीतिक स्वायत्तता एवं विश्वबंधु की भूमिका (2014–वर्तमान): पड़ोसी प्रथम (Neighborhood First), एक्ट ईस्ट (Act East — 2014), थिंक वेस्ट (Think West — खाड़ी देश), सागर (SAGAR — Security and Growth for All in the Region, 2015), ग्लोबल साउथ की आवाज (Voice of Global South)** और बहु-ध्रुवीय संरेखण (Multi-alignment)।

• **प्रमुख वैश्विक एवं क्षेत्रीय समूह तथा भारत के मानवीय बचाव अभियान:**

• **QUAD (चतुर्भुज सुरक्षा संवाद):** भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया (हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने हेतु)।

• **I2U2 ('पश्चिम एशियाई क्वाड'):** भारत (India), इज़राइल (Israel), संयुक्त अरब अमीरात (UAE), और अमेरिका (USA) — 6 फोकस क्षेत्र: जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा।

• **IMEC (India-Middle East-Europe Economic Corridor):** नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन (2023) में घोषित ऐतिहासिक गलियारा (पूर्वी कॉरिडोर: भारत को खाड़ी से जोड़ेगा; उत्तरी कॉरिडोर: खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा — चीन के BRI का रणनीतिक विकल्प)।

• **G20 (अब G21):** नई दिल्ली घोषणापत्र (2023) के तहत **अफ्रीकी संघ (African Union — AU, 55 देश)** को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

• **BRICS+:** ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका + नए पूर्ण सदस्य (मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात आदि); इसका बैंक **NDB (New Development Bank, मुख्यालय: शंघाई)** है।

• **SCO (शंघाई सहयोग संगठन):** भारत और पाकिस्तान **2017 (अस्ताना सम्मेलन)** में पूर्ण सदस्य बने; ईरान **2023** में (भारत की अध्यक्षता में) और बेलारूस **2024** में पूर्ण सदस्य बना। इसका आतंकवाद विरोधी ढांचा **RATS (Regional Anti-Terrorist Structure — मुख्यालय: ताशकंद)** है।

• **भारत के प्रमुख निकासी एवं मानवीय अभियान (Evacuation & HADR Operations): ऑपरेशन राहत** (यमन, 2015), **ऑपरेशन देवी शक्ति** (अफगानिस्तान, 2021), **ऑपरेशन गंगा** (यूक्रेन, 2022), **ऑपरेशन कावेरी** (सूडान, 2023), **ऑपरेशन अजय** (इज़राइल, 2023), **ऑपरेशन इंद्रावती** (हैती, 2024), **ऑपरेशन दोस्त** (तुर्की-सीरिया भूकंप राहत, 2023), और **ऑपरेशन करुणा** (म्यांमार चक्रवात मोचा राहत, 2023)।

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (**DDMA — धारा 25**) भारत के उन बिरले वैधानिक निकायों में से एक है जहां प्रशासनिक प्रमुख (**जिलाधिकारी — अध्यक्ष**) और लोकतांत्रिक स्थानीय स्वशासन प्रमुख (**जिला परिषद अध्यक्ष — सह-अध्यक्ष / Co-Chairperson**) को कानून द्वारा एक साथ नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई है ताकि आपदा के समय प्रशासनिक गति और जमीनी जन-सहभागिता दोनों का समन्वय हो सके!

परीक्षा जाल (Exam Trap Alert):
छात्र अक्सर **RCEP**, **APEC** और **SCO** में भारत की सदस्यता को लेकर गलती करते हैं:
• भारत **SCO, BRICS, G20, QUAD, BIMSTEC, IORA और IPEF (केवल स्तंभ II, III, IV में; व्यापार स्तंभ-I को छोड़कर)** का सदस्य है।
• भारत **RCEP** (Regional Comprehensive Economic Partnership — जिससे भारत अपने किसानों व MSME के हित में नवंबर 2019 में बाहर हो गया), **APEC** और **ASEAN** का सदस्य **नहीं** है!

★ निमोनिक ट्रिक (Mnemonic Trick — BIMSTEC के 7 सदस्य देश):
"B-I-M-S-T-E-C + नेपाल व भूटान" -> **B**angladesh, **I**ndia, **M**yanmar, **S**ri Lanka, **T**hailand + **N**epal, **B**hutan (मुख्यालय: **ढाका**; इसमें पाकिस्तान और मालदीव शामिल नहीं हैं)।

व्यावहारिक प्रशासनिक केस स्टडी 5 (हिमालयी क्षेत्र में बादल फटने व भूस्खलन आपदा प्रबंधन):

• **प्रकरण:** मानसून के दौरान एक पहाड़ी जिले में रात 2:00 बजे बादल फटने (Cloudburst) से नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है, राजमार्ग का पुल बह जाता है, 3 गांवों का संपर्क टूट जाता है और एक तीर्थयात्री बस में 45 यात्री फंसे हुए हैं। आप उस जिले के DM और DDMA अध्यक्ष हैं।

• **मानक प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल (Incident Response System — IRS):**

1. **गोल्डन आवर रिस्पॉन्स (प्रथम 1-6 घंटे):** जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) को सक्रिय करना, सैटेलाइट फोन/हॉटलाइन से संपर्क स्थापित करना, NDRF/SDRF और ITBP/सेना की टुकड़ियों को रवाना करना तथा हेलीकॉप्टर व ड्रोन से फंसे हुए 45 तीर्थयात्रियों और ग्रामीणों का त्वरित एयरलिफ्ट/रस्सी-बचाव (Rope Rescue) कराना।

2. **राहत एवं चिकित्सा (6-48 घंटे):** सुरक्षित ऊंचे विद्यालयों में राहत शिविर (महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की विशेष सुरक्षा व स्वच्छता सहित), मोबाइल मेडिकल टीम, क्लोरीनयुक्त पेयजल और फूड पैकेट पहुंचाना तथा लापता लोगों की सहायता हेतु हेल्पलाइन जारी करना।

3. **पुनर्बहाली एवं BBB (48 घंटे के बाद):** सीमा सड़क संगठन (BRO) की मदद से **बेली ब्रिज (Bailey Bridge)** बनाकर संपर्क बहाल करना, SDRF मानकों के तहत अनुग्रह राशि (Ex-gratia) का DBT भुगतान करना और नदी के डूब क्षेत्र (Floodplain Zoning) में अतिक्रमण रोककर 'Build Back Better' लागू करना।

भाग (ख): बुक 24 — 90 पूर्णतः हल किए गए विगत वर्षों के प्रश्न (Solved Chapter-wise PYQs & Case Qs)

खंड A: नीतिशास्त्र, मानवीय मूल्य, विचारक एवं अभिवृत्ति (Q1–Q30)

अभ्यास प्रश्न #1 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 1. नीतिशास्त्र (Ethics) और कानून (Law) के बीच मुख्य संबंध और अंतर क्या है?

• **उत्तर:** कानून राज्य द्वारा प्रवर्तित बाध्यकारी न्यूनतम मानक हैं जिनके उल्लंघन पर दंड मिलता है, जबकि नीतिशास्त्र आंतरिक और सामाजिक रूप से स्वीकृत उच्चतर नैतिक आदर्श हैं। सभी कानूनों का नैतिक होना अपेक्षित है, किंतु इतिहास में कुछ कानून अनैतिक भी रहे हैं (जैसे रंगभेद कानून या औपनिवेशिक नमक कानून, जिनका महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा द्वारा विरोध किया)।

अभ्यास प्रश्न #2 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 2. सुकरात के प्रसिद्ध कथन 'अ-परीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है (An unexamined life is not worth living)' का एक सिविल सेवक के लिए क्या निहितार्थ है?

• **उत्तर:** एक सिविल सेवक को केवल अंधानुकरण या यांत्रिक रूप से आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने निर्णयों के नैतिक परिणामों, पूर्वाग्रहों और जनकल्याण पर पड़ने वाले प्रभावों का निरंतर आत्म-निरीक्षण (Self-introspection) करना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न #3 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 3. अरस्तू का 'स्वर्णिम मध्यमान (Golden Mean)' का सिद्धांत क्या है?

• **उत्तर:** अरस्तू (*Nicomachean Ethics*) के अनुसार नैतिक सद्गुण दो चरम अतियों — 'अभाव (Deficiency)' और 'आधिक्य (Excess)' — के बीच का विवेकपूर्ण संतुलन है; जैसे कायरता (अभाव) और दुस्साहस (आधिक्य) के बीच 'साहस' स्वर्णिम मध्य है।

अभ्यास प्रश्न #4 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 4. इमैनुएल कांट के 'निरपेक्ष आदेश (Categorical Imperative)' का मूल भाव क्या है?

• **उत्तर:** कांट के अनुसार नैतिक कर्तव्य बिना किसी शर्त (Unconditional) के होता है। मनुष्य को अपने कार्य ऐसे सिद्धांत पर करने चाहिए जिन्हें वह सार्वभौमिक कानून बना सके, और किसी भी मानव को केवल 'साधन (Means)' नहीं बल्कि सदैव 'साध्य (End)' मानना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न #5 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 5. उपयोगितावाद (Utilitarianism) में जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों में क्या मूलभूत अंतर है?

• **उत्तर:** बेंथम केवल सुख की **मात्रा (Quantity — तीव्रता व अवधि)** पर बल देते हैं ("पुशपिन का खेल उतना ही अच्छा है जितना कविता पाठ, यदि दोनों से समान सुख मिले"), जबकि जे.एस. मिल सुख की **गुणवत्ता (Quality — बौद्धिक और नैतिक सुख शारीरिक सुख से श्रेष्ठ हैं)** और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Harm Principle) पर बल देते हैं।

अभ्यास प्रश्न #6 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 6. जॉन रॉल्स का 'अज्ञानता का आवरण (Veil of Ignorance)' क्या है और यह न्यायपूर्ण नीति निर्माण में कैसे सहायक है?

• **उत्तर:** यह एक वैचारिक प्रयोग (Thought Experiment) है जिसमें नीति-निर्माता यह कल्पना करता है कि उसे समाज में अपनी स्वयं की जाति, वर्ग, लिंग, धन या क्षमता का पता नहीं है। इस स्थिति में वह जो नियम बनाएगा, वे स्वतः ही समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति (Least Advantaged) के हितों की रक्षा करेंगे (जैसे आरक्षण, मनरेगा, दिव्यांगजन अधिकार)।

अभ्यास प्रश्न #7 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 7. महात्मा गांधी का 'ताबीज (Gandhiji's Talisman)' प्रशासनिक दुविधाओं को सुलझाने में किस प्रकार एक अचूक नैतिक दिशा-सूचक (Moral Compass) है?

• **उत्तर:** गांधीजी ने कहा था कि जब भी तुम्हें संदेह हो, तो उस सबसे गरीब और असहाय इंसान का चेहरा याद करो जिसे तुमने देखा हो, और खुद से पूछो कि तुम जो कदम उठाने जा रहे हो, क्या वह उसके किसी काम आएगा? क्या उससे उसे अपने जीवन और भाग्य पर कुछ नियंत्रण वापस मिलेगा? यह लोक प्रशासन में 'अंत्योदय' की सर्वोच्च कसौटी है।

अभ्यास प्रश्न #8 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 8. गांधीजी के 'ट्रस्टीशिप (Trusteeship / न्यासिता)' सिद्धांत का सार क्या है?

• **उत्तर:** समाज के धनी और संसाधन-संपन्न वर्ग को अपनी आवश्यकता से अधिक संपत्ति का स्वयं को 'स्वामी (Owner)' नहीं बल्कि समाज का **'न्यासी / ट्रस्टी (Trustee)'** समझना चाहिए और उसका उपयोग लोककल्याण में करना चाहिए। आधुनिक युग में **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR — कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135)** इसी सिद्धांत का वैधानिक रूप है।

अभ्यास प्रश्न #9 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 9. स्वामी विवेकानंद के अनुसार 'सेवा' और 'शिक्षा' का नैतिक आधार क्या है?

• **उत्तर:** "शिव ज्ञान से जीव सेवा" (प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का अंश देखकर उसकी सेवा करना — दरिद्रनारायण की सेवा) तथा शिक्षा वह है जो **'मानव-निर्माण और चरित्र-निर्माण (Man-making and Character-building)'** करे।

अभ्यास प्रश्न #10 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 10. रवींद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद और मानवतावाद के संबंध में क्या विचार थे?

• **उत्तर:** टैगोर ने संकीर्ण और आक्रामक उग्र-राष्ट्रवाद के स्थान पर **'सार्वभौमिक मानवतावाद (Universal Humanism — वसुधैव कुटुंबकम्)'** को सर्वोच्च माना, जहां राष्ट्र की प्रगति संपूर्ण मानवता के कल्याण और नैतिक स्वतंत्रता से जुड़ी हो।

अभ्यास प्रश्न #11 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 11. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार 'संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality)' क्या है?

• **उत्तर:** संवैधानिक नैतिकता का अर्थ केवल संविधान के अक्षरों का पालन करना नहीं, बल्कि संविधान की सर्वोच्च भावना — स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, विधि के शासन और अल्पसंख्यकों व वंचितों के अधिकारों के प्रति गहरी निष्ठा और शांतिपूर्ण संवैधानिक प्रक्रियाओं का सम्मान करना है।

अभ्यास प्रश्न #12 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 12. अभिवृत्ति (Attitude) के निर्माण और परिवर्तन में 'संज्ञानात्मक विसंगति (Cognitive Dissonance — लियोन फेस्टिंगर)' की क्या भूमिका है?

• **उत्तर:** जब किसी व्यक्ति के विश्वास (Attitude) और उसके वास्तविक व्यवहार (Behavior) में विरोधाभास होता है (जैसे कोई अधिकारी ईमानदारी में विश्वास रखता हो पर वरिष्ठ के दबाव में गलत फाइल पर हस्ताक्षर कर दे), तो उसके मन में तीव्र मानसिक बेचैनी (Dissonance) उत्पन्न होती है। इस बेचैनी को दूर करने के लिए व्यक्ति या तो अपना व्यवहार बदलता है या अपने विश्वास में सुधार करता है।

अभ्यास प्रश्न #13 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 13. 'अनुनय (Persuasion)' क्या है और अरस्तू के अनुसार प्रभावी अनुनय के 3 स्तंभ कौन-से हैं?

• **उत्तर:** बिना किसी दबाव या बल प्रयोग के संवाद के माध्यम से लोगों की अभिवृत्ति और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना अनुनय है (जैसे स्वच्छ भारत अभियान में व्यवहार परिवर्तन)। अरस्तू के 3 स्तंभ हैं: **(1) एथोस (Ethos — वक्ता की विश्वसनीयता व चरित्र)**, **(2) पैथोस (Pathos — श्रोताओं की भावनाओं से जुड़ाव)**, और **(3) लोगोस (Logos — तर्क व तथ्य)**।

अभ्यास प्रश्न #14 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 14. 'भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence — EI)' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और इसे विश्वभर में किसने लोकप्रिय बनाया?

• **उत्तर:** सर्वप्रथम **पीटर सलोवे और जॉन मेयर (1990)** ने इस शब्द को गढ़ा, और **डैनियल गोलमैन (1995)** ने अपनी पुस्तक '*Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*' के माध्यम से इसे लोकप्रिय बनाया।

अभ्यास प्रश्न #15 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 15. एक पुलिस अधीक्षक (SP) या जिलाधिकारी (DM) के लिए केवल उच्च IQ के बजाय उच्च EI (भावनात्मक बुद्धिमत्ता) क्यों अधिक आवश्यक है?

• **उत्तर:** दंगे, भीड़ नियंत्रण या आपदा जैसी तनावपूर्ण स्थितियों में उच्च IQ केवल नियम बता सकता है, किंतु **उच्च EI** अधिकारी को अपने क्रोध व भय पर नियंत्रण रखने (Self-Regulation), पीड़ित नागरिकों का दर्द समझने (Empathy) और विभिन्न समुदायों के साथ संवाद कर शांति स्थापित करने (Social Skills) में सक्षम बनाता है।

अभ्यास प्रश्न #16 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 16. 'सहिष्णुता (Tolerance)' और 'स्वीकृति (Acceptance)' में क्या अंतर है?

• **उत्तर:** सहिष्णुता का अर्थ है उन विचारों, विश्वासों या प्रथाओं के अस्तित्व का सम्मान करना और उन्हें सहन करना जिनसे हम व्यक्तिगत रूप से असहमत हैं; जबकि स्वीकृति उससे एक कदम आगे बढ़कर विविधता को समान सम्मान के साथ अपनाना है।

अभ्यास प्रश्न #17 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 17. 'वस्तुनिष्ठता (Objectivity)' और 'तटस्थता (Neutrality)' में एक लोक सेवक को किसे प्राथमिकता देनी चाहिए और क्यों?

• **उत्तर: वस्तुनिष्ठता को!** क्योंकि अंधी या निष्क्रिय 'तटस्थता' अन्याय के समय मूकदर्शक बना सकती है (डेसमंड टूटू: "यदि आप अन्याय की स्थिति में तटस्थ रहते हैं, तो आपने अत्याचारी का पक्ष चुना है"), जबकि **वस्तुनिष्ठता** तथ्यों, साक्ष्यों और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर सही और न्यायपूर्ण पक्ष में निर्णय लेने का साहस देती है।

अभ्यास प्रश्न #18 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 18. मर्टन का 'नौकरशाही व्यक्तित्व (Bureaucratic Personality / लालफीताशाही)' क्या है?

• **उत्तर:** समाजशास्त्री रॉबर्ट के. मर्टन के अनुसार जब नौकरशाह नियमों और प्रक्रियाओं (जो केवल 'साधन' हैं) का इतना कठोरता से पालन करने लगते हैं कि वे जनकल्याण के मुख्य 'लक्ष्य (Goal)' को ही भूल जाते हैं, तो इसे **'लक्ष्य विस्थापन (Displacement of Goals)'** या लालफीताशाही कहते हैं।

अभ्यास प्रश्न #19 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 19. 'नैतिक सापेक्षवाद (Moral Relativism)' और 'नैतिक सार्वभौमिकवाद (Moral Universalism)' में क्या अंतर है?

• **उत्तर:** नैतिक सापेक्षवाद मानता है कि नैतिक मूल्य संस्कृति, समय और समाज के अनुसार बदलते रहते हैं; जबकि नैतिक सार्वभौमिकवाद (जैसे मानवाधिकार, कांट का नीतिशास्त्र) मानता है कि कुछ मूलभूत नैतिक सिद्धांत (जैसे निर्दोष की हत्या न करना, मानवीय गरिमा) हर संस्कृति और हर काल में सार्वभौमिक रूप से सत्य हैं।

अभ्यास प्रश्न #20 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 20. 'अंतरात्मा का संकट (Crisis of Conscience)' किसे कहते हैं?

• **उत्तर:** यह वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति को बाहरी दबाव या आदेश के कारण ऐसा कार्य करना पड़ता है जो उसकी आंतरिक नैतिक आस्था के विरुद्ध हो, या जब दो समान रूप से महत्वपूर्ण नैतिक मूल्यों के बीच चयन करते समय गहरा अपराध-बोध या मानसिक द्वंद्व उत्पन्न हो।

अभ्यास प्रश्न #21 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 21. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के अनुसार भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र के निर्माण की शुरुआत कहां से होती है?

• **उत्तर:** डॉ. कलाम के प्रसिद्ध सूत्र के अनुसार समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की कुंजी तीन लोगों के हाथ में है — **माता, पिता और प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक**।

अभ्यास प्रश्न #22 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 22. मैक्स वेबर की 'आदर्श नौकरशाही (Ideal Bureaucracy)' की मुख्य विशेषताएं और उसकी नैतिक सीमा क्या है?

• **उत्तर:** वेबर ने नौकरशाही को विधिक-तार्किक सत्ता (Legal-Rational Authority), पदानुक्रम, श्रम विभाजन और अवैयक्तिकता (Impersonality) पर आधारित बताया; किंतु भारत जैसे विकासशील देश में अत्यधिक 'अवैयक्तिकता' गरीबों के प्रति संवेदनहीनता पैदा कर सकती है, इसलिए यहां **'प्रतिबद्ध एवं संवेदनशील नौकरशाही'** की आवश्यकता है।

अभ्यास प्रश्न #23 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 23. 'समानुभूति की थकान (Compassion Fatigue)' क्या है और सिविल सेवक इससे कैसे बच सकते हैं?

• **उत्तर:** निरंतर आपदाओं, अपराधों और मानवीय दुखों को देखते-देखते अधिकारियों या स्वास्थ्यकर्मियों में उत्पन्न होने वाली भावनात्मक सुन्नता (Emotional Numbness) को Compassion Fatigue कहते हैं। इससे बचने के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता, कार्य-जीवन संतुलन, योग/ध्यान और सकारात्मक संस्थागत सहयोग आवश्यक है।

अभ्यास प्रश्न #24 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 24. कौटिल्य ने सरकारी अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले वित्तीय भ्रष्टाचार की तुलना किस प्रसिद्ध उपमा से की थी?

• **उत्तर:** कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा कि "जिस प्रकार जीभ की नोक पर रखे शहद या विष को न चख पाना असंभव है और जिस प्रकार पानी के भीतर तैरती मछली कब पानी पी रही है यह जानना कठिन है, उसी प्रकार राजकोष के कार्यों में लगे कर्मचारियों द्वारा धन का गबन पकड़ना कठिन है" — इसलिए उन्होंने कठोर लेखांकन, गुप्तचर निगरानी और चक्रीय स्थानांतरण (Rotation) की व्यवस्था दी।

अभ्यास प्रश्न #25 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 25. कॉर्पोरेट गवर्नेंस (Corporate Governance) से संबंधित भारत की प्रमुख समितियां कौन-सी हैं?

• **उत्तर: कुमार मंगलम बिड़ला समिति (1999), नरेश चंद्र समिति (2002), नारायण मूर्ति समिति (2003),** और **उदय कोटक समिति (2017 — SEBI द्वारा गठित)**।

• **व्याख्या:** कोटक समिति की सिफारिशों पर बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों (Independent Directors), महिला निदेशक और अध्यक्ष व MD/CEO के पदों के पृथक्करण पर बल दिया गया।

अभ्यास प्रश्न #26 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 26. पर्यावरण नीतिशास्त्र (Environmental Ethics) में 'मानव-केंद्रित (Anthropocentric)' और 'पारिस्थितिकी-केंद्रित (Ecocentric)' दृष्टिकोण में क्या अंतर है?

• **उत्तर:** मानव-केंद्रित दृष्टिकोण प्रकृति को केवल मनुष्य के उपभोग का संसाधन मानता है, जबकि पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण (तथा भारतीय वैदिक दर्शन — 'माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः') पृथ्वी के प्रत्येक जीव, नदी, पर्वत और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वतंत्र आंतरिक मूल्य (Intrinsic Value) को स्वीकार करता है।

अभ्यास प्रश्न #27 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

*प्रश्न 27. युद्ध नीतिशास्त्र (*Just War Theory* — न्यायसंगत युद्ध सिद्धांत) के दो मुख्य अंग 'Jus ad bellum' और 'Jus in bello' का क्या अर्थ है?*

• **उत्तर:** ***Jus ad bellum*: युद्ध शुरू करने के नैतिक मानदंड (अंतिम विकल्प, वैध प्राधिकारी, आत्मरक्षा व न्यायपूर्ण उद्देश्य); *Jus in bello*:** युद्ध के दौरान आचरण के नैतिक नियम (निर्दोष नागरिकों, अस्पतालों व युद्धबंदियों को नुकसान न पहुंचाना और आनुपातिक बल प्रयोग — भारतीय महाकाव्यों के 'धर्मयुद्ध' के समान)।

अभ्यास प्रश्न #28 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 28. कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नीतिशास्त्र (AI Ethics) की 4 प्रमुख चुनौतियां क्या हैं?

• **उत्तर: (1) एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह (Algorithmic Bias), (2) पारदर्शिता का अभाव ('Black Box' समस्या), (3) निजता का उल्लंघन व डीपफेक (Deepfakes),** और **(4) जवाबदेही का संकट (Accountability Gap — यदि स्वचालित AI से नुकसान हो तो जिम्मेदार कौन?)**।

अभ्यास प्रश्न #29 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 29. 'व्हिसलब्लोइंग (Whistleblowing / मुखबिरी)' क्या है और भारत में इसके संरक्षण के लिए कौन-सा कानून है?

• **उत्तर:** किसी संगठन के भीतर हो रहे भ्रष्टाचार, अवैध कार्य या जनहित के खतरे को उजागर करना व्हिसलब्लोइंग है। भारत में इसके लिए **व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014 (Whistle Blowers Protection Act, 2014)** तथा **PIDPI संकल्प (2004 — CVC को गोपनीय शिकायत)** लागू है।

अभ्यास प्रश्न #30 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 30. 'सच्चरित्रता (Probity)' का लोक शासन में क्या अर्थ है और यह केवल 'ईमानदारी (Honesty)' से कैसे व्यापक है?

• **उत्तर:** ईमानदारी एक व्यक्तिगत गुण है (झूठ न बोलना या चोरी न करना), जबकि **सच्चरित्रता (Probity in Governance)** एक संस्थागत और प्रक्रियात्मक अवस्था है जिसमें भ्रष्टाचार का अभाव होने के साथ-साथ पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता और लोक संसाधनों का सर्वोच्च नैतिक उपयोग सुनिश्चित होता है।

खंड B: शासन में ईमानदारी एवं आंतरिक सुरक्षा (Q31–Q60)

अभ्यास प्रश्न #31 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 31. नागरिक चार्टर (Citizen's Charter) की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में और किस वर्ष शुरू हुई?

• **उत्तर: यूनाइटेड किंगडम (UK) में वर्ष 1991 में (तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मेजर द्वारा)**; भारत में इसे **मई 1997** के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अपनाया गया।

अभ्यास प्रश्न #32 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 32. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई और इसे किस वर्ष वैधानिक दर्जा (Statutory Status) मिला?

• **उत्तर: संथानम समिति (1962–64)** की सिफारिश पर फरवरी 1964 में कार्यकारी प्रस्ताव से स्थापना हुई, और **केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003** द्वारा इसे वैधानिक दर्जा मिला।

• **व्याख्या:** CVC एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें **1 केंद्रीय सतर्कता आयुक्त + अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त** होते हैं, जिनका कार्यकाल **4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु** (जो पहले हो) होता है।

अभ्यास प्रश्न #33 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 33. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लोकपाल में अध्यक्ष के अतिरिक्त अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं और आरक्षण का क्या प्रावधान है?

• **उत्तर: 1 अध्यक्ष + अधिकतम 8 सदस्य** (जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होंगे, और कम से कम 50% सदस्य SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होंगे)।

• **व्याख्या:** भारत के प्रथम लोकपाल **न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष (2019)** थे।

अभ्यास प्रश्न #34 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 34. सामाजिक लेखापरीक्षा (Social Audit) को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला प्रमुख केंद्रीय कानून और पहला राज्य कौन-सा है?

• **उत्तर:** केंद्रीय कानून: **मनरेगा अधिनियम, 2005 (धारा 17 — ग्राम सभा द्वारा सोशल ऑडिट)**; और सामाजिक ऑडिट कानून पारित करने वाला पहला राज्य **मेघालय (2017)** है।

अभ्यास प्रश्न #35 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 35. सरकारी बजट में 'आउटकम बजट (Outcome Budget)' का नैतिक और प्रशासनिक महत्व क्या है?

• **उत्तर:** यह केवल यह नहीं देखता कि कितना धन खर्च हुआ (Outlay) या कितनी इमारतें बनीं (Output), बल्कि यह मापता है कि उस खर्च से नागरिकों के जीवन में वास्तविक क्या सुधार आया (Outcome — जैसे स्कूल भवन बनने से बच्चों के सीखने के स्तर में कितनी वृद्धि हुई)। भारत में पहला आउटकम बजट **वर्ष 2005-06** में प्रस्तुत किया गया था।

अभ्यास प्रश्न #36 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 36. भारत में वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) से निपटने के लिए गठित विशेष अर्धसैनिक कमांडो बल 'CoBRA' का पूर्ण रूप क्या है और यह किस बल का हिस्सा है?

• **उत्तर: Commando Battalion for Resolute Action (2008 में गठित)**; यह **CRPF (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल)** की एक विशेष जंगल वॉरफेयर इकाई है।

अभ्यास प्रश्न #37 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 37. 'ग्रेहाउंड्स (Greyhounds)' किस राज्य का प्रसिद्ध नक्सल-विरोधी विशेष पुलिस बल है?

• **उत्तर: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना** (1989 में आईपीएस के.एस. व्यास द्वारा स्थापित)।

अभ्यास प्रश्न #38 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 38. 'रोशनी योजना (Roshni Scheme)' और 'सिविक एक्शन प्रोग्राम (Civic Action Programme)' का संबंध किस आंतरिक सुरक्षा चुनौती के समाधान से है?

• **उत्तर: वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलों में आदिवासी युवाओं के कौशल विकास, रोजगार और सुरक्षा बलों व स्थानीय जनता के बीच विश्वास निर्माण से।**

अभ्यास प्रश्न #39 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 39. पूर्वोत्तर भारत में 'स्वर्णिम त्रिभुज (Golden Triangle)' और पश्चिमोत्तर में 'स्वर्णिम अर्धचंद्र (Golden Crescent)' भारत की आंतरिक सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?

• **उत्तर: नार्को-आतंकवाद (Narco-Terrorism), मादक पदार्थों की तस्करी और हथियारों के अवैध वित्तपोषण द्वारा!**

• ***व्याख्या:***

• **Golden Triangle (पूर्वोत्तर के पास): म्यांमार, लाओस और थाईलैंड।**

• **Golden Crescent (पश्चिमोत्तर के पास): अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान।**

अभ्यास प्रश्न #40 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 40. 'हाइब्रिड वॉरफेयर (Hybrid Warfare)' या 'ग्रे-ज़ोन वॉरफेयर (Grey-Zone Warfare)' किसे कहते हैं?

• **उत्तर:** जब कोई शत्रु राष्ट्र सीधे पारंपरिक सैन्य युद्ध छेड़ने के बजाय **पारंपरिक सैन्य दबाव, छद्म आतंकवाद (Proxy War), साइबर हमलों, आर्थिक सबोटाज, फेक न्यूज़/सूचना युद्ध (Information Warfare) और ड्रोन से हथियार/ड्रग्स गिराने** का एक साथ प्रयोग करता है, तो उसे हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं।

अभ्यास प्रश्न #41 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 41. 'ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs — Over Ground Workers)' कौन होते हैं और वे आतंकवाद में क्या भूमिका निभाते हैं?

• **उत्तर:** वे लोग जो प्रत्यक्ष रूप से हथियार नहीं उठाते, परंतु समाज में सामान्य नागरिक की तरह रहते हुए आतंकवादियों/उग्रवादियों को रसद (Logistics), सुरक्षित ठिकाने, वित्तीय मदद, खुफिया जानकारी और कट्टरपंथी दुष्प्रचार प्रदान करते हैं।

अभ्यास प्रश्न #42 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 42. 'लोन वुल्फ अटैक (Lone Wolf Attack)' क्या है और इसे रोकना खुफिया एजेंसियों के लिए क्यों कठिन होता है?

• **उत्तर:** जब कोई एक अकेला व्यक्ति ऑनलाइन कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित होकर बिना किसी बड़े संगठन के प्रत्यक्ष आदेश या संचार नेटवर्क के अपने स्तर पर आतंकवादी हमला करता है, तो उसे लोन वुल्फ अटैक कहते हैं। इसमें पूर्व-संचार (Chatter) न होने के कारण पारंपरिक सर्विलांस से इसे पकड़ना कठिन होता है।

अभ्यास प्रश्न #43 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 43. NATGRID (National Intelligence Grid) का मुख्य कार्य क्या है?

• **उत्तर:** 26/11 हमले के बाद स्थापित NATGRID देश की विभिन्न सुरक्षा और प्रवर्तन एजेंसियों (NIA, IB, RAW, CBI, ED, पुलिस) को बैंकिंग, रेलवे, एयरलाइंस, टेलीकॉम, पासपोर्ट और आयकर जैसे **21+ डेटा स्रोतों से रियल-टाइम एकीकृत खुफिया डेटा** उपलब्ध कराने वाला सुरक्षित प्लेटफॉर्म है।

अभ्यास प्रश्न #44 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 44. MAC (Multi Agency Centre) किस संगठन के अंतर्गत कार्य करता है?

• **उत्तर: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB — गृह मंत्रालय)** के अंतर्गत (यह केंद्रीय और राज्य खुफिया एजेंसियों के बीच 24x7 आतंकवाद-रोधी खुफिया जानकारी साझा करने का साझा मंच है, जिसे राज्यों में SMAC से जोड़ा गया है)।

अभ्यास प्रश्न #45 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 45. 'मनी लॉन्ड्रिंग (धन-शोधन)' में 'स्मर्फिंग (Smurfing / Structuring)' का क्या अर्थ है?

• **उत्तर:** काले धन की एक बड़ी राशि को बैंकों और वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) की रिपोर्टिंग सीमा से बचाने के लिए दर्जनों छोटे-छोटे खातों और छोटी राशियों में तोड़कर जमा कराना 'स्मर्फिंग' कहलाता है (यह Placement चरण की तकनीक है)।

अभ्यास प्रश्न #46 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 46. 'हवाला (Hawala)' प्रणाली कैसे काम करती है?

• **उत्तर:** यह औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के बाहर केवल मौखिक विश्वास या कोड (पर्ची/नोट का नंबर) पर आधारित अवैध धन हस्तांतरण प्रणाली है, जिसमें भौतिक रूप से सीमा पार मुद्रा भेजे बिना ही एक देश में पैसा जमा कर दूसरे देश में एजेंट के माध्यम से भुगतान करा दिया जाता है। यह FEMA और PMLA दोनों के तहत दंडनीय है।

अभ्यास प्रश्न #47 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 47. भारतीय दंड कानून में किए गए ऐतिहासिक सुधार — भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की किस धारा में पहली बार 'आतंकवादी कृत्य (Terrorist Act)' और 'संगठित अपराध (Organized Crime)' को सीधे परिभाषित किया गया है?

• **उत्तर: BNS, 2023 की धारा 113 में 'आतंकवादी कृत्य (Terrorist Act)' और धारा 111 में 'संगठित अपराध (Organized Crime)'** को परिभाषित किया गया है (जो**1 जुलाई 2024** से लागू हुई है)।

• **व्याख्या:** इसी प्रकार राजद्रोह (पुरानी IPC धारा 124A) के स्थान पर **BNS धारा 152** में 'भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों' को दंडनीय बनाया गया है।

अभ्यास प्रश्न #48 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 48. सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्मों को विनियमित करने वाले 'सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021' के तहत कितनी यूजर्स संख्या वाले प्लेटफॉर्म को 'महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती (SSMI)' माना जाता है?

• **उत्तर: 50 लाख (5 Million) या उससे अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता**।

• **व्याख्या:** प्रत्येक SSMI को भारत में 3 निवासी अधिकारी — **(1) मुख्य अनुपालन अधिकारी (Chief Compliance Officer), (2) नोडल संपर्क अधिकारी (Nodal Contact Person), और (3) निवासी शिकायत अधिकारी (Resident Grievance Officer)** — नियुक्त करना और गंभीर आपत्तिजनक संदेश के **'प्रथम प्रवर्तक (First Originator)'** की पहचान बताना अनिवार्य है।

अभ्यास प्रश्न #49 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 49. भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च सुरक्षा नीति संस्था कौन-सी है?

• **उत्तर: रणनीतिक नीति समूह (SPG — Strategic Policy Group)** और **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS)**, जबकि समग्र **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC — 1998 में गठित)** के शीर्ष पर प्रधानमंत्री होते हैं।

अभ्यास प्रश्न #50 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 50. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) का पद किस समिति की सिफारिश पर सृजित किया गया और CDS सैन्य मामलों के विभाग (DMA) में किस रूप में कार्य करते हैं?

• **उत्तर: कारगिल समीक्षा समिति (के. सुब्रह्मण्यम समिति, 1999) और शेकतकर समिति (2016)** की सिफारिश पर (दिसंबर 2019 में सृजित); CDS रक्षा मंत्रालय के नवगठित **सैन्य मामलों के विभाग (Department of Military Affairs — DMA) के पदेन सचिव** और चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष होते हैं।

अभ्यास प्रश्न #51 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 51. भारत की 'परमाणु सिद्धांत (Nuclear Doctrine — जनवरी 2003)' के तीन मुख्य स्तंभ कौन-से हैं?

• **उत्तर: (1) विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता (Credible Minimum Deterrence), (2) पहले प्रयोग न करने की नीति (No First Use — NFU)**, और **(3) परमाणु हमले की स्थिति में 'भीषण जवाबी प्रहार (Massive Retaliation)'** तथा गैर-परमाणु राज्यों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग न करना (जैविक या रासायनिक हमले की स्थिति को छोड़कर)।

• **व्याख्या:** परमाणु कमान प्राधिकरण (NCA) की **राजनीतिक परिषद (Political Council)** के अध्यक्ष **प्रधानमंत्री** होते हैं, जिनके पास ही परमाणु हमले की अनुमति देने का एकमात्र अधिकार है।

अभ्यास प्रश्न #52 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 52. भारतीय सेना द्वारा थियेटर कमान (Integrated Theatre Commands) बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

• **उत्तर:** थल सेना, नौसेना और वायु सेना के संसाधनों, कमान और लॉजिस्टिक्स को एक ही भौगोलिक/परिचालन कमांडर के अधीन एकीकृत (Jointness & Integration) करना ताकि आधुनिक युद्ध में न्यूनतम लागत और अधिकतम गति से प्रहार किया जा सके।

अभ्यास प्रश्न #53 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 53. 'अंतिम छोर तक संपर्क' और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए जिम्मेदार 'सीमा सड़क संगठन (BRO)' किस वर्ष स्थापित हुआ और यह वर्तमान में किस मंत्रालय के अधीन है?

• **उत्तर: 7 मई 1960 को स्थापित; वर्तमान में यह पूर्ण रूप से 'रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence — 2015 से)' के अधीन है।**

• **व्याख्या:** अटल टनल (रोहतांग, 9.02 किमी), सेला टनल (अरुणाचल प्रदेश) और शिंकुन ला टनल BRO की प्रमुख रणनीतिक परियोजनाएं हैं।

अभ्यास प्रश्न #54 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 54. तटीय सुरक्षा के लिए आयोजित किए जाने वाले भारत के सबसे बड़े द्विवार्षिक तटीय रक्षा अभ्यास का नाम क्या है?

• **उत्तर: 'सी विजिल (Ex Sea Vigil)'** (जिसमें भारत की संपूर्ण 7,516.6 किमी तटरेखा और सभी तटीय राज्य/UTs, नौसेना, तटरक्षक बल व मरीन पुलिस भाग लेते हैं)।

अभ्यास प्रश्न #55 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 55. 'सागर परिक्रमा' और 'नाविक (NavIC) आधारित ट्रांसपोंडर' मछुआरों और तटीय सुरक्षा में कैसे मदद करते हैं?

• **उत्तर:** मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर लगे इसरो के द्वि-मार्गी ट्रांसपोंडर मछुआरों को चक्रवात की चेतावनी देते हैं, अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) पार करने से रोकते हैं और संदिग्ध नौकाओं की पहचान (Friend or Foe) कर 26/11 जैसी समुद्री घुसपैठ रोकते हैं।

अभ्यास प्रश्न #56 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 56. क्रिप्टोकरेंसी (Virtual Digital Assets — VDAs) को भारत में किस वर्ष धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA, 2002) के दायरे में लाया गया?

• **उत्तर: मार्च 2023 में (वित्त मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा)**।

• **व्याख्या:** अब सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए FIU-IND में पंजीकरण कराना, KYC मानकों का पालन करना और संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट करना कानूनन अनिवार्य है।

अभ्यास प्रश्न #57 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 57. 'सिम बॉक्स फ्रॉड (SIM Box Fraud)' या 'पैरेलल टेलीफोन एक्सचेंज' राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्यों खतरा है?

• **उत्तर:** यह अंतरराष्ट्रीय VOIP कॉल्स को वैध इंटरनेशनल गेटवे से बाईपास करके स्थानीय सिम कार्डों के जरिए लोकल कॉल के रूप में रूट करता है, जिससे विदेशी जासूसों या आतंकवादियों की लोकेशन और कॉलर आईडी ट्रैक करना कठिन हो जाता है और सरकारी राजस्व की भी हानि होती है।

अभ्यास प्रश्न #58 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 58. 'संचार साथी (Sanchar Saathi)' पोर्टल और 'CEIR' प्रणाली का क्या उपयोग है?

• **उत्तर:** दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा विकसित यह पोर्टल नागरिकों को अपने नाम पर जारी सभी सिम कनेक्शनों की जांच करने (**TAFCOP**) और खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को उसके **IMEI नंबर** के माध्यम से पूरे देश के सभी नेटवर्कों पर ब्लॉक व ट्रैक करने (**CEIR — Central Equipment Identity Register**) की सुविधा देता है।

अभ्यास प्रश्न #59 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 59. 'डीपफेक (Deepfake)' तकनीक किस AI आर्किटेक्चर पर कार्य करती है?

• **उत्तर: GANs (Generative Adversarial Networks)** — जिसमें दो न्यूरल नेटवर्क (एक Generator और दूसरा Discriminator) एक-दूसरे के विरुद्ध प्रशिक्षण प्राप्त करके अत्यंत यथार्थवादी नकली वीडियो और ऑडियो तैयार करते हैं।

अभ्यास प्रश्न #60 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 60. रक्षा खरीद में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 'रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP 2020)' में सर्वोच्च प्राथमिकता किस श्रेणी को दी गई है?

• **उत्तर: 'Buy (Indian-IDDM)' — अर्थात भारतीय-स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित (न्यूनतम 50% स्वदेशी सामग्री के साथ)**।

खंड C: आपदा प्रबंधन एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध (Q61–Q90)

अभ्यास प्रश्न #61 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 61. 'खतरा (Hazard)', 'सुभेद्यता (Vulnerability)' और 'आपदा जोखिम (Disaster Risk)' के बीच गणितीय संबंध सूत्र क्या है?

• **उत्तर:** $$Disaster Risk (आपदा जोखिम) = (Hazard (खतरा) × Vulnerability (सुभेद्यता) × Exposure (अनावरण) / Capacity (क्षमता / तैयारी))$$

• **व्याख्या:** यदि किसी निर्जन रेगिस्तान में 8 तीव्रता का भूकंप आए तो वह केवल एक 'प्राकृतिक खतरा (Hazard)' है; वह 'आपदा (Disaster)' तभी बनता है जब वहां सुभेद्य आबादी और कमजोर इमारतें (Vulnerability) मौजूद हों और मुकाबला करने की क्षमता कम हो!

अभ्यास प्रश्न #62 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 62. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने भूकंप जोखिम के आधार पर भारत को कितने 'भूकंपीय क्षेत्रों (Seismic Zones)' में बांटा है?

• **उत्तर: 4 भूकंपीय क्षेत्रों में — Zone II, Zone III, Zone IV और Zone V** (पुराने Zone I को Zone II में मिला दिया गया है)।

• **व्याख्या: Zone V (अत्यधिक तीव्र जोखिम क्षेत्र — MSK IX या अधिक):** संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत, जम्मू-कश्मीर व लद्दाख का कुछ भाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ का रण (गुजरात), उत्तर बिहार का कुछ भाग और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह।

अभ्यास प्रश्न #63 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 63. भारत में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी (Early Warning) जारी करने वाली नोडल एजेंसियों का सही मिलान क्या है?

• **उत्तर:**

• **चक्रवात, हीटवेव व भारी वर्षा:** भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (**IMD**)।

• **बाढ़ (Flood):** केंद्रीय जल आयोग (**CWC**)।

• **सुनामी (Tsunami):** भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (**INCOIS**, हैदराबाद)।

• **भूस्खलन (Landslide):** भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (**GSI**)।

• **हिमस्खलन (Avalanche):** रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान (**DGRE**, DRDO)।

• **भूकंप (Earthquake):** राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (**NCS**)।

अभ्यास प्रश्न #64 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 64. 'शहरी बाढ़ (Urban Flooding)' ग्रामीण या नदी बाढ़ से किस प्रकार भिन्न है और इसके मुख्य कारण क्या हैं?

• **उत्तर:** शहरी बाढ़ मुख्यतः कंक्रीटीकरण (Impervious Surfaces), आर्द्रभूमियों व झीलों पर अतिक्रमण, पुराने स्टॉर्म-वॉटर ड्रेनेज सिस्टम के चोक होने और अल्प समय में अत्यधिक तीव्र वर्षा (Cloudburst/High-intensity rainfall) के कारण होती है। इसका समाधान **'स्पंज सिटी (Sponge City)'** अवधारणा, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग और आर्द्रभूमि पुनरुद्धार है।

अभ्यास प्रश्न #65 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 65. NDMA के दिशानिर्देशों के अनुसार किसी क्षेत्र में 'हीटवेव (लू / Heatwave)' कब घोषित की जाती है?

• **उत्तर:** जब अधिकतम तापमान **मैदानी इलाकों में 40^°C या अधिक, तटीय इलाकों में 37^°C या अधिक**, और **पहाड़ी इलाकों में 30^°C या अधिक** हो जाए तथा सामान्य तापमान से विचलन **4.5^°C से 6.4^°C** हो (और यदि विचलन >6.4^°C या तापमान ≥ 47^°C हो तो **'गंभीर हीटवेव / Severe Heatwave'** घोषित होती है)।

अभ्यास प्रश्न #66 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 66. CBRN आपदाओं का पूर्ण रूप क्या है?

• **उत्तर: Chemical (रासायनिक), Biological (जैविक), Radiological (रेडियोलॉजिकल), and Nuclear (परमाणु) Disasters**।

• **व्याख्या:** भोपाल गैस त्रासदी (2-3 दिसंबर 1984 — **मिथाइल आइसोसाइनेट / MIC** गैस रिसाव) विश्व की सबसे भीषण औद्योगिक रासायनिक आपदा थी, जिसके बाद भारत में **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986** और **लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991** पारित किए गए।

अभ्यास प्रश्न #67 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 67. 'आपदा मित्र (Aapda Mitra)' योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

• **उत्तर:** NDMA द्वारा देश के सर्वाधिक आपदा-प्रवण जिलों में स्थानीय सामुदायिक स्वयंसेवकों (युवाओं, NCC, NSS, नेहरू युवा केंद्र) को आपदा के समय **'प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता (First Responders)'** के रूप में बुनियादी खोज, बचाव और प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण व किट प्रदान करना।

अभ्यास प्रश्न #68 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 68. हिमालयी क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही 'GLOF' आपदा का पूर्ण रूप क्या है और इसका उदाहरण कौन-सा है?

• **उत्तर: Glacial Lake Outburst Flood (हिमनद झील विस्फोट बाढ़)** — जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियर पिघलने पर बनी झील की मोरेन (Moraine) दीवार टूटने से आने वाली विनाशकारी बाढ़ (जैसे अक्टूबर 2023 में सिक्किम की **साउथ लोनाक झील / South Lhonak Lake** में आया GLOF जिससे तीस्ता-III बांध क्षतिग्रस्त हुआ)।

अभ्यास प्रश्न #69 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 69. प्रधानमंत्री के 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 10-सूत्रीय एजेंडा (PM's 10-Point Agenda on DRR — 2016)' की मुख्य विशेषता क्या है?

• **उत्तर:** सभी विकास परियोजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के सिद्धांतों को शामिल करना, गरीब परिवारों से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक सभी के लिए बीमा कवरेज, आपदा प्रबंधन में महिलाओं का नेतृत्व, विश्वविद्यालयों का नेटवर्क और सोशल मीडिया व मोबाइल तकनीक से पूर्व चेतावनी को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना।

अभ्यास प्रश्न #70 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 70. वर्ष 2024 में केरल के वायनाड (Wayanad) में आए भीषण भूस्खलन के संदर्भ में पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित कौन-सी दो प्रमुख विशेषज्ञ समितियां चर्चा में रहीं?

• **उत्तर: माधव गाडगिल समिति (WGEEP, 2011)** और **कस्तूरीरंगन समिति (HLWG, 2013)**।

• **व्याख्या:** गाडगिल समिति ने संपूर्ण पश्चिमी घाट के 64% भाग को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करने की सिफारिश की थी, जबकि कस्तूरीरंगन समिति ने लगभग 37% (59,940 वर्ग किमी) प्राकृतिक क्षेत्र को ESA बनाने की सिफारिश की।

अभ्यास प्रश्न #71 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 71. पंचशील (Panchsheel — शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांत) समझौते पर कब और किनके बीच हस्ताक्षर किए गए थे?

• **उत्तर: 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन-लाई के बीच** (तिब्बत के साथ व्यापार और संपर्क समझौते की प्रस्तावना के रूप में)।

अभ्यास प्रश्न #72 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 72. 'गुजराल सिद्धांत (Gujral Doctrine — 1996)' के मुख्य बिंदु क्या हैं?

• **उत्तर:** इंद्र कुमार गुजराल द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार भारत अपने छोटे दक्षिण एशियाई पड़ोसियों (नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव) के साथ **'गैर-पारस्परिकता (Non-Reciprocity)'** का व्यवहार करेगा — अर्थात बदले में किसी रियायत की अपेक्षा किए बिना सद्भावनापूर्वक सहायता देगा, और कोई भी दक्षिण एशियाई देश अपनी भूमि का उपयोग दूसरे देश के हितों के विरुद्ध नहीं होने देगा।

अभ्यास प्रश्न #73 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 73. भारत की समुद्री कूटनीति के प्रमुख सिद्धांत 'SAGAR' (2015) और इसके विस्तारित विजन 'MAHASAGAR' का अर्थ क्या है?

• **उत्तर: SAGAR: Security and Growth for All in the Region** (मॉरीशस में मार्च 2015 में घोषित), जो हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की समुद्री सुरक्षा, नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) और आपदा राहत में भारत को 'प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता (First Responder)' और 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर (Net Security Provider)' के रूप में स्थापित करता है।

अभ्यास प्रश्न #74 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 74. सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty — 19 सितंबर 1960) किसकी मध्यस्थता से हुई और इसमें पूर्वी व पश्चिमी नदियों का बंटवारा कैसे किया गया?

• **उत्तर: विश्व बैंक (World Bank)** की मध्यस्थता से कराची में नेहरू और अयूब खान के बीच हस्ताक्षरित; इसके तहत **3 पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास, सतलज)** के जल पर भारत को पूर्ण अधिकार मिला, और **3 पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब)** का जल मुख्यतः पाकिस्तान को आवंटित किया गया (जिन पर भारत को 'रन-ऑफ-द-रिवर' जलविद्युत परियोजनाएं जैसे किशनगंगा और रतले बनाने का अधिकार है)।

अभ्यास प्रश्न #75 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 75. भारत और बांग्लादेश के बीच किन नदियों के जल बंटवारे को लेकर समझौते या वार्ताएं प्रमुख हैं?

• **उत्तर: गंगा जल संधि (1996 — 30 वर्षों के लिए, जो 2026 में नवीनीकरण हेतु देय है), कुशियारा नदी अंतरिम जल समझौता (2022)**, और **तीस्ता नदी जल विवाद** (भारत-बांग्लादेश के बीच कुल **54 साझा नदियां** हैं)।

अभ्यास प्रश्न #76 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 76. भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद किन तीन स्थानों को लेकर रहा है और वे किस नदी के उद्गम से जुड़े हैं?

• **उत्तर: कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा (उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में)** — यह विवाद **काली (महाकाली/शारदा) नदी** की मुख्य उद्गम धारा के निर्धारण से जुड़ा है (सुगौली की संधि, **1816** ने काली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा निर्धारित किया था)।

अभ्यास प्रश्न #77 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 77. भारत और श्रीलंका के बीच 'कच्चातिवु द्वीप (Katchatheevu Island)' समझौता किस वर्ष हुआ था?

• **उत्तर: वर्ष 1974 में** (पाक जलडमरूमध्य में स्थित इस द्वीप पर भारतीय मछुआरों के पारंपरिक अधिकारों और ट्रॉलिंग के मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच वार्ता चलती रहती है)।

अभ्यास प्रश्न #78 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 78. 'अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC — International North-South Transport Corridor)' किन क्षेत्रों को जोड़ता है और इसमें ईरान के किस बंदरगाह की केंद्रीय भूमिका है?

• **उत्तर:** यह **7,200 किमी लंबा मल्टी-मोडल (जहाज, रेल और सड़क) नेटवर्क** है जो **भारत (मुंबई) को ईरान, कैस्पियन सागर और मध्य एशिया होते हुए रूस और उत्तरी यूरोप** से जोड़ता है (स्वेज नहर मार्ग की तुलना में समय में 40% और लागत में 30% की बचत)। इसमें ईरान के **चाबहार बंदरगाह (शहीद बेहश्ती टर्मिनल — जिस पर भारत ने मई 2024 में 10-वर्षीय दीर्घकालिक संचालन समझौता किया)** की रणनीतिक भूमिका है।

अभ्यास प्रश्न #79 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 79. म्यांमार के साथ भारत की प्रमुख मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी परियोजना का नाम क्या है और यह किस बंदरगाह को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ती है?

• **उत्तर: कालादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KMTTP)** — यह कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के रखाइन प्रांत के **सितवे बंदरगाह (Sittwe Port)** से समुद्र मार्ग से, फिर कालादान नदी मार्ग से पलेतवा और वहां से सड़क मार्ग द्वारा **मिजोरम (पूर्वोत्तर भारत)** से जोड़ता है (जिससे 'सिलीगुड़ी कॉरिडोर / चिकन नेक' पर निर्भरता कम होती है)।

अभ्यास प्रश्न #80 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 80. 'मोतियों की माला (String of Pearls)' की भू-राजनीतिक शब्दावली किस देश की रणनीति को दर्शाती है और इसके प्रत्युत्तर में भारत की रणनीति को क्या कहा जाता है?

• **उत्तर:** यह हिंद महासागर में भारत को घेरने के लिए **चीन द्वारा विकसित बंदरगाहों और सैन्य ठिकानों के नेटवर्क** (गवादर-पाकिस्तान, हंबनटोटा-श्रीलंका, क्याउकप्यू-म्यांमार, जिबूती) को दर्शाती है; इसके प्रत्युत्तर में भारत के रणनीतिक साझेदारी नेटवर्क (चाबहार-ईरान, दुक्म-ओमान, अगालेगा-मॉरीशस, सबांग-इंडोनेशिया, चांगी-सिंगापुर) को **'हीरों का हार (Necklace of Diamonds)'** कहा जाता है।

अभ्यास प्रश्न #81 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 81. भारत ने अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग के कौन-से 4 'बुनियादी समझौते (Foundational Agreements)' पूर्ण किए हैं?

• **उत्तर:**

1. **GSOMIA (2002):** सैन्य सूचना की सामान्य सुरक्षा समझौता।
2. **LEMOA (2016):** लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट।
3. **COMCASA (2018):** कम्युनिकेशंस कम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट।
4. **BECA (2020):** बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (भू-स्थानिक व उपग्रह डेटा साझाकरण)।

अभ्यास प्रश्न #82 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 82. परमाणु अप्रसार और निर्यात नियंत्रण से जुड़ी 4 प्रमुख बहुपक्षीय व्यवस्थाओं (Multilateral Export Control Regimes — MECR) में से भारत किन 3 का सदस्य है और किस 1 का नहीं?

• **उत्तर:** भारत **MTCR (मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था — 2016)**, **वासेनार अरेंजमेंट (Wassenaar Arrangement — 2017)** और **ऑस्ट्रेलिया ग्रुप (Australia Group — 2018)** का सदस्य है; किंतु चीन के अवरोध के कारण अभी **NSG (Nuclear Suppliers Group — 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के बाद गठित)** का सदस्य नहीं बना है।

अभ्यास प्रश्न #83 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 83. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता में सुधार की मांग करने वाले 'G-4' समूह में कौन-से 4 देश शामिल हैं, और इसका विरोध करने वाले समूह को क्या कहते हैं?

• **उत्तर: G-4 देश: भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील**; जबकि इनके स्थायी सदस्य बनने का विरोध करने वाले क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी देशों (पाकिस्तान, इटली, मैक्सिको, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया आदि) के समूह को **'कॉफी क्लब (Coffee Club / Uniting for Consensus — UfC)'** कहा जाता है।

अभ्यास प्रश्न #84 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 84. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ — International Court of Justice) और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC — International Criminal Court) में क्या अंतर है, और क्या भारत दोनों का सदस्य है?

• **उत्तर:** दोनों का मुख्यालय **द हेग (नीदरलैंड)** में है, किंतु **ICJ (1945)** संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है जो **राष्ट्रों (States)** के बीच विवाद सुलझाता है और **भारत इसका संस्थापक सदस्य है** (दलवीर भंडारी इसमें न्यायाधीश रहे हैं); जबकि **ICC (2002 — रोम संविधि)** व्यक्तियों पर नरसंहार व युद्ध अपराधों के मुकदमे चलाता है और **भारत, अमेरिका, चीन व रूस रोम संविधि (ICC) के सदस्य नहीं हैं!**

अभ्यास प्रश्न #85 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 85. विश्व व्यापार संगठन (WTO) में विकासशील देशों और भारत के बीच 'सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (Public Stockholding)' और 'पीस क्लॉज (Peace Clause)' का विवाद क्या है?

• **उत्तर:** WTO के कृषि समझौते (AoA) के तहत खाद्य सब्सिडी ('Amber Box') की सीमा कृषि उत्पादन मूल्य के **10% (De-minimis limit, आधार वर्ष 1986–88 के मूल्यों पर)** तय है। भारत अपने करोड़ों किसानों से MSP पर अनाज खरीदकर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न देता है। **बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (2013)** में अपनाया गया **'पीस क्लॉज'** भारत को तब तक WTO में दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा देता है जब तक खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग का स्थायी समाधान (Permanent Solution) नहीं निकल जाता।

अभ्यास प्रश्न #86 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 86. यूरोपीय संघ (EU) द्वारा लागू किया जा रहा 'CBAM' क्या है और भारत जैसे विकासशील देश इसका विरोध क्यों कर रहे हैं?

• **उत्तर: Carbon Border Adjustment Mechanism (कार्बन सीमा समायोजन तंत्र)** — इसके तहत EU में आयातित स्टील, एल्युमीनियम, सीमेंट और उर्वरक जैसे उत्पादों पर कार्बन उत्सर्जन कर (Carbon Tax) लगाया जाएगा। भारत इसे विकसित देशों का **'हरित संरक्षणवाद (Green Protectionism)'** और जलवायु परिवर्तन के **'साझा परंतु विभेदित उत्तरदायित्व (CBDR-RC)'** सिद्धांत का उल्लंघन मानता है।

अभ्यास प्रश्न #87 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 87. 'अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA — International Solar Alliance)' की शुरुआत कब हुई और इसका मुख्यालय कहां है?

• **उत्तर: वर्ष 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन (COP-21) में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया**; इसका मुख्यालय **गुरुग्राम (हरियाणा, भारत)** में है (यह भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है)।

अभ्यास प्रश्न #88 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 88. भारत द्वारा शुरू किए गए 'मिशन लाइफ (Mission LiFE)' और 'ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस (GBA)' का उद्देश्य क्या है?

• **उत्तर: Mission LiFE (Lifestyle for Environment — COP-26 ग्लासगो में घोषित):** नासमझ और विनाशकारी उपभोग के स्थान पर सचेत और पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली को बढ़ावा देना; **Global Biofuels Alliance (G20 नई दिल्ली, 2023 में भारत, अमेरिका व ब्राजील द्वारा शुरू):** पेट्रोल में **20% इथेनॉल मिश्रण (E20)** और वैश्विक स्तर पर टिकाऊ जैव-ईंधन के उपयोग को गति देना।

अभ्यास प्रश्न #89 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 89. प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) प्रत्येक दो वर्ष में किस तिथि को मनाया जाता है, और OCI कार्डधारकों को कौन-से अधिकार प्राप्त नहीं हैं?

• **उत्तर: 9 जनवरी को** (क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे)। **OCI (Overseas Citizen of India)** कार्डधारकों को भारत में आजीवन वीजा-मुक्त प्रवेश और आर्थिक/शैक्षणिक अधिकार तो हैं, किंतु उन्हें **मतदान करने, चुनाव लड़ने, संवैधानिक पद (राष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि) धारण करने, सरकारी नौकरी पाने और कृषि/बागान भूमि खरीदने का अधिकार नहीं है**।

अभ्यास प्रश्न #90 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 90. 'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट (Voice of Global South Summit)' की पहल किस देश ने की और इसका भू-राजनीतिक महत्व क्या है?

• **उत्तर: भारत ने (जनवरी 2023 से लगातार वर्चुअल शिखर सम्मेलनों की मेजबानी करके)** — इसके माध्यम से भारत ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 125+ विकासशील देशों की प्राथमिकताओं (जलवायु वित्त, ऋण राहत, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर — DPI, और खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा) को G20 और संयुक्त राष्ट्र के मुख्य एजेंडे में स्थापित कर 'विश्वबंधु' के रूप में अपना नेतृत्व सिद्ध किया है।

भाग (ग): बुक 24 — मास्टर रेफरेंस टेबल (Master Reference Table)

विषय क्षेत्र	सिद्धांत / अधिनियम / संगठन	प्रवर्तक / स्थापना वर्ष / मुख्यालय	मुख्य अवधारणा / प्रावधान / परीक्षा बिंदु
नीतिशास्त्र (GS-IV)	**स्वर्णिम मध्यमान (Golden Mean)**	अरस्तू (*Nicomachean Ethics*)	सद्गुण दो चरम अतियों (अभाव व आधिक्य) के बीच का संतुलन है
नीतिशास्त्र (GS-IV)	**निरपेक्ष आदेश (Categorical Imperative)**	इमैनुएल कांट (Deontology)	कर्तव्य के लिए कर्तव्य; मनुष्य सदैव 'साध्य (End)' है, केवल 'साधन (Means)' नहीं
नीतिशास्त्र (GS-IV)	**उपयोगितावाद (Utilitarianism)**	बेंथम (मात्रात्मक) व जे.एस. मिल (गुणात्मक)	अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख (Greatest Happiness of Greatest Number)
नीतिशास्त्र (GS-IV)	**न्याय का सिद्धांत (Theory of Justice)**	जॉन रॉल्स (1971)	अज्ञानता का आवरण (Veil of Ignorance) एवं भेद का सिद्धांत (Difference Principle)
नीतिशास्त्र (GS-IV)	**भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI)**	सलोवे-मेयर (1990), डैनियल गोलमैन (1995)	5 घटक: स्व-जागरूकता, स्व-नियमन, अभिप्रेरणा, समानुभूति, सामाजिक कौशल

विषय क्षेत्र	सिद्धांत / अधिनियम / संगठन	प्रवर्तक / स्थापना वर्ष / मुख्यालय	मुख्य अवधारणा / प्रावधान / परीक्षा बिंदु
लोक प्रशासन नैतिकता	**नोलन के 7 सिद्धांत (1995)**	लॉर्ड नोलन समिति (UK)	Selflessness, Integrity, Objectivity, Accountability, Openness, Honesty, Leadership
प्रशासनिक सुधार	**2nd ARC (2005–2009)**	अध्यक्ष: वीरप्पा मोइली (कुल 15 रिपोर्टें)	1st: RTI, 4th: Ethics in Governance, 12th: Citizen Centric Admin (Sevottam)
भ्रष्टाचार निवारण	**CVC, लोकपाल, PCA (संशोधित 2018)**	संथानम समिति (1964), लोकपाल (2013)	CVC: 1+2 सदस्य (4/65 वर्ष); लोकपाल: 1+8 सदस्य; PCA धारा 17A: पूर्व अनुमति
आंतरिक सुरक्षा	**SAMADHAN सिद्धांत (2017)**	गृह मंत्रालय (LWE उग्रवाद उन्मूलन)	Smart Leadership से लेकर No Access to Financing तक 8-सूत्रीय रणनीति
आंतरिक सुरक्षा	**UAPA (1967, संशोधित 2019) व NIA (2008)**	गृह मंत्रालय	2019 संशोधन: 'व्यक्ति' को आतंकवादी घोषित करने व विदेश में जांच की शक्ति
आंतरिक सुरक्षा	**PMLA (2002) एवं FATF (1989)**	प्रवर्तन निदेशालय (ED) / पेरिस (FATF)	मनी लॉन्ड्रिंग के 3 चरण: Placement → Layering → Integration
साइबर सुरक्षा	**IT Act 2000, CERT-In, NCIIPC, I4C**	MeitY / NTRO / MHA	धारा 66F: साइबर आतंकवाद (आजीवन कारावास); CERT-In रिपोर्टिंग: **6 घंटे**; हेल्पलाइन: **1930**
डेटा संरक्षण	**DPDP अधिनियम, 2023**	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय (MeitY)	भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड; उल्लंघन पर अधिकतम **₹250 करोड़** जुर्माना
आपदा प्रबंधन	**DM Act 2005 (NDMA, SDMA, DDMA)**	प्रवर्तन: दिसंबर 2005	अध्यक्ष: NDMA (PM), SDMA (CM), DDMA (DM एवं सह-अध्यक्ष: जिला परिषद अध्यक्ष), NEC (गृह सचिव)
आपदा प्रबंधन	**सेंडाई फ्रेमवर्क (2015–2030) व CDRI**	UNDRR (जापान) / CDRI (2019, नई दिल्ली)	4 प्राथमिकताएं, 7 वैश्विक लक्ष्य, और 'Build Back Better (BBB)'
अंतरराष्ट्रीय संबंध	**QUAD, I2U2, IMEC**	हिंद-प्रशांत एवं पश्चिम एशिया कॉरिडोर	QUAD: भारत-अमेरिका-जापान-ऑस्ट्रेलिया; I2U2: भारत-इज़राइल-UAE-USA; IMEC: 2023 G20
अंतरराष्ट्रीय संबंध	**SCO (2001), BRICS (2009), BIMSTEC (1997)**	बीजिंग / शंघाई (NDB) / ढाका	भारत 2017 में SCO सदस्य बना; G20 में 2023 में अफ्रीकी संघ शामिल (G21)
अंतरराष्ट्रीय संबंध	**ISA (2015) एवं GBA (2023)**	गुरुग्राम (हरियाणा)	भारत-फ्रांस पहल (ISA); पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण (GBA)

क्वालिटी ऑडिट, तथ्य सत्यापन एवं नीतिशास्त्र/आंतरिक सुरक्षा/आपदा प्रबंधन/IR बूस्टर पैक

(क) 10 सबसे अधिक भ्रमित करने वाले सिद्धांत, सुरक्षा तंत्र एवं अंतरराष्ट्रीय समूह

• **1. नीतिशास्त्र (Ethics) बनाम नैतिकता (Morality): नीतिशास्त्र** बाहरी सामाजिक/व्यावसायिक मानक आचरण संहिता है (जैसे सिविल सेवा आचरण संहिता), जबकि **नैतिकता** व्यक्ति के आंतरिक विवेक पर आधारित सही-गलत की समझ है।

• **2. सहानुभूति (Sympathy) → समानुभूति (Empathy) → करुणा (Compassion):** दूसरे के दुख पर दया = सहानुभूति; स्वयं को दूसरे के स्थान पर रखकर पीड़ा महसूस करना = समानुभूति; और **समानुभूति + पीड़ित के कष्ट को दूर करने की सक्रिय कार्रवाई = करुणा (Compassion — लोक सेवक का सर्वोच्च गुण)**।

• **3. कर्तव्यशास्त्र (Deontology — कांट व गीता का निष्काम कर्म) बनाम उपयोगितावाद (Utilitarianism — बेंथम व मिल):** कांट के अनुसार कर्म की नैतिकता परिणाम से नहीं अपितु कर्तव्य व नियम से तय होती है; जबकि उपयोगितावाद 'अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख' पर आधारित है। महात्मा गांधी ने **साधन और साध्य दोनों की पवित्रता** पर बल दिया।

• **4. NIA बनाम ED का नोडल मंत्रालय: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA, 2008)** केंद्रीय **गृह मंत्रालय** के अधीन है, जबकि **प्रवर्तन निदेशालय (ED — FEMA व PMLA लागू करने वाली संस्था)** केंद्रीय **वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)** के अधीन कार्य करता है।

• **5. NDMA बनाम NCMC की अध्यक्षता: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA — आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005)** के पदेन अध्यक्ष **प्रधानमंत्री** होते हैं, जबकि **राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC)** के अध्यक्ष **कैबिनेट सचिव** होते हैं (SDMA = मुख्यमंत्री, DDMA = जिलाधिकारी/कलेक्टर)।

• **6. सीमा रक्षक बलों (CAPFs) का कार्यक्षेत्र एवं असम राइफल्स का दोहरा नियंत्रण: BSF:** भारत-पाकिस्तान व भारत-बांग्लादेश सीमा; **ITBP:** भारत-चीन सीमा; **SSB:** भारत-नेपाल व भारत-भूटान सीमा; **असम राइफल्स ('पूर्वोत्तर का प्रहरी', 1835):** भारत-म्यांमार सीमा (प्रशासनिक नियंत्रण: गृह मंत्रालय; परिचालन नियंत्रण: भारतीय थल सेना)।

• **7. स्वर्णिम अर्धचंद्र (Golden Crescent) बनाम स्वर्णिम त्रिभुज (Golden Triangle):** पश्चिम में अफीम/मादक पदार्थ तस्करी का **स्वर्णिम अर्धचंद्र = अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान**; पूर्व में **स्वर्णिम त्रिभुज = म्यांमार, लाओस और थाईलैंड**।

• **8. QUAD बनाम I2U2: QUAD (हिंद-प्रशांत):** भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया (मालाबार नौसैनिक अभ्यास); **I2U2 (पश्चिम एशिया आर्थिक मंच):** भारत, इजरायल, UAE और अमेरिका।

• **9. PMLA 2002 में मनी लॉन्ड्रिंग के 3 चरण: (1) प्लेसमेंट (Placement) → (2) लेयरिंग (Layering) → (3) इंटीग्रेशन (Integration)**।

• **10. चार बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत की सदस्यता:** भारत **MTCR (2016)**, **वासेनार व्यवस्था (2017)** और **ऑस्ट्रेलिया समूह (2018)** का पूर्ण सदस्य है, किंतु **NSG (Nuclear Suppliers Group — 2008 में विशेष छूट प्राप्त)** का औपचारिक सदस्य नहीं है।

(ख) नवीनतम मुख्य एवं प्रारंभिक परीक्षाओं पर आधारित मास्टर चीट-शीट सारणी

विषय-क्षेत्र	प्रमुख सिद्धांत / संस्था / फ्रेमवर्क	मुख्य प्रावधान एवं परीक्षा-उपयोगी तथ्य
लॉर्ड नोलन समिति (1995) के 7 सिद्धांत	सार्वजनिक जीवन के 7 मूल्य	**1. निःस्वार्थता, 2. सत्यनिष्ठा, 3. वस्तुनिष्ठता, 4. जवाबदेही, 5. खुलापन, 6. ईमानदारी, 7. नेतृत्व** (द्वितीय ARC की चौथी रिपोर्ट 'शासन में नैतिकता')
गांधीजी के 7 सामाजिक पाप एवं जॉन रॉल्स	नैतिक दर्शन	**गांधीजी:** सिद्धांत के बिना राजनीति, श्रम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान, त्याग के बिना पूजा। **रॉल्स:** 'अज्ञानता का आवरण (Veil of Ignorance)' व 'भेद सिद्धांत'
वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) व साइबर सुरक्षा	**SAMADHAN** सिद्धांत एवं **NCIIPC / CERT-In**	गृह मंत्रालय का **SAMADHAN** सिद्धांत; **NCIIPC** (IT Act धारा 70A — महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण) एवं **CERT-In** (धारा 70B)

विषय-क्षेत्र	प्रमुख सिद्धांत / संस्था / फ्रेमवर्क	मुख्य प्रावधान एवं परीक्षा-उपयोगी तथ्य
आपदा जोखिम न्यूनीकरण फ्रेमवर्क	**सेंदाई फ्रेमवर्क (2015–2030), CDRI (2019)** एवं **PM 10-सूत्रीय एजेंडा**	सेंदाई फ्रेमवर्क में 7 **वैश्विक लक्ष्य और 4 प्राथमिकता क्षेत्र**; **CDRI** का मुख्यालय नई दिल्ली में; भारत का **58.6%** भू-भाग भूकंप (जोन II से V) और **12%** बाढ़ के प्रति संवेदनशील
भारत की विदेश नीति के सिद्धांत व गलियारे	**पंचशील (1954), गुजराल सिद्धांत (1996), SAGAR (2015), IMEC (2023), INSTC**	**गुजराल सिद्धांत:** छोटे पड़ोसियों को बिना पारस्परिकता की अपेक्षा के सहायता; **INSTC (7,200 किमी):** मुंबई को चाबहार/बंदर अब्बास (ईरान) के रास्ते रूस व यूरोप से जोड़ता है; **IMEC:** भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा
प्रमुख सैन्य अभ्यास एवं बचाव अभियान	द्विपक्षीय अभ्यास एवं निकासी मिशन	**अमेरिका:** युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार; **फ्रांस:** शक्ति, वरुण, गरुड़; **जापान:** धर्म गार्जियन; **रूस:** इंद्र; **नेपाल:** सूर्य किरण। **बचाव मिशन:** गंगा (यूक्रेन), कावेरी (सूडान), दोस्त (तुर्की), अजय (इजरायल), देवी शक्ति (अफगानिस्तान)